लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 15 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/ CONTENTS

अंक 54, मंगलवार, 9 मई, 1978/19 वैशाख, 1900 (शक)

No. 54, Tuesday, May 9, 1978/Vaisakha, 19, 1900 (Saka)

विषय		SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:	
*तारांकित प्रश्न संख्या	1028, 1029 1031, 1033, 1034 और 1036 से 1039	*Starred Questions Nos. 1028, 1029, 1031, 1033, 1034 and 1036 to 1039	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या	1027, 1030, 1032, 1035 और 1040 से 1947	Starred Questions Nos. 1027, 1030 1032, 1035 and 1040 to 1047	18—26
अतारांकित प्रश्न संख्या	9601 से 9737 और 9739 से 9800	Unstarred Questions Nos. 9601 to 9737 and 9739 to 9800	26—164
नियम 377 के अधीन मामले		Matters under Rule 377	165—166
(एक) लेखाओं के संकलन के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग किए जाने के बारे में महानियंत्रक का कथित निर्णय— श्री सोमनाथ चटर्जी		(i) Reported Decision of Controller General of Accounts to computerise the compilation of Accounts— Shri Somnath Chatterjee	165
(दो) किसानों को निश्चित मूल्य पर डायनामाइट सप्लाई करने की आवश्यकता— श्री धर्म सिंह भाई पटेल		(ii) Need for supply of dynamite at fixed price to farmers— Shri Dharmasinhbhai Patel	165
(तीन) बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस जारी किए जाने के समाचार— श्री राम बिलास पासवान		(iii) Reported issue of licences to big business houses— Shri Ram Vilas Paswan	165

किसी नाम पर अंकित *यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign *marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
(चार) मनमाद-पूर्णा और आदिलाबाद-पूर्णा मार्गों पर यात्री गाड़ियों के रद्द किए जाने के समाचार—श्री केशवराव धोंडगे	(iv) Reported cancellation of passenger trains on Manmad Purna and Adilabad-Purna routes— Shri Keshavrao Dhondge	165
(पांच) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, हैदराबाद में श्रमिकों के आन्दोलन के समाचार— श्रीमती पार्वती कृष्णन	(v) Reported Workers' agitation in Hindustan Aeronautics, Hyderbad.— Shrimati Parvathi Krishnan	165
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	166—167
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Saha	167
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षण—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	167—169
भारतीय मीन उद्योग निगम के बन्द किए जाने का प्रस्ताव— श्री समर गुह	Reported move to wind up Central Fisheries Corporation— Shri Samar Guha	167
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	167
कार्य मंत्रणा समिति—	Businesss Advisory Committee—	169—170
18वाँ प्रतिवेदन स्वीकृत	Eighteenth Reported adopted.	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति— छठा प्रतिवेदन	Committee on Absence of Members from the sittings of the House— Sixth Report	170
सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) विधेयक—	Customs, Central Excises and Salt and Central Boards of Revenue (Amendment) Bill—	170—178
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A C. George	170
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Agrawal	171
खण्ड 2 से 30 और 1	Clauses 2 to 30 and 1	
सशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव— श्री सतीश अग्रवाल	Motion to pass, as amended— Shri Satish Agrawal	173

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAG
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक	Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill—	178
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री जार्ज फर्नान्डीस	Shri George Fernandes	179
श्री बी० के० नायर	Shri B. K. Nair	179
श्री राम मूर्ति	Shri Ram Murti	180
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	180
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	181]
श्री के० ए० राजू	Shri K. A. Raju	181
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	182
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	182
पण्डित डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	183
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	183
कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल	Km. Maniben Vallabhbhai Patel	183
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	184
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	185
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	185
श्री बी० पी० मण्डल	Shri B. P. Mandal	185
श्री पी० वेंकटासुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah	186
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav	187
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	187
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O. V. Alagesan	187
श्री आर० एल० पी० वर्मा	Shri R. L. P. Verma	188
श्री युवराज	Shri Yuvraj	188
श्री बी० पी० कदम	Shri B. P. Kadam	188

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 9 मई, 1978/19 वैशाख, 1900 (शक)
Tuesday, May 9, 1978/*Vaisakha* 19, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

INTRODUCTION OF NEW TRAINS

†1028. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether 42 new trains were introduced, 27 trains extended and the speed of 78 trains was increased in the country with effect from 1st March, 1978;

(b) if so, their break-up in respect of Gujarat State; and

(c) whether some new trains have been introduced or extended or speed of the existing trains increased on Porbander-Mehsana (Kirti Express Mail), Veraval-Ahmedabad (Somenath Mail), Veraval-Viramgram (Mail) lines or on any other lines in Saurashtra region of Gujarat and if so, the details thereof ?

MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes, Sir, from 1st April, 1978.

(b) and (c). A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

TRAINS INTRODUCED/EXTENDED/SPEEDED UP IN GUJARAT STATE IN APRIL, 1978 TIME TABLE

(i) *introduction*

1. Madras-Ahmedabad Navajivan Express (Weekly)
2. Ahmedabad-Udaipur City Express
3. Bhavnagar to Sihor Passenger
4. Palanpur-Disa Passenger.

(ii) *Extension*

1. 52/51 Ahmedabad-Bechraji Passenger to/from Ranuj
2. 311/312 Rajula City-Rajula Jn. mixed trains to/from Mahuva (on 3 days)

(iii) *Increase in frequency*

1. 132/134 Howrah-Ahmedabad Express from biweekly to triweekly

(iv) *Speeding up (for more than 15 mts.)*

	Extent of acceleration
1. 21 Bhavnagar-Ahmedabad Mail	20 mts.
2. 13 Bombay-Valsad Express.	45 mts.
3. 14 Valsad-Bombay Express.	17 mts.

SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : The hon. Minister has stated in this on two-three occasions that a new railway train Porbander-Bhavnagar-Ahmedabad is proposed to be introduced. May I know when this train will be introduced and whether the name or the father of the nation Mahatma Gandhi would be associated with this train since it would run between Porbander, the birth place or the Mahatma, and Ahmedabad, the centre of his activity ?

PROF. MADHU DANDVATE : Mr. Speaker, I always fulfil the assurance given by me to the House. I may state for the informaion of the hon. Member that Bhavnagar-Porbander-Ahmedabad train is going to be introduced in June. As regards its name, the suggestion of the hon. Member would be considered.

SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : The hon. Minister has stated that 42 new trains have been introduced, 27 trains extended and speed of 78 trains increased. In Saurashtra, one from Porbander to Jenalsar and the other from Shapur Sorath to Saradupa were discontinued in 1973-74. The commercial centres of Saurashtra have demanded their restoration. May I know when these trains will be reintroduced ?

PROF. MADHU DANDAVATE : Saurashtra is a port of Gujarat. I take pleasure in saying that out of 42 new trains four are in Gujarat, out of 27 trains extended two are in Gujarat and out of 78 trains speeded up reducing their running time by more than twenty minutes, three are in Gujarat.

अध्यक्ष महोदय : आपने गुजरात की तरफदारी की है ।

प्रोफेसर मधु दंडवते : क्योंकि मैं केवल गुजरात के बारे में आंकड़े दे रहा हूं । यदि मैं कर्नाटक के बारे में आंकड़े दूंगा तो आप देखेंगे कि मैं गुजरात की ही नहीं बल्कि कर्नाटक की भी तरफदारी कर रहा हूं ।

श्री ए० सुब्रा साहिब : क्या कोयम्बटूर से चलने वाली कोवाई एक्सप्रेस को ओलावाकोट तक बढ़ाने का विचार है ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर हम पहले से ही विचार कर रहे हैं और समय आने पर हम इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : यह मंत्री महोदय की बड़ी कृपा है कि उन्होंने रेलगाड़ी के बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया है क्योंकि पोरबन्दर से दिल्ली को महात्मा गांधी के संदेश का संचार आज बहुत आवश्य है । भगवान कृष्ण का संदेश भी आज उतना ही आवश्यक है । क्या वे द्वारिका से दिल्ली के लिए प्रथम रेलगाड़ी चलाएंगे ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : यदि हम प्रत्येक रेलगाड़ी का सम्बन्ध महात्मा गांधी के संदेश के फैलाने की आवश्यकता से जोड़ दें, तो मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी का संदेश समूचे विश्व में पहुंचाया जाना चाहिए । ऐसी हालत में हमें अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्गों का निर्माण करना होगा । फिर भी यह कार्यवाही के लिए सुझाव है और हम इसे ध्यान में रखेंगे ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा किए जाने वाले कथित कदाचार

*1029. **श्री ए० के० राय :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोयला खानों के टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी समूह द्वारा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन करके किए गए कदाचार के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(ख) क्या सीमित टेंडर द्वारा अथवा इसके बिना ठेकेदार रखना निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं की परिधि में आता है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी समूह की कोयला खानों में काम कर रहे सभी ठेकेदार केवल टाटा परिवार से सम्बन्धित 3 मुख्य व्यापारी परिवारों के ही हैं ताकि आयकर अधिनियम के उपबन्धों से बचा जा सके ;

(घ) क्या यह सच है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के उच्च अधिकारी और निदेशक भी इन ठेकों में सहभागी हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी समूह की कोयला खानों के कार्यों की, जहां सरकार का काफी धन लगा हुआ है, पूर्ण जांच करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ङ) जब मालिक कम्पनी है, तो वह अपनी इच्छानुसार अपने कार्य को किसी भी व्यक्ति द्वारा कराने के लिए मुक्त है । प्रथम दृश्या किसी घराने पर इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा का आरोप लगाना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है । किसी भी अवस्था में, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा नियुक्त ठेकेदारों या उसके द्वारा निष्पन्न ठेकों में अधिकारियों और निदेशकों के होने की कोई शिकायत सरकार की सूचना में नहीं आई है। सरकार को कथित कदाचारों के सम्बन्ध में कोई सूचना दी जाती है तो वह इस मामले में उचित जांच की सुविधा देगी ।

श्री ए० के० राय : मंत्री महोदय द्वारा टाटा घराने को दी गई मुक्ति से टाटा घराना बहुत प्रसन्न होगा । मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि टाटा घराने के अधीन बिहार में चार कोयला खानें हैं, अर्थात्, टाटा शिजवा, मलकायरा, जामाडोबा और वैस्ट बोकारो, भारत सरकार की कृपा से ये उनके उद्योग की बन्धक खानों के रूप में चल रही थी । क्या ये कोयला खान नियमों का पालन करने के स्थान पर अब कोयला क्षेत्रों में हर प्रकार की गड़बड़ी की शरण-स्थली बन गई है—क्योंकि उनकी बंधक कोयला खानें हैं तथा उनके बंधक ठेकेदार हैं ? वही प्रबन्धक उन्हीं कोयला खानों को चला रहे हैं और वही प्रबन्धक अप्रत्यक्ष रूप से वही ठेका पद्धति चला रहे हैं । क्या प्रतिबंधात्मक टेंडर के अन्तर्गत यह बंधक ठेका पद्धति चल सकती है–मंत्री महोदय ने कहा है कि यह प्राइवेट कम्पनी है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं—क्योंकि टिस्को में टाटा की तुलना में सार्वजनिक शेयर अधिक हैं । जिस कम्पनी में निजी धन की अपेक्षा सार्वजनिक धन का अंश अधिक हो, क्या वहां कानूनी तौर पर प्रतिबन्धात्मक ठेका पद्धति चलाई जा सकती है, अर्थात् ठेकेदारी को अपने ही क्षेत्र में रखना तथा विभागीय कार्यकरण को उसके अधीन रखना ?

श्री शान्ति भूषण : जैसा मैं कह चुका हूं, कोई भी कम्पनी जिस ठेकेदार को चाहे रख सकती है और ठेकेदार का चयन टेंडर आमंत्रित करने के आधार पर ही करना आवश्यक नहीं है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार दो हालतों में हस्तक्षेप कर सकती है। यदि ठेकेदारों का चयन आयकर बचाने के उद्देश्य से अधिक धन देने के लिए किया जाता है; तो निश्चय ही उसकी जांच की जानी चाहिए। यदि कोई ऐसी शिकायत है, तो उसकी जांच की जा सकती है और उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है इसी तरह यदि कम्पनियों को निदेशक अपने रिश्तेदारों को रखते हैं, तो उस हालत में कम्पनी अधिनियम में उपबन्ध हैं कि निदेशक को किसी ठेकेदार में हितबद्ध होने से पूर्व अपने हित की निदेशक मण्डल को सूचना देनी होगी। उसे निदेशक मण्डल की मंजूरी लेनी होती है और यदि किसी कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी 1 करोड़ रुपए से अधिक हो तो सरकार की मंजूरी भी लेनी आवश्यक है। इसलिए यदि किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कोई निश्चित शिकायत की जाती है कि या तो कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या आयकर की चोरी की गई है, तो उसकी अवश्य जांच की जाएगी।

श्री ए० के० राय : यदि किसी कम्पनी में सार्वजनिक पूंजी का अंश अधिक है और जहां खुले टेंडर की व्यवस्था नहीं है तथा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे यह पता चल सके कि न्यूनतम टेंडर कौनसा है और अधिकतम टेंडर कौनसा है, तो आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि अपने ठेकेदारों को जानबूझकर अधिक पैसा दिया जा रहा है या नहीं? श्री आर० एन० चौबे के फर्जी नाम से लाखों रुपयों का भुगतान किया जाता है किन्तु उस कम्पनी में इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। हमेशा उसी व्यक्ति को टेंडर मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कोयला खान में कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और उनके ठेकों की राशि कितनी है? क्या सभी नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है क्योंकि इस कम्पनी में सार्वजनिक धन लगा हुआ है? क्या मंत्री महोदय टाटा कोयलरी के मामलों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने के लिए तैयार हैं? यदि ये शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो क्या वे टाटा कोयलरीज़ का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तैयार हैं?

श्री शान्ति भूषण : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, जहां तक टेंडर मंगाने का सम्बन्ध है, कानून में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि प्रत्येक कम्पनी को ठेकेदार रखने के लिए टेंडर आमंत्रित करने के आधार पर ही उनका चयन किया जाना चाहिए। जहां तक किसी ठेकेदरार को आयकर की चोरी के उद्देश्य से रखे जाने का प्रश्न है या.....

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि जब उस कम्पनी में सार्वजनिक धन लगा हो.....

श्री शान्ति भूषण : जब सार्वजनिक धन लगा हो तब भी मेरी जानकारी में ऐसा कोई कानूनी उपबन्ध नहीं है जिसके आधार पर कम्पनी को टेंडर आमंत्रित करने के आधार पर ही ठेकेदार रखने चाहिए। लेकिन यदि निश्चित शिकायतें हों कि कम्पनी विधि अधिनियम के उपबन्धों का पालन किए बिना ठेकेदारों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को रखा जा रहा है, जो 'टिस्को' ठेकेदारों से सम्बन्धित हैं, तो निश्चय ही उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन किसी की निश्चित शिकायत करनी होगी। अभी तक कम्पनी कार्य विभाग में और वित्त मंत्रालय में इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अधिक दरों पर ठेकेदारों को रख कर कर की चोरी के बारे

में भी आयकर विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । यदि निश्चित तथ्य देते हुए कोई निश्चित शिकायत प्राप्त होती है, तो निश्चय ही उसकी जांच की जाएगी ।

श्री बी० राचैया : यदि केवल टेंडर मांगकर ठेके देने के लिए कम्पनी को बाध्य करने का अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है, तो क्या सरकार ऐसा करने के लिए कम्पनी को बाध्य करने हेतु अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन प्रस्तुत करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री शान्ति भूषण : प्रत्येक काम जिसके लिए ठेकेदार रखे जाते हैं, वह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी । यदि हम कठोरता बरतते हैं, तो प्रत्येक काम के लिए जब भी ठेकेदार रखने होंगे, तो टेंडर मांगने पड़ेंगे । मुझे तो यह प्रतीत होता है कि कारोबार चलाना, उत्पादन करना या कारखाना चलाना कहीं असम्भव ही न हो जाए । यदि लोग ठेकेदारों के सम्बन्धी हैं तो कम्पनी अधिनियम में अनेक रक्षोपाय हैं। उस स्थिति में एक स्पष्ट आरोप होना चाहिए ।

सरकारी एजेंसी के माध्यम से मंगाया गया कच्चा माल देने की नीति

*1031. **श्री आर० के० अमीन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी एजेंसी के माध्यम से मंगाया गया कच्चा माल देने की नीति क्या है;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं कि सरकारी माध्यम से आयात करने वाली एजेन्सियों को अपनी सिफारिशें भेजने में प्रायोजित करने वाले/सिफारिशें करने वाले प्राधिकारी अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करें; और

(ग) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय ने आयात नीति में इस प्रकार हस्तक्षेप किया है कि विदेशी कम्पनियों को देश में उक्त कच्चे माल की एकाधिकार बिक्री करने में संरक्षण प्राप्त हुआ है / लाभ हुआ है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Salient features of the present policy for release of canalised raw materials (bulk drugs) are indicated below :

(i) Small Scale Units will be given additional allocation of canalised bulk drugs during 1978-79 to such an extent that their continued additional allocation together for 1977-78 and 1978-79 amounts to 200% of the allocations of 1976-77.

(ii) New units in the small scale sector will be registered on production of a photostat copy of the drug manufacturing licence issued to them by the concerned State Drug Controller and a certificate from their Bank or the State or Central financing institution which finances them, to the effect that their production plans as filed with them, warrant the quantity of material asked for.

(iii) Such units will be allowed release of canalised raw materials initially for total value not exceeding Rs. 3 lakhs subject to a minimum of Rs. 20,000/-. However, in respect of new units in the Small Scale Sector set up by graduates/diploma holders in professional subjects and by ex-service personnel and by persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the monetary limits will be maximum Rs. 4 lakhs and minimum Rs. 30,000.

(iv) The units seeking releases will have to give a certificate to the canalising agency that the raw materials are required for captive consumption in their own production.

(v) At the end of the year the units will furnish a certificate from a Chartered Accountant to the effect that the material has actually been consumed in their own unit for production of formulations.

(vi) For the first six months of 1978-79 the DGTD units shall be replaced canalised bulk drugs on the following basis :

(a) In the case of licence, etc., specifying the capacity, 50% of the release therefor made by the canalising agencies during 1977-78 or the licensed capacity, in either case subject to a ceiling of 50% of the entitlement as per licenced capacity;

(b) In case of the licence, etc., not specifying the capacity 30% of the release therefor made during 1977-78 by the canalising agencies.

(b) Under the policy mentioned above, no specific sponsoring/recommending authorities have been prescribed except in the case of 'New' small scale units who have to produce certificate from their Bank or the State or Central financing institutions which finances them to the effect that their production plans, as filed with them, warrant the quantity of raw materials asked for. For the existing units in the Small Scale Sector, the 1976-77 allocations of same raw materials made by canalising agencies has been made the basis for working out 1978-79 entitlements whereas the DGTD units releases are to be made on the basis of their licenced capacities and/or releases made to them in 1977-78 by the canalising agencies themselves.

(c) No, Sir.

श्री आर० के० अमीन : आयात प्राप्त होने और उसके नियतन के बाद मंत्री महोदय या मंत्रालय को कैनेलाइसिंग एजेंसी को निर्देश देने में कितना समय लगा है तथा कैनेलाइसिंग एजेंसी ने एल-बेस के आयात का आर्डर देने एवं नियतन करने तथा विभिन्न फर्मों को उसके वितरण में कितना समय लगाया है ?

SHRI JANESHWAR MISHRA : Mr. Speaker Sir, I require notice for it.

श्री आर० के० अमीन : नियतन मनमाने ढंग से बड़े घरानों को किया जाता है। उनके लिये नियतन उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार किया जाता है लेकिन छोटे उद्योगों को नियतन वास्तविक खपत में कुछ वास्तविक विकास दर जोड़ कर उसके आधार पर किया जाता है जिसके कारण एल-बेस के नियतन में असमता आई है और दो बड़े घरानों को लाभ पहुंचा है। क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन करके छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचायेगी जैसी कि जनता सरकार की नीति है ?

SHRI JANESHWAR MISHRA : As already stated in the statement, the small scale units have been allocated more than 200 per cent during 1977-78 and 1978-79 as compared to allocations made during 1976-77. I do not know how the hon. Member got the suspicion of small scale units being discriminated against. It is true that allocations to D.G.T.D. units were earlier based on actual consumption but it was brought with the risk of inflation of figures of consumption. Suppose an allocation of 500 tons was made, but the consumer unit managed to purchase additional quantity from small scale units or from smugglers and showed the figure as 10,000 tons. In these circumstances, Government decided to base the allocations on the quantity released by the canalising agency and the licensed capacity.

श्री आर० के० अमीन : छोटे उद्योगों को उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आधार पर नियतन क्यों नहीं किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : वे कह चुके हैं कि उन्हें 200 प्रतिशत अधिक नियतन किया गया है

SHRI LAXMI NARAYAN NAYAK: So far a few persons were favoured in allocation of raw materials imported from abroad through Government agencies. May I know whether since it is now the policy of Government to encourage cottage industries, you will take steps to ensure maximum supply to them?

SHRI JANESHWAR MISHRA: I have stated in my statement that in accordance with Government's policy small units are allocated canalised raw material for the total value of Rs. 3 lakhs subject to a minimum of Rs. 20,000 and in case of diploma-holders, ex-servicemen and Scheduled Castes etc. it is extended to Rs. 4 lakhs. We are quite conscious of our policy of ensuing supplies to small units.

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या उन्हें मालूम है कि कीटनाशक दवाइयों के छोटे निर्माताओं को मूल कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह माल कैनेलाइज्ड नहीं है तथा बहुराष्ट्रीय निगम देशी निर्माताओं को मूल कच्चा माल सप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्या उनके विभाग या मंत्रालय को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

SHRI JANESHWAR MISHRA: A representation to this effect has been received by Government and we are looking into it.

CHOWDHURY BALBIR SINGH: The hon. Minister said that the consuming units used to purchase raw materials from smugglers with a view to show higher figures of consumption. May I know the action he will take against such smugglers and the consumer units, if such a case comes to his notice?

SHRI JANESHWAR MISHRA: Government is in possession of such figures where a person, who was released 4 tons of raw material, showed a consumption upto 10 tons. Government do not have any specific knowledge of source of supply for consumption. This report is two-three years back. We thought that either they made bulk purchase of allocations made for the small units or from persons who bring it from abroad. That is why we find it difficult to made allocations on the basis of consumption.

श्री बसंत साठे : बड़े एकाधिकार गृहों को अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आधार पर ही नहीं बल्कि खपत के आधार पर भी सप्लाई मिलती है और मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा कि वे अन्य स्रोतों से माल लेकर अपनी खपत ज्यादा दिखाते हैं .....

SHRI JANESHWAR MISHRA: It was being done previously which has been stopped.

श्री बसंत साठे : आप छोटे यूनिटों को भी लाइसैंस प्राप्त क्षमता के आधार पर क्यों नहीं सप्लाई कर सकते? ऐसा करने से अधिक न्याय होगा। क्या आप सभा को आश्वासन देंगे कि उन्हें भी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आधार पर कच्चा माल सप्लाई किया जायेगा?

SHRI JANESHWAR MISHRA: There may be a dispute regarding the utilisation of licensed capactiy of small units. Our problem is the raw material allocated to them is passed to big houses. We have thoughtfully adopted the formula after due consideration.

बम्बई-पूना लाइन पर डबल-डेकर रेल के डिब्बों का चलना

*1033. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-पूना लाइन पर डबल-डेकर रेल के डिब्बे सन्तोषजनक ढंग से चल रहे हैं ;

(ख) यात्रियों को क्या सुविधायें दी जाती हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान किन अन्य लाइनों पर डबल-डेकर रेल डिब्बे चलाये जायेंगे?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(क) जी हां।

विवरण

(ख) और (ग) : पारम्परिक किस्म के सवारी डिब्बे में 90 व्यक्तियों के स्थान की तुलना में, 309/310 बम्बई-पुणे 'सिंहगढ़' एक्सप्रेस के प्रत्येक दुमंजिले सवारी डिब्बे में 148 व्यक्तियों के स्थान की व्यवस्था है। ये सवारी डिब्बे गलियारेदर हैं और इनमें सामान के लिए रेकों, शौचालय के बाहर हाथ धोने की चिलमचियों और स्टेनलैस स्टील के बने पीने के पानी के पात्रों की व्यवस्था की गई है। हावड़ा-आसनसोल और नई दिल्ली-मेरठ खंडों पर दोमंजिले सवारी डिब्बे आरम्भ करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या मैं बम्बई-पुणे लाइन पर यात्री यातायात के बारे म ब्यौरा दोमंजिले डिब्बे चलाने के वित्तीय पहल और दोमंजिले डिब्बों की ऊंचाई जान सकता हूं ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : दोमंजिले डिब्बों की ऊंचाई पुराने डिब्बों की ऊंचाई से 11 इंच अधिक होगी। जहां तक वित्तीय पहलु का सम्बन्ध है, ये काफी लाभप्रद हैं। पुराने किस्म के डिब्बों में सामान्यतः 90 व्यक्तियों की क्षमता होती है जबकि दो मंजिले डिब्बों की क्षमता 148 है। हमें इसी अनुपात में आय भी अधिक होगी। इसे दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य कि हमारा अनुभव है कि यद्यपि प्रत्येक दोमंजिली रेलगाड़ी की अधिष्ठापित क्षमता 1412 है, लेकिन कम से कम 2000 व्यक्ति टिकट लेकर उस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। वास्तव में यह बहुत लाभप्रद है।

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या गुजरात में अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच कोई ऐसी परियोजना विचाराधीन है ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : मैं मूल उत्तर में कह चुका हूं कि हम दो मार्गों पर विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बम्बई सूरत लाइन पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या उस पर हम इन्हें चला सकेंगे।

श्री आर० के० महालगी : कुछ दिन पूर्व मैंने इस रेलगाड़ी में यात्रा की है और मुझे उसके यात्रियों से बातचीत करने का अवसर मिला। लोग डिब्बे से सामान्यतः संतुष्ट हैं परन्तु सुधार की गुंजाइश है। क्या मंत्री महोदय या अन्य रेलवे प्राधिकारियों को दोमंजिले डिब्बों में सुधार किये जाने के बारे में हाल में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : हमने यात्रियों में 700 फार्म बांटे थे, उनमें से 600 वापस आए हैं। अधिकांश फार्मों में कहा गया है कि वे नई परिवहन व्यवस्था से संतुष्ट हैं। कुछ ने सुझाव दिया है कि पेय जल के प्रबन्ध में सुधार किया जाना चाहिए। सौभाग्य से अधिकांश यात्रियों के अनुसार, पहले जो यह आलोचना की गई थी कि उनमें धूल की समस्या होगी, वह अब नहीं है। केवल बाहर हवा फेंकने वाले पंखों और पेय जल के प्रबन्ध में सुधार के सुझाव प्राप्त हुए हैं, भविष्य में हम ये प्रबन्ध कर देंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : जब हमने ये दो मंजिले डिब्बे देखे तो पाया कि ऊंचाई की वजह से पंखों का प्रबन्ध दोनों ओर के यात्रियों के लिये पर्याप्त नहीं था और निचले डैक में धूल जारी रहने की संभावना है। क्या निचले डैक को धूल-मुक्त बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और दूसरे क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय उपनगरीय रेलगाड़ियों में, जहां भीड़ की समस्या है विशेष रूप से सर्वाधिक यातायात के घंटों के समय, ये डिब्बे लगाये जायेंगे।

प्रोफेसर मधु दंडवते : उपनगरीय यातायात वाली रेलगाड़ियों में दो मंजिले डिब्बे लगाना बहुत कठिन है क्योंकि ये रेलगाड़ियां प्रत्येक स्टेशन पर बहुत कम समय के लिये ठहरती हैं और लोगों को ऊपर वाले डैक में चढ़ने उतरने में समय लगता है। परन्तु हावड़ा आसनसोल जैसे तथा अन्य छोटे मार्गों पर, जिनका मैं उल्लेख कर चुका हुं, हम उन्हें चलाने का प्रयास करेंगे जब वे दिल्ली स्टेशन गई थीं तो उन्होंने पंखों के बारे में एक ठोस सुझाव दिया था। हमने उस पर विचार किया है। ऊपर के डैक में पंखे केवल एक लाइन में लगाये गए हैं। उनका सुझाव है कि एक लाइन और होनी चाहिये। मैंने स्वयं डिजाइन की जांच की है और हमारा विचार है कि यदि पंखों की दो लाइनें हों ....

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : जी, नहीं, मैंने कहा था कि छत बहुत नीची है। आप घूमने वाले पंखे लगाइए।

प्रोफेसर मधु दंडवते : जहां तक दो लाइनों का सम्बन्ध है, यह संभव नहीं है। हां, घूमने वाले पंखे लगाना संभव है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : धूल के बारे में नहीं बताया।

प्रोफेसर मधु दंडवते धूल की कोई शिकायत नहीं है।

SHRI RAM KANWAR BERWA : May I know whether the speed of the double-decker trains is slower than that of other express trains ? Secondly, keeping in view the over crowding in trains, do you propose to introduce double-decker trains on other railway lines also ?

PROF. MADHU DANDVATE : I have already answered the second part of the question. As regards the first part, I may state that we have not lowered the speed of double-decker trains. The Janta Express has been replaced by Singhgarh Express without affecting the speed.

श्री सौगत राय : मैंने दो मंजिले डिब्बे केवल चित्रों में देखे हैं। क्या मंत्री महोदय ने "इंडिया टुडे" नामक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख देखा है जिसमें कहा गया है कि निचले डैक के यात्रियों को गर्मी के कारण परेशानी होती है और ऊपर के डैक के यात्रियों को खिड़कियां उनकी छाती के बराबर न होकर सिर के पास होने के कारण परेशानी हो रही है, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हावड़ा-आसनसोल सैक्शन पर यह दो मंजिलीं गाड़ी कब से चलाई जायेगी ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : मैं मानता हूं कि दो मंजिले डिब्बों से यात्रा में कुछ परेशानी है और कुछ लाभ भी हैं। लेकिन यदि हम कुल मिलाकर देखें तो आराम अधिक हैं और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह यात्रा सुखप्रद ही होगी। जहां तक हावड़ा आसनसोल सैक्शन का सम्बन्ध है, मैं अपने बंगाल के दौरे के समय घोषणा कर चुका हुं कि हम उस सैक्शन को सर्वोत्तच्च प्राथमिकता देंगे क्योंकि हमारे परीक्षण के अनुसार यह सैक्शन दोमंजिले डिब्बों से यात्रा के लिये सर्वाधिक उपयुक्त सैक्शनों में से है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह सच है कि भूतपूर्व सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इसे छोड़ दिया था और उन्होंने इस निर्णय को बदल दिया है? यदि हां, तो इस प्रस्ताव को पहले नामंजूर किये जाने के क्या कारण थ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : हमने इस नई व्यवस्था को अपनाकर सही कदम उठाया है। इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह नई व्यवस्था बहुत सफल रही है। इंजीनियरों तथा यात्रियों ने भी अनेक सुझाव दिए हैं, हम उनको ध्यान में रखते हुए परीक्षण के आधार पर कुछ मार्गों पर दोमंजिले डिब्बे भेज रहे हैं। यात्रियों द्वारा जो भी सुझाव दिये जाएंगे भविष्य में उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने तो पहले इस प्रस्ताव के नामंजूर किए जाने के कारण पूछे थे।

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली और अन्य स्टेशनों पर चुराई गई वस्तुएं

*1034. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में दिल्ली, नई दिल्ली और पूर्व रेलवे के मुगलसराय स्टेशन पर चुराई गई वस्तुओं का मूल्य क्या था; और

(ख) इस चोरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1977 के दौरान दिल्ली, नयी दिल्ली और मुगलसराय में चोरी की जो घटनाएं हुई उनमें चुराये गये सामान का मूल्य नीचे दिया गया हैं :—

दिल्ली	8,857	रुपये
नयी दिल्ली	7,601	रुपये
मुगलसराय	1,54,122	रुपये

(ख) उठाईगीरी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) परिवहन के लिए रेलों को सौंपी गयी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए मुगलसराय, दिल्ली और नयी दिल्ली में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(2) अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए मुगलसराय में रेलवे सुरक्षा विशेष दल की दो कम्पनियां तैनात की गयी हैं।

(3) मुगलसराय में "कुत्ता दस्ता" द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाने का काम शुरु किया गया है जबकि दिल्ली और नयी दिल्ली में यह काम अचानक किया जाता है।

(4) दिल्ली और नयी दिल्ली में दीवारें, बाड़, रोशनी, फाटकों के रास्ते लोगों के प्रवेश को विनियमित करना, जैसे बुनियादी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय विद्यमान हैं।

(5) अपराध की घटनाएं, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, लदे हुए तमाम माल डिब्बों की रिवटों और सीलों आदि की जांच की जाती हैं।

(6) वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, कीमती वस्तुओं की चढ़ाई-उतराई, रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की देखरेख में की जाती है।

(7) अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति प्राप्त करने वालों का पता लगाने तथा छापों का आयोजन करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आसूचना इकट्ठी करने के लिए क्षेत्रीय रेलों की अपराध आसूचना शाखाओं और रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

(8) आपराधिक आसूचना की अदला-बदली करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के बीच निकटतम सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

(9) पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है, ताकि यह यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे सुरक्षा दल के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी सावधान हैं या नहीं।

(10) नुक्सवाले पैकेटों/ पार्सलों को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, ताकि उठाईगीरी आदि के कारण उनको और अधिक हानि/ रिसाव से बचाया जा सके।

(11) कर्मचारियों की जिम्मेदारी तुरंत निश्चित करना और लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करना।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : विवरण से पता चलता है कि चोरियां प्रति वर्ष बढ़ रही हैं और विवरण में बताये गये कदम सामान्य प्रकार के हैं। ऐसी चोरियों को रोकने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : चूंकि चोरियों की कार्यप्रणाली भी सामान्य प्रकार की हैं, इसलिए उनका सामना करने के लिये हमारे द्वारा अपनाये गये तरीके भी सामान्य किस्म के हैं। वास्तव में आवश्यकता वर्तमान व्यवस्था की क्रियान्विति को अधिक प्रभावी बनाने की है। रेलवे सुरक्षा दल, कुत्ता दस्ते के कार्यकरण को तथा उनमें समन्वय को प्रभावी बनाना होगा। मैं पहली सरकार को दोष नहीं देता हूं। उन्होंने ये सब कार्यवाहीं की थी। इन उपायों की क्रियान्विति को कारगर बनाकर ही हम इन चोरियों को रोक सकते हैं। मैं पूर्णत: सहमत नहीं हूं कि चोरियां बढ़ रही हैं। मैं सभा को आंकड़े देकर परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास 1975 से 1978 तक के आंकड़े हैं ; आप पायेंगे कि विभिन्न स्थानों पर चोरियां उत्तरोत्तर कम हो रही हैं। हमारा निरन्तर प्रयास रहेगा कि उपायों की क्रियान्विति को प्रभावी बनाया जाये ताकि चोरियां कम से कम हों।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : इन चोरियों के बारे में अनेक लोगों ने शिकायतें की हैं कि रेलवे ने मुआवजा नहीं दिया है। रेलवे द्वारा बुक किये सामान के खो जाने पर रेलवे को मुआवजा देना

होता है। इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है? अनेक मामलों में मुआवजा नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : सही तौर पर यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

प्रोफेसर मधु दंडवते : मुआवजे के भुगतान अर्थात् दावों के निपटारे के बारे में निश्चित नियम हैं। इसके लिये पृथक व्यवस्था हैं; और उन विशिष्ट नियमों और विनियमों के आधार पर प्रत्येक मामले पर विचार किया जाता है। मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस वर्ष के दौरान अनेक दावों के निपटारे के बारे में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया है। इसके परिणामस्वरूप दावों के निपटारे का समय घटकर 48 दिन रह गया है; और हमारा प्रयास होगा कि इसे घटाकर छः सप्ताह कर दिया जाये।

डा० सुशीला नायर : क्या मंत्री जी को मालूम है कि चोरी के काफी मामलों में रेलवे सुरक्षा की सांठगांठ होती है। मुझे कुछ अधिकारियों ने स्वयं बताया कि ग्वालियर और भोपाल के एस० ओ० या एस० एच० ओ० का, जो भी उन्हें कहते हों, यदि तबादला कर दिया जाये तो अधिकांश चोरियां समाप्त हो जायेगी क्योंकि वे चोरी करने वाले से मिले हुए हैं और चोरियों में उनकी सांठगांठ है। रेलवे सुरक्षा दल के जरिये इन चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

प्रोफेसर मधु दंडवते : यदि माननीय सदस्या मुझे किसी अधिकारी या तंत्र के इसके लिये उत्तरदायी होने की जानकारी देंगी, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं मामले की जांच और उचित कार्यवाही करुंगा।

डा० सुशीला नायर : मैंने स्थान बताये हैं, ग्वालियर और भोपाल।

प्रोफेसर मधु दंडवते : मैं जांच करुंगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : मंत्री जी ने कहा है कि चोरियों की संख्या नहीं बढ़ी है किन्तु सच्चाई ये है कि रेलवे में चोरियां बढ़ रही है। सबसे अधिक दुख की बात यह है कि बुक किये गये माल की चोरी भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किये गये अनेक सैनिक अधिकारियों से मुझे शिकायतें मिली हैं। उनका सारा सामान, जिसमें स्कूटर भी हैं, गायब हो गया और उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या मंत्री महोदय रेलों से बुक किये माल का अनिवार्य बीमा करने पर विचार करेंगे?

प्रोफेसर मधु दंडवते : यह एक रचनात्मक सुझाव है और इस पर हम विचार करेंगे। उनके पहले कथन के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 1975 से 1978 तक मुगलसराय, दिल्ली और नई दिल्ली में चोरी गई सम्पत्ति का मूल्य निरन्तर कम होता रहा है लेकिन हम अभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि कमी होना ही काफी नहीं है। यथासंभव इसको समाप्त करना होगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के ठोस सुझाव पर गहराई से विचार करुंगा।

श्री तरुण गोगोई : मंत्री जी के अनुसार वर्तमान व्यवस्था चोरी की समस्या का सामना करने में समर्थ है किन्तु प्रभावी क्रियान्विति न होने के कारण ये नहीं रुक रही हैं, वर्तमान व्यवस्था की प्रभावी क्रियान्विति के लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

प्रोफेसर मधु दंडवते : मैं केवल यही कदम उठा सकता हूं कि प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जायेगी।

ऋण को प्रभारित पूंजी में बदला जाना

*1036. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिए ऋण को प्रभारित पूंजी में बदलने हेतु मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

श्री चित्त बसु : मंत्री महोदय को याद होगा कि उन्होंने बजट भाषण में इस प्रस्ताव का उल्लेख किया था । क्या मंत्री महोदय उनके मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव की सामान्य बातें बतायेंगे और इससे रेलवे यात्रियों की किस प्रकार सहायता होगी ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : हम दो समितियां स्थापित कर चुके हैं । एक समिति रेलवे के पूंजी ढांचे के पुनर्विलोकन का काम करेगी और दूसरी सामाजिक बोझ के प्रश्न पर गहराई से विचार करेगी, यदि ये दो समस्यायें पर्याप्त रूप में हल हो जाती हैं, तो मैं समझता हूं कि प्रगति करने में कोई खास कठिनाई नहीं होगी । जहां तक पहली का सम्बन्ध है, कुछ ठोस सुझाव हैं । विचाराधीन एक प्रस्ताव इस प्रकार है । 31 मार्च, 1978 को भारतीय रेलवे का सामान्य राजस्व को ऋण 368 करोड़ रुपये था । यदि यह पूंजी प्रभार में जोड़ दिया जाये, जो 4,500 करोड़ रुपये है, हम .6 प्रतिशत लाभांश देते रह सकते हैं ताकि हमें बचत को उपयोग न करना पड़े और बचत का केवल पिछले ऋणों के भुगतान के लिये ही उपयोग किया जाये । दूसरे हमने यह सुझाव भी दिया है कि यदि हमारी बचत सुरक्षित रहती है, तो उसमें बची हुई राशि को एक विकास निधि के रूप में पृथक रखा जा सकता है और उसमें से पर्याप्त राशि पिछड़े क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिये उपलब्ध की जा सकती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी देश में रेलवे को 170 करोड़ रुपये का सामाजिक भार वहन करना पड़ रहा है । हमें लागत से कम भाड़े पर वस्तुओं के लाने-ले जाने पर 69 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है । उपनगरीय रेलों पर सस्ते सीज़न टिकट देने के कारण हमें 21 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है । अलाभप्रद लाइनों के कारण हमें 21 करोड़ रुपए की हानि हो रही है । इस प्रकार कुल 170 करोड़ रुपए की हानि हो रही है । विश्व में सभी जगह सामाजिक भार सामान्य राजस्व द्वारा वहन किया जाता है। केवल हमारी रेल ही एक ऐसी है जो इसे वहन कर रही है । इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री चित्त बसु : क्या उनके द्वारा उल्लिखित इन प्रस्तावों पर मंत्रालयों के बीच परस्पर कोई बातचीत, विचार-विमर्श या परामर्श हुआ है और कब तक सरकार द्वारा निर्णय किये जाने की संभावना है ?

प्रोफेसर मधु दंडवते : यह साफ बात है कि वित्त मंत्रालय से प्रभावी बातचीत के बिना इस मामले में प्रस्ताव आगे बढ़ ही नहीं सकता और बातचीत हो रही है ।

DIESELIZATION OF CHETAK EXPRESS

*1037. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether keeping in view the historical and tourist importance of Udaipur (Rajasthan) the Ministry propose to provide diesel engine for Chetak Express;

(b) if so, the action being taken in this regard; and

(c) if not, the action being taken by Government to reduce the time of Chetak Express ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The average speed of 15/16 Chetak Express is 36.9 kmph which compares favourably with the All India average speed of 37 kmph for Metre Gauge Mail/Express trains. No further reduction in the journey time of 15/16 Chetak Express is feasible at present.

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : It appears that either the hon. Minister has never travelled by this train or he has no record about it. It has been named after Chetak, the horse of Maharana Pratap but in fact it is slow passenger. According to the time-table it cover 710 kms. in twenty hour and the average has been calculated on the basis of the scheduled time whereas the actual time taken should have been the basis for it. May I know from the hon. Minister the number of days in a month when it runs on time ? It has been my experience during the last 12 months that on no single day it was in time, it was late either by 1 or 2 or 3 hours. Thus your average is wrong. There is no other trains between Delhi and Udaipur. This issue regarding the time taken is being raised since the very introduction of this train. May I know whether you propose to reduce its stoppages so as to reduce the time taken ? One of the reasons for its running late is the increase in stoppages on political considerations during the last one year. Will you run it on diesel so that it may reach by 6 o'clock ?

SHRI SHEO NARAIN : Everyday the M.Ps. write to us pleading for increase in stoppages and you have come forward with a plea for reduction. Your complaint will be looked into.

....

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Which are the stations where new stoppages have been provided ?

SHRI SHEO NARAIN : You referred to late running and it will require to be enquired.

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : It is not an independent train, coaches or the train from Ajmer to Khandwa are attached to it at Chittorgarh. If that train is late, it will also be delayed. Can you not provide an independent train to Rajasthan and dieselise it ? What is the difficulty in it ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : The hon. Member has asked a definite question about dieselisation. We have to provide diesel engines to the goods train in views of heavy hauling indeed. The requirements of goods traffic are being met 20% by steam engines, 54% by diesel engines and 24% by electric traction. We have 8263 steam engines. 1903 diesel engines, and 844 electric engines. We are short of diesel engines at the moment. Hence dieselisation can not be considered at the moment. Of course, we keep it in mind for the future.

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI What about an independent train ?

PROF. MADHU DANDAVATE : We will consider it.

SHRI B. P. MANDAL : The hon. Minister stated that diesel engines were used more for goods trains. May I know whether it is their policy to give priority to goods traffic over passanger facilities ?

PROF. MADHU DANDAVATE : It is necessary for the people as well for the employment potential the industries and industrial development are allowed to foster in the country. Therefore we provided more dieselisation for goods traffic. But this balance can be changed in future.

पर्सोनल ब्रांच का कार्य

*1038. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेलवे में पर्सोनल ब्रांच का कार्य अन्ततः पर्सोनल ब्रांच के कार्यालय के कर्मचारियों की मेजों पर ही जाकर पूरा होता है जब कि रेलवे के अन्य तकनीकी विभागों में ऐसा नहीं होता है ,

(ख) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का यह मत है कि पर्सोनल ब्रांच के कर्मचारियों का कार्य अन्य तकनीकी विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों के कार्य जसा ही है, और

(ग) सरकार का विचार पर्सोनल, ब्रांच में कार्यालय में, सभी स्तरों पर अतिरिक्त पदों की व्यवस्था लिये बिना तथा पर्सोनल ब्रांच के कर्मचारियों को उनके दायित्व के प्रति सजग करने के लिये उनके वेतनमान बेहतर बनाए बिना कैसे उसे एक कल्याणकारी विभाग के रूप में काम करने के लिये सक्षम बनाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अधिकांश रेलों पर कार्मिक शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या में कुछ वृद्धि करने की आवश्यकता है जिसे सरकार द्वारा पदों के सृजन करने पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण पूरी तरह कारगर नहीं बनाया जा सकता । फिर भी, अभी हाल में स्थितीं की समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

(क) अंतरिम उपाय के रूप में कार्मिक शाखाओं के लिए 155 लिपिक वर्गीय पदों की स्वीकृति दी गयी है ।

(2) कुशलता ब्यूरो से पूछा गया है कि वह कार्मिक शाखाओं के लिए लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करे और पदों के सृजन के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धांत निकाले ।

(3) यह विनिश्चय किया गया है कि 75% रिक्तियों को भरने के पहले वाले आदेशों की स्वीकृति वापस ले ली जाये और रेलों को सभी रिक्तियों भरने की अनुमति दे दी जाये ।

SHRI SUBHASH AHUJA : The hon. Minister has accepted in his statement that on most Railways the strength of personnel branches requires some augmentation which could not be effected finally because of ban on certain of posts imposed by Government. May I know when Government propose to remove the ban on creation of posts ? How much time is likely to be taken by the Efficiency Bureau is completing the study of requirements of clerical staff for the Personnel Branches and in drawing up guidelines for creation of posts and when its report is likely to be submitted ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : I will like to inform the hon. Member that a large number of employees had also a similar complaint and in view of it the Ministry examined all these questions and have decided as on interim measure to sanction 155 clerical posts for Personnel Branches and the Efficiency Bureau has been asked to study the requirements or clerical staff for the Personnel Branches and draw up guidalines for creation of posts. It has been further decided that the earlier orders permitting only 75% of vacancies being filled, will be withdrawn and the Railways will be allowed to fill all vacancies. I think that after the implementation of those three decisions all the problems will be over.

SHRI SUBHASH AHUJA : May I know from the hon. Minister the number of persons likely to be benefited with the withdrawal of earlier orders permitting filling of 75% of vacancies only and allowing the Railways to fill all vacancies ? When these orders will be passed ?

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, I am not in a position to supply these figures without notice.

नई औषध नीति के बारे में अभ्यावेदन

*1039. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करगे :

(क) हाथी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने जब से नई नीति अपनाई है तब से उस बारे में उसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ङ) हाथी समिति की शेष सिफारिशों पर सरकार कब तक निर्णय करेगी ?

THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) and (b) No formal representation have been received by Government against the New Drug Policy.

(c) Does not arise.

(d) The New Drug Policy has been announced very recently on the basis of comprehensive decisions on the recommendations of the Hathi Committee. The question of making any changes in the Policy. at this point of time, therefore, does not arise.

(e) All recommendations of the Hathi Committee with which Government were in agreement, with or without modifications, as well as related decisions on the entire gamut of drug policy have been covered.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : A news item had appeared in the Hindustan Times dated 4th May in which it had been stated that the person engaged in this industry had met the Secretary of the Ministry who had told them that Government was prepared to consider the issue of modifying the pricing formula and major contradictions or disincentive features, if any. What are the views of the hon. Minister in this regard ? May I know whether the hon. Minister has appointed any committee to consider the question of profiteering by foreign companies or has he taken any other action ?

SHRI JANESHWAR MISHRA : The Secretary to the Ministry of Chemicals and Fertilizers took the initiative, invited the representatives of the drug industry to take part in a meeting held on May 1 and discussed the matter with them with a view to bringing about better understanding on new drug policy. They had not come to see him. Most of the representatives of the Drug Manufacturers' Association participated in the meeting. While clarifying many a point. the Secretary urged the representatives to prepare profitability profile for individual companies and report to the Ministry again the results of the study after implementing the standards of the new policy so that the effects of the same on drug manufacturing companies could be worked out.

This does not mean that the new policy of the Government is to be modified, on the contrary it means that the misgivings of the drug manufacturers are to be removed. The new drug policy can very well check the profiteering by the foreign companies. I understand that the hon. Members and this august House are already well aware of it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : May I know whether after declaring the new policy Government have appointed any committees, to take follow-up action whereby the question of self-reliance, reduction in profit and produciton of bulk drugs, which can be produced without high technical knowledge, by foreign companies could be considered. If so, the names of these committees and what are their terms of reference ? Shall the hon. Minister assure those that the production of bulk drugs by multi-nationals which can be produced without high technology shall be stopped ?

SHRI JANESHWAR MISHRA : In order to find out which foreign companies are engaged in the production of bulk drugs which do not require high technology a high level committee has been appointed. This committee is headed by the Secretary Ministry of Chemicals and Fertilizers and consists of the following Members :—

Secretary (Industrial Development)

Secretary (Technological Development)

Secretary (Science and Technology)

Prof. Intisar Hussain, Chairman, Pro-chemistry Department, J. N. Medical College, Aligarh Muslim University

Dr. S. Verdarajana, Chairman and M.D. I.P.C.L.

Dr. Nityanand, Director, C.D.I.I. Lucknow.

Consultant (Drugs) Ministry of Petroleum, Chemiacls and Fertilizers.

This committee will ascertain which bulk drugs are covered by high technology.

The hon. Member has asked about banning the production of bulk drugs which do not require high technology for their production. It has been made clear in our declared policy that the foreign companies which produce only formulation have been asked that their foreign equity should not exceed 40 per cent under any circumstance. They will have to produce bulk drugs and they will have to give fifty per cent of that bulk drug for non-associated fermmulations in India.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मथुरा से जालंधर तक पेट्रोलियम उत्पादकों के परिवहन के लिए पाइपलाइनों के बिछाने का प्रस्ताव

*1027. **श्री एम० गोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या मथुरा से जालंधर तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिये पाइपलाइनों के बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) हां।

(ख) उत्तर पश्चिम क्षेत्र में श्वेत तेल उत्पादों का वितरण करने के लिये मथुरा से जालंधर तक एक पाइपलाइन लगाने के लिये इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमि० ने दिसम्बर,

1977 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस पाइपलाईन के पहली और अम्बाला में डिलीवरी स्टेशन होगे। इस प्रायोजना पर संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत पाइपलाइन की कुल लम्बाई 532 कि० मी० होगी। इस प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 38 करोड़ रुपये है। इस समय प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में है और उसका अभी मूल्यांकन किया जाना है।

विदेशी औषधि फर्मों को दिए गए सी० ओ० बी० लाइसेंसों के अन्तर्गत निर्धारित क्षमता

*1030. **श्री गौरी शंकर राय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उवरक** मंत्री 29 मार्च 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी पूंजी वाली, मैसर्स में एण्ड बेकर तथा अन्य विदेशी फर्मों की क्षमता सी० ओ० बी० लाइसेंसों में किन उपबन्धों के अन्तर्गत निर्धारित की गई;

(ख) क्या तकनीकी विकास महानिदेशक को इस बारे में सूचित किया गया था, और तकनीकी विकास महानिदेशक ने सी० ओ० बी० लाइसेंस, दिये जाने की सिफारिश करने से पूर्व प्रत्येक मामले की जांच की थी;

(ग) यदि हां, तो किन नियमों तथा उपबन्धों के अन्तर्गत यह सिफारिश की गई;

(घ) क्या यह सच है कि सी० ओ० बी० लाइसेंसों में शर्तें लगाई गई थीं ;

(ङ) क्या इन फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंसों के अन्तर्गत दी गई सभी मदें, उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों तथा वर्ष 1966 से 1970 के बीच जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार जांच के बिना ही दी गई और यदि हां, तो ये सी० ओ० बी० लाइसेंस किन उपबन्धों के अन्तर्गत दिये गये; और

(च) क्या हाथी समिति ने इनको गैर कानीनी घोषित किया है और सरकार इन्हें किन उपबन्धों के अन्तर्गत नियमित करना चाहती है।

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रायलय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) सरकार ने औद्योगिक विकास (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 29 (ख) के अन्तर्गत उपक्रमों को कुछ मानदण्डों को पूरा करने पर कुछ शर्तों के आधार पर कुछ निर्माण कार्यों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने से समय-समय पर छूट दी थी। बाद में नीति में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप जब ऐसी छूट हटा दी गई तो उन उपक्रमों को, जिन्हें छूट की सुविधा अब प्राप्त नहीं रह गई थी, अपने उत्पादों के निर्माण के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक हो गया। ऐसी कम्पनियों को औद्योगिक लाइसंसिंग नीति के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में स्थापित क्षमता, गत समय में किया गया वास्तविक उत्पादन विदेशी मुद्रा के लिय आवेदन-पत्र आदि के ब्यौरे देते समय उद्योग मंत्रालय को आवेदन पत्र देने की आवश्यकता थी।

सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों के परामर्श से ऐसे आवेदनपत्रों की जांच की गई थी और वास्तविक उत्पादन अथवा सम्बन्धित तिथि के पूर्व क्षमता स्थापित करने के लिये प्रभावी कदमों के आधार पर क्षमता निर्धारित की गई थी।

ऐसे सभी मामलों में तकनीकी विकास के महा निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशाल कम्पनी कार्य विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) आदि जैसे सम्बन्धित विभागों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए गए थे। तकनीकी विकास महानिदेशालय की टिप्पणी आमतौर पर निर्धारित आवेदन-पत्र के फार्म में कम्पनियों द्वारा दिये गये आंकड़े की जांच पर आधारित होती है। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सी० ओ० बी० लाइसेंस देने की क्षमता निर्धारित करने से पूर्व प्रत्येक मामले के गुण-दोषों की जांच की गई थी।

(घ) जी, हां, जहां आवश्यक समझा जाये ।

(च) हाथी समिति द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र देने वाली फर्मों द्वारा वास्तव में प्रभावी कदम उठाए गये थे अथवा नहीं इस बात की जांच नहीं की गई थी, लेकिन आवेदनकर्ताओं द्वारा अपने आवेदनपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उनको सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये गये थे । समिति ने यह महसूस किया कि यह औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि "धारा 11, 11 (क), 13 अथवा धारा 29 (ख) के अन्तर्गत कोई लाइसेंस अथवा अनुमति पत्र देने के लिये केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य के लिये अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो इन आवेदनपत्रों की पूरी जांच करें और जांच के परिणाम सरकार को बताये और ऐसी जांच करने में अधिकारी निर्धारित पद्धति का अनुसरण करेगा।"

हाथी समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि बल्कि ड्रग्स की राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसी फर्मों को जारी किये गये अनुमति पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंसों को इस शर्त पर नियमित किया जाये कि (क) बल्क ड्रग्स का निर्माण 'बेसिक स्टेज' से किया जायेगा और (ख) मूल औषधों के उत्पादन का 50 प्रतिशत गैर'सम्बद्ध भारतीय निर्माताओं (फार्मुलेटरों) को उपलब्ध कराया जायगा।

HINDI-KNOWING EMPLOYEES

†*1032. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to lay a statement showing :

(a) the total number of employees (category-wise) in the Ministry at present and the number among them of those who have working knowledge of Hindi or have acquired efficiency therein;

(b) the number of employees who have working knowledge of Hindi or have asquired proficiency therein for doing noting and drafting in Hindi;

(c) the reasons for not doing noting and drafting in Hindi by the rest of them; and

(d) whether such employees have been given orders for doing noting and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) :

		Class-I	Class-II	Class-III
(a)	(i) Total number of employees (Category-wise)	231	237	1588
	(ii) Number of employees who have working knowledge of Hindi	135	128	1141
	(iii) Number of employees out of (ii) above who have acquired proficiency in Hindi	43	60	280

	Class-I	Class-II	Class-III
(b) Number of employees out of (ii) above doing noting and drafting in Hindi—			
(i) Often	15	19	132
(ii) Occasionally	52	55	255

(c) and (d) : All employees are free to use Hindi or English for transacting their official work. Instructions are there to encourage them to use Hindi more and more in noting and drafting.

फार्मूलेशन-परीक्षण

*1035. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक** मंत्री 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी फर्मों को, यदि वे शेयर इक्विटी को 40 प्रतिशत तक कम कर देती हैं, भारतीय फर्मों की गतिविधि के रूप में फार्मुलेशन परीक्षा की अनुमति देती है;

(ख) पूर्ण रूप से भारतीय समझी जाने वाली फर्मों और 40 प्रतिशत इक्विटी वाली फर्मों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(ग) क्या 1 : 10 अनुपात में 40 प्रतिशत इक्विटी वाली फर्मों को उन्मुक्त रूप से फार्मुलेशन की अनुमति देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्ण रूप से भारतीय फर्मों और लघु भारतीय क्षेत्र के लिये वर्तमान औषध नीति कैसे लाभ प्रद है।

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : 40 प्रतिशतत तक विदेशी इक्विटी वाली फर्में भारतीय कम्पनियों की तरह मानी जाती है। इसलिये ऐसी फर्मों को भी निर्धारित पैरा मीटरों के अन्तर्गत फार्मुलेशन निर्माण की अनुमति दी जायगी ।

(घ) यदि वदेशी फर्में बल्क औषधों का उत्पादन नहीं करती, उन्हें अतिरिक्त फार्मुलेशन के निर्माण के लिये लाइसेंस नहीं दिया जायगा । भारतीय फर्मों को भी उनके द्वारा निर्मित बल्क औषधों के मूल्य के दस गुणा मूल्य तक ही फार्मुलेशन निर्माण की अनुमति दी जायेगी । इसलिये लघु उद्योगों को , जिन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लेने से छूट दी गई है, अपनी निर्माण गतिविधियों में विस्तार करने के लिये कम प्रतियोगिता के कारण फायदा मिलेगा।

औषण निर्माण के लिये आवेदन-पत्रों पर विचार करते सयम अन्य बातों के साथ-साथ इस पर भी विचार किया जायेगा कि विदेशों में लाभांश भेजने के कारण कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जायेगी । इस दृष्टि से सर्वथा भारतीय फर्में स्वाभाविक रूप से लाभकारी स्थिति में होंगी ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल कर्मचारियों के लिए आवास

*1040. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेल में बहुत से कर्मचारियों को रेलवे ने आवास नहीं दिया है ,

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेल में नये रेलवे क्वार्टर बनाने के लिये दी गई धनराशि आवास की समस्या के आकार को देखते हुए, अपर्याप्त है,

(ग) क्या सरकार का विचार है कि आवास निर्माण कार्य में मजदूरों को रोजगार मिलने की संभावना को देखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम से धन राशि लगाने की व्यवस्था की जाये, और

(घ) यदि हां, तो रेलवे बस्तियों में आवास फ्लैटों के निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम की कितनी धनराशि लगाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में 2 लाख कर्मचारियों में से 86590 कर्मचारियों के पास रेलवे के क्वार्टर हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल समुद्र पर तेल का कुआं

*1041. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल समुद्र तट पर दूर बेसिन में कोई तेल का कुआं खोदा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) कुएं के पूरा हो जाने पर और उसका परीक्षण करने के पश्चात् ही इसके परिणाम की जानकारी होगी ।

निर्वाचन व्यय के बारे में तारकुंडे समिति की सिफारिशें

*1042. **श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा**
श्री समर गुह } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन व्यय के बारे में तारकुन्डे समिति ने लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा में काफी वृद्धि करने, निर्वाचन प्रतिभूति निक्षेपों की राशि को बढ़ाने और अभ्यर्थियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) एक विवरण ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2281/78) सदन के पटल पर रख दिया

गया गया है जिसमें ताराकुंडे समिति की वे सिफारिशें दी गई हैं जिनका संबंध निर्वाचन व्ययों की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने, प्रतिभूति निक्षेप की रकम बढ़ाने और लोक सभा और विधान सभाओं का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता देने से है। सरकार, समिति की अन्य सिफारिशों के साथ इन सिफारिशों और निर्वाचन सुधारों संबंधी अन्य प्रस्तावों की जांच कर रही है ।

डीजली तथा विद्युत चालित रेल इंजनों की आर्थिक स्थिति

*1043. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन्हें रेल इंजन के डीजल तथा विद्युत चालित रेल इंजनों के आर्थिक अध्ययनों की रिपोर्ट मिल गई है,

(ख) क्या यह सच है कि यह रिपोर्ट 15 मार्च, 1978 को प्रस्तुत की जानी थी,

(ग) यदि रिपोर्ट आ गई है तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो उसमें बिलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा इसके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) भारतीय रेलों में डीजल और बिजली कर्षण पर आर्थिक अध्ययन समिति की रिपोर्ट को पहले 15 फरवरी, 1978 तक अन्तिम रूप दिया जाना था । किन्तु इसे पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि यह श्रम साध्य कार्य था । आंकड़े एकत्रित करने में समय लग रहा है। आशा है कि रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

ग्लैक्सो लैबोरेटरीज़ के कर्मचारियों के संघों से ज्ञापन

*1044. **श्री भगतराम** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मई, 1977 में भारत में ग्लैक्सो कर्मचारियों के संघों की केन्द्रीय समिति की ओर से ग्लैक्सो लैबोरेटरीज़ इण्डिया, लिमिटेड, बम्बई में किये जा रहे कदाचारों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) उक्त कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये थे ;

(ग) क्या ज्ञापन में निहित आरोपों की कोई ठोस जांच की गई है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जी, हां ।

ज्ञापन में लगाये गये आरोपों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है ।

राज्य औषध नियन्त्रक, औद्योगिक लागतों तथा मूल्यों के ब्यूरों, बी० आई० सी० पी० श्रम मंत्रालय और कम्पनी के परामर्श से आरोपों की जांच की जा रही है ।

विवरण

1. अपने उत्पादों के लिये अधिकतम मूल्य वृद्धि करने में गलत तरीके अपनाना ।
2. सरकार से महत्वपूर्ण सूचना को छिपाकर लागत में कटौती के बावजूद मूल्यों में कमी को टालना ।
3. जहां लागत नहीं बढ़ी है अथवा जहां आंशिक रूप में लागत कम भी हुई है वहां भी खाद्य उत्पादों के मूल्य में वृद्धि ।
4. औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के बारे में कम्पनी द्वारा फिजूल खर्च करके सरकार को धोखा देना ।
5. कम लाभ प्रद होने के कारण अनिवार्य औषधों का उत्पादन बन्द करना अथवा कम करना ।
6. संदेहास्पद और अनैतिक तरीकों से अत्यधिक लाभप्रद और अनुसूचित औषधों का उत्पादन करना और उनकी बिक्री बढ़ाना ।
7. डाक्टरों को मूल पैकों में नमूनों की अत्यधिक मात्रा में सप्लाई करने, चिकित्सा व्यवासियों को महंगे उपहार देने और उनके आतिथ्य सत्कार पर फिजूल खर्ची करने की अनैतिक प्रथा ।
8. कच्चे माल और मशीनरी की खरीद और उसके आयात में आपत्तिजनक तरीके अपनाना और उनके इंग्लैण्ड में स्थित मूल कम्पनी के माध्यम से मंगाना ।
9. राजनीतिक आश्रय पाने के लिये धन व्यय करना ।
10. कम्पनी के उत्पादों का वितरण करने के लिये बिचौलिये नियुक्त करके प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथायें अपनाना ।
11. पार्टी द्वारा घटिया किस्म की औषधों को बेचना और बाद में उन्हें मार्केट से हटा लेना ।
12. अपने खाद्य प्रभाग को अलग करके एक अलग एकक गठित करने का प्रस्ताव ।
13. मेडिकल और सेल्ज प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से कर्मचारी यूनियन को वंचित करना ।

CASE AGAINST RAILWAYS

†*1045. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of the contractors who have filed suits in the various courts for the nonpayment of money due to them against his Ministry; and

(b) if so, outstanding amount against the Ministry of each contractor indicaing the period therefor and the reasons for which the same was not paid to them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY FOR RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2282/78]

हाथी समिति के निर्णय की क्रियान्विति के बाद औषधियों के मूल्य

*1046. **श्री चन्दन सिंह : पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाथी समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने के बाद उपभोक्ताओं को औषधियों और फार्मूलेशन के कम मूल्यों के रूप में क्या लाभ हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि सरकार के निर्णयों की क्रियान्विति की गई है, तो औषधियों के मूल्य एक वर्ष बाद बढ़ जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो कहने का क्या आधार है कि मुल्य नहीं बढ़ेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से) (ग) : मूल्य नियन्त्रण के उद्देश्य से सरकार ने औषध फार्मूलेशन्स को चार श्रेणियों में बांट दिया है । सरकार की नई औषध नीति में श्रेणी-I, II और III के अन्तर्गत फार्मूलेशन्स, जिनमें अधिकतर आम खपत के अनिवार्य औषध शामिल हैं, के मूल्यों को एक वर्ष के लिये स्थिर करने का प्रवधान है। श्रेणी I और II में फार्मूलेशन्स के मूल्य लीडर मूल्य स्तर पर स्थिर किये जायगें । जहां मूल्य लीडर मूल्यों से अधिक हैं वे लीडर स्तर तक लाये जायेंगें। परन्तु जहां वे लीडर मूल्यों से कम हैं, वे ऐसे कम स्तर पर स्थिर रहगे ।

लगभग 100 बल्क ड्रग्स के मूल्य, जो अब तक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए गए हैं भी स्थिर रहेंगे ।

मूल्यों का यह ठहराव जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा, आरम्भ में एक वर्ष के लिये लागू रहेगा । इस अवधि के दौरान नई नीति में अंकित मार्कअप/लाभप्रदता के पैरामीटरों को ध्यान में रखकर, नई सिरे से सभी औषधों और फार्मूलेशन्स के मूल्यों का अध्ययन किया जायेगा । इतना पहले इस निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं है कि औषधों के मूल्य एक वर्ष की समाप्ति के बाद बढ़ जायेंगे वी० आई० सी० पी० द्वारा किये जाने वाले लागत अध्ययन के परिणामों के आधार पर अभी प्रतीक्षा की जानी चाहिये ।

अनुमति पत्र तथा सी० ओ० बी० लाइसेंसों को नियमित करना

*1047. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के पैरा 27.3 के अनुसार फारमूलेशन्स के लिये दिये गये अनुमति पत्र तथा सी० ओ० बी० लाइसेंसों को नियमित किया जायेगा यद्यपि हाथ समिति ने इन्हें गैर-कानूनी घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ये अनुमति पत्र तथा सी० ओ० बी० लाइसेंस संवैधानिक अधिनियमों के उपबन्धों तथा नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये अथवा नियमित किये जायेंगे ;

(ग) क्या पैरा 25 के अनुसार ये अनुमति पत्र और सी० ओ० बी० लाइसेंस लगने वाली कतिपय शर्तों के अधीन दिये गये हैं, यदि हां, तो ये शर्तें किन उपबन्धों के अन्तर्गत लगाई गई हैं ;

(घ) भारतीय क्षेत्र को 1 : 10 तथा 1/3 : 2/3 अनुपातों में क्या संरक्षण प्रदान किया गया है; और

(ङ) यदि ऐसा भेदभाव किया जा सकता है तो भारतीय फर्मों को भविष्य के लिये विपणन के मामले में पूरी छूट क्यों नहीं दी गई ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) हाथी समिति का बहुमत विचार यह था कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों में अनुमति पत्रों का कानूनी महत्व नहीं था। समिति ने यह भी पाया कि सम्बन्धित अधिकारियों ने यह भी जांच नहीं की थी कि कम्पनीयों ने उन मदों के लिये, जिनके लिये उन्होंने सी० ओ० बी० आवेदन-पत्र दिये थे, प्रभावी कदम उठाये थे अथवा नहीं। समिति का यह भी मत है कि अनुमति पत्रों सी० ओ० बी० लाइससों की सहायता से विदेशी कम्पनियों को अनुचित लाभ मिला है और भारतीय क्षेत्र को हानि पहुंची है। बहरहाल हाथी समिति ने आगे चलकर बताया कि अनुमति पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंसों में बल्क औषधों के निर्मान के लिये स्वीकृत क्षमताओं के बारे में यह सिफारिश करते हैं कि बल्क औषधों के लिये राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर उनको (क्षमताओं को) कुछ शर्तों पर नियमित किया जाय। फार्मूलेशनों के बारे में भी हाथी समिति ने वैसी ही कार्यवाही की सिफारिश की है। विवरण पत्र के पैरा 27.3 में उल्लिखित निर्णय मुख्यत: हाथी समिति की उपर्युक्त सिफारिश पर आधारित है।

(ख) 'नये पदार्थ' की परिभाषा को स्पष्ट करने के सन्दर्भ में 23-11-53 को लाइसेंसिंग समिति द्वारा लिए गए एक निर्णय के फलस्वरूप अनुमति पत्र जारी किए गए थे। वह निर्णय था कि जहां किसी नए ट्रेड मार्क या पेटेंट का प्रश्न नहीं हो और उत्पाद औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में उसी मद की सीमा में आता हो जिसके लिये सम्बन्धित कम्पनी के पास पंजीकर प्रमाण-पत्र औद्योगिक स्वीकृति है तब ऐसा उत्पाद 'नया पदार्थ' नहीं होगा और कम्पनी द्वारा उसके निर्माण पर कोई आपत्ति, नहीं होनी चाहिये। कानूनीं राय अभी तक यह है कि अनुमति पत्र सरकार द्वारा वैध स्वीकृति है।

इसी प्रकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत इन कम्पनियों को, जिन्हें पहले उपर्यूक्त अधिनियम की धारा 29 (बी) के अन्तर्गत लाइसेंस लेने से छूट दी गई थी, परन्तु जिन्हें नीति में आगे चल कर परिवर्तन के कारण अब यह छूट नहीं रह गई थी, सी० ओ० बी० लाइसेंस लेने पड़ेंगे।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, की धारा 11 (2) और 13(2) तथा औद्योगिक उपक्रम पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग नियम, 1952, की धारा 15(2) के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों में सर्तें लगाई गई हैं।

(घ) भारतीय कम्पनियों को उनके बल्क औषध उत्पादन के 10 गुना तक फार्मूलेशन उत्पादन की मंजूरी दी जायेगी बशर्ते कि फार्मूलेशन का उत्पादन 2 : 1 के अनुपात में देशी बल्क औषधों और आयातित कैनेलाइजड बल्क औषधों पर आधारित हो। विदेशी कम्पनियों के फार्मूलेशन्स के निर्माण के लिये लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। जब तक कि मूल स्तरों से उच्च तकनीक वाली बल्क औषधों का उत्पादन इन फार्मूलेशन्स के उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ न हो।

(ङ) यह शर्त, जिनका पुनरीक्षण एक वर्ष के बाद किया जायगा (विवरण पत्र का पैरा 12(III) देखें) इसलिये लगाई गई है कि :

(1) देश में निर्मित वल्क औषधों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके;

(2) भारतीय फर्मों को देश में निर्मित वल्क औषधों की अधिक खपत के लिये प्रोत्साहित किया जाये ;

(3) किसी भी कम्पनी द्वारा पूर्ण रूप से आयातित बल्क औषधों पर आधारित फार्मूलेशन्स के उत्पाद न को कम किया जाये ; और

(4) लघु उद्या ोग क्षेत्र में फार्मूलेशन्स के उत्पादन का अधिक विस्तार किया जाय।

गोवा, दमण और दीव के न्यायालयों में काम कर रहे न्यायाधीश

9601. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य-क्षेत्र गोवा, दमन और दीव के अनेक न्यायालयों में काम कर रहे ऐसे न्यायाधिशों की संख्या की जानकारी है जिनकी गत पांच दस अथवा इससे अधिक वर्षों से कोई प्रोन्नति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ न्यायिक आयुक्त के न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में प्रोन्नत करने का है, और यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) गोवा, दमण और दीव सरकार के अनुसार दो सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ श्रेणी) को, जिन्होंने पाँच वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है और दो सिविल न्यायधीशों (वरिष्ठ श्रेणी) को, जिन्होंने दस वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, अभी तक कोई प्रोनन्ति नहीं मिली है । रिक्त स्थान न होने के कारण उन्हें प्रोन्नत नहीं किया जा सका ।

(ग) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम पर विचार करने का प्रश्न तभी उठेगा जब पद रिक्त होगा। जहां तक उच्च न्यायालय में नियुक्तियां करने का सम्बन्ध है, ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 217 के उपबन्धों के अनुसार की जाती है ।

BIG AND SMALL CATERING CONTRACTS ON RATLAM DIVISION

9602. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 23 on the 21st February. 1978 regarding catering contracts given to SC & ST and state :

(a) the names of the persons to whom the 5 big and 140 small catering contracts were given on the Ratlam division on the Western Railway and when these contracts were given indicating the value of each of them; and

(b) the number of times these contracts were renewed and the number of contracts which were given afresh and the number thereof cancelled during the last three years and when these cancelled contracts were again given and to whom and the number of contracts which have not been given so far

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

हैदराबाद एक्सप्रैस का भोपाल स्टेशन पर रोका जाना

9603. श्री निर्मल चन्द जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अप्रैल, 1978 को हैदराबाद–दिल्ली सदर्न एक्सप्रैस (हैदराबाद एक्सप्रैस) भोपाल स्टेशन पर 40 मिनट से अधिक समय तक खड़ी रही थी क्योंकि किसी गाड़ी के ड्राइवर की आगे कुछ दूरी पर दुर्घटना हो गई थी, और

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि जब कभी कोई गाड़ी किसी स्टेशन पर निर्धारित समय से अधिक समय तक ठहरे, तो यात्रियों को उसके अधिक समय ठहरने के कारणों की लाउडस्पीकरों द्वारा सूचना दी जाये।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि लाउडस्पीकर के माध्यम से गाड़ियों के देर से चलने आदि से सम्बन्धित उद्घोषणा की जाती है; लेकिन इस प्रकार के मामले में विलम्ब की सदैव घोषणा करना संभव नहीं है क्योंकि गाड़ी के रुकने की अवधि के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

सालिसिटरों को कुछ फर्मों द्वारा विधिक मामलों से सम्बन्धित कार्य का किया जाना

9604. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में सरकारी मामलों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के विधिक मामलों के सम्बन्ध में न्यायालय में कार्य अधितर कलकत्ता के सालिसिटरों की केवल दो फर्मों द्वारा किया जाता है और उन्होंने जिन मामलों के सम्बन्ध में कार्य किया है उनमें से बहुत से मामलों में विपरीत निर्णय हुआ है और उनमें हार हुई है ;

(ख) क्या वर्ष 1974 से अनेक संसद सदस्य कलकत्ता में वकीलों के पैनल में अधिक योग्य वकीलों/अधिवक्ताओं की फार्मों और सालिसिटरों को शामिल करने का सुझाव सरकार को देते रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(घ) सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों को सहायता देने के लिये ऐसे नये लोगों की सूची और पैनल बनाने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोग्रोपरेटिव लेबर कन्ट्रक्ट सोसायटी लिमिटेड, इलाहाबाद को बोनस

9605. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद डिवीजन के जोन संख्या 1 के अन्तर्गत आने वाले स्टेशनों के लिए राज सहायता निर्धारित करते समय रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड, इलाहाबाद के कर्मचारियों को वितरित करने के लिये 4 प्रतिशत बोनस की अनुमति दी गयी है अथवा उक्त राशि को रेलवे के भ्रष्ट अधिकारियों में वितरित करने की अनुमति दी गयी है; और

(ख) राशि को कर्मचारियों अथवा रेल अधिकारियों के बीच कब वितरित करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : मुरादाबाद मण्डल के क्षेत्र संख्या 1 के पार्सल सम्हलाई ठेके के लिये रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रैक्ट सोसायटी लिमिटेड, इलाहाबाद को देय मासिक एक मुश्त रकम का हिसाब लगाते समय दैनिक मजूरी के 4 प्रतिशत की दर से बोनस तत्व को भी ध्यान में रखा गया था।

सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत श्रमिकों को बोनस का भुगतान करना सोसायटी का एक आन्तरिक मामला है। रेल अधिकारियों को इस राशि में से कोई भुगतान नहीं किया जाता है।

तम्बाकू की बोरियों की डिलीवरी रोकने के कारण हानि

9606. श्री मनोहर लाल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीजक 30/13-11-73 के अन्तर्गत कइमगंज से कानपुर के लिये माल गाड़ी से बुक की गई तम्बाकू की 153 बोरियों की डिलीवरी रोकने के बारे में तत्कालीन रेलवे उप मंत्री को सम्बोधित दिनांक 14 अगस्त, 1974 के अभ्यावेदन के मामले में, जिससे फर्म को भारी हानि और क्षति होने के अतिरिक्त सरकार को 16,000 रुपये से अधिक राशि छोड़नी पड़ी थी, सरकार द्वारा कभी प्रभावकारी कार्यवाही की गई थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : कायमगंज से कानपुर को दिनांक 13-11-73 के बीजक 30 के अन्तर्गत बुक किये गये तम्बाकू की 153 बोरियों अपने गन्तव्य पर 16-11-1973 को पहुंच गयी थीं, उसी दिन उन्हें उतार लिया गया था और स्पष्ट हस्ताक्षर लेने के बाद 17-11-73 को उसकी डिलीवरी, दे दी गयी थी।

तेल उत्पादक देशों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव

9607. श्री मनोरंजन भक्त : **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल उत्पादक देशों का फिर से अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो इसकी भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : 20-21 दिसम्बर, 1977 को कैराक्स, वेनेजुएला में ओ० पी० ई० सी० के गांधी सम्मेलन में सभी ओ० पी० ई० सी० सदस्य देशों ने अशोधित तेल के मूल्यों को तत्कालीन स्तर पर जून, 1978 के अन्त तक के लिये और छः महीनों तक स्थिर रखने का निर्णय किया। जून, 1978 को होने वाली ओ० पी० ई० सी० के मंत्रियों की अगली बैठक में स्थिति की समीक्षा किये जाने की आशा है । सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, कि तेल उत्पादक और निर्यातक देशों का फिर से अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है। अतः भारतीय अर्थ व्यवस्था पर किसी संभावित अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि की प्रतिक्रिया बताना असामायिक होगा।

1977-78 के दौरान परिसमापन के अधीन कम्पनियां

9608. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान कितनी कम्पनियां परिसमापन के अधीन थीं :

(ख) उनमें से कितनी कम्पनियां स्वेच्छा से परिसमापन के अधीन थीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) 1977-78 के वर्ष के दौरान एक सौ निन्यानवे कम्पनियों के बारे में, परिसमापन किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, इनमें से 114 ऐच्छिक परिसमापन के अन्तर्गत थीं।

निदेशकों को ऋण देने के लिए कम्पनियों से आवेदन-पत्र

9609. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान निदेशकों अथवा उनके सम्बन्धियों को ऋण देने या प्रतिभूति की व्यवस्था के लिये विभिन्न कम्पनियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं, उनके आवेदन पत्रों का क्या परिणाम निकला है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2283/78) ।

CONSTRUCTION OF OVERBRIDGES AT RAILWAY CROSSING IN BIHAR

†9610. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of places where construction of over-bridges at railways crossings has been demanded by Bihar Government during the last three years *i.e.* 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(b) the names of places in three districts of Darbhanga, Madhubani and Samastipur, which have been included in the above demand; and

(c) the reaction of the Railway Department on these demands of the State Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Proposals have been received from Bihar State Government for the construction of following road over-bridges in replacement of existing level crossings from 1975-76 to 1977-78: :

Location of road over-bridge

(i) Motihari
(ii) Between Chupra and Tekniwas
(iii) Between Chupra and Revelganj
(iv) Chakradharpur
(v) Chaibasa
(vi) Kandra
(vii) Sasaram
(viii) Arrah Western
(ix) Jamui
(x) Garwa Road
(xi) Bihita
(xii) Daltonganj
(xiii) Jaharia
(xiv) Gaya Tikkari

(b) None of the proposals referred to in part (a) of the reply fall in the districts of Darbhanga, Badhubani and Samastipur.

(c) The proposals will be considered for inclusion in the Railway's future Works Programme as and when necessary preliminaries such as detailed drawings and estimates are completed and mutually accepted, and State Government's undertaking to bear their share of the cost and closing the level crossings after the commissioning of road over-bridge, is received.

बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के मूल्य

9611. श्री एन्थू साहू : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में निम्नलिखित बल्क औषधियों के सम्बन्ध में अनुमोदित हिसाब में ली जाने वाली बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के मूल्य क्या है : —

(एक) ट्राइमथोपरिम एवं सल्फेमेथेक्साजोल (दो) ड्योराबोलिन एण्ड डेकाड्यूरानोलिन (तीन) ग्लाइवेंसीमाइड (चार) डाक्सीसाइक्लिन (पांच) फरसेमाइड एण्ड प्रेतियामाइन लेक्टारे (छः) हाइड्रोक्रटीसोन; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में औषधियों और फार्मूलेशनों का वास्तविक आयात मूल्य/देशीय मूल्य क्या रहा है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) कुछ बड़ी कम्पनियों के बल्क ड्रग्स के बारे में पिछले तीन वर्षों में प्रचलित आयातित मूल्यों/देशीय मूल्यों और उन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्यों के बारे में विवरण पत्र संलग्न है (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये। संख्या एल० टी०-2284/78

लघु औषध फर्में

9612. श्री एस० एस० सोमनी: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी लघु औषध फर्में काम कर रही हैं उनके नाम क्या हैं, गत तीन वर्षों में उन्होंने फार्मूलेशन का कितना उत्पादन किया, कितनी कच्ची सामग्री सप्लाई की और कुल कितनी किमत की बिक्री की :

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान बल्क औषधियों में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मंगाने और सी० पी० सी० /आई० डी० एल० के माध्यम से वितरण और 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली फर्मों के साथ प्राथमिकता का व्यवहार किये जाने के कारण लघु उद्योग क्षेत्र को हानि हुई; और

(ग) इस बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में लघु उद्योग क्षेत्र में 2500 से अधिक ड्रग्स एककों चल रहे हैं । इन एककों के कार्यकलापों की नियमित आधार पर देखरेख की इस समय कोई पद्धति नहीं है । अतः मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है । प्रत्येक एकक से सूचना एकत्र करने में लगाये जाने वाले समय और श्रम से उतने सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

WIDENING OF BRIDGES

†9613. SHRI MOTI BHAI R. CHAUDHARY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the bridge on the Rupen-Pushpavali river near separate village for the Balucharaji-Chanasya Railway line of the Western Railway is less wide due to which the water gets accumulated there in the rainy season submerging the nearby villages, causing considerable loss to the people damaging their crops and the property and bringing the traffic to a standstill;

(b) whether such situation had been created there in 1975 and 1977 and a survey had also been conducted there;

(c) whether the said bridge is proposed to be widened to prevent the recurrence of the aforesaid serious situation;

(d) if so, when and if not, the reasons therefor; and

(e) whether the said bridge will be widened soon in view of the hardships being faced by the people there ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (e) Bridge No. 110 located at km. 68/5 between Dechraji and Khambel stations on Rupen river has adequate waterway. The damage to some villages in the past has been due to unprecedented floods when the river over-flowed its banks. Rail services were not interrupted due to floods. As the bridge has adequate waterway, neither any survey has been conducted nor is there any proposal to widen it.

बेनाड़ एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम से कालीकट तक बढ़ाने का प्रस्ताव

9614. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में बेनाड़ एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम से कालीकट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एर्नाकुलम से कन्नौर तक तेज गाड़ी चलाने का भी प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्गवर्त खण्डों पर लाइन क्षमता की कमी के कारण इस समय 373/374 बेनाद एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र बढ़ाकर भी एर्णाकुलम तथा कण्णनेर के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार

9615. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालयेर स्थित फर्टीलाइजर फैक्टरी और हैवी वाटर फैक्टरी के महा प्रबन्धक ने 3 फरवरी, 1978 की इन दोनों उद्योगों को लगाये जाने से विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार देने के मामले पर विचार करने के लिये तालचेर में हुई बैठक में भाग लिया था और यदि हां, तो उसमें किए गए निर्णय के अनुसार क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त स्थानीय अधिकारियों को उस बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का निदेश देने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

कम्पनी विधि बोर्ड में सुधार करने का प्रस्ताव

9616. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या विधि, न्याय कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनी विधि बोर्ड में सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) सरकार के पास वर्तमान में कंपनी विधि बोर्ड के सुधार के लिये कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने

कम्पनी अधिनियम 1956 तथा एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपाबन्दों का पुनर्विलोकन करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायधीश, न्यायधीश राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है । यह समिति इन दोनों कथित अधिनियमों के प्रारूप एवं संरचना में अपेक्षित रूप से किये जाने वाले संशोधनों के प्रश्न की परीक्षा कर रही है, ताकि उन्हें सरल व अधिक प्रभावी बनया जा सके ।

उच्चतम न्यायालय में मृत्यु दण्ड के लम्बित मामले

9617. श्री मद्याचरण सामन्त सिहेरा: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताँने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आजीवन कारावास और मृत्युदंड के अनेक मामले उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय में ऐसे कितने मामले लम्बित हैं ;

(ग) ये मामले कितने वर्षों से लम्बित हैं; और

(घ) इन लम्बित मामलों के कब तक निपटाये जाने की संभाना है और सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी, हां ।

(ख) 30 अप्रैल, 1978 को उच्चतम न्यायालय में दण्ड लंबित मामलों की संख्या जिनमें आजीवन कारावास का दण्ड या मृत्युदण्ड दिया गया है, इस प्रकार है :—

	आजीवन कारावास का दण्ड	मृत्यु दण्ड
दाण्डिक अपीलें	430	12
विशेष इजाजत याचिकाएं (दांडिक)	82	15

(ग) उपर्युक्त मामलों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	दाण्डिक अपीलें		विशेष इजाजत याचिकाएं (दाण्डिक)	
	आजीवन कारावास का दण्ड	मृत्यु दण्ड	आजीवन कारावास का दण्ड	मृत्यु दण्ड
1972 . . .	29	—	—	—
1973 . .	49	—	—	—
1974 . . .	94	—	—	—
1975 . . .	68	3	—	—
1976 . . .	86	3	—	—
1977 . . .	70	3	30	4
1978 . . .	34	3	32	11

(घ) इन अपीलों का कब तक निपटरा हो जायेगा इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित करना संभव नहीं है ? किन्तु उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि ऐसा सभी सपीलों को जिनमें मृत्युदण्ड का प्रश्न है, सर्वोपरि पूर्विकता दी जाती है और इन मामलों के तैयार होते ही इन्हें सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है; जिन अपीलों में आजीवन कारावास के दण्ड का प्रश्न होता है उन्हें सूची में आमतौर पर तारीख बार सम्मिलित किया जाता है । उस स्थिति को छोड़कर जिसमें महत्वपूर्ण सांविधिक मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायालय को सात या अधिक न्यायाधीशों की बैंच में बैठना होता है, केवल दाण्डित अपीलों की सुनवाई के लिये हमेशा ही एक बैंच गठित की जाती है।

विदेशी औषध कम्पनियों की आस्तियां

9618. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 मार्च 1978 को आधे घंटे की चर्चा के दौरान यह बताया गया था कि विदेशी कम्पनियों ने अपनी अस्तियां 9 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 296 करोड़ रु० कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 287 करोड़ रुपये की आस्तियां पर जोकि अनिधिकृत है, रोक लगा देने का है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय कम्पनी विधि कट्रोलर आफ केपिटल, इशूस, राज्यों के औषध नियन्त्रकों के बीच समन्वय न रखने के क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उवरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां । एक सदस्य ने यह बताया था कि परिस्थितियां 9 करोड़ रुपये से बहुकर 200 करोड़ रुपये से अधिक तक, गई है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) नई औषध नीति में विदेशी औषध फर्मों के संचालन पर नियन्त्रण रखने के लिये पर्याप्त कक्षाओं की व्यवस्था है । नई औषध नीति पर वक्तव्य के पैरा 16.1 की ओर विशेष कर ध्यान दिलाया जाता है जिससे विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अवैधिक रूप से अधिक लाभ कमाने के आरोपों की जांच करके तथा जहां उपयुक्त हो, उन्हें नियमित करने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये एक समिति स्थापित की गई है ।

ग्लैक्सो कम्पनी के कर्मचारियों के बारे में अभ्यावेदन

9619. श्री महेन्द्र सिह सैंयावाला : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यूनियन की गतिविधियों को कुचलने और कर्मचारियों की सेवाओं को बिना सूचना के समाप्त करने के बारे में ग्लैक्सो कम्पनी की धांधली के बारे में रिपोर्टें/ अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी से मांगी गई रिपोर्टों के आधार पर आरोपों की जांच की गई थी। यह मालूम होता है कि वे ठीक नहीं पाये गये हैं। चिकित्सा सम्बन्धी प्रतिनिधियों की सेवायें कम्पनी द्वारा उनकी सेवा की शर्तों तथा निर्धारित पद्धति के अनुसार ही समाप्त की गई हैं। अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो दुःखी कर्मचारी श्रमिक कानून के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर सकते थे।

DERAILMENT OF MADRAS-BANGALORE EXPRESS

†9620. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether six persons were injured when five bogies of the Madras-Bangalore Express derailed on the 12th April, 1978;

(b) if so, the cause of the accident; and

(c) whether the matter is being investigated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) and (c) The cause of accident is under investigation.

CONSTRUCTION OF OVERBRIDGE AT BHILWARA

†9621. SHRI ROOP LAL SOMANI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) when the construction work of Railway overbridge in Bhilwara was started and the progress of the work so far and the time by which the construction of over-bridge will be completed;

(b) when it would be opened for traffic; and

(c) if the construction thereof has not so far started the reasons therefor and the action taken to start it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c) The estimate for the construction of the proposed road over-bridge at Bhilwara station on Western Railway was received from the State Government duly approved by them only in February 1978. The work could not therefore be started earlier Tenders have since been called for by the Railway for the construction of the brdige and the work is now expected to be taken up shortly. Subject to the availability of funds, the road over-bridge is expected to be completed and commissioned in about two years' time.

DEMAND TO STOP JANATA EXPRESS AT MALARNA STATION

†9622. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been long outstanding demand by people and representatives of the people for the last many years to stop Janata Express and Dehra Dun Express trains at Malarna station in Kota division in Western Railway;

(b) whether it is a fact that there is great distance between Gangapur City and Sawai Madhopur and no express train except some local trains step on any station between these two cities and as a result the people of the area have to face great difficultis; and

(c) if so, whether Government would stop Dehra Dun Express and Janata Express trains at Malarna station in public interest and if so, when and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) The distance between Gangapur City and Sawai Madhopur is only 63 Kms., and three passenger trains each way serve adequately the requirements of six (6) intermediate stations on the above said section.

(c) There is no traffic justification for provision of stoppage of 19/20 Dehra Dun Express and 23/24 Janata Express at Malarna.

महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय

9623. श्री राजाराम शंकरराव माने : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के लिये प्रतीक्षालय हैं ;

(ख) उनमें से कितने प्रतीक्षालयों में पेयजल की सुविधा है ;

(ग) क्या यह सच है कि पूना कोल्हापुर लाइन पर एक भी रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के लिये प्रतिक्षालय नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस लाइन पर महिलाओं के लिये पृथक प्रतीक्षालय की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 823 स्टेशनों पर महिलाओं के लिये अलग प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गयी है।

(ख) इनमें से 294 स्टेशनों पर महिला प्रतीक्षालयों में पीने के पानी की सुविधा मौजूद है । अन्य स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा का उपयोग स्टेशन पर प्रतीक्षालयों में रहने वाले यात्रियों द्वारा किया जाता है।

(ग) पुणें-कोल्हापुर लाइन पर कोल्हापुर, मिरज और सांगली स्टेशनों पर महिलाओं के लिये अलग प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती शहरों के लिए अहमदाबाद से सीधी गाड़ी का न मिलना

9624. श्री एस० आर० दामाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद और गुजरात के अन्य प्रमुख नगरों से विशाखा-पतनम जैसे आन्ध्र प्रदेश तटवर्ती शहरों के लिये और वहां से वापस गुजरात के शहरों तक सीधे डिब्बे की सेवा के अभाव में यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या रेल प्रशासन ने इस प्रश्न की जांच कर ली है ; और

(ग) इन स्थानों के बीच सीधे डिब्बे की सेवा कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस समय सीधे जाने वाले यात्री 45/46 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस तथा मेल लेने वाली गाड़ियों द्वारा वालटेयर और बम्बई

वी० टी० के बीच चल रहे 3-टियर शयनयान द्वारा और उसके बाद बम्बई सेन्ट्रल/अहमदाबाद/वीरमगाम/गांधी धाम की मेल लेने वाली गाड़ियों द्वारा यात्रा कर सकते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) वालटेयर/विजयवाड़ा तथा अहमदाबाद के बीच अभी एक सीधा सवारी डिब्बा चलाना परिचालन की दृष्टि से सम्भव नहीं है क्योंकि तेज रफ्तार वाली गाड़ियों में स्थायी रूप से एक अतिरिक्त बोगी लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

RESERVATION OF POSTS OF SC/ST IN INDIAN OIL

9625. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICAL AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to part (c) of Unstarred Question No. 6394 on the 11th April, 1978 and state :

(a) whether there is any difference between the Cabinet Secretariat O.M. No. 27/2/71-EST (SCT), dated the 27th November, 1972 and the President directions;

(b) if so, the reasons for not enforcing expressly the above O.M. and the O.M. orders etc., issued by the Home Ministry from time to time regarding reservations and when they are likely to be enforced; and

(c) whether a copy of the above Presidential directives will be laid on the Table ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) The provisions regarding reservation in posts filled by promotion on the basis of seniority subject to fitness as contained in O.M. No. 27/2/71-Est(SCT), dated the 27th November, 1972, from the Department of Personnel have been incorporated in the second supplementary Presidential Directive.

(b) Does not arise.

(c) Copies of the Presidential Directive in this behalf are already contained in the publication entitled ':Government Policy for the Management of Public Enterprises" (Volume I) published by the Bureau of Public Enterprises and the Bharat Heavy Electricals Limited.

BREWERY IN ATRAN DISTRICT KOTA, RAJASTHAN

9626. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether there is a Government brewery in Atran of district Kota, Rajasthan and if so, the production capacity of the varieties of liquor being produced therein;

(b) whether great discontentment prevailing among the workers thereof during the last few months culminated into strike and if so, the causes of the strike and the loss suffered by the brewery as a result thereof; and

(c) the remedial measures and details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

त्रिपुरा में तेल की खोज

9627. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में तेल की खोज के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा कितने कुओं की खुदाई की गई है और कितनों में तेल गैस होने के चिन्ह पाये गये हैं; और

(ख) इन खोजों के आधार पर त्रिपुरा में तेल भंडारों की विद्यमानता के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) ओ० एन० जी० सी० ने अभी तक त्रिपुरा में तीन कुओं की खुदाई पूरी कर ली है। पहले कुएं की खुदाई करने पर वहां पर गैस का पता चला था। बरामपुरा में पहले कुएं की खुदाई करने पर गैस प्राप्ति के जो चिन्ह मिले हैं, उसमें यह जानने के लिये कि वह वाणिज्यिक महत्व का है अथवा नहीं, ओ० एन० जी० सी० ने इस क्षेत्र में दो और कुओं की खुदाई की। इस समय इन कुओं का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चौथे कुएं का ड्रिलिंग कार्य चल रहा है।

(ख) त्रिपुरा में ओ० एन० जी० सी० द्वारा अब तक खोदे गये किसी भी कुएं से तेल नहीं निकला।

उड़ीसा में इंडेन गैस

9628. श्री डी० आमात : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन जिला मुख्यालयों में इंडेन गैस उपलब्ध नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे जिला मुख्यालयों में गैस का वितरण की व्यवस्था करने का है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बालासोर, कटक, पुरी और सम्भलपुर के जिला मुख्यालयों को छोड़कर, उड़ीसा में और किसी जिला मुख्यालयों में इण्डेन गैस का विपणन नहीं होता।

(ख) इस समय इण्डेन गैस की उपलब्धता वर्तमान उप-भोक्ताओं की सिलेण्डरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। तथापि इस समय इण्डैन गैस के उत्पादन के आधार पर नये गैस कनेक्शन के लिये वर्तमान मार्ग उपलब्धता से बहुत अधिक है। अगले दो तीन वर्षों में उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होने की आशा है तभी इंडियन आयल कार्पोरेशन के लिय उड़ीसा में और जिला मुख्यालयों में इण्डेन गैस का विपणन बढ़ाना सम्भव हो सकेगा।

गुना-बीना शटल गाड़ी को बढ़ाने की अपील

9629. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल मैनेजर, पश्चिम रेलवे चर्चगेट बम्बई को अनाज व्यापारी संघ गुना से गुना-बीना शटल गाड़ी सेवा को प्रयोगात्मक आधार पर कम से कम तीन और महीने के लिये और बढ़ाने के लिये बारे में अपील प्राप्त हूई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या प्रतिक्रया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) अशोकनगर में वैशाखी मेले के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिये 9-4-78 से 20-4-78 तक गुना और बीना के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयी

थीं। इन अतिरिक्त गाड़ियों को स्थायी रूप से चलाने का कोई यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है क्योंकि इस खण्ड पर अभी चल रही दो जोड़ी सवारी गाड़ियों के लिये ही पूरे यात्री उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

संकरी दुर्ग स्टेशन का प्लेटफार्म

9630. **श्री आर० कोलनथाई वेल्**: क्या **रेल** मंत्री नीलगिरि एक्सप्रेस के रुकने के स्थान के बारे में 11 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6401 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि संकारी दुर्ग स्टेशन के प्लेटफार्म से बूढ़े लोगों, महिलाओं और बच्चों को गाड़ी में चढ़ने-उतरने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि उसकी ऊंचाई कम है और वहां सदा दुर्घटनाओं की आशंकायें रहती हैं ;

(ख) क्या दो महत्वपूर्ण एक्सप्रैस गाड़ियां पटरी के बराबर ऊंचे प्लेटफार्म पर रुकती हैं ;

(ग) यदि हां. तो इस प्लेटफार्म को कब तक ऊंचा किया जायेगा अथवा गाड़ियो को ऊंचे मुख्य प्लेटफार्म पर रोका जायेगा जैसा कि आरम्भ में किया गया था जिससे यांत्रियों को असुविधा न हो तथा दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम किया जा सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : दो डाउन एक्सप्रैस गाड़ियां शंकरि दुर्ग स्टेशन पर ठहरती है और परिचालनिक कारणों से इन्हें अप प्लेटफार्म पर नहीं लिया जा सकता। शंकरिदुर्ग में होने वाले यातायात की मात्रा को देखते हुए, डाउन लाइन पर ऊंची सतह वाले प्लेटफार्म की फिलहाल व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं है ।

कोराई में स्टेशन

9631. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरावली और फतहपुरी सीकरी के बीच आगरा बाजार लाइन में कोराई के लिए एक स्टेशन अथवा हाल्ट स्टेशन स्वीकार किया गया था और श्रमदान से वहां एक प्लेटफार्म बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह स्टेशन कब चालू होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वर्ष में इस काम के शुरू किये जाने का प्रस्ताव है ।

संसद सदस्यों की सिफारिश पर गैस कनेक्शन

9632. **श्री रामविलास पासवान : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल० पी० गैस के लिये तेल कंपनियों का विचार 3 लाख नये उपभोक्ताओं के नाम दर्ज करने का है;

(ख) यदि हां, तो सभी अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों पर गैस कनेक्शन दे दिये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें नये गैस कनेक्शन देने में कितना समय लग जायेगा;

(घ) क्या संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गये सभी मामलों में गैस के कनेक्शन दे दिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और एक से अधिक संसद् सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गये कठिनाई के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) देश के विभिन्न भागों में उन तीन लाख नये दर्ज किये जाने वाले उम्मीदवारों की अपेक्षा पहले आवेदकों की संख्या बहुत अधिक है। जबकि इस बारी में प्रतीक्षा सूची के कुछ लोगों को नए गैस कनेक्शन दिये जाने की उम्मीद है। अगले 2-3 वर्षों में तरल पेट्रोलियम गेस, की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने के पश्चात ही प्रतीक्षा सूची के सभी उम्मीदवार को नए कनेक्शन दिए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) खाना पकाने की गैस की उपलब्धता सीमित होने के कारण संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गये सभी कठिनाई वाले मामलों में कनेक्शन दिया जाना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

दिल्ली प्रशासन के कम्पनी सेक्रेटरी शिप में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम

9633. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री सेक्रेटरीशिप के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बारे में 11 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6424 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के कम्पनी सेक्रेटरीशिप में पोस्टडिप्लोमा के पाठ्यक्रम में वही विषय सम्मिलित नहीं है जो इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया नई दिल्ली में है वरन उसमें प्रोजैक्ट रिपोर्ट विभिन्न अन्य अधिनियम पढ़ाये जाते हैं तथा उसका दो वर्षों का नियमित रूप से संघकालीन पाठ्यक्रम ह तथा उसमें रोजगार प्राप्त-अनुभवी व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है आदि तथा यह व्यवस्था उक्त इन्स्टीट्यूट में नहीं है तथा इस प्रकार कम्पनीज (सेक्रेटरीज क्वालिफिकेशन) नियम, 1975 के नियम 2 (क) के अन्तर्गत कम्पनी सेक्रेटरीशिप में पोस्ट डिप्लोमा मान्यता देना न्यायोचित है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ सम्बद्ध अधिकारी इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इन्डिया के एकाधिकार को समाप्त करने के इच्छुक नहीं हैं तथा कम्पनी सेक्रेटरीज विषय में पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के भविष्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं; और

(ग) क्या इस मामले को हल करने का विचार है जिससे कोई विरोध उत्पन्न न हो?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) :(क) इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इन्डिया, नई दिल्ली और दिल्ली प्रशासन द्वारा कम्पनी सचिवीय उपाधि-पत्रोत्तर का सम्पन्न की जाने वाली परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का उल्लेख करता हुआ तुलनात्मक विवरण-पत्र संलग्न है (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2285/78)। विवरण-पत्र से दिखाई

दे सकता है कि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इन्डिया, नई दिल्ली में पढ़ाये जाने वाले विषय दिल्ली प्रशासन द्वारा कम्पनी सचिवीय में उनके द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले उपाधि-पत्रोत्तर में पढ़ाये जाने वाले विषयों की अपेक्षा निगम निगमित प्रबन्ध के विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करता है, जबकि दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में आयोजना रिपोर्ट। शोध निबन्ध, जैसे विषय है, अन्य विषय है जैसे लागत और प्रबन्ध लेखाशास्त्र उसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त, इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में विशेष विषय जैसे कम्पनी कानून औद्योगिक और श्रमिक कानून और कर कानून भी है दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में सोधारणतः व्यापार कानून और विनिगमित कानून है। बल्कि इंस्टीट्यूट द्वारा सदस्यता प्रदत्त करने से पूर्व, उत्तीर्ण छात्र को पब्लिक कम्पनी तथा साथ में कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में 4 महीनों के क्रियात्मक अभ्यास का प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है।

(ख) इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया और इंस्ट्रीट्यूट आफ कास्ट्स एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की तरह इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया, नई दिल्ली भी सरकार द्वारा निगम निगमित प्रबन्ध को प्रभावित करने वाले मामलों में विशेष दक्षता पूर्ण प्रशिक्षण देने की दृष्टि से 1968 में स्थापित किया गया था । उपाधि-पत्रोत्तर को प्राप्त करने वाले इंस्टीट्यूट द्वारा सम्पत्न की जाने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं और कम्पनी सचिव के लिये योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

POLICY IN REGARD TO GRANT OF PETROL AND DIESEL PUMP DEALERSHIP

9634. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the policy of Government in regard to grant of petrol and diesel pump dealership in new places and the procedure thereof;

(b) the persons who are given priority in grant of dealership; and

(c) the names of new places in Madhya Pradesh for which petrol and diesel dealership application were received in 1977-78 and the number of applicants out of them granted dealership and the time by which dealers will be appointed at the remaining places ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) and (b) According to the guidelines issued by Government, 25% of all types of agencies of the public sector oil companies are reserved for persons belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, 2% are reserved for physically handicapped persons and the remaining 73% are to be awarded on commercial consideration, preference being given to genuine Consumer Co-operative Societies and Agro Industries Corporations. No person would be awarded a new dealership/agengy if he or his other close relative like his spouse, father, brother or son already holds a dealership/agency with any oil company. All appointments are to be made after inviting applications by giving advertisements in newspaper in circulation in the area concerned. Selection of candidates has to be made by duly constituted Selection Committees set up for the purpose by the respective oil companies.

(c) The Indian Oil Corporation had received applications against advertisements for retail outlets at Jabalpur, Baloda Bazar, Bhilai Nagar and Dharam Jaigarh in 1977-78 and dealerships have been granted for all the locations except Jabalpur which is expected to be granted during 1978-79.

The Indo-Burma Petroleum Company had received applications without advertisement for retail outlets at Durg, Manglia, Khandwa, Jabalpur, Ratlam, Babai, Obedullaganj, Misrodh, Vidisha, Raisen Road, Gunj Basoda, Nimandi Dip, Pipariya Mandi and Raipur

and dealerships have been granted at Jabalpur and Ratlam. Grant of dealerships at other places will be made on the basis of the existing guidelines. The other oil companies did not have any plans for new retail outlets in Madhya Pradesh in 1977-78.

साईमन्स इंडिया की निर्माण आंकड़े प्राप्त करने सम्बन्धी प्रणाली

9635. श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइमन्स इंडिया का निर्माण आंकड़े प्राप्त करने और लांगिग प्रणालियों के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया एण्ड इन्स्ट्रमेंटेशन लिमिटेड के पास इन प्रणालियों के बनाने की क्षमता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और साईमन्स के प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां श्रीमान जी।

(ख) साइमन्स इंडिया लिमिटेड ने 22 अप्रैल 1978 को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1968 की धारा 21 के अन्तर्गत, कम्पनी के आन्तरिक स्रोतों से ही पूरा करने के लिये 2–8 करोड़ रुपय की अनुमानित संयंत्र लागत पर उपयोगिता और उद्योग के नियंत्रणों को सम्मिलित करते हुए डाटा अधिग्रहण, राल पिघलाने और नियंत्रण प्रक्रियां के अनुषंगी और सहायक पुर्जों की 50 संख्या प्रतिवर्ष के विनिर्माण के लिये एक नोटिस दिया है।

(ग) और (घ) : इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद ने डिजिटल कम्प्यूटर प्रक्रियाओं की 50 संख्याओं के विनिर्माण के लिये, उसी के अन्तर्गत जिन डाटा लोंगरों का वे विनिर्माण कर रहे हैं, के लिये लाइसेन्स दिया है। कुछ भारतीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को भी डाटा लोंगरों के विनिर्माण के लिये अनुमोदन दिया गया है। इंस्ट्रमेंटेशन लिमिटेड, कोटा डाटा अधिग्रहण और राल पिघलाने की प्रक्रिया की क्षमता नहीं रखता है ।

साईमन्स इंडिया लिमिटेड का प्रस्ताव, जो अभी हाल में प्राप्त हुआ है, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के परामर्श पर विचाराधीन है।

रासायनिक और उर्वरक उद्योग के विकास के लिए बाइस सदस्यों की समिति

9636. श्री के० ए० राजन : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रासायनिक और उर्वरक उद्योग के विकास के लिये बाइस सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उनके कृत्य क्या हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं:—

अध्यक्ष:—मंत्री महोदय, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक।

उपाध्यक्ष:—राज्य मंत्री, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक।

सरकारी सदस्य:—

(i) सचिव (रसायन और उर्वरक)।
(ii) सचिव (वित्त)।
(iii) सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
(iv) डा० एस० धवन, सचिव।
(v) तकनीकी विकास के महानिदेशक।
(vi) कार्यकारी निदेशक फर्टिलाइजर उद्योग समन्वय समिति।

गैर सरकारी सदस्य :

(i) संसद के पांच सदस्य (तीन लोक सभा से दो राज्य सभा से)।
(ii) अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले उद्योग के तीन प्रतिनिधि।
(iii) अध्यक्ष द्वारा शैक्षिक संस्थाओं से नामित किये जाने वाले दो प्रतिनिधि।
(iv) तीन गैर सरकारी सार्वजनिक व्यक्ति।
(v) अध्यक्ष, फर्टिलाइजर एसोसियेशन आफ इंडिया।
(vi) अध्यक्ष, नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट।

सदस्य सचिव

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:—

(i) रासायनिक तथा उर्वरक उद्योगों के काम तथा स्थिति का समय समय पर पुनरीक्षण करना।
(ii) उर्वरक तथा आवश्यक रसायनों का उत्पादन, मांग तथा अन्य प्रवृत्ति का पुनीरीक्षण करना।
(iii) रसायन और उर्वरक उद्योगों के विकास तथा विस्तार के लिये, विशेषकर एककों के अधिक विस्तार तथा ग्रामीण विकास की उन्नति के लिये उपायों का सुझाव देना।
(iv) स्वदेशी तकनीक की स्थिति का पुनरीक्षण तथा स्वदेशी अनुसंधान और विकास की उन्नति के लिये नीति ढांचे का सुझाव देना तथा **अन्य बातों के साथ-साथ तकनीक** को अपनाना तथा बदलने की आवश्यक शर्तों की सिफारिश करना।
(v) वातावरणीय प्रदूषण का विरोध करने के लिये उपायों का सुझाव देना।
(vi) रसायन उद्योगों में जब कभी संगणता का बोध होता है उसे रोकने के लिये उपायों का सुझाव देना।

साबरमती एक्सप्रेस का मार्ग बदलना

9637. **डा० वसन्त कुमार पंडित:** क्या रेल मंत्री साबरमती एक्सप्रेस के गुना-मगसी लाइन से होकर चलाए जाने के बारे में 14 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्नसंख्या 2835 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 अक्टूबर, 1977 से उपर्युक्त साबरमती एक्सप्रेस (वाराणसी/अहमदाबाद) का गुना-मगसी लाइन पर मार्ग बदलने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या इस बारे में किसी समय सितम्बर, 1977 में आकाशवाणी से प्रसारित मुख्य समाचारों में घोषणा की गई थी; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, तो आकाशवाणी द्वारा इस समाचार की घोषणा के क्या कारण थे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख): जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यातायात अप्रेंटिस

9638. **श्री आर० एल० कुरील:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे कुछ कोंचिंग क्लर्कों को वफादार कर्मचारियों के पुरस्कार के रूप में 1975-76 में यातायात अप्रेंटिस के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन्हें डाक्टरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था;

(ख) क्या उन कर्मचारियों को वाणिज्यिक अप्रेंटिस के रूप में पुन: नियुक्त किया गया था यद्यपि वे 1 मई, 1974 से 13 मई 1974 तक काम से अनुपस्थित रहे थे; और

(ग) उनकी अनुपस्थिति की अवधि को क्या माना गया था और ऐसी अनियमित रूप से की गई पदोन्नतियों के बारें में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां, अकेले एक मामले में।

(ख) उस कर्मचारी को वाणिज्यिक प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। 9-5-74 से 15-5-74 तक वह ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था।

(ग) चूंकि उसकी सेवाओं का उपयोग कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस आने के लिये संगठित करने में किया गया था, इसलिये अनुपस्थिति की अवधि को विशेष नैमित्तिक छुट्टी माना गया था। वाणिज्यिक प्रशिक्षु के रूप म उसकी नियुक्ति तथाकथित 'वफादार' रेल कर्मचारियों के आश्रितों के 20 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत की गई थी।

1-9-77 से 31-3-78 के दौरान गठित समितियां

9639. डा० भगवान दास राठौर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 सितम्बर, 1977 से 31 मार्च 1978 तक सरकारी स्तर की, सलाहकार तथा अन्य किसी स्तर की कितनी समितियां गठित की गयीं तथा उनके नाम क्या है और इन समितियों के सदस्यों के नाम और पते क्या हैं;

(ख) इन सभी समितियों में मनोनीत किये गये, विशेष रूप से आमंत्रित अथवा विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या कितनी है जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सदस्य हैं तथा इनकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) पार्टी के आदेशों तथा सरकारी अनुदेशों के उपरांत भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व को काफी सीमा तक उपेक्षित रखने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) 1-8-77 से 31-3-78 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा सरकारी स्तर की तथा अन्य स्तर की गठित सलाहकार समितियों का विवरण (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 2286/78**) संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग): सरकारी स्तर पर गठित समितियों में कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है तथा परामर्शदात्री स्तर की समितियों में यथा-संभव बिना किसी जातीय आधार पर रेल उपयोग-कर्ताओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है

RENT OF PORTABLE WOODEN SHOPS

9640. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the former as well as the present rates of rent of the portable wooden shops kept by small shopkeepers by the side of the roads in North-Eastern Railway;

(b) why and how this rent was doubled; and

(c) whether keeping in view the poverty of these shopkeepers Government would allow them to use this land on old rates?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c) Licence fees for the plots of railway land licensed to small shopkeepers varies from station to station depending upon the importance of the station. At important/big stations this fee may also vary from location to location depending upon the relative commercial importance of the place.

Licence fees are fixed on the basis of the market value of the land as assessed by the local revenue authorities when the rvision is due. Generally the licence fe is 6% of the value so assessed.

As per extent instructions, the licence fees are required to be revised once in five years in large towns and commercial centres and once in ten years at other locations. In accordance with the above policy, the licence fees are revised periodically and there is no proposal to change this policy.

एम० एस० आर० द्वारा जारी किए गए आदेश

9641. श्री दया राम शाक्य: क्या रेल मंत्री कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानान्तरण तथा बहाली के बारे में 14 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2698 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारियों की पदोन्नति और स्थानान्तरण के बारे में स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की पदोन्नति ,स्थानान्तरण और बहाली के बारे में एम० एस० आर० द्वारा जारी किये गये आदेश किसी न किसी बहाने अभी तक कार्यान्वित नहीं किये गये ह;

(ग) विशेषरूप से पूर्वोत्तर रेलवे में आदेशों का पालन न करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) वर्ष 1974 की हड़ताल और आपात काल की अवधि के दौरान कितने कर्मचारियों /अधिकारियों को रेलवे वार, नौकरी से निकाला गया, बर्खास्त किया गया, सेवानिवृत्त किया गया, स्थानान्तरित किया गया और पदावनत किया गया और कितने कर्मचारियों की बहाली भी की गई तथा शेष कर्मचारियों /अधिकारियों की, यदि कोई हों; बहाली न करने के क्या कारण हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) स्थानान्तरणों की स्थिति के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2698 के भाग (क) के उत्तर में बताया गया था। आदेशों को कार्यन्वित किया जा चुका है।

पदोन्नति के संबंध में आदेश थे कि वे लोग जो वरिष्ठता के पुनः स्थापन पर आगे पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं, यथोचित प्रवरण के पश्चात् उपलब्ध अगली रिक्तियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे पदोन्नति के लिये उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। इन आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। सक्षम प्राधिकारियों के सभी आदेशों को लागू किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 22 78**)।

सीनियर वेतनमान के प्रत्येक अधिकारी के साथ वरिष्ठ स्टेनोग्राफर

9642. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे के सभी महाप्रबन्धकों को निर्देश दिया है कि प्रत्यक सीनियर वेतनमान वाले अधिकारी के साथ 425–700 रुपये के वेतनमान वाला वरिष्ठ स्टेनोग्राफर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के इन आदेशों को किन परिस्थितियों में पुनरीक्षित किया गया और 425–700 रुपये के वेतनमान के दो वरिष्ठ स्टेनोग्राफर तीन सीनियर वेतनमान वाले अधिकारियों को दिये गये थे/जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने सीनियर वेतनमान के तीन अधिकारियों को दो वरिष्ठ स्टेनों देने के इस प्रस्ताव का विरोध किया था और रेलवे बोर्ड से यथा स्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। रेलवे बोर्ड ने तो केवल ये निर्देश दिये थे कि वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के साथ नियुक्त स्टेनोग्राफरों को 425–700 रु० का वेतनमान दिया जाये।

(ख) बचत करने के उपाय के रूप में सरकार ने नये पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा रखा है और इसमें छूट केवल मंत्रिमंडल के अनुमोदन से ही मिल सकती है। क्योंकि अलग से केवल स्टेनोग्राफरों के पदों की मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल को अनुरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता था, इसीलिये सभी रेलों को निर्देश जारी किये गये थे कि वे केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों की भांति वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों के लिये स्टेनोग्राफरों का पूल बना लें।

(ग) उत्तर रेलवे ने आश्वासन दिया है कि इन आदेशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप किसी की भी पदावनति नहीं होगी। इन आदेशों पर पुनर्विचार करने के लिये उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"टू लेट" नामक फिल्म

9643. पंडित द्वारिका नाथ तिवारी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने तमिल और हिन्दी भाषाओं में "टू लेट" नामक किस्म की, जिसे वर्ष 1952 में एक स्टेशन मास्टर ने कुछ रेल कर्मचारियों की सहायता से बनाया था, रेलवे मैन फाइन आर्टस् सोसायटी से 21,976 रुपये में खरीदा था;

(ख) क्या यह फिल्म नहीं दिखाई गई थी;

(ग) क्या यह ज्यों की त्यों है अथवा खराब हो गई है; और

(घ) यदि खराब हो गई है तो इस खराबी के लिये कौन जिम्मेदार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। "टू लेट" फिल्म निर्माता, रेलवेमैन्स फाइन आर्टस् सोसायटी के अनुरोध पर, रेलवे बोर्ड ने 1957 में 21,976 रुपये मूल्य पर इस फिल्म के हिन्दी और तमिल दोनों संस्करण खरीद लेने की सहमति प्रदान की थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह फिल्म क्षतिग्रस्त है।

(घ) फिल्म के बक्से में वर्षा के पानी के रिसाव के कारण फिल्म क्षतिग्रस्त हो गई थी। दक्षिण रेलवे के तत्कालीन सहायक जन संपर्क अधिकारी को सचेत न रहने के कारण इसके लिये जिम्मेदार ठहराया गया था।

स्टाफ की बुकिंग में हस्तक्षेप

9644. **श्री सुभाष आहूजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उचित क्रम के अनुसार स्टाफ की बुकिंग में कृत्रिम हस्तक्षेप करने की संबंध में, जिसके कारण उनके किलोमीटर भत्ते में कमी हुई है, किसी डिवीजन से कोई शिकायत प्रशासन को प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : जी हां, कुछ रेलों पर कुछ शिकायतें तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एक मामले की तहकीकात की जा रही है। अन्य मामलों में, तहकीकात/अभ्यावेदनों पर किये गये विचार को दृष्टिगत रखते हुए, उपयुक्त कार्रवाई, जैसे कर्मचारियों की बुकिंग के मामले में पहले-आओ-पहले-जाओ प्रणाली लागू करना या बुकिंग संबंधी प्रक्रिया में आशोधन करना, की गयी है।

इण्डोबर्मा पेट्रोलियम के चेयरमैन तथा मेनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

9645. **श्री रेणुपद दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पेट्रोलियम मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव और अब इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ख) उसे किस आधार पर पदोन्नत किया गया जबकि उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही थी?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके विरुद्ध परिवहन और मनोरंजन के उपयोग पर किये गए खर्चों के कुछ आरोपों की जांच की थी। लेकिन उनको बिना किसी शर्त के सम्मान सहित बरी कर दिया गया है।

(ख) उनका आई० वी० पी० के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांच आरम्भ किये जाने से पहले हुआ था।

जमालपुर वर्कशाप

9646. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चुने हुए एक उम्मीदवार को जमालपुर वर्कशाप में अवैध घूस न दे सकने के कारण रोजगार देने से इन्कार किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायत का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस शिकायत की जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि अवैध रिश्वत देने से इन्कार करने के कारण जमालपुर कारखाने में एक उम्मीदवार को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त करने से मना कर दिया गया।

(ग) इस मामले में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में जिला प्राधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी की गई थी और लगातार अनुस्मारकों के बावजूद अन्तिम उत्तर अभी नहीं मिला है। जांच का काम पूरा हो जाने तथा जिला प्राधिकारियों से अन्तिम उत्तर प्राप्त होने पर ही जांच के परिणाम मालूम हो सकेंगे।

(घ) ज्योंही जांच पूरी हो जायेगी उसके परिणामों को देखते हुए कार्रवाही की जायेगी।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक में त्यौहारों की छुट्टियां

9647. श्री ए० के० राय : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने अपने अर्द्ध सरकारी पत्र सं० 52/55/57 एफ० डी० सी०/वी० आई० पी०/10 दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के सिन्दरी एकक के मुसलमानों के लिये इदुल फित्र और इदुल जुहा के दो त्योहारों के लिये छुट्टी देने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या सिन्दरी के प्रबन्धकों ने अपने परिपत्र संख्या ई० एस० टी०/एडमिनिस्ट्रेशन (सी) 038,000/78 द्वारा मुस्लिम श्रमिकों के लिये केवल एक छुट्टी इदुल फित्र के लिये रखी है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं और इस असंगति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : मुस्लिम कर्मचारियों के परामर्श से एफ़ सी० आई० को दी सलाह गई थी कि मुस्लिम त्योहारों के लिये दो दिन की छुट्टी रखी जाए। इसके उत्तर में एफ० सी० आई० ने उल्लेख किया है कि श्रमिक यूनियन (मान्यता प्राप्त) के परामर्श से 3 राष्ट्रीय छुट्टियों सहित 12 छुट्टियों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि सिन्दरी एकक के काम करने वाले सभी समुदायों के त्योहार उनमें शामिल हो जाएं। सिन्दरी एकक में त्योहारों की छुट्टियों के आवंटन की यह पद्धति पिछले 20 वर्षों से चली आ रही है अतः अब इस पद्धति में परिवर्तन करने से श्रमिकों में रोष पैदा होगा। तथापि एफ० सी० आई० को सलाह दी गई है कि वे इस संबंध में श्रमिकों से बातचीत कर लें। इस मामले में कोई निर्णय होने तक एफ० सी० आई० ने त्योहारों की छुट्टियों के आवंटन की वर्तमान पद्धति को जारी रखा हुआ है।

"बंगलिंग विद क्रूड आयल डिलीवरीज टू बंगला देश"

(बंगलादेश को अशोधित तेल की डिलीवरीज के बारे में धांधली)

9648. **डा० विजय मंडल**
श्री दीनेन भट्टाचार्य } : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "बंगलिंग विद क्रूड आयल डिलिवरीज टू बंगला देश" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उक्त धांधली में जिनका हाथ था उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आगे कोई जांच करने का है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) और (घ) : सरकार सी० बी० आई० के साथ सहमत है कि बंगला देश माल सविदा ठेके को प्रकट करने में किसी भी संबंधित अधिकारी ने बेईमानी नहीं की और न हमें इंडियन आयल कारपोरेशन अथवा किसी अन्य पब्लिक अथारिटी को किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ी और नहीं किसी पार्टी के साथ अनावश्यक पक्षपात किया गया। सी० बी० आई० द्वारा बताई गई कुछ कार्यविधि संबंधी अनियमितताओं को ठीक करने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु आई० ओ० सी० के नोटिस में ला दिया गया है।

मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति

9649. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि पूर्वोत्तर रेलवे में मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति की पत्नी को दिया गया परिवार भत्ता कर्मचारी को दिये गये निर्वाह भत्त से वसूल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है;

(ग) क्या बाद में नजरबन्द कर्मचारी की आपसे उसकी पत्नी को दिये गये भत्ते की वसूली करना ठीक है और क्या यह नियम के अनुसार है; और

(घ) यदि हां, तो यह वसूली किस विशेष नियम के अन्तर्गत की गई थी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) : यह विषय विचाराधीन है।

इंडोबर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड में कुप्रबन्ध

9650. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इंडोबर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की विभिन्न खामियों और इसमें कुप्रबंध से संबंधित प्राय: सभी पत्रों का उनके द्वारा उत्तर और पावती तक नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस कम्पनी के प्रबन्धक वर्ग द्वारा कुप्रबन्ध और विभिन्न कदाचारों के बारे में कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी रोष है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) कुछ संसद सदस्यों और इण्डो बर्मा पेट्रोलियम, बामर लारी कंपनियों के ग्रुप से नियुक्तियों और पदोन्नतियों में अनियमितता, स्टाफ के साथ किये गये अत्याचार आदि से संबंधित एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। संसद् सदस्यों को इस प्रतिवेदन की पावती भेज दी गई है। चूंकि मामले की जांच की जा रही है अत: सरकार द्वारा इस मामले में अपनी अंतिम निर्णय लिये जाने पर शीघ्र ही उपयुक्त उत्तर भेज दिया जाएगा।

रेल मंत्री के कमरे से कागजों की कथित चोरी

9651. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारगाओ में सरकारी अतिथि गृह में रेल मंत्री के कमरे से चुराए गए मंत्रालय के कागजों और फाइलों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे के गोआ क्षेत्र से संबंधित नियुक्तियों, बर्खास्तगियों, स्थानान्तरण, गैर-सरकारी पार्टियों को दिये गये रेल ठेकों से संबंधित कोई कागज भी गुम गए है; और

(ग) खोये हुए रिकार्डों/कागजों की दूसरी प्रतियां प्राप्त करने के लिये मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मार्मू गोआ स्थित राजकीय अतिथि गृह से रेल मंत्री के मंत्रालय से संबंधित कोई भी कागजात और फाइलें चोरी नहीं हुई थीं। रेल मंत्री को प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदनों /ज्ञापनों में से कुछ अभ्यावेदन/ज्ञापन गुम अवश्य हुए थे, जो बाद में मिल गए क्योंकि चोरों ने उनको अतिथि गृह के लान में फैंक दिया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ALLOTMENT OF BOOK STALL TO GRADUATE

9652. SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Shri Vijay Kumar, who has been allotted a book stall at Jammu Tawi railway station, is a graduate and whether he fulfils the norms laid down by the Ministry;

(b) whether this stall was allotted to M. S. Pankaj and Company (partnership unemployed graduate) in accordance with policy of the Ministry; and

(c) whether the Ministry has taken any action in regard to discrimination and injustice shown to M. S. Pankaj and Company ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

इंटक के नेता

9653. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में वाणिज्यिक विभाग की इंटक से सम्बद्ध यूनियन के नेताओं के साथ पक्षपातपूर्ण कार्य करने के बारे में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो शिकायत का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) सरकार का अनुचित पदोन्नतियों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) यह आरोप लगाया गया था कि दो कर्मचारियों की तेजी से पदोन्नति की गयी तथा दो अन्य के मामले में पक्षपात किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) दो कर्मचारियों के प्रति किय गये पक्षपात के आरोप सिद्ध नहीं हुए। दो कर्मचारियों की तेजी से पदोन्नति के संबंध में संबंधित महा-प्रबंधक को जांच-पड़ताल करने और रिपोर्ट भेजने के आदेश जारी किये गये हैं।

महाराष्ट्र में रेलवे वर्कशाप अथवा इसी प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना

9654. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों के विस्तार, उनको नया रूप देने, रेलवे वर्कशाप स्थापित करने या इस प्रकार की योजनाएं आरम्भ करने संबंधी विचाराधीन अनुमोदित प्रस्ताव का ब्योरा क्या है, उनकी अनुमानित लागत का ब्योरा क्या है और वर्ष 1978–79 में परियोजनावार कितनी धन राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : रेलवे के मामलों से संबंधित सूचना रेलवेवार संकलित की जाती है, राज्यवार नहीं।

रेलवे स्टेशनों के विस्तार/ढांचे में परिवर्तन, रेलवे कारखानों की स्थापना या इसी प्रकार की परियोजनाओं आदि के संबंध में विस्तृत सूचना निर्माण कार्यक्रम में दी जाती है जो माननीय सदस्यों को 1978–79 के रेलवे बजट प्रलेखों के साथ पहले ही दे दी गयी है।

श्री एम० दास और बी० बी० दत्त को मंजूरी का भुगतान न किया जाना

9655. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे के एस्पलेनेड मेंशन बुकिंग कार्यालय के कतिपय कर्मचारियों को मंजूरी का भुगतान न किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है जब कि इसके लिये रेलवे बोर्ड ने तीन वर्ष पूर्व ही आदेश कर दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ('श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जहां तक इसमें उल्लिखित दो कर्मचारियों का संबंध है, श्री एम० दास को उनके वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। श्री बी० बी० दत्ता को देय वेतन का भुगतान शीघ्र करने के लिये रेल प्रशासन द्वारा कदम उठाए गए हैं।

DISTRIBUTION OF COMPANY'S FUNDS BY OWNERS OF M/S. A. H. WHEELER

9646. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the owners of M/s. A. H. Wheeler distribute the actual income of the company in their own family by appointing all their relatives as Director and to other higher posts on big salaries; and

(b) whether Government propose to take some steps in this matter and if not, the reasons therefor and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) M/s. A. H. Wheeler & Co. Pvt. Ltd. is a closely held private company. Prior to 31-5-1976, 7 of the 8 directors of the company were in receipt of commission and some of these directors were also in receipt of salary. On 31-5-76 the board was reconstituted. All the salaried directors resigned from the board. They nevertheless continued to draw salary as executives under the designation of President, Vide President, Chief Financial Controller, Chief Executives etc.

(b) It is being examined whether there is any contravention of provisions of the Companies Act. If any such contravention is established, action as appropriate will be taken under the relevant provision of the Act.

SETTING UP OF FERTILIZER FACTORIES IN RURAL AREAS

9657. SHRI RUDRA SEN CHAUDHURY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

whether Government propose to set up such small fertilizer factories in rural areas which may make production of mixed fertilizers in accordance with the requirement of these areas and make them available to the farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): No, Sir. On the basis

of the recommendations of an expert committee, Government have decided that since the existing and approved capacity under implementation for granulated fertilizer mixture is adequate to meet the country's estimated requirements, additional capacity need not be sanctioned.

उत्तरीय रेलवे कर्मचारी यूनियन द्वारा आकस्मिक हड़ताल

9658. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी**
श्री पुण्डलीक हरि दानवे } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 मार्च, 1978 को एन० डी० आई० एस० रेलवे स्टेशन पर उत्तरीय रेलवे कर्मचारी यूनियन द्वारा आकस्मिक हड़ताल किये जाने और एन० डी० आई० एस० से पानीपत तक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में टिकट कलेक्टर को जबरदस्ती रोके रखने के क्या कारण थे;

(ख) सतर्कता निरीक्षक उन्हें बिना कार्य भार से मुक्त किये अथवा नई दिल्ली के बाहर जाने वाले दरवाजे से बिना अनुमति लिये किस आधार से ले गया; और

(ग) निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 29–3–78 को नयी दिल्ली स्टेशन पर आकस्मिक हड़ताल अथवा एक टिकट कलेक्टर को जबर्दस्ती रोके जाने की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) सतर्कता निरीक्षक, जिसे नयी दिल्ली स्टेशन से एक महत्वपूर्ण जांच-पड़ताल के लिये 57 अप दादर-अमृतसर एक्सप्रेस से पानीपत के लिये रवाना होना था, ने देखा कि निकास द्वारा पर ड्यूटी पर तैनात टिकट कलेक्टर ने एक अनधिकृत पोर्टर को इकट्ठे किये हुए टिकटों का एक बंडल दिया था। संबंधित टिकट कलेक्टर से पूछा जाना था कि उसने इकट्ठी की हुई टिकटें एक अनधिकृत व्यक्ति को किन परिस्थितियों में दीं। चूंकि सतर्कता निरीक्षक को विशिष्ट अनुदेश थे कि वह पानीपत के लिये रवाना हो इसलिये वह अपनी यात्रा को रद्द नहीं कर सका और टिकट कलेक्टर तथा बाहरी व्यक्ति का स्पष्टीकरण भी लिखवाना था, अतः उनसे अनुरोध किया गया कि वे गाड़ी में सतर्कता निरीक्षक के साथ जाएं।

(ग) चूंकि सतर्कता निरीक्षक द्वारा की गयी कार्रवाई प्रशासनिक हित में थी इसलिये उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई विचार नहीं है।

असिस्टेंट संवर्ग (केडर)

9659. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असिस्टेंट संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड 650–960 रुपये को रेल मंत्रालय में लागू करने के लिये रेल मंत्रालय ने काफी अरसे पहले वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त की थी;

(ख) क्या इस सेलेक्शन ग्रेड का आवंटन सभी मंत्रालयों में सरकार द्वारा पहले से निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के अनुसार, अनुपयुक्त पाये जाने वाले कर्मचारियों को न लेते हुए, वरिष्ठता के आधार पर सख्ती से विनियमित किया जाता है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पहले से किये गये निर्णय के विपरीत कुछ खास व्यक्तियों को इस ग्रेड के आवंटन के लिये रेल मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो सही हकदार व्यक्तियों को सेलेक्शन ग्रेड का आवंटन करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायकों के लिये 650–960 का प्रवरण ग्रेड लागू करने और 1–8–1976 को सहायकों के जितने कुल पद थे उनके 15 प्रतिशत को यह ग्रेड प्रदान करने के संबंध में वित्त मंत्रालय की सहमति, रेल मंत्रालय में मार्च, 1978 में ही प्राप्त हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : वरिष्ठता का सिद्धान्त लागू करने के संबंध में रेल बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसियेशन से प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों को देखते हुए इस मामले में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श मांगा गया है।

उर्वरक एककों की उत्पादन क्षमता

9660. **श्री के० मालक्षा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उवरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार उर्वरकों की उत्पादन क्षमता का कार्यान्वयन तब तक स्थगित करने का है जब तक वह ऐसे उर्वरकों का उपयोग के प्रभावों से संतुष्ट न हो जाएं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जी, नहीं। सरकार संतुष्ट है कि भूमि पर उर्वरकों के प्रयोग का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में अभी भी उर्वरक पुष्टिकारक की खपत प्रति हेक्टेयर बहुत कम है तथा देश में खाद्य पदार्थ तथा अन्य कृषि संबंधी वस्तुओं के लक्षित उत्पादन स्तर को हासिल करने के लिये उर्वरक की खपत में वृद्धि करने की जरूरत है।

SMALL SCALE UNITS FOR PRODUCTION OF PARAFIN WAX

†9661. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether restriction imposed on setting up small industrial units for the production of paraffin wax was lifted on 1st August, 1977;

(b) whether it is a fact that full supply of slack wax is not being made to old units and new units are being provided special facilitions and the number of paraffin wax manufacturing units in the country as a whole and the quantity of slack wax allotted to each of them; and

(c) whether there is any comprehensive scheme for the manufacture of paraffin wax; and

(d) if so, what will be the position of small units in this field?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) to (d) Information is given in the enclosed statement.

Statement attached to the reply to the Lok Sabha Unstarred Question No. 9661 for 9th May 1978 by Shri Vinayak Prasad Yadav regarding Small Scale Units for Production of Parafin Wax.

(a) Stipulations for regulating the supply of slack wax to the small scale sector units for the manufacture of paraffin wax were imposed in 1974 in the context of the possibility of the paraffin wax produced from slack wax getting diverted for use in the food wrapping, drugs, pharmaceutical and cosmetic industries where it could pose a serious health hazard. One of the stipulations was that units which had made investments in plant and machinery (not land alone) before 31st December 1973 and who were borne on the list of the respective State Directors of Industries before that date were only entitled for getting supplies of slack wax. In the light of the representations received from the small scale sector units, it was decided on the 30th July, 1977, to remove this particular stipulation regarding eligibility for obtaining slack wax supplies and instructions were issued that units set up after this date (31st December 1973) may also be given slack wax on the assessment of the Indian Oil Corporation, based on detailed surveys of the facilities available for quality manufacture of paraffin wax at such units. The slack wax units are required to produce paraffin wax conforming to the relevant ISI specifications. The refined wax produced out of slack wax by these units also comes under the definition of paraffin wax for purposes of the administration of the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972. The State Governments are in competent authority under this order for allocation of paraffin wax, to the user units. Instructions have been issued to the State Governments that paraffin wax produced from processing of slack wax is to be used only in the match, candle, plastics and farpaulin industries and that the slack wax or refined wax produced from it should not be allocated for use in food and cosmetic industries.

(b) The supply of slack wax is being made to all the units which are operational on the basis of pro-rata allocation of the availability of slack wax each month in relation to registered/assessed capacity of each unit.

The units manufacturing paraffin wax from slack wax in the country and the quantity of slack wax supplied to each of them during the period January to March, 1978, is given below :—

Sl. No.	Name of the Unit	Quantity of slack wax supplied during January, March,1978 (in tonnes)
(1)	(2)	(3)
1.	Apex Pharma, Kanpur	—
2.	Alliad Industries, Allahabad.	146
3.	Bihar Chamical Corpn ; Begusarai	472
4.	Barauni Industries, Tilrath	134
5.	Bharat Industrial Corpn ; Gauhati	230
6.	Bihar Refinery Mfg. Co; Raxaul	—
7.	Bhattad Chemical Industries, Madras	37
8.	De Oil Refineries, Aligarh	314
9.	Dyes & Chemical Industries, Calcutta	627
10.	Everest Oil Corpn; Madras	104
11.	Gujarat Parachemicals, Ahmedabad	538
12.	Gujarat Waxes, Ahmedabad	—
13.	Hindustan Industries, Begusarai	340
14.	Hindusthan Wax Mfg. Co; Ranchi	212
15.	Hindusthan Chemical Industries, Colgong	10
16.	Haryana Labs, Ghaziabad	11
17.	Hindusthan Oil Industries, Clacutta	110
18.	Hindusthan Chemicals, Delhi	—
19.	Hindusthan Chemicals, Muzaffarpur	—
20.	H Mumtaz & Co, Calcutta	—
21.	Indian Lanolins, Bombay	—
22.	Indiana Cosmetic & Chem Industries, Raipur	—
23.	Industrial Waxes, Ahmedabad	20
24.	Jajmau Dyeing & Proofing, Kanpur	10
25.	Koshi Refinery, Forbasganj	197

(1)	(2)	(3)
26.	Kankaria Chemical Works, Baroda	1935
27.	Kasturba Memorial Institute	20
28.	Lavish Gem, Barauni	207
29.	Magadh Parawax Enterprise, Monghyr	59
30.	Mahata Patrochemicals, Madras	99
31.	National Chem Industries, Gomia	270
32.	Nagaland Soaps & Chemicals, Dimapur	40
33.	Prakash Refineries, Arrah	241
34.	Paakeria Petrochem Refining Co; Dhanbad	110
35.	Petro Products Mfg. Sociaty, Bhavnagar	137
36.	Petrochem Refinery, Gorakhpur	—
37.	Rajshree Enterprise, Bandel	—
38.	Rashmy's Ernakulam	63
39.	Raj Lubricants, Madras	4
40.	Singh Petroworks, Barauni	179
41.	Sitapur Plywood, Sitapur	30
42.	Sahastradhara Industries, Gurgaon	20
43.	Selvam Chem Industries, Sivakasi	20
44.	Tirupati Industries, Howrah	30
45.	Vaishali Chemical Works, Muzaffarpur	10
46.	Vaishali Wax Products, Muzaffarpur	147
	Total	6557

(c) and (d) A feasibility report for the setting up of a paraffin wax plant at the Madras Refinery for the manufacture of paraffin wax is currently under appraisal.

The supply of slack wax to the small scale units is subject to the stipulation that there should be no long range contracts, in view of the uncertainty regarding the continued availability of slack wax to these units.

पश्चिमी तट पर उर्वरक के लिए सर्वेक्षण

9662. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी तट पर उर्वरक संयंत्र के लिये स्थान का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गैस पर आधारित दो बड़े आकार वाले उर्वरक संयंत्रों को महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वयन के लिये हाथ में लेने का प्रस्ताव है। एन० सी० ई० पी० सी० के तत्वाधान में स्थापित कार्यकारी दल ने विभिन्न संभव स्थलों पर प्रस्तावित परियोजनाओं से वातावरण के प्रभाव का मूल्यांकन किया तथा सर्वसम्मति से सिफारिश की कि तारापुर स्थल सभी वातावरण पर प्रभाव के पहलुओं से स्वीकार्य है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार तारापुर में संयंत्रों की स्थापना करने के पक्ष में न थी, परन्तु बम्बई के दक्षिण में उपयुक्त स्थल तलाश करने संबंधी संभावना खोजी जा रही है।

गैस पर आधारित दो वैसे ही बड़े आकार वाले उर्वरक परियोजनाओं की गुजरात राज्य में स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। मैसर्स इफको (आई० एफ० एफ० सी० ओ०) तथा मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० को इस परियोजना के लिये संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

CIVIL AND CRIMINAL CASES PENDING IN HIGH COURTS

†9663. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the break-up of criminal and civil cases pending undecided in different High Courts in the country during 1977-78;

(b) steps taken by Government for immediate disposal thereof; and

(c) the number of such cases for the disposal of which a target has been set for the year 1978-79 ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) and (b) A statement containing the requisite information is attached.

(c) It is not possible to fix any such targets for the disposal of cases.

STATEMENT

(a) The number of civil and criminal cases pending in the High Courts on 31-12-1977.

Name of the High Court	Civil cases	Criminal cases
1	2	3
Allahabad	1,10,961	21,788
Andhra Pradesh	14,745	1,142
Bombay	47,996	4,596
Calcutta	64,645*	5,408*
Delhi	25,051	1,536
Gauhati	5,157	1,391
Gujarat	10,264	1,458
Himachal Pradesh	4,516	503
Jammu and Kashmir	3,821	856
Karnataka	35,511*	588*
Kerala	41,560*	1,179
Madhya Pradesh	22,064*	10,626*
Madras	46,480	5,283
Orissa	4,923	1,119
Patna	21,013*	7,622*
Punjab & Haryana	36,970	9,099*
Rajasthan	12,001*	4,626*
Sikkim	14	7

*main cases only

(b) The following steps have been taken to speed up the disposal of cases :—

(i) A substantial number of vacancies in the High Courts have been filled up. Initiative has been taken by the Central Government to call for proposals from the State Authorities and wherever required reminders have been issued to the concerned State Authorities/Chief Justice. During the period from 1st April, 1977 to 1st May, 1978 as many as 58 fresh appointments have been made.

(ii) The Judge strength have also been increased since 1-4-1977 in the High Courts in respect of which proposals were received. This increase has been made in the following High Courts from the dates the posts are filled up :—

Name of the High Court	Increased by	
	Pmt.	Addl.
1	2	3
Allahabad	—	6
Madhya Praadesh	—	6
Karnataka	1	1
Himachal Pradesh	—	1
Patna	—	3
Total	1	17

(iii) The general question of reducing delays has been referred to the Chief Justice of India for working out certain measures/proposals.

(iv) The Law Commission have been requested to suggest suitable measures to tackle the general problem of arrears. They are seized of the matter.

(v) Letters have been addressed to the Bar Councils and Bar Associations of various States requesting them for co-operation and also for suggestions for speedy disposal of cases.

विदेशी औषध फर्मों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना

9664. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **ट्रोलियम, रसायन और उवरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1978 के विवरण के अनुसार 10 विदेशी फर्मों को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिये गये हैं;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं तथा पूर्ण विवरण सहित फार्म ए० अथवा बी० में कितनी क्षमता दर्शायी गयी है; और

(ग) पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के समय कौन सी औषधियों का उत्पादन किया जा रहा था तथा गत तीन वर्षों में कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना दिनांक 25-4-1978 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 7971 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में पहले ही दी गई है।

भावनगर-तारापुर रेल लाइन

9665. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर-तारापुर नई रेल लाइन का निर्माण कार्य अब आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस मामले में गुजरात राज्य सरकार से कुछ आश्वासन और वित्तीय गारंटी मांग रही है और यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर गुजरात सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार अन्य राज्य सरकारों से इसी प्रकार के आश्वासन और गारंटी की मांग करती है और प्राप्त करती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : भावनगर-तारापुर लाइन के निर्माण-कार्य का अनुमोदन अभी तक संसाधनों की कमी के कारण नहीं किया जा सका है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार यह लाइन 149 कि० मी० लम्बी होगी और अनुमान है कि इस पर 33.65 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस लाइन पर बहुत ही कम यातायात होने की संभावना है और इससे जो प्रतिफल मिलेगा, वह न के बराबर है।

(घ) जी हां। इस मामले पर गुजरात सरकार के साथ अभी पत्र-व्यवहार हो रहा है।

(ङ) जी हां।

DEMAND FOR SEAT IN MAHARASHTRA COUNCIL FOR BADHIR MATDAR SANGH

†9666. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a demand has been made to the Centre and the Election Commission for reservation of an independent seat in the Maharashtra Legislative Council for the Badhir Matdar Sangh (Deaf Voters Association) of the Marathwada Division of Maharashtra;

(b) whether the Members of Parliament from Maharashtra and Marathwada have also made a similar demand; and

(c) if so, whether a decision has been taken in this regard and if not the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) & (b) No communication containing such a demand has been received either in this Ministry or by the Election Commission.

(c) Does not arise.

कोचीन रिफाइनरीज में फलूड कैटेलिटिक क्रैकर की स्थापना

9667. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि यदि केन्द्रीय सरकार कोचीन रिफाइनरीज में फ्लूड कैटेलिटिक क्रेकर की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है तो राज्य सरकार डाउन स्टीम पेट्रो-रसायन परियोजना के लिये साम्य पूंजी लगाने के लिये तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। दिसम्बर 1977 में केरल के मुख्य मंत्री ने एक पत्र लिखा था, जिसमे उन्होंने कोचीन शोधनशाला में एक फ्लूड कैटेलेटिक क्रेकर की स्थापना की संभावना के लिए अपनी बेहद रुचि दिखाई यह फ्लूड कैटेलेटिक क्रेकर एरोमटिक संभरण भंडार का उत्पादन करेगा, जिससे राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक विकास की उपलब्धि हो सकती है तथा और अधिक विकास के लिये आवश्यकता पड़ने पर 25 करोड़ रुपये तक की राशि की व्यवस्था के लिये उन्होंने इस उक्त पत्र में राज्य सरकार की तत्परता का उल्लेख किया बाद में, फरवरी, 1978 में मुख्य मंत्री ने पुनः एक पत्र लिखा जिसम उन्होंने यह बताया कि इस एरोमेटिक परियोजना के लिये 75 करोड़ रुपये की कल पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी जिसमें से इस परियोजना के लिए अपेक्षित सारी साम्य पूंजी की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी और बाकी धनराशि राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से प्राप्त करके पूरी की जायेगी।

छठी योजना (1978–83) के दौरान और बाद के दो वर्षों में स्थापित /आरम्भ की जाने वाली अतिरिक्त परिशोधन/मध्यवर्गीय साफ करने की क्षमता की जांच करने के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि० के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक श्री आर० एन० भट-नागर की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल ने मार्च 1978 मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ साथ कोचीन

शोधशाला में मध्यवर्गीय माध्यमिक परिशोधन संबंधी सुविधाओं की संभावनाओं का भी अध्ययन किया। अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अब सरकार के विचाराधीन है और अध्ययन दल की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेते समय राज्य सरकार की पेशकश को भी ध्यान में रखा जाएगा।

दिल्ली और इलाहाबाद के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट के पदों का दर्जा घटाया जाना

9668. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे में दिल्ली और इलाहाबाद के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के पदों का दर्जा घटा दिया गया है और कनिस्ट लोगों को नियुक्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेलों पर मंडल अधीक्षकों का वेतनमान 1800–2250 रु० है। प्रशासनिक कारणों से मंडल अधीक्षक दिल्ली के पद को अस्थाई तौर पर अल्प अवधि के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में भरा गया था। दिल्ली और इलाहाबाद दोनों स्थानों के पदों को अब वेतन आयोग द्वारा निर्धारित उपयुक्त ग्रेड (1800–2250 रु०) दिया जा रहा है। इन पदों के पदाधिकारियों को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मंडल अधीक्षकों के पैनल में शामिल किया जाता है।

इंजन, डिब्बों का रख-रखाव

9669. श्री सरत कार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में इंजन, डिब्बे आदि के रख-रखाव और मरम्मत का व्यय बढ़ गया है;

(ख) क्या इस वृद्धि से इंजन, डिब्बों आदि के रखरखाव और उपलब्धता के बारे में कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, हाल के वर्षों में चल स्टाक की मरम्मत एवं अनुरक्षण मुख्यत वेतनों एवं माल की लागत में वृद्धि के कारण खर्च में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाबूपेठ में रेलवे पुल

9670. श्री राजे विश्वेश्वर राव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जन्द्रपुर के लोगों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें जन्द्रपुर में बाबूपेठ में एक रेलवे पुल बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसका निर्माण-कार्य कब आरम्भ करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। चांदा और बाबूपेठ के बीज समपार सं० 44 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि निर्माण-कार्य कब शुरू किया जायेगा क्योंकि राज्य सरकार, जिसे निर्माण की लागत का एक हिस्सा वहन करना होता है, ने इस सम्बन्ध में अपने अंतिम निर्णय से अभी तक अवगत नहीं कराया है।

मुआवजे का भुगतान

9671. श्री गणनाथ प्रधान : क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढुलाई के दौरान वस्तुओं की हानि और क्षति के लिये गैर-सरकारी फर्मों को दक्षिण पूर्व रेलवे ने गत दो वर्षों में वर्षवार कितना मुआवजा दिया है; और

(ख) ऐसी हानि/क्षति कम से कम हो इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे ने माल के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के लिए सभी दावेदारों को क्षतिपूर्ति की कुल राशि के रूप में वर्ष 1976-77 में 2.00 करोड़ रुपये और 1977-78 में 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया । प्राइवेट पार्टियों को दी गयी क्षतिपूर्ति की रकम का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता।

(ख) परिवहन के दौरान माल के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की घटनाओं को कम करने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(I) भेद्य खंडों में लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन आदि ले जाने वाली माल गाड़ियों का रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा मार्ग रक्षा करना।

(II) भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा गश्त लगाना।

(III) अपराध आसूचना एकत्रित करना और रेलों की अपराध आसूचना के कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा अपराधियों तथा चोरी का सामान लेने वालों का पता लगाने के उद्देश्य से अचानक छापे मारना।

(IV) परेषणों के खोने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में और अधिक जागरूक रहने की भावना उत्पन्न करने के लिए कर्मचारियों का मार्ग-दर्शन करना एवं उन्हें शिक्षित करना।

(V) चीनी, अनाज, दालें, तिलहन, आदि के परेषणों से लदे पूरे माल-डिब्बों के दरवाजों पर सुरक्षा की दृष्टि से निभार की व्यवस्था पर जोर देना।

(VI) प्ररेषणों को खोये जाने से रोकने के लिए उन पर भली प्रकार निशान बगाना, पता लिखना और लेबल लगाना।

(VII) जिन माल डिब्बों में मूल्यवान सामान लदा हो उनमें रिवट लगाने के लिए ढिबरी और काबले का उपयोग करना।

(VIII) माल डिब्बों का भली-भांति अनुरक्षण करना ताकि माल डिब्बों के खराब होने की घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप उन्हें रुके रहना पड़ता है और उनका यानान्तरण करना पड़ता है, में कमी हो तथा दरवाजों और सुराखों से भीगने तथा टिकिया चोरी से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

(IX) खराब माल डिब्बों का संरक्षण कम करने के लिए मरम्मत लाइनों, यार्डों और माल गोदामों में माल डिब्बों के पेनल-कट में पैबन्द लगाना।

(X) बरसात के मौसम में सामान गीला होकर क्षतिग्रस्त होने न पाये, इसे रोकने के लिए विशेष एहतियात बरतना

(XI) लदान और उतराई के दौरान पैकेजों का भली-भांति पर्यवेक्षण और सावधानी-पूर्वक मिलान करना।

(XII) आमान परिवर्तन, यानान्तरण स्थलो और पुनर्पेकिंग स्थलों पर पर्यवेक्षण के काम को तेज करना; और

(XIII) कर्मचारियों का उत्तंरदायित्व शीघ्र नियत करना।

बल्क औषधियों के मूल्यों के बारे में अभ्यावेदन

9672. **श्री रतनसिंह राजदा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) बल्क औषधियों के मूल्य घोषित किये जाने के बाद गत तीन वर्षों के दौरान कितने अभ्यावेदन मिले, उनमें से कितने अभ्यावदनों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया और इस कारण एकक बंद कर दिये गये और भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विभिन्न बल्क औषधियों के क्या-क्या मूल निर्धारित किये; उत्पादकों के नाम क्या है और औषधियों के मूल्य किस आधार पर निर्धारित किये गये ; और

(ग) 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी पूंजी वाली विदेशी फर्मों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी बल्क औषधियां बनाई गई क्या मूल्य निर्धारित/स्वीकृत किये गये, किस आधार पर निर्धारित अथवा स्वीकृत किये, किन मध्यवर्ती पदार्थों (इन्ट्रेमीजिएट्स) से निर्मित की गई, आयातित मध्यवर्ती पदार्थों/कच्चे माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य क्या थे और सस्ते साधनों से बनाई गई वल्क औषधियों के लागत-बीमा -भाड़ा मूल्य क्या थे।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रहीं है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

WORKING OF CIVIL DEFENCE CELL IN N. E. RAILWAY

9673. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a review of the working of the Civil Defence cell in the North Eastern Railway headquarters for the period from 1st July, to 30th September, 1977 has been made; and

(b) the details thereof and also of the conclusions of the review ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Does not arise.

उद्योगों को गैस की सप्लाई

9674. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में उद्योगों के गैस की सप्लाई की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं और उन्हें किस दर पर यह सप्लाई की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के अलावा कुछ उद्योगों को तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) की सप्लाई की जाती है।

(ख) उन राज्य वार उद्योगों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2288/78] है, जिन्हें तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) विपुल मात्रा में सप्लाई की जा रही है । इस विवरण में उन उद्योगिक उपभोक्ताओं के नाम सम्मिलित नहीं है जो तरल पेट्रोलियम गैस की पूर्ति सिलेन्डरों में प्राप्त करते हैं। विपुल मात्रा में गैस की पूर्ति के वसूली दर को भारत सरकार द्वारा तय किया जा चुका है और यह प्रति मी० टन 1789-48 रुपये है, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल है परन्तु परिवहन/प्रेषण प्रभार, वितरण कमीशन और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं है।

COMMON CODE FOR PEOPLE

†9675. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether 'Common Schools' and 'Common Code' for the people of the country as a whole are necessary for establishment of a socialistic pattern of society;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this direction;

(c) whether Government propose to bring forward a Bill in this regard; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) The creation of common school system of public education was envisaged by the Education Commission (1964-66) to provide quality of access to education to all children in order to promote the emergence of an egalitarian and integrated society. The National policy on Education Resolution (1968) also commended that to promote social cohesion and national integration the Common School System as recommended by the Education Commission should be adopted. The enactment of a uniform civil code for all citizens is one of the Directive Principles of State Policy.

(b) The recommendations of the Education Commission, including the recommendations regarding common school system of public education were brought to the notice of various State Governments and Union territory Administrations. Before undertaking the enactment of a uniform civil code. Government would have to give due consideration to the views of the different religious communities in India. There is as yet no favourable response from these communities for such a code.

(c) There is so such proposal at present.

(d) It is primarily for the State Governments and Union Territory Administrations to implement the various recommendations of the Education Commission.

विदेशी औषध फर्मों द्वारा अधिक उत्पादन

9676. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ग्लैक्सो, ड्यूमेक्स, मे एण्ड बेकर, सायेनेमाइड अनेक औषधियों का निर्माण कर रही है जबकि उनमें पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए मूल आवेदन पत्र में बहुत कम मद थे ;

(ख) यदि हां, तो किन उपवन्धों के अन्तर्गत इन मदों के लिए कच्ची सामग्री दी जाने की अनुमति दी जाती है और उक्त उपक्रमों को मूल्यों के लिए मंजूर किया जाता है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनका मदवार उत्पादन कितना है और क्या सरकार का विचार उनका उत्पादन नियमित करने का है, यदि हां, तो औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम, आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम आदि के किन-किन उपबन्धों के अन्तर्गत ; और

(घ) भारतीय फर्मों के कितने मामलों में इसी प्रकार के फामूलेशनों को रद्द किया गया है और उसका ब्यौरा और कारण क्या है ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) यह साक्षात करने के लिए कि कौन से औषध एकक उनके पास पंजीकरण प्रमाणपत्रों या तदनुरूपी औद्योगिक अनुमोदनों/मंजूरियों में अनधिकृत मदों का उत्पादन कर रहे हैं इस बारे में अलग से एक अध्ययन अभी किया जाना है। हाथी कमेटी की सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों वाले विवरण पत्र [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं एस सी 2289/78] जो 29-3-78 को सभा पटल पर रखा गया था, के अनुच्छेद 37 की शर्तों के अनुसार यह लाइसेंसों के एकीकरण के समय किया जाएगा ।

(ग) यहां तक उपलब्ध हैं वाछित ब्यौरा देते हुए एक विवरण पत्र संलग्न है किसी भी अनधिकृत उत्पादन यानि औद्योगिक लायसेंसों, सी० ओ० वी० लाइसेंसों मंजूरी पत्रों या डी० टी० डी० पंजीकरण में अधिकृत नहीं की मंजूरी दी जाएगी ।

(घ) इण्डस्ट्रीज (डी एण्ड आर) एक्ट, 1951 8 मई 1952 से लागू हुआ । एक्ट के खण्ड 10 के अन्तर्गत प्रत्येक उपक्रम को निर्धारित अवधि में पंजीकरण कराना था नियमों के अनुसार ऐसी औषध निर्माता कम्पनियों को "औषधों और भेषजों के उत्पादन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया ।

क्योंकि साधारणतया पंजीकरण प्रमाणपत्रों में प्रत्येक मद का नाम अंक्ति नहीं किया गया था अत: यह कहना सम्भव नहीं होगा कि भारतीय कम्पनियों को किसी ऐसी मद के उत्पादन की मनाही की गई थी।

मध्य प्रदेश के निज उद्योगों को रेल वैगन

9677. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि मध्य प्रदेश के खनिज उद्योगों को रेल वैगनों की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी सेक्रेटरीशिप परीक्षा में बैठने पात्र सरकारी कर्मचारी

9678. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 35—45 वर्ष की आयु वर्ग के सरकारी कर्मचारी कम्पनी सेक्रेटरीशिप परीक्षाओं में बैठने के पात्र हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) इंस्टीटयूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले कोई विशेष विनियम निर्धारित नहीं किये गये हैं। सरकारी कर्मचारी को सम्मिलित करते हुए 35 वर्ष की आयु से ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर वह (पुरुष/महिला) इंस्टीट्यूट द्वारा समझे जाने वाले उचित स्थान पर नियुक्त है तथा उसको कम्पनी सक्रेटरीशिप परीक्षा का अध्ययन करने के लिए योग्य समझा जाता है तो कम्पनी सचिवीय विनियम, 1971 के विनियम 30 के अनुसार इंस्टीट्यूट का पंजीकृत छात्र होने के लिए पात्र हैं।

रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल

9679. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न जोनों के रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों पर कुछ कम्पनियों विशेषकर मैसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी का एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे बुक स्टालों की क्या प्रतिशतता है और ऐसे बुक स्टाल चलाने वाली अन्य कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन बुक स्टालों पर पुस्तकें प्रदर्शित करने और बेचने का कार्य किस प्रकार विनियमित किया जाता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेलों में किसी भी बुक स्टाल ठेकेदार का एकाधिकार नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर 847 बुक स्टालों में से, 380 बुक स्टाल, अर्थात् कुल स्टालों के लगभग 45 प्रतिशत, मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी द्वारा चलाये जाते हैं। मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स, मेसर्स हिंगन बोथम प्रा० लि० और सर्व सेवा प्रकाशन अन्य प्रमुख बुक स्टाल ठेकेदार हैं।

(ग) करार की शर्तों के अनुसार, बुक स्टाल ठेकेदार ऐसी पुस्तकें, मैगजीन, समाचार-पत्र आदि बेचते हैं जिन्हें आम तौर पर यात्री चाहते हैं। अश्लील और फुहड़ साहित्य और किसी प्रकार के ऐसे प्रकाशन, जिसमें प्रचुर, पर्याप्त और उचित आपत्ति मालूम पड़े, बिक्री या प्रदर्शन पर कड़ाई के साथ प्रतिबन्ध लगाया गया है। ऐसे मामलों में, रेलों का निर्णय अन्तिम है और बुक स्टाल ठेकेदार उसके अनुसार बाध्य हैं। रेल प्रशासनों को बुक स्टाल ठेकेदारों को यह निदेश देने का भी अधिकार है कि वे विनिर्दिष्ट पुस्तकें या खास किस्म की पुस्तकें और पत्रिकाएं ही बेचें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, रेल अधिकारियों द्वारा बुक स्टालों की अचानक जांच और निरीक्षण किये जाते हैं। राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति और क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति के सदस्य भी रेलवे स्टशनों पर बुक स्टालों का बार-बार निरीक्षण करते हैं।

रेलवे यूनियनों का सदस्यता का सत्यापन

9680. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की यूनियनों की सदस्यता का वास्तविक सत्यापन पिछली बार कब किया गया था ;

(ख) विभिन्न यूनियनों की वास्तविक सत्यापित सदस्यता क्या है तथा वे रेलवे यूनियनों की किस फेडरेशन के साथ सम्बन्ध हैं; और

(ग) आगामी वास्तविक सत्यापन कब करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) प्रजलित अनुदेशों के अनुसार, यूनियनों की सदस्यता वही होगी जो कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित की गयी होगी। यदि यह आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे, तो रेल प्रशासन सम्बन्धित यूनियन की पुस्तकों में दी गयी सदस्यता का पता लगाने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

चूंकि भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की हर वर्ष सम्बन्धित ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को ट्रेड यूनियनों के सम्बन्ध में सभी विषयों की विस्तृत जानकारी देते हुए एक सामान्य विवरण भेजना पड़ता है, रेल प्रशासनों को विभिन्न ट्रेड यूनियनों की सदस्यता ज्ञात करने में सुविधा प्राप्त है। इसलिए सदस्यता के वास्तविक सत्यापन की अवश्यकता नहीं पायी गयी है।

दाहोद में ऊपरि पुल

9681. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दाहोद (गुजरात) में एक ऊपरिपुल के निर्माण के लिए स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य अब तक आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस उपरिपुल के निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ होने तथा पूरे होने की सम्भावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दाहोद में मौजूदा समपार सं० 45 के बदले एक ऊपरि सड़क पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव को पहले ही रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस ऊपरि सड़क पुल का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा न तो अभी तक इसके लिए बनाये जाने वाले पहुंच मार्गों की किस्म के बारे में कोई निर्णय किया है और न ही इसके निर्माण की शर्तों के लिए अपनी स्वीकृति की सूचना भेजी है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पहुंच-मार्गों की किस्म के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय ज्ञात हो जाने तथा निर्माण की शर्तों के लिए उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर यह कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। निर्माण-कार्य प्रारम्भ होने के बाद यह पुल लगभग 2-3 वर्ष में बनकर तैयार हो जायेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक का आयात

9682. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1978 के इंकानोमिक टाइम्स (नई दिल्ली संस्करण) में "लार्जर इम्पोर्टस आफ फर्टिलाइजर्स लाइकली" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) उर्वरक उत्पादन में कमी के लिए मशीनों की खराबी तथा बिजली की कटौती कहां तक उत्तरदायी है; और

(ग) उर्वरक के आयात में कमी करने के लिए स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है जिसमें विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1977-78 के लिए नाईट्रोजन के निर्धारित 22 लाख मी० टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में 2 लाख मी० टन की कमी में से, 137.000 मी० टन की कमी के लिए बिजली की कटौती/मशीनरी की खराबी उत्तरदाई है।

(ग) प्रचलित यूनिटों के इष्टतम उत्पादन को प्राप्त करने के लिए नवीकरण कठिनाइयों में सुधार लाना, प्रतिस्थापना, नवीनीकरण, केप्टिव पावर जैनरेशन सुविधाओं की व्यवस्था आदि जैसे उपाय पहले ही कार्यान्वयनाधीन है। इसके अलावा उर्वरकों में आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकने के लिए तथा स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बड़े पैमाने का कार्यक्रम (प्रोग्राम) भी अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए पहले ही कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया गया है।

आंध्र प्रदेश में रेलवे लाइनें

9683. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में कितनी नई रेल लाइनें बनाई जा रही हैं; और

(ख) चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश में पिछड़े हुए क्षेत्रों में कितनी नई रेल लाइनें बनाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आंध्र प्रदेश में जिन नयी रेल लाइनों का निर्माण-कार्य चल रहा है, वे इस प्रकार हैं:—

(i) नाडिकुडे-बीबीनगर रेल लाइन (151 कि० मी०)—इस परियोजना के पहले चरण —बीबी नगर-नलगोंडा (74 कि० मी०) पर निर्माण कार्य चल रहा है।

(ii) भद्राचलम-मनुगुरु (52 कि० मी०)

(ख) देश के पिछले क्षेत्रों में नयी रेल लाइनों के निर्माण के बारे में एक नीति पर विचार किया जा रहा है। इस आधार पर जो रेल लाइनों बनायी जानी हैं उनकी सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कानपुर में साईकिल स्टैंड

9684. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मंत्री कानपुर में 1974 के लिए कम दर पर साइकिल स्टैण्ड का ठेका देने के बारे में 2 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5786 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बयाना राशि जब्त न करने की जिम्मेदारी, जिसके कारण रेलवे की वित्तीय हानि हुई है, किसी पर नियत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि टेंडर दस्तावेज में कोई अनुसूचित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अनुसार ठेकेदार द्वारा बयाना राशि मांगने पर रेलवे बयाना राशि वापिस करने के लिए बाध्य है ;

(घ) क्या इस मामले की आगे जांच किए जाने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौपने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) 1974 में इलाहाबाद मण्डल में सभी संविदाओं के लिए "निविदाएं आमंत्रित करते समय, निविदाएं खोले जाने के लिए निर्धारित तारीख से 90 दिन की अवधि तक निविदादाताओं को अपने प्रस्ताव बनाये रखने होंगे" वाक्यांश भूल से निकल गया : यह गलती 1975 में ठीक कर दी गयी ।

1974 में कानपुर स्टेशन पर साइक्लि स्टैंड दिये जाने के लिए निम्नलिखिति सात निविदाएं प्राप्त हुई थीं :—

निविदादाता का नाम	राशि
	रु०
1. मैसर्स एम० डी० एण्ड कम्पनी	1,31,000.00
2. श्री मोहम्मद फरीद इद्रीशी	90,999.99
3. मैसर्स निरंकारी इंजीनियरी कारपोरेशन	87,050.00
4. श्री कुदरत दीन	82,000.00
5. मैसर्स पाटला ट्रेडर्स	77,101.00
6. मैसर्स रजा एण्ड कम्पनी	1,29,000.00
7. श्री मोहम्मद साबिर	98,700.00

निविदाएं 10-6-74 को खोली गयी थीं। मैसर्स एम० डी० एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत निविदा सशर्त थी, अत: उसे स्वीकार नहीं किया गया । श्री मोहम्मद साबिर की निविदा भी अवैध थी क्योंकि उन्होंने अग्रिमधन जमा नहीं किया था । अत: ठेका मैसर्स रजा एण्ड कम्पनी को दिये जाने का निर्णय किया गया जिन्होंने शेष पांच वैध निविदादाताओं में सब से अधिक बोली लागायी थी। चूंकि इस फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रलेख सभी तरह से पूरे नहीं थे अत: ठेका दिये जाने से पूर्व इसे पूरे प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। ठेकेदार ने प्रलेख पूरे करने में अत्यधिक समय लिया । प्रलेखों के प्राप्त ही ठेका 15-11-74 से दिये जाने का निर्णय किया गया । किन्तु ठेकेदार ठेका लेने से पीछे हट गया।

चूंकि यह रेलवे के वित्तीय हित में था कि ठेका अधिकतम बोली लगाने वाले निविदादाता को दिया जाये, रेल प्रशासन ने कार्य प्रारम्भ करने का भरसक प्रयत्न किया और उसने प्रलेख पूरा करने के लिए ठेकेदार को 90 दिन, जो प्रस्ताव को खुला रखने लिए सामान्यत: निर्धारित किया जाता है, से भी अधिक समय दिया गया । अग्रिमधन को जब्त करने के प्रान पर गहराई से विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि चूंकि ठेका वास्तव में सामान्य वैध अवधि के भीतर नहीं दिया गया था, अत: अग्रिमधन जब्त नहीं किया जा सकता। तदनुसार अग्रिमधन वापस कर दिया गया ।

चूंकि 1974 में आमंत्रित सभी निविदाओं में 90 दिन की वैधता अवधि सम्बन्धी वाक्यांश को भूल से निकाल दिया गया था और यह भूल केवल इस संविदा के सम्बन्ध में नहीं हुई थी, इसमें कदाचार की कोई भावना निहित नहीं थी। अतः इस मामले में, आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

टिनप्लेट कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का वेतन और परिलब्धियां

9685. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिनप्लेट कम्पनी आफ इण्डिया कलकत्ता के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को वर्ष 1972 से 1977 तक वर्षवार कितना वेतन भत्ते और परिलब्धियां दी गई ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक से पूर्व कम्पनी को लाभ हुआ करता था और वह काफी लाभांश देती थी लेकिन वर्ष 1973 के बाद हानि दिखाने के लिए लाभ और हानि खातों में हेरफेर किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस आरोप की जांच की थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान निदेशक की पुनः नियुक्ति की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) श्री अरुण चक्रवर्ती की प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति, 23-10-72 से 5 वर्ष की अवधि के लिये 7000 रु० प्रति मास वेतन व 41,000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर, कम्पनी के शुद्ध लाभ पर ¼ प्रतिशत कमीशन सहित अनुमोदित की गई थी, जिसमें साथ-साथ यह परिलब्धियां भी सम्मिलित थी, भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान कर्मचारी, अधिवार्षिकी निधि में कम्पनी का अंशदान, उपदान, स्वयं व परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी यात्रा समनुदान, आवधिक छुट्टियां, कम्पनी पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन, सुसज्जित आवास गृह, ड्राइवर समेत कार का मुफ्त प्रयोग, आवास गृह पर टेलीफोन सुविधाएं तथा दो क्लबो की अधिकतम सीमा के आधार पर क्लबो का शुल्क/परिलब्धियां, उस समय पर लागू मार्गदर्शक नियमों के अनुसार की गई थीं।

(ख) तथा (ग) 31 दिसम्बर 1973 से 31 दिसम्बर, 1977 तक के वर्षों के समाप्ति के कम्पनी के लाभ तथा लाभांश निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	का पूर्व लाभ	घोषित लाभांश
1973	16.01 लाख रु०	कुछ नहीं
1974	162.91 लाख रु०	कुछ नहीं
1975	30.60 लाख रु०	कुछ नहीं
1976	19.84 लाख रु०	कुछ नहीं
1977	तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं	

माननीय सदस्य द्वारा दर्शित आरोप प्राप्त हो गये हैं व उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) श्री अरुण चक्रवर्ती के 23 अक्तूबर 1977 से 3 वर्ष की अवधि के लिये, कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के पद की पुनर्नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुका है व उस पर कार्यवाही की जा रही है।

ओब्रा ताप बिजलीघर

9686. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री वसन्त साठे
श्री एस० आर० दामाणी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विशेषकर 'इकनोमिक टाइम्स' दिनांक 17 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मालडिब्बों की कमी के कारण ओब्रा ताप बिजलीघर में कोयले का स्टाक कम होने तथा उत्तर प्रदेश में डल्ला कारखाने में सीमेंट जमा होने से उन दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कदम उटाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) यह रिपोर्ट सही नहीं है। ओबरा ताप बिजलीघर, जिसका कोयले से संचलन के के लिए पूर्ण परिपथ है, के लिए रेलवे मालडिब्बों की कोई कमी नहीं हुई है। डल्ला में सीमेन्ट ढोने के लिए मालडिब्बों की सप्लाई, मांग का 80 प्रतिशत थी, लेकिन फैक्टरी द्वारा इसका भी पूरा उपयोग नहीं किया गया था। इसे उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड के नोटिस में ला दिया गया है ;।

औषध एककों द्वारा अनधिकृत उत्पादन किए जाने पर दन्ड

9687. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख औषध एककों की अनधिकृत उत्पादन क्षमता पर भूतलक्षी प्रभाव से दंड लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) इस विषय पर औषध कम्पनियों की क्षमता के नियमन के सम्बन्ध में सरकार का सम्बद्ध निर्णय यह है कि अगर किसी कम्पनी ने लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक विस्तार किया हो अथवा

विशिष्ट औद्योगिक लाइसेंसों अथवा अन्य किसी प्राधिकरण अथवा किसी अन्य कानून में दी गई शर्तों का चाहे 1973-74 अथवा उससे पहले की अवधि के दौरान उल्लंघन किया हो तो उस कम्पनी के विरुद्ध वही कार्रवाही की जाए जैसे उद्योग के अन्य क्षेत्रों की कम्पनियों द्वारा कानून उल्लंघन पर कार्यवाही करने की व्यवस्था है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

9688. **श्री आर० के० महालगी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अट्ठारह उच्च न्यायालयों में से तीन में मुख्य न्यायाधिपति नहीं हैं और इस समय सभी बड़े न्यायालयों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बावन पद रिक्त हैं, और

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों में वर्षों से लम्बित अपीलों और रिट याचिकाओं की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार का इस वर्ष के 'ग्रीष्म अवकाश' के समाप्त होने से पहले ही इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) इस समय केवल दो उच्च न्यायालयों में नियमित मुख्य न्यायाधिपति नहीं हैं। तारीख 5-5-1978 को जो स्थिति थी उसके अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में 39 स्थान रिक्त थे (इसमें मुख्य न्यायाधिपतियों के वे दो स्क्ति स्थान भी सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है)। उपर्युक्त रिक्त स्थानों के अतिरिक्त हाल ही में 14 पद उस तारीख से मंजूर किए गए हैं, जिस तारीख को वे भरे जाएंगे। ये पद अभी भरे जाने हैं।

(ख) ग्रीष्मावकाश की सामप्ति के पूर्व सभी रिक्त स्थानों का भरा जाना संभव नहीं नहीं हो सकेगा। तथापि, इन रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

पिपरिया और बरेली के बीच रेल लाइन

6689. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिपरिया रेलवे (मध्य प्रदेश में होशंगाबाद) कोबरेली (रायसेन जिला, मध्य प्रदेश), जो लगभग 30 मील दूर है, के साथ मिलाने वाली रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त सर्वेक्षण कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) धन की अत्यन्त कमी है अर सीमित मात्रा में जो कुछ धन उपलब्ध है वह इस समय चालू परियोजनाओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम

9690. **श्री वैरागी जैना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त साझेदारी में 1 मई, 1974 से उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ;

(ग) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को देय सारी राशि रिलीज कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय साझेदारी की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्र सरकार (रेलवे) राज्य सरकार के अंशदान के रूप में, निगम को अन्तरित परिसम्पत्तियों के मूल्य का 25 प्रतिशत अंशदान करेगी।

(2) भावी निवेशों के सम्बन्ध में, केन्द्र सरकार (रेलवे) और उड़ीसा राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात 1:2 रहेगा।

(3) अंशदान का भुगतान, जो किश्तों में हो सकता है, किया जायेगा बशर्ते कि योजना आयोग इस प्रयोजन के लिए धन आबंटित करें और

(4) निगम मे केन्द्र सरकार रेलवे के निवेश पर निगम केन्द सरकार रेलवे को 6·25 वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करेगा

(ग) यह अंशदान उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम को किया जाता है न कि उड़ीसा सरकार को । केन्द्र सरकार (रेलवे) ने उड़ीसा राय सड़क परिवहन निगम की बकाया राशि का पहले ही भुगतान चुकता कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम की केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाने वाली राशि

9691. **श्री पद्मचरण सामन्त सिंहेरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाने वाली उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम की कोई बकाया राशि है ;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है और सरकार पर यह राशि कब से बकाया है; और

(ग) उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम को यह भुगतान कब किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता :

फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया कामगर यूनियन द्वारा आधुनिकीकरण परियोजना, सिन्दरी के प्रबन्धकों पर आरोप

9692. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिकीकरण परियोजना के प्रबन्धकों के विरुद्ध फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया कामगार यूनियन के 40 सूत्री आरोप प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ तो वे पसूत्री आरोप क्या हैं और उनमें से प्रत्येक पर की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा क्या है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सिन्दरी आधुनिकीकरण प्रयोजना के बारे में श्री हरीराम उपाध्याय से 11-3-1978 को एक शिकायत एफ० सी० आई० द्वारा प्राप्त की गई थी। शिकायत में 41 आरोप लगाये गये हैं जो सिन्दरी आधुनिकीकरण प्रयोजना में हो रही भ्रष्टाचार, अनियमितताएं आदि के बारे में हैं। इन आरोपों की एफ सी० आई० द्वारा जांच की जा रही है।

आधुनिकीकरण संयंत्र, सिंदरी में दुर्घटना

9693. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिकीकरण संयंत्र, सिंदरी में 23 फरवरी, 1973 को एक दुर्घटना हूई थी जिसमें एक आपरेटर मारा गया था; यदि हां तो घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दुर्घटना संयंत्र के निर्माण में वरती गई अनियमितताओं के कारण हुई जहां कर्मचारियों को ऐसे कामों पर लगा दिया जाता है जिनका उन्हें कोई अनुभव नहीं होता;

(ग) क्या दुर्घटना के वाद भी प्रबन्धकों ने उपचार के लिए शीघ्र कार्यवाही नहीं की और मामले को छिपाने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध तथा दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के आश्रितों के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां । सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना के कारबन रिकवरी सैक्शन में दुर्घटना हुई भी जिममें कार्य करते हुए एक आपरेटर श्री के० डी० हल्दर की मृत्यु हूई थी।

(ख) जी, नहीं। निर्माण कार्य में मानक इंजीनियरी पद्धति अपनाई गई है जिसका निरीक्षण भारतीय इंजीनियरी के साथ-साथ विशेषज्ञ कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं, श्री हल्दर को दुर्घटना के बाद तत्काल अस्पताल ले जाया गया था और उन्हें अपेक्षित चिकित्सा सहायता दी गई थी।

(घ) चूंकि दुर्घटना के लिये कोई अधिकारी उत्तरदाई नहीं था। इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता। स्वीकार्य क्षति पूर्ति की राशि कर्मचारी क्षति पूर्ति आयुक्त (वर्क मैन कम्पैन्सेशन कमीशनर) धनबाद के पास जमा करा दी गई है और स्वर्गीय श्री हल्दर के लड़के को रोजगार दिया गया है।

सिन्दरी स्थित मार्डनाइजेशन प्लांट में स्टेपलरों की खरीद में नकद राशि की धोखा धड़ी

9694. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी (बिहार) स्थित मार्डनाइजेशन प्लांट में स्टेपलरों की नकद खरीद में भारी धोखाधड़ी चल रही है जिसके अन्तर्गत उनके लिए बाजार मूल्य की तुलना में दुगना मूल्य अदा किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस संयंत्र के प्रबंधक ठेकेदार को दूर से सामान लाने के लिए 40,000 रुपये प्रति मास अदा कर रहे हैं जबकि इसी कार्य के लिए खरीदा गया उनका अपना अशोका ली लैंड हिप्पो ट्रैक्टर बेकार पड़ा है ;

(ग) क्या वर्ष 1975 के अन्त में ही खरीदी गई दो भारी गाड़ियों संख्या वी० एच० आर० 1290 क्या वी० एच० आर० 1204 की मरम्मत के लिए 2000 रुपये वसूल किये गये हैं ;

(घ) क्या जिन ट्रेलरों को विभागीय काम के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए उन्हें ठेकेदार को उधार दे दिया गया है ;

(ङ) क्या सिन्दरी मार्डर्नाइजेशन प्लांट में संयत्र के ढांचे, फर्श, नालियों तथा अन्य सीमेंट पलस्तरों में घटिया माल लगा होने के कारण भारी दरारें दिखाई पड़ गई हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन वित्तीय हानियों के लिए उत्तरदाई इन सभी अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के बारे में जांच करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : चूंकि पूछी गई सूचना प्रायोजना के दैनिक प्रबन्धन के विशिष्ट कार्यों से सम्बन्धित है इसलिए स्थिति का प्रायोजना के अधिकारियों से पता किया गया है और यह निम्नप्रकार है :

(क) केवल प्रायोजना के छोटी मोटी आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए निर्धारित मानको तथा कार्य विधि के अनुसार अधिकतम मितव्यय दरों पर नकद खरीद की जाती है।

(ख) चूंकि सामग्री के विभागीय तौर पर परिवहन के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं इस लिए सामग्री का दर दराज स्थानों से परिवहन प्रतियोगी टेंडरों के आधार पर सामान्य परिवहन गाड़ियों द्वारा किया जाता है।

(ग) गाड़ियों के रख रखाव पर किये जाने वाले व्यय निर्धारित मानकों के अन्दर रखा जाता है और इस व्यय को न्यूनतम रखने के लिए कड़ा नियंत्रण रखा जाता है।

(घ) ठेकेदारों को यथा आवश्यकता विभिन्न टेके के सामान्य शर्तों के अनुसार टैलर दिये जाते हैं।

(ङ) प्लांट ढांचा और फ्लोरिंग निर्माण डिजाइन के अनुसार तैयार किया गया है। इन निर्माण कार्यों में कोई खराबी नहीं हुई है और नाहि इसमें स्टेडर्ड से घटिया माल उपयोग किया गया है यह कार्य सक्षम तथा अनुभवी इंजीनियरों की देख रेख में पूरे किये गये थे।

उपरोक्त स्थिति को विचार में रखते हुए जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती।

औषधों फर्मों के नाम उनकी मूल ईक्विटी, वर्तमान ईक्विटी और बिक्री

9695. **श्री गोविन्द मून्डा** : क्या **पैट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध फर्मों के नाम क्या हैं तथा मूल इक्विटी, स्त्रोत सहित वर्तमान इक्विटी कितनी है तथा उन्होंने गत तीन वर्षों में कितनी बिक्री की, कच्ची सामग्री का किन स्त्रोतो से आयात/मंगाया गया और देश में निर्माण किया गया ;

(ख) फर्मों द्वारा दिये गये आवेदन के फार्म 'क' और 'ख' में उल्लिखित फार्मोलेशनों/वल्क औषधियों के मदवार नाम क्या हैं और उनका कितना उत्पादन है, किन-किन मदों का बाद में उत्पादन आरम्भ किया गया और किस प्रकार से ; और

(ग) सरकार का अनधिकृत गतिविधियों के लिये, यदि कोई हों, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उक्त फर्मों के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) औषध कम्पनियां जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी 40% से अधिक हो, के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में उपलब्ध मूल तथा वर्तमान इक्विटी (साम्यपूंजी) और विक्रय से सम्बन्धित अपेक्षित विवरण संलग्न है। [**पटलालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-2290/78।**]

कच्चे माल के स्त्रोतों के कम्पनीवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इस संबंध में कोई अलग अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, औषध निर्माण यूनिटों को संकलित औद्योगिक लाइसेंस देने के समय, अपनाई जाने वाली पद्धति औषध और भेषज पर समिति (हाथी) की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों संबंधी विवरण--पत्र के पैरा 37 में दी हुई है। इस विवरण पत्र की एक प्रतिलिपि 29-3-78 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई है उस पद्धति के अनुसार सरकार औषध निर्माण कम्पनियों द्वारा पंजीकरण, प्रमाण पत्रों के प्राप्त किये जाने के पश्चात् निर्मित की जाने वाली मदों की संवीक्षा कर सकेगी।

(ग) ऊपर लिखित विवरण-पत्र का पैरा 36 निम्न प्रकार पढ़ा जायेगा :--

कोई भी अनधिकृत उत्पादन (अर्थात् औद्योगिक लाइसेंसों सी० ओ० बी० लाइसेंस अनुज्ञा पत्र अथवा सी० डी० टी० डी० पंजीकरण द्वारा अबन्धीकृत उत्पादन/नियमित नहीं किया जायेगा। सरकार द्वारा उल्लंघन के आरोपों संबंधी प्राप्त शिकायतों पर लागू सांविधिक उपबन्धों/नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

BIG AND SMALL CATERING CONTRACTS GIVEN ON BARODA DIVISION

9696. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 23 on the 21st February, 1978 regarding catering contracts given to S.C. and S.T. and state :

(a) the names of the persons to whom the 8 big and 359 small catering contracts were given on the Baroda division on the Western Railway and when these contracts were given indicating the value of each of them; and

(b) the number of times these contracts were renewed and the number of contracts which were given afresh and the number thereof cancelled during the last 3 years and when these cancelled contracts were given again and to whom and the number of contracts which have not been given so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

औषध फर्मों की अतिरिक्त आस्तियों का जब्त किया जाना

9697. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्पनियों की अनधिकृत आस्तियों को नियमित करने का है जैसा कि हाथी समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत दिनांक 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में संकेत दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके ब्यौरेवार कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) नई औषध नीति में विदेशी औषध फर्मों के संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त बचावों की व्यवस्था है । नई औषध नीति पर वक्तव्य के पैरा (1.61) की ओर विशेषकर ध्यान दिलाया जाता है जिससे विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अवैधिक रूप से अधिक लाभ कमाने के आरोपों की जांच करने तथा, जहां उपयुक्त हों उन्हें नियमित करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति स्थापित की गई है ।

CATERING CONTRACTS GIVEN ON JAIPUR DIVISION

9698. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 23 on the 21st February, 1978 regarding catering contracts given to S.C. and S.T. and state :

(a) the names of the persons to whom the four big and 188 small catering contracts were given on the Jaipur Division, Western Railway and when these contracts were given indicating the value thereof; and

(b) the number of contracts, out of them which were renewed and how many times these were renewed and the number of contracts which were given afresh and the number of those which were cancelled during the last three years and the names of the persons to whom these contracts have been given and when and the number of contracts which have not been given so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

CATERING CONTRACTS GIVEN ON BOMBAY DIVISION

9699. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 23 on the 21st February, 1978 regarding catering contracts given to S.C. and S.T. and state :

(a) the names of the parties to which 5 big and 288 small catering contracts were given in Bombay Division of Western and Central Railways indicating the dates when these contracts were given and the value thereof in each case; and

(b) the number of contracts out of them renewed indicating the number of times renewal was made in each such case and the number of contracts which were transferred to the names of other parties and the number of contracts which were cancelled during the last three years and the names of the parties in whose names these contracts were given which were cancelled and when such contracts given to any party at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दक्षिण-पूर्व रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों को खपाना

9700. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी पदों पर खपाने के लिए उन्हीं में से चुने हुये कर्मचारियों के गत 10 वर्षों में तीन बार पेनल बनाये थे परन्तु कर्मचारियों को खपाया नहीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त पेनल में से कुछ व्यक्ति मनमर्जी से चुनकर खपा लिये गये हैं और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा करने के अर्थपक्षपात करना है और इसे रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिस्तरों की कमी

9701. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में बिस्तरों की कमी की सरकार को जानकारी है और यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश भर में रेलवे द्वारा सप्लाई किये जाने वाले बिस्तरों में एकरूपता नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सभी रेलवे जोनों में एक रूपता लाने का विचार है और यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कई स्टेशनों पर/गाड़ियों में बिस्तर सप्लाई न किये जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । स्थिति की समीक्षा की जा रही है और जहां आवश्यक समझा जायेगा स्टाक में वृद्धि कर दी जायेगी ।

(ख) और (ग) बिस्तरों की अंतर्वस्तुओं का मानकीकरण किया गया है। फिर भी, अन्तर्वस्तुऐं क्षेत्र की जलवायु संबंधी शर्तों को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न रखी गयी हैं। यदि यात्रियों द्वारा अतिरिक्त मदों की मांग की जाती है तो अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने पर उनकी सप्लाई कर दी जाती है।

एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में यात्रियों द्वारा शराब पिया जाना

9702. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मेल–एक्सप्रैस गाड़ियों में, विशेष रूप से वातानुकुलित कुर्सी यान और स्लीपर डिब्बों में कुछ यात्रि शराब पीते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों सहित अन्य यात्रियों को कष्ट होता है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार ट्रेनों में विशेष रूप से राजधीनी एक्सप्रेस, वातानुकूलित डीलक्स-ट्रेनों में ऐसे शराब पीने वाले गिरोहों का पता लगाने के लिए कुछ सख्त सतर्कता उपाय करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस आशय के अनुदेश पहले से ही दिये हुए हैं कि दूसरे दर्जे के सभी सवारी डिब्बों तथा वातानुकूल कुर्सी यानों में अल्कोहलिक पेय का सेवन पूर्णतः वर्जित होना चाहिये और अल्कोहलिक पेय का सेवन पूर्णतः वर्जित है के नोटिस सभी विशिष्ट स्थानों पर लगाये जायें।

संबंधित कर्मचारियों को भी हिदायतें दी हुई हैं कि यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में पाया जाता है, अथवा उत्पात कर रहा हो, तो उसे भारतीय रेल अधिनियम की धारा 120 के अधीन गाड़ी से उतार दिया जाना चाहिये। इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन हो रहा है अथवा नहीं इसे सुनिश्चित करने के लिये समय समय पर अचानक जांच पड़ताल भी की जाती हैं।

पैट्रोलियम संरक्षक कार्यवाही दल

9703. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पैट्रोलियम संरक्षण कार्यवाही दल" का कानूनी दर्जा क्या है और उसका किस प्रकार से वित्तपोषण होता है और वह किस प्रकार कार्य करता है ; और

(ख) अब तक इसके संस्थापन पर कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पैट्रोलियम संरक्षण कार्यवाही दल जिसके अध्यक्ष आई० ओ० सी० के चेयर मैन हैं, में तेल उद्योग, नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल भारतीय पैट्रोलियम संस्थान और तकनीकी विकास महानिदेशालय के विशेषज्ञ शामिल हैं, पैट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए एक विशेष तकनीकी दल स्थापित किया गया है। तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा दल के अनुमोदित योजनाओं के लिए

फण्ड दिया जाता है । यह समन्वय समिति नामक एक महत्वपूर्ण संस्था के अन्तर्गत नीति निर्देशन का कार्य करता है जिसमें पैट्रोलियम मंत्रालय एन० पी० सी० आई० आई० पी० डी० जी० टी० डी० और सार्वजनिक क्षेत्रों की तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं, दल के सामने मुख्य कार्य ईंधन दक्षता उपायों के कार्मिकों को प्रशिक्षण/शिक्षित करके, ईंधन बचत उपायों का अनुसंधान और विकास करने और तकनीकी सूचना सेवायें प्रदान करके मट्टी के तेल, एच० एस० डी० आदि की खपत क्षेत्रीय अध्ययन करके पैट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करना है ।

(ख) 20 जनवरी, 1976 से 31 मार्च, 1978 तक पी० सी० ए० जी० के प्रारम्भ से स्थापना पर खर्च पूंजी के रूप में 2.82 लाख और 23.20 लाख रुपये राजस्व के रूप में कुल 16.02 लाख रुपये हैं ।

GAS SUPPLY TO INDUSTRIES AROUND BARODA BY ONGC

9704. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the quantum of gas supplied daily to industries situated around Baroda by ONGC.

(b) whether these industries have made any demands for supply of more gas and contract therefor and if so, the names of the industries which made such demands and when such demands were made also the nature of the demands made; and

(c) the action taken or proposed to be taken on these demands and when and how ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) to (c) During the year 1977-78 the ONGC supplied an average of 662400 M^3/day of gas to the following industries in Baroda :—

1. Gujarat State Fertilizer Corporation.
2. Heavy Water Project.
3. Baroda Municipal Corporation.
4. Dinesh Mills.
5. Ambika Mills.
6. New India Industries.
7. Punjab Steel Rolling Mills.
8. Sarabhai Chemicals.
9. Alembic Glass.
10. Alembic Chemicals.
11. Chandan Metal Works.
12. Priya Lakshmi Mills.

The Federation of Gujarat Mills and Industries had represented against the decision of the ONGC to discontinue the supply of gas to private industries in Baroda the agreements with whom were to expire by the 31st March, 1978. The position was, therefore, reviewed by the ONGC which has since decided to continue the supply of gas to the existing industries at the present levels of consumption for a further period of one year from the 1st April, 1978. Agreements in this regard have been entered into by the ONGC with the concerned industries after negotiations.

OKHA STATION

9705. SHRI DHARMASINBHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) since when the Okha station in Sourashtra region of Gujarat has been functioning and when it was constructed;

(b) whether facilities like drinking water, waiting room, passengers sheds, benches, etc. are available there and if so, the details thereof and if not the reasons therefor and when these facilities will be provided; and

(c) the number and names of incoming and outgoing trains at this station indicating the names of places to which they leave and from which they arrive ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) :

(a) Okha Railway station was constructed in 1922 and it is functioning since then.

(b) Details of facilities provided at this station are :

1. Upper Class waiting room 15.61 sq.m.

2. Second class Waiting hall 59.45 sq.m.

3. Benches 9 Nos.— 5 on platform and 4 in 2nd Class Waiting Hall.

4. Latrine—4 seats for gents and 2 seats for ladies.

5. Water is brought by water specials and stored in underground and overhead tanks from where it is supplied. One water tap is provided at this station.

(c) Okha station is served by the following 4 pairs of trains :

(1) 39/40 Okha-Rajkot Dwarka Mail.

(2) 33/34 Okha-Mahesana Janta Express.

(3) 29/30 Okha-Bhavnagar Fast Passenger.

(4) 401/402 Okha-Mahesana mixed Passenger.

CASES PENDING IN GUJARAT HIGH COURT

†9706. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of cases pending in Gujarat High Court, Ahmedabad as on 31st March, 1978 indicating the types of cases pending and the main reasons therefor;

(b) the time by which these pending cases will be disposed of;

(c) whether any scheme has been formulated therefor and if so, the details thereof; and

(d) the number of posts, category-wise, vacant in Gujarat High Court at present and the reasons therefor and when these posts will be filled up ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) :

(a) A statement containing the requisite information is attached.

(b) No time limit can be fixed for the disposal of these cases.

(c) No scheme as such has been formulated but some steps taken for ensuring better disposal of cases are : fixing matters for hearing by giving short returnable dates, dispensing with printing. giving priority to matters under certain Acts and grouping of matters arising from land acquisition cases.

(d) One post of permanent Judge and three posts of Additional Judges in the High Court are vacant and steps are being taken to fill them up.

Regarding officers and servants of the High Court, one post of Section Officer, five posts of Private Secretaries/Stenographers and two posts of Translators are also vacant. According to Article 229 of the Constitution, it is for the High Court to ocnsider when these posts need to be filled and to take suitable action therefor.

STATEMENT

According to the information furnished by the Gujarat High Court the number of cases pending category—wise in the High Court on 31-3-1978 is as follows :—

Letters Patent Appeals	141
First Appeals.	3,530
Second Appeals	1,249
Special Civil Applications	2,266
Civil Revision Application	942
Appeals from orders	116
Miscellaneous Civil Applications	93
Civil Applications	760
Civil reference	1
Criminal Appeals	1,155
Criminal Revision Applications	203
Special Criminal Applications	47
Criminal References	2
Transfer Applications	11
Review Applications	1
Miscellaneous Criminal Applications	160
Criminal Cases	4
Civil Suits	13
Company Petitions	58
Company Applications	108
Miscellaneous Petitions	3
Civil Applications	5
Income-tax References	718
Income-tax Applications	9
Wealth Tax References	47
Estate Duty References	35
Gift tax References	8
Sales tax References	61
Stamp References	12
O. J. Appeals	3
Miscellaneous Civil Applications	3
Total ..	11,764

The main reasons for the pendency indicated by the High Court are :—

(i) Disposal of some cases is linked with decision of cases filed in Supreme Court or the High Court on similar or like question of law.

(ii) Difficulty in serving notices on heirs and legal representatives of parties consequent upon their death and parties residing in foreign countries.

(iii) Some vacancies of Judges are unfilled.

However, the pendency, comparatively speaking is not very heavy in Gujarat High Court. On December 31, 1977, of a total of 11,722 cases pending, 5017 were less than one year old, 2721 were between one and two years old and 3984 cases were over 2 years old. Disposals have been keeping pace with the institutions over the last six years and pendency has, in fact, declined since 21-12-1972.

मूल पूंजीकरण आवेदन-पत्रों का तात्पर्य

9707. **श्री एन्थु साहू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल पंजीकरण आवेदन पत्रों से क्या तात्पर्य है ;

(ख) 26 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी लगाने वाली उन विदेशी फर्मों द्वारा कितनी मदों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, फर्मों के नाम क्या हैं पंजीकरण के समय फार्म 'ए' और 'बी' के आवेदन पत्रों में उल्लिखित उत्पादों और क्षमता का ब्यौरा क्या है और इस समय निर्मित मदों का ब्यौरा क्या है जो फार्म 'ए' और 'बी' में आयातित/सारणीबद्ध कच्चे माल पर आधारित हैं और जिनके लिये गत तीन वर्षों के दौरान कच्चा माल जारी किया गया था मद वार कच्चे माल और तत्संबंधी मूल्य का ब्यौरा बताओ ; और

(ग) पंजीकरण के समय फार्म 'ए' और 'बी' में जिन मदों का उल्लेख नहीं किया है क्या नई औषधि नीति के अनुसार उनको नियमित करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो उनके विस्तृत कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 8 मई, 1952 से लागू उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यमान उद्यम को निर्धारित समय के अन्दर अपनी पंजीकरण करना था और ऐसी फर्मों का एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जो कि औद्योगिक लाइसेंस के बराबर था नियमों के अनुसार दिया जाना था। पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए दिये गये आवेदन पत्र हैं, पंजीकरण के मूल आवेदन पत्र हैं।

(ख) चूंकि पंजीकरण प्रमाण पत्र पांचवें दशक में दिये गये थे पूछे गये विवरण तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु औषध सब भेषज उद्योग पर हाथी समिति पर सरकारी निर्णयों से संबंधित वीतव्य (जिसकी एक प्रति सभा पटल पर 29-3-78 को रखी गई थी के पैरा 37 के अनुसार समेक्षित औद्योगिक लाईसेंस प्रदान करते समय की जाने वाली कार्यवाही से सरकार इस बात की जांच करने में समर्थ होगी कि औषध निर्माता कम्पनियों ने किन मदों का उत्पादन पंजीकरण दिये जाने के पश्चात आरम्भ किया था।

(ग) नयी ओषध नीति के अनुसार अनाधिकृत उत्पादन (यानी जो उत्पादन औद्योगिक लाइसेंस सी० ओ० की लाईसेंस अनुज्ञा पत्र या डी० जी० टी० डी० पंजीकरण द्वारा अधिकृत नहीं है) नियमित नहीं कि या जायेगा।

वल्क औषधियों के बनाने में काम आने वाला आयातित और देशी कच्चा माल

9708. **श्री एन्थू साहू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति 1 किलोग्राम वल्क औषध के बनाने में कौन कौन सा, कितनी मात्रा में और कितने कितने मूल्य का आयातित और देशी कच्चा माल चाहिये, जिसके लिये मूल्य घोषित/अनुमोदित कर दिये गये हैं और जिनका उत्पादन गत तीन वर्षों में 26 प्रतिशत साम्य पूंजी वाली विदेशी फर्मों ने किया है ;

(ख) इन आयातित औषधियों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य क्या है और प्रत्येक श्रोत से लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित कितना आयात किया गया ; और

(ग) मैसर्स एलेम्बिक की कितनी मदों को पूर्ण उपयोग के लिए अस्वीकृत कर दिया गया था और कितनी मदों को स्वीकार किया गया था और अस्वीकार करने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ख) औषधों के नाम, घोषित मूल्य, क्या उनको सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है अथवा नहीं और उसके कारण और सी० आई० एफ० मूल्य जहां कहीं उपलब्ध हो को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र 9 मई 1978 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 9779 के उत्तर में दिया गया है। मात्रा सहित स्रोत-वार आयात के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए अपेक्षित देशी और आयातित कच्चे माल का नाम, मात्रा और मूल्य के ब्यौरे लागत की जांच करने के लिए निर्माताओं द्वारा सरकार को भेजे जाते हैं और सरकार उनको प्रकाशित नहीं कर सकती है। प्रत्येक औषध के लिए अपेक्षित देशी और आयातित कच्चे माल के मूल्य नीचे दर्शाये गये हैं :—

क्रम संख्या	औषध का नाम	प्रति किलोग्राम उत्पादन के लिए अपेक्षित आयातित कच्चा माल (रु० में)	प्रति किलोग्राम उत्पादन के लिए अपेक्षित देशी कच्चा माल (रु० में)
1.	ट्राईमेथोप्रिम	1925.55	79.97
2.	सल्फा मेथोक्साब्रोज	435.07	63.25
3.	ट्रेटियन	कुछ नहीं	5863.10
4.	फिलोक्सामाइड फ्युएट	51.54	96.69
5.	फरसी माइड	196.20	1056.70
6.	लिडोफ्लेविन	4683.00	211.00
7.	रुटिल एन० एफ०	413.80	41.91
8.	मेबिन्डाजोल	6966.00	256.00
9.	माइकोनोजोल नाइटेट	11553.00	3527.00
10.	एडजोर्ब्ड डिफ्थेरिया टेटलस	कुछ नहीं	49.16
11.	क्लोरफेनी रामाइन मलेएट	37.12	614.17
12.	फेनिरामाइन मेलिएट	37.34	377.15

प्रपुंज औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते हैं। मूल्य नियंत्रण के उद्देश्य से उक्त आदेश के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों को दो श्रेणियों में बाटा गया है अनुसूची 1 में अनिवार्य औषधों के रूप से शामिल किये गये

प्रपुंज औषधों मूल्यों को समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है जहां तक वन्य प्रपुंज औषधों का संबंध है उनके लिए निर्याताओं को प्रारम्भ में अपने मूल्यों की घोषणा करने की छूट है। गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों द्वारा घोषित मूल्यों में किसी भी मामले में सरकार की मंजूरी अथवा नामंजूरी से वृद्धि नहीं दी गई है।

मैसर्स एलेम्बिक

9709. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1972 को उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अधीन किन आधारों पर पूर्ण उपयोग की मंजूरी दी गई थी।

(ख) क्या यह सच है कि उन उपक्रमों को, जो उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रभावी होने से पहले अस्तित्व में थे अथवा उन तारीखों को जबकि उनके किसी उत्पाद को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के दायरे के अधीन लाया गया था, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाने चाहिए थे:

(ग) क्या पंजीकरण प्रमाणपत्रों के लिए "पंजीकरण के समय पार्टियों" के मूल आवेदन पत्रों में दिये हुए ब्यौरों के सन्दर्भ में क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है और

(घ) मैसर्स एलेम्बिक की कितनी मदों को पूर्ण उपयोग के लिए अस्वीकृत कर दिया गया था और कितनी मदों को स्वीकार किया गया था और अस्वीकार करने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उद्योग मंत्रालय द्वारा 1-1-72 को जारी किये गये प्रेसनोट के अन्तर्गत पूर्णतर उपयोग की स्वीकृति के आधार हैं :—

(i) जहां कहीं पार्टी को लाइसेंस विशष्ट रूप से एक या दो शिफ्टों के आधार पर दिया गया था वहां उस पार्टी को प्लाट तथा मशीनरी के अधिकतम उपयोग के आधार पर लाइसेंसीकृत क्षमता बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी जाती है।

(ii) अन्य मामलों में उस समय जो छूट 25 प्रतिशत तक थी उसे बढ़ा कर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

उपरोक्त दो रियायती केवल 54 उद्योगों के सम्बन्ध में उपलब्ध थी और औषध उद्योग इनमें से एक था जोकि प्रेस नोट के अनुबन्ध 1 में दिया गया था। इन रियायतों की और शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(i) यह रियातें उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं दी जाती जो कि पूर्ण रूप से छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित रखी गयी हैं।

(ii) ये रियायते बड़े घरानों तथा विदेशी कम्पनियों को अपने आप लागू नहीं होगी परन्तु ऐसी कम्पनियों उत्पादन में विस्तार के लिए औद्योगिक मंत्रालय को आवेदन पत्र दे सकती थी। ऐसे आवेदन पत्रों पर एक टास्क फोर्स (कार्यकारी दल) द्वारा

विचार किया जायेगा और वह सार्वजनिक हित तथा एम० आर० टी० पी० अधिनियम की आवश्यकताओं को विचार में रख कर इनका निपटान करेगा।

(ख) और (ग) माननीय सदस्य द्वारा बताये गये तथ्य इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनी नई वास्तविक कार्यविधि दर्शाते हैं तथापि उलेखित प्रेस नोट में यह विशिष्ट रूप से नहीं कहा गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

विदेशी फर्मों को सरणीवद्ध वल्क औषधियां दिया जाना

9710. श्री एस० एस० सोमानी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान आयात नीति के अनुसार वल्क औषधियों के सरणीकरण उसके दायरे और तात्पर्य का क्या ब्यौरा है और उसका पूर्ण औचित्य क्या है ;

(ख) 26 प्रतिशत से अधिक साम्यपूंजी लगाने वाली विदेशी फर्मों को सरणीबद्ध बल्क औषधियां जारी करने का क्या आधार है ;

(ग) सी० टी० सी० नीति के अन्तर्गत प्रयोजक/सिफारिश करने वाले अधिकारी कौन हैं ;

(घ) सी० एण्ड सी० के किस आधार पर और किस नीति के अधीन सिफारिशों की ; और

(ङ) विभिन्न कम्पनियों को जिस नीति के अनुसार निकासी की जाती है, उसमें यदि कोई भेदभाव/उल्लंघन किया गया हो, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधों के आयात को सरणीबद्ध करने में सरकार के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

(i) पर्याप्त मांग के स्तर तक पहुंचने के लिये सभी निर्माण एककों की मांग को बढ़ाना ताकि विश्व बाजार में लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने और सप्लाई की रियायती शर्तें प्राप्त करने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सके।

(ii) नये परिष्कृत औषधों के आयात/प्रचलन को इस ढंग से नियमित करना, ताकि उसी प्रकार के भेषजी महत्व के औषधों के स्वदेशी उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े।

(iii) औषधों के स्वदेशी उत्पादन की रक्षा करना, विशेषकर जब उत्पादन आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो।

(iv) दलालों के लाभ को समाप्त करते हुए समान मूल्यों पर कच्चे माल की समान सप्लाई को सुनिश्चित करना, ताकि ऐसे कच्चे माल पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य समान स्तर पर निर्धारित किये जा सकें।

(v) उद्योग के बाद आवश्यकता वाले लघु एककों (एस० एस० आई०) को सहायता देना और इस प्रकार व्यक्ति फर्मों द्वारा किये जाने वाले आयात को कुछ मामलों में अलाभप्रद और अव्यवहार्य बनाना।

(ख) सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों की बुनियादी सप्लाई नीति को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर में 20-12-1977 को पहले ही दर्शाया गया है यह नीति समान रूप से सभी एककों पर लागू है अतः 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों को सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों की सप्लाई करने के बारे में कोई अलग नीति/आधार नहीं है।

(ग) आयात नीति के अनुसार कच्चे माल के आयात के लिए उत्तरदायी पराधिकरण निम्न प्रकार हैं :—

(i) लघु उद्योग एककों के राज्य औषध नियंत्रण ; और

(ii) संगठित क्षेत्र के एककों के लिये डी० जी० टी० डी० ।

(घ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा दी गई कार्यवाही को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 8797 के उत्तर में 2-5-1978 को पहले ही दर्शाया गया है।

(ङ) सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों का वितरण करने वाली दोनों एजेंसियां अर्थात आई० डी० पी० एल० और सी० पी० सी० ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने औद्योगिक कम्पनियों को सप्लाई करने से न तो नीति का उल्लंघन किया है और न ही उसके अनुपालन में कोई पक्ष-पात किया है।

STOPPAGE OF MAIL TRAINS AT BHANDU AND KAMILI STATIONS

†9711. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Mail and Express trains do not stop at Bhandu and Kamili Stations located on Ahmedabad-Delhi rail line of Western Railway and since when the local people have been demanding stoppage of trains there and when their demand is likely to be met;

(b) whether there is no train between these stations and Mehsana, which is a district headquarter, from 6.30 p.m. to 1.42 A.M. when Agra local leaves from there and whether this much needed facility will be provided to these stations having population of ten thousand each; and

(c) whether these stations will be provided with this facility because there is no other night train service from Mehsana and it will not make much difference if two minute stoppage is provided to trains at these stations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c). While on Mail/Express train stops at Kamili, two Express trains in the Down direction only are scheduled to stop at Bhandu Motidau. Request was received in 1976 for provision of stoppage of pairing trains at Bhandu Motidau. Having regard to the volume and pattern of traffic offering at these two stations, stoppages of additional trains has not been found justified.

STOPPAGE OF CERTAIN TRAINS AT BHANDU STATION

†9712. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there are convenient trains for going to Ahmedabad from Bhandu but there are no such trains while coming from Ahmedabad and whether this facility will be provided at an early date; and

(b) whether arrangements will be made to halt 66 up and 65 Dn trains also at this station, which do not stop there at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) There are four trains at Bhandu Motidau for going to Ahmedabad and two trains for coming from Ahmedabad.

(b) No.

PASSENGERS SHED AT CHHATRAL STATION

9713. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a passenger shed has not so far been provided at the Chhatral railway station constructed many years ago on the Galol-Kari-Katarun railway line on the Western Railway;

(b) whether the people of Chhatral village have made a demand for providing the passenger shed on the said station and if so, when this demand will be fulfilled;

(c) whether electricity has also not been provided at the said station so far and whether it will be provided at the said station shortly;

(d) whether a piao has been constructed at the said station but the person for supplying drinking water to the passengers has not so far been appointed and whether adequate arrangements for the supply of drinking water will be made there during the current summer season; and

(e) whether the aforesaid basic facilities will be provided soon at the above station to mitigate the hardships of the travelling people ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (e). Chhatral is a halt station on Kalol-Chanasma Section of Western Railway and a structure to serve as shelter for passengers is already provided at this station.

A water hut has been provided for storage of water but there is no proposal to post a waterman exclusively for supply of drinking water.

It is also not proposed to electrify this halt for the present.

इंजीनियर्स इंडिया द्वारा किए गए करार

9714. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इंडिया द्वारा गत वर्ष में विदेशों से कितने करार किये गये ;

(ख) विभिन्न करारों का ब्यौरा क्या है और उन विभिन्न करारों का कुल मूल्य क्या है ; और

(ग) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की ओर से बातचीत के लिये विदेशों में (देशों के नाम के साथ) कितने कार्यालय हैं और उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) वर्ष 1977–78 के दौरान इंजीनियर्स इंडिया लिमि० के विदेशों में कोई नया ठेका नहीं दिया गया था। तथापि, इंजीनियर्स इंडिया लि० द्वारा पहले के वर्षों में जो ठेके प्राप्त किये गये थे, उनके लिये यह संस्था इस वर्ष के दौरान अपनी सेवायें प्रदान करती रही।

(ग) व्यापार का बढ़ावा देने से संबंधित कार्यकलापों की देखभाल करने के और कंपनी के लिये और आगे बातचीत करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमि० का मात्र एक अधिकारी कुवैत में 28 मई, 1976 से रह रहा है। इन पर किये गये खर्चे के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	राशि
1976–77	5.59 लाख रुपये
1977–78	5.33 लाख रुपये

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

उन ठेकों के ब्यौरे जिनके लिये विदेशों में सेवायें प्रदान की गई थीं

अनुबन्ध I

क्रमांक	उन व्यवसायिक उद्यमों का नाम जिन्हें ई० आई० एल० की सेवायें प्रदान की गई थी	ई० आई० एल० द्वारा किये गये करार/प्रदान की गई सेवाओं के क्षेत्र	करार की तारीख	ठेके की मूल्य	ई० आई० एल० की सेवाओं के लिये विलबद्ध राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्टेट आर्गेनाइजेशन फार इंडस्ट्रीयल डिजाइन एण्ड कंस्ट्रक्शन, गदाद (ईराक)	भारत से तकनीकी सहायता तथा ई० आई० एल० के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति।	16-8-74	—	29,09,617.56	इसका कार्य निष्पादन किया जा रहा है।
	स्टेट कंसलटैंसी कम्पनी फार टायल प्रोजेक्टस, पी० ओ० बाक्स-198, बगदाद (ईरान)	विभिन्न परियोजनाओं के कार्य निष्पादन हेतु ई० आई० एल० कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति और भारत से सहायक सेवायें प्रदान करना।	16-8-74	—	35,51,431.55*	—वही—
3.	बहरीन पेट्रोलियम कम्पनी, बहरीन	तकनीकी सहायता के लिये ई० आई० एल० कार्मिक की प्रतिनियुक्ति	1-10-75	—	24,20,357.33*	—वही—
4.	सीलोन पेट्रोलियम कार्पो०, कोलम्बो (श्री लंका)	रखरखाव सेवाओं में सलाह मशविरा देना	1-2-76	—	24,045.46*	—वही—
5.	कैल्लाग ओवरसीज कार्पोरेशन, हाउस, चिलर्टन स्ट्रीट, लन्दन, विन 2 ए डी, इंगलैंड	श्री लंका में राज्य उर्वरक उत्पादन निगम की उर्वरक परियोजना के लिये निर्माण सम्बन्धी पर्यवेक्षण प्रदान करना।	20-2-76	—	8,23,431.05*	

*इन कार्यों को ई० आई० एल० द्वारा प्रतिपूर्ति लागत के आधार पर आरम्भ किया जा चुका है और इसलिये इन कार्यों के पूरा हो जाने से पूर्व उनके ठेकेबद्ध मूल्य की राज्य को सुनिश्चित नहीं की जा सकती है तथापि ई० आई० एल० की सेवाओं के लिए बीजकबद्ध राशि का उल्लेख ऊपर किया गया है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

विदेशों के साथ किये गये ठेके के लिये भारत स्थित कार्यालयों से प्रदान की गई सेवाओं के ब्यौरे

अनुबंध II

क्रमांक	उन व्यावसायिक उद्यमों के नाम जिन्हें ई० आई० एल० की सेवायें प्रदान की गई थीं	करार के क्षेत्र/ई० आई० एल० द्वारा प्रदान की गई सेवायें	करार की तारीख	ठेके का मूल्य	ई० आई० एल० की सेवाओं के लिये बीजक बद्ध राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	7	7
1.	ब्यूरो मशीनन-एक्सपोर्ट कैन्टब, बर्लिन, कोटर 630108, बर्लिन (जी० डी० आर०)	परिष्कृत इस्पात का विकास (चौथा और पांचवां कार्यादेश)	24-7-74	16,53,000	—	पूरा हो गया है ।
2.	कैल्लाग ओवरसीज, कार्पो०, कैल्लाग हाउस, चिलटर्न स्ट्रीट, लन्दन विन 2 ए डी०—(इंगलैंड)	श्री लंका उर्वरक परियोजना के लिये मूल तथा दूर स्थलों के लिये विस्तृत इंजीनियरी सेवायें/उपयोगितायें प्रदान करना	20-2-76	*	60,90,847.92	काम चल रहा है।
3.	इंगको, मिलानो (इटली)	मांगल शोधनशाला के लिये विस्तृत निर्माण तथा देशी सामग्री को प्राप्त करना	31-5-76	—	13,85,535.00	पूरा हो गया है।

* टिप्पणी:—यह कार्य ई० आई० एल० द्वारा प्रतिपूर्ति लागत के आधार पर आरम्भ किया गया है और इसलिये इस कार्य के पूरा हो जाने से पूर्व इसकी ठेकेबद्ध कीमत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। फिर भी ई० आई० एल० की सेवाओं के लिये बीजक राशि का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

TEMPORARY AFTER 20 YEARS OF SERVICE

†9715. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he is aware that there are a little more than 1000 officers on Indian Railways, who have put in 20 years of service or so but are still temporary and are being deprived of rights and facilities being enjoyed by other railway officers because their classification has not been done and no status has been given to them;

(b) whether the Ministry of Railways had passed a black law during emergency and did not declare such officers 'unclassified' as a result of the judgement delivered by the Allahabad High Court in their favour by bringing into light the injustice and high-handedness shown towards them by the Ministry of Railways; and

(c) whether he is aware that the directives issued under the letter No. S.R.II(8-10) 4/68-C.B. dated 13th May, 1969 of the Department of Parliamentary Affairs are also binding on the Ministry of Railways and carrying out the aforesaid amendment in the Railway Establishment code is violation of these directives ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Out of 1089 officers recruited during the period from 1955 to 1967, only about 300 are left to be absorbed in Class I. Even out of these 300, as many as 109 are likely to be absorbed shortly which will leave a balance of only 191 as Temporary Assistant Officers

(b) and (c). A few provisions of the Indian Railway Establishment Code Volume I have been amended to remove ambiguity in the position of 'Assistant Officers' *vis-a-vis* 'Temporary Assistant Officers' who are neither Class I nor Class II in accordance with note below rule 106 of the Indian Railway Establishment Code Volume I. Certain Temporary Assistant Officers have filed a Writ Petition in the Supreme Court against these amendments and the matter is now sub-judice.

सरकारी एजेन्सी के माध्यम से बल्क औषधियों का आयात एवं उनके मूल्य

9716. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखा गया विवरण के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयातित बल्क औषधियों के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य/आयात आदि तथा मूल्यों के उत्तार-चढाव संबंधी मूल्यों का वास्तविक ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक औषध का नाम, लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य, सीमा शुल्क, बन्दरगाह पर मूल्य, वास्तविक उपभोक्ता मूल्य, सी० पी० सी०/आई० डी० पी० एल० मूल्य और प्रति 100 "पैक्स" पर उपभोक्ता को कितनी अतिरिक्त राशि अदा करनी पड़ती है ; और

(ग) सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात की गई कौन कौन सी औषधियों को वितरण/नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं लिया जा रहा है और नियंत्रण क्यों लागू नहीं किया गया है ; इस बारे में कानूनी स्थिति का भी उल्लेख किया जाये ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जिस मात्रा तक सूचना उपलब्ध होगी वह इकट्ठी की जायेगी और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

उत्पादित बल्क औषधियों और फार्म्युलेशनों का ब्यौरा

9717. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वी० आई० सी० पी० द्वारा विगत में फार्म्युलेशनों में विभिन्न कम्पनियों को बल्क औषधियों के लिए क्या विभिन्न आयात मूल्य मंजूर किये गये : निर्मित बल्क औषधियों,

फार्म्युलेशनों, आदि के वे पूरे ब्यौरे क्या हैं जिनके आधार पर 20 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी वाली विदेशी फर्मों द्वारा गत तीन वर्षों में उत्पादन किया गया ;

(ख) कम्पनियों तथा फार्म्युलेशनों के नाम क्या हैं जहां मूल्य वल्क औषधियों के आंतरिक मूल्य पर आधारित रखे गये परन्तु कम्पनियों ने वल्क औषधियों का आयात किया और उनके आंतरिक मूल्य लेते रहे और ऐसे औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या पंजीकरण और उन पर लागू की गई शर्तों का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मैसर्स ओरगानोन तथा अन्य फर्मों ने औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है और वे अनेक फार्म्युलेशनों का उत्पादन कर रही हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रोटीनेक्स, सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयातित कच्चे माल और अन्य उस प्रकार की रिलीज की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन फर्मों को सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात किये गये कच्चे माल देना बन्द करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) (i) गत तीन वर्षों में बी० आई० सी० पी० द्वारा विभिन्न कम्पनियों को प्रपुंज औषधों के विभिन्न आयात मूल्यों की अनुमति देने के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(i) चूंकि विदेशी फर्मों द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों की संख्या हजार अथवा अधिक है, इसलिए अपेक्षित सूचना को एकत्र और उसके संकलन करने में समय लगने से उतने लाभ प्रद परिणाम नहीं निकलेंगे। इन परिस्थितियों में मंत्रालय सूचना देने में असमर्थ है।

(ख) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 प्रावधानों के अन्तर्गत यद्यपि सरकार को सूत्रयोगों के मूल्यों में संशोधन करने का अधिकार है फिर भी सूत्रयोगोंकर्ताओं के लिए यह बाध्य नहीं है कि वे पहले सूत्रयोगों के लिए स्वीकृत मूल्यों से यदि कभी सूत्रयोग सस्ते मूल्यों पर प्राप्त करने हैं तो उन्हें सूत्रयोगों के मूल्यों में संशोधन करने चाहिएं।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है कि कम्पनी ने प्रपुंज औषध अथवा सूत्रयोगों का उत्पादन बिना वैद्य प्राधिकार से किया है।

(घ) फाईजर द्वारा निम्नलिखित सरणबद्ध कच्चा माल प्रोटीनेक्स के उत्पादन के लिए अपेक्षित है :—

(i) विटामिन बी-1, (ii) विटामिन बी-2 मैसर्स फाईजर को इनकी सप्लाई के बारे में स्थिति 20-3-78 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 8807 के उत्तर में स्पष्ट की गई है।

(ङ) प्रोटीनेक्स के उत्पादन की वैधता की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। इसके परिणामों के आधार पर संबंधित निर्णय लिये जायेंगे।

सारणीबद्ध बल्क औषधों के लिए आयात योजनाएं तैयार करने की प्रणाली

9718. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारणीबद्ध बल्क औषधों के लिए आयात योजनाओं तैयार करने की क्या प्रणाली है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि विदेशी सप्लाईकर्ता कोई गुट (कोर्टल) न बना लें तथा राज्य व्यापार निगम अथवा सी० पी० सी० से अधिक मूल्य न वसूल कर लें ;

(ख) किन-किन मदों के मामले में उनके गुट बन गये हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का आयात किया गया, कृपया यह ब्यौरा दें कि वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयातित परन्तु उसी गुट से संबंधित 15 बल्क औषधों के मूल्य की तुलना में 15 सारणीबद्ध बल्क औषधों के मूल्य में कितनी वृद्धि/कमी हुई ; और

(ग) सी० पी० सी०/इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के पास आयात वितरण के फलस्वरूप मद वार कुल कितना अभिलाभ था।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) संबंधित औषधों के अनुमानित उत्पादन और संभवतः मांग के आधार पर आयात योजनायें देशी निर्माताओं द्वारा तैयार की जानी हैं। सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों के विदेशी सप्लाईकर्ताओं द्वारा उत्पादन संघ न बन पाये और ऐसे औषधों के अधिक मूल्य न लिया जाए को सुनिश्चित करने के लिए सी० पी० सी० निम्नलिखित कदम उठाती है :—

1. मार्केट गुप्तवार्ता के अद्यतन आंकड़े एकत्र करना;

2. आयातों की योजनाबद्ध व्यवस्था करना।

3. खरीद की ऐसी पद्धति को अपनाना जिससे सप्लाईकर्ताओं के बीच में प्रतियोगिता उत्पन्न हो; और

4. खरीद मूल्य के सौदे को इतना शुद्ध बनाया जाए ताकि संघ उत्पादकों का प्रभाव न पड़े।

केवल आयोडिन कूड के बारे में दो संघ उत्पादकों को विश्व मार्केट में कार्य करते हुए पाया गया था। तथापि सी० पी० सी० ने इन संघ उत्पादकों को तोड़ने में कदम उठाए और इस मद का यू० एस० डालर 4.19 प्रति कि० ग्राम पर जब कि पहले दोनों संघ उत्पादकों द्वारा यू० एस० डालर 5.70 प्रति कि० ग्राम कोट किया गया था। आयातों की व्यवस्था करके सफलता प्राप्त की थी। गत तीन वर्षों के दौरान आयोडीन कूड के आयात का मूल्य नीचे दर्शाया गया है :—

(रुपये लाखों में)

(i) 1975-76	96.20
(ii) 1976-77	76.29
(iii) 1977-78	37.14

सी० पी० सी० द्वारा आयातित 13 सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों के मूल्यों के बारे में ब्यौरे तथा उसकी तुलना में 13 प्रपुंज औषध जो उसी ग्रुप के हैं और 1977–78 के दौरान वास्तविक उपभोक्ताओं/आर० ई० पी० लाइसेंसकर्ताओं द्वारा आयातित किये गये हैं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इससे अधिक प्रतियोगी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) '1977-78 में सारणीबद्ध मदों के वितरण पर सी० पी० सी०/आई० डी० पी० एल० के औषधवार कुल अधिशेष कमी की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(किलोग्राम/रुपये आंकड़े)

विवरण

क्रम सं०	औषध का नाम	सी० पी० सी० आयात के सी० आई० एक	ए० यू०/आर० ई० पी० आयात के सी० आई० एक मूल्य
1	2	3	4
1.	विटामिन बी 6	281.47 से 344	316
2.	एनलजिन .	65.75 से 67.40	223.41 से 513.20
3.	आक्सीटेट्रा साईकलीन	224.32 से 225.0	223.41 से 513.20
4.	टेट्रासाइकलीन .	189 से 241.41	201.93 से 298.70
5.	एम्पीसिलीन एन हाइड्रेड्ट	768.86 से 941.44	842.84 से 857.90
6.	एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेक	644.69 से 699.50	718.61
7.	एम्पीसिलीन सोडियम	936 से 1028.57	953 से 964.58
8.	डाक्सीक्लीन .	1303.78 से 1587.46	1668.12 से 1921.4
9.	कैल्शियम डी पैंथोथिनेस	80 से 92	100.79
10.	सोडियम डी पैंथाथिनेशन	137.41 से 168.44	117.07
11.	प्रिड्निनोलोन	8036 से 8936.55	8779.60 से 14771
12.	कैफेन .	58.14 से 64.62	59.32 से 88.71
13.	ट्रिमिथेप्रिम .	515 से 557.50.	570.67 से 719.54

देश में उत्पादित वल्क औषधियों के मूल्य नियत करना

9719. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादित वल्क औषधियों का भारत सरकार द्वारा सी० पी० सी० मूल्य के आधार पर मूल्य नियत करने का क्या औचित्य है।

(ख) यह सिद्धांत गत 3 वर्षों में कितने मामलों में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा उत्पादित वल्क औषधियों आदि का उत्पादन करने वाली विदेशी कम्पनियों पर लागू किया गया ;

(ग) वल्क औषधियों का सरकारी एजेंसी के माध्यम से औषधवार आयात जारी रखने का क्या औचित्य है ; आयात एवं आयात वस्तु सहित ब्यौरा बताएं;

(घ) सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात की गई इन औषधियों के बारे में 1970 से क्या प्रवृत्ति रही है ; मूल्यों में उतार/चढ़ाव/अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ तुलना/बन्दरगाह पर मूल्य/विभिन्न दरें; और

(ङ) कृपया एम्पीसिलीन एन्हाईड्रोस, प्रिडीनिसोलोन, गेन्टामाईसिन सल्फेट ट्राइमेथोप्रिम और सल्फा मथोक्साजोर के संबंध में गत 3 वर्षों का ब्यौरा बतायें ।

पेट्रोलियम, रसायन उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) देश में ही निर्मित प्रपुंज औषधों के मूल्य साधारणतया सी० पी० सी० के मूल्यों के आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं । तथापि गत तीन वर्षों के दौरान दो मामलों में देश में ही निर्मित प्रपुंज औषधों के मूल्य सी० पी० सी० के मूल्यों के आधार पर निर्धारित किये गये थे । मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा उत्पादित उम्पीसिलीन एनहाईड्रेस के मूल्य सी० पी० सी० के मूल्यों के बराबर 1953 रु०, किलोग्राम पर निर्धारित किये गये थे । इसी प्रकार मैसर्स हैक्सटर फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा निर्मित लामाइन लैक्टेट के मूल्य उसके 2302 रुपये प्रति किलोग्राम के घोषित मूल्य की तुलना में सी० पी० सी० के मूल्यों के अनुरूप 955 रुपये प्रति किलोग्राम पर निर्धारित किये गये । उपरोक्त निर्णय लेने का मुख्य कारण यह था कि देशी निर्माताओं द्वारा घोषित मूल्य, अधिक समझे गये थे और औषधों का उत्पादन केवल पनल्टीमेट स्तर से कर रहे थे ।

(ग) (1) जो प्रपुंज औषध कैनेलाइज्ड सूची में चले आ रहे हैं उन सब पर निम्नलिखित कारण आमतौर पर लागू होते हैं : —

(i) कैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से दिये जाने वाले सम्मिलित आर्डरों से विश्व बाजार में सौदा कर की शक्ति प्राप्त होती है जिससे लाभप्रद मूल्य और सप्लाई की रियायती शर्तें प्राप्त करने में सहायता मिलती है ।

(ii) नये कृत्रिम औषधों के आयात प्रचालन को इस ढंग से नियमित किया जा सकता है कि उसी प्रकार के भेषजी महत्व के औषधों का देशीय उत्पादन प्रभावित न हो ।

(iii) औषधों के देशीय उत्पादन के संरक्षण को विशेषकर तब सुनिश्चित किया जा सकता है जब उत्पादन आंतरिक मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त न हो ।

(iv) बिचौलियों के लाभ को समाप्त करके प्रपुंज औषधों की समान मूल्यों पर समान रूप से सप्लाई करना ताकि ऐसे औषधों पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्यों को निश्चित तथा समान स्तर पर निर्धारित किया जा सके ।

(2) 1976-77 के दौरान सी० पी० सी० द्वारा 22.29 करोड़ रुपये के सी० आई० एफ० मूल्य के कैनेलाइज्ड प्रपुंज औषधों का आयात किया गया था।

देश में ही उत्पादित कैनेलाइज्ड औषधों में आयात अंश के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(घ) 1970 से कैनेलाइज्ड प्रपुंज औषधों के मूल्य के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि कैनेलाइजेशन के आरम्भ होने में अ तक 10 कैनेलाइज्ड वल्क ड्रग्स के सी० आई० एफ० मूल्यों का अध्ययन करने से यह पता लगा है कि कोई स्पष्ट स्थिति स्थापित नहीं हुई है जैसा कि संलग्न विवरण-पत्र **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2291/78 में** दर्शाया गया है।

(ङ) प्रश्न में उल्लिखित औषधों के गत तीन वर्षों के सी० आई० एफ० मूल्यों, जैसा कि सी० पी० सी० ने बताया है, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालब में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2291/78]।**

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक द्वारा वक्तव्य

9720. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक द्वारा चंडीगढ़ में एक चिकित्सा सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य की ओर गया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ारा बेची जा रही केवल 2 प्रतिशत औषधियां जनता के आम लोगों के निदान के लिये पयाप्त हैं और शेष 98 प्रतिशत अनावश्यक हैं।

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उपरोक्त के संदर्भ में वे इस दिशा में कोई कार्रवाई का विचार कर रहे हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में अन्दर औषधों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विचार ध्यान में रखे जाते हैं। सामान्यतः विचार अनिवार्यता (आवश्यकता) प्रभावोत्पादकता तथा जहरीलापन/ प्रतिकूल प्रभावों आदि पर आधारित हैं। डाक्टरों का विशिष्ट भाग के अनुसार रोगियों का इलाज करने के लिए यथासंभव काफी उपयोगी औषधें देना भी सुसंगत होगा। तथापि औषधों के जीवन रक्षक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 35 अनिवार्य फार्मूलेशन्नों को पहचाना है जिससे उनके मूल्यों को उचित स्तर पर नियत किया जा सके। धीरे-धीरे यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यक्तिगत औषध कम्पनियों के लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत इन फार्मूलेशन्स के संबंध में है।

बम्बई-अहमदाबाद रेल मार्ग पर प्रयोग में न आ रहे भाप के इंजन

9721. **श्री राजाराम शंकरराव माने** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-अहमदाबाद रेल मार्ग पर बहुत से प्रयोग में न आ रहे भाप के इंजन हैं ;

(ख) इंजनों के प्रयोग में न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने रख-रखाव कर्मचारियों के लिये काम नहीं रहा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें अन्यत्र काम पर लगाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अप्टा-रोहा लाइन

9722. **श्री राजाराम शंकरराव माने** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्टा-रोहा लाइन दीवा-दसगांव लाइन का एक अंश है जो पिछली सरकार द्वारा मंजूर की गई थी ; और

(ख) क्या आप्टा-रोहा लाइन योजना आयोग द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण कोंकण (पश्चिमी तट) रेलवे का अंश है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दीवा से आप्टा तक रेल लाइन पहले से ही सुलभ है। वेस्ट कोस्ट कोंकण रेलवे अर्थात् आप्टा से रोहा तक तक के 62 कि० मी० लम्बे खंड के पहले चरण के निर्माण कार्य का अनुमोदन योजना आयोग की स्वीकृति के बाद कर दिया गया है तथा इसे पहली बार जिस पर 9 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और 1978-79 के दौरान एक करोड़ रुपये के मूल परिव्यय की व्यवस्था है, को 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

तांबा स्क्रैप के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना

9723. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनकी जानकारी में लाई गई है कि तांबा स्क्रेप के आयात पर प्रतिबंध लग जाने के कारण दक्षिण में कीटनाशी दवा उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है ;

(ख) कीटनाशी दवा निर्माताओं द्वारा वास्तविक उपभोक्ता लाईसेंस पर सीधे आयात की सामान्य प्रक्रिया को बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) तांबा फफूंद नाशी दवा के निर्माताओं को इस कच्ची सामाग्री की अबाध रूप से तथा ठीक समय पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सदर्न इंडिया पेस्टीसाइड्स मैनूफैक्चर्स एसोसियेशन ने कापर क्लोराइड और कापर सल्फेट के निर्माण की कठिनाइयों के बारे में, सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है क्योंकि कापर स्क्रैप को 1978-79 की आयात नीति में प्रतिबन्धित सूची में रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) यद्यपि 1978-79 की आयात नीति में कापर स्क्रैप को प्रतिबंधित सूची में दिखाया गया है, परन्तु उक्त नीति के अध्याय 6, पैरा 32 के प्रावधानों के अनुसार कच्चे माल, संघटकों और उपयोग के योग्य पदार्थों के आयात के लिये 1978-79 की अवधि के लिये जारी किये गये एक एटोमेटिक आयात लाइसेंस के मूल्य को इस मद के 50,000 रुपये के मूल्य तक के आयात के लिये प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे आयातित मद का मूल मूल्य लाइसेंस के मूल्य के 10 प्रतिशत अधिक न हो। इसके अलावा यदि एककों की आवश्यकता उक्त सीमा से अधिक हो जाती है तो वे 1978-79 की आयात नीति के उपरोक्त अध्याय 6 पैरा 34 के अनुसार सम्बन्धित प्राधिकरण के माध्यम से अनुपूरक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं।

SHEDS IN RAILWAY STATIONS

9724. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of railway stations from Kota to Chhabra and Kota to Chaunabla; in Rajasthan in which sheds are being constructed and whether necessary steps will be taken to construct sheds for the facility of passengers at Atru and Kavai Stations in order to save the passengers from rain and sun at these stations; and

(b) if so. the reasons for delay in constructing these sheds and the time by which this work will be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) & (b) No proposals are in hand, at present, to provide platform shelters at stations on Kota-Chhabra Gugor and Kota-Chaumabla sections.

A platform shelter is already provided at Atru Railway Station.

As regards Kavai station, presumbly Hon'ble Member is referring to Salpura station which is close to a village named Kavai on Kota-Chhabra Gugor-Bina section. If so, a platform shelter is already provided at this station also.

COLLISION OF TRAINS AT CHAKRA STATION

†9725. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether two trains had collided in 1977 at Chakra station in Kota district (Rajasthan) and if so, the extent of loss of life and property suffered there by Government and individuals;

(b) the extent of assistance provided to the injured and to the dependents of those killed; and

(c) whether the causes of the accident were investigated and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) On 10-11-1977, 91 Down Passenger train ex Kota to Bina collided with 5 wagons stabled in the goods shed at Chhabra Gugor station. No one was killed in this accident. However, 3 loaders were injured. The cost of damage to railway property has

been estimated at approximately Rs. 8,500/-. No claim for compensation has been preferred so far.

(b) A sum of Rs. 700/- was paid as ex-gratia relief to the victims of this accident.

(c) Yes. According to the finding of the Inquiry Committee the accident was due to the failure of railway staff.

राउर केला को बैगनों का आवंटन

9726. **श्री माधवराव सिंधिया**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें स्टील ट्रंक मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन ग्वालियर से राउरकेला इस्पात संयंत्र को ग्वालियर स्टील यार्ड तक इस्पात सामग्री की सप्लाई हेतु वैगनों के आवंटन के बारे में 13 अप्रैल, 1978 का पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) हां जी ।

(ख) इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

ZONAL CENTRE AT DARBHANGA

9727. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is a proposal under consideration to open a Zonal Centre of North Eastern Railway at Darbhanga;

(b) whether any orders have been issued in this connection; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) & (c) Do not arise.

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फेर्मास्यूटिकल्स लि० के लेखाकारों का वरिष्ठता संवर्ग

9728. **श्री महीं लाल**: क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के मार्केटिंग डिवीजन में काम कर रहे लेखाकारों की पदोन्नति के लिए सामूहिक वरिष्ठता के बारे में 11 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 6492 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें गे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० के मार्केटिंग डिवीजन के अन्तर्गत क्षेत्रों डिपों में काम कर रहे लेखाकारों के वरिष्ठता संवर्ग को नई दिल्ली और केन्द्रीय कार्यालय के मुख्यालय मार्केटिंग डिवीजन में काम कर रहे लेखाकारों के वरिष्ठता संवर्ग से किस तारीख को पृथक कर दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि मुख्यालय मार्केटिंग डिवीजन, केन्द्रीय कार्यालय और क्षत्रों/ डिपो में काम कर रहे लेखाकारों की संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर उपक्रम के लेखाकारों का वर्ष 1977 तक पदोन्नति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रों/डिपो में काम कर रहे लेखाकारों की वरिष्ठता पृथक रखने के क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आई० डी० पी० एल० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार :—

विपणन प्रभाग के अन्तर्गत क्षेत्रों/डिपों में काम कर रहे लेखाकार की क्षेत्र/डिपो के प्रारम्भ अर्थात् नवम्बर, 1967 से ही अलग वरिष्ठता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

CASES PENDING IN SUPREME COURT AND HIGH COURTS

†9729. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of cases pending in different High Courts and the Supreme Court on the 31st March, 1978 and the number out of them which have been pending for above seven years;

(b) steps proposed to be taken for expeditious disposal thereof; and

(c) the number of posts of Chief Justice and Judges lying vacant in different High Courts and when they are likely to be filled ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) & (b) Information as on 31st March, 1978 is not available. The total number of cases pending in the different High Courts and the Supreme Court on 31st December, 1977 as well as the steps being taken for the expeditious disposal thereof are given in the statement attached.

(c) The number of posts of Judges lying vacant in different High Courts as on 1-5-1978 was as under :—

Allahabad	2
Andhra Pradesh	2
Bombay	3
Delhi	4
Gauhati	4
Gujarat	5
Himachal Pradesh	1
Jammu & Kashmir	1
Karnataka	2
Madhya Pradesh	1
Madras	3
Orissa	1
Patna	2
Punjab & Haryana	4
Rajasthan	4

All efforts are being made to fill up these posts as early as possible.

(a) The total number of cases pending in the different High Courts and the Supreme Court on 31-12-1977 and the number out of them pending above seven years :—

	Total number of cases pending	Number of cases pending for above 7 years
	(1)	(2)
Supreme Court	18,215	1,514
High Courts		
Allahabad	1,32,749	14,4623
Andhra Pradesh	15,887	5
Bombay	52,592	3,19*
Calcutta	72,448	13,5072
Delhi	26,587	3,210
Gauhati	6,548	15

	(1)	(2)
Gujarat	11,722	20
Himachal Pradesh	5,019	145
Jammu & Kashmir	4,724	84
Kerala	42,739	2
Karnataka	36,449	28*
Madhya Pradesh	46,613	1,557*
Madras	51,763	439
Orissa	6,042	162
Patna	29,435	3,204*
Punjab & & Haryana	46,069	4,225
Rajasthan	20,558	1,192*
Sikkim	21	

*Main Cases only.

(b) The following steps have been taken to speed up the disposal of cases :—

(i) The Judge strength of Supreme Court has been raised from 13 to 17 with effect from 31st December, 1977, by amending the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956, Vacancies existing in the Supreme Court before 31-12-1977 were filled up and the strength of that Court was full on 30-12-1977. The vacancy occuring on 1-1-1978 on the retirement of Justice Goswami has also been filled.

(ii) A substantial number of vacancies in the High Courts have been filled up. Initiative has been taken by the Central Government to call for proposals from the State Authorities/Chief Justices and wherever required reminders have been issued to the concerned State Authorities/Chief Justices. During the period from 1st April, 1977 to 1st May, 1978, as many as 58 fresh appointments have been made.

(iii) The Judge strengths have also been increased since 1-4-1977 in the High Courts in respect of which proposals were received. This increase has been made in the following High Courts from the dates the posts are filled up :—

Name of the High Court	Increased by	
	Pmt.	Addl.
Allahabad	—	6
Madhya Pradesh	—	6
Karnataka	1	1
Himachal Pradesh	—	1
Patna	—	3
	1	17

(iv) The general question of reducing delays has been referred to the Chief Justice of India for working out certain measures/proposals.

(v) Letters have been addressed to the Bar Councils and Bar Associations of various States requesting them for cooperation and also for suggestions for speedy disposal of cases.

(vi) The Law Commission have been requested to suggest suitable measures to tackle the general problem of arrears. They are seized of the matter.

(vii) The Supreme Court, with the approval of the President, has recently amended the Supreme Court Rules to facilitate early disposal of cases in the Supreme Court.

EXPENDITURE ON ELECTIONS TO LOK SABHA AND LEGISLATIVE ASSEMBLIES

†9730. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by Government on elections to Lok Sabha held in March, 1977;

(b) the expenditure incurred by Government on elections to Legislative Assemblies held in the country therafter; and

(c) whether Government are formulating any scheme to hold generally elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies simultaneously ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) A total expenditure of Rs. 29,80,40,964/- was incurred by Government on the preparation of electoral rolls and the conduct of elections to the Lok Sabha held in March, 1977 This amount does not include the expenditure on preparation of electoral rolls in respect of Meghalaya.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) No such proposal is under consideration of the Government.

दक्षिण रेलवे में स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की माँगें

9731. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण रेलवे के स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों द्वारा अपनी कुछ महत्वपूर्ण मांगों को मनवाने के लिये की गई कार्यवाही से उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर मुअत्तिल किया है तथा उन्हें आरोप पत्र दिये हैं ;

(ग) क्या उक्त जोन में यात्री और माल यातायात में अनेक बार बाधा आई है ; और

(घ) उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने सौहार्दपूर्ण समझौते के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) दक्षिण रेलवे पर कुछ स्टेशन मास्टरों और कुछ सहायक स्टेशन मास्टरों ने 19/20 अप्रैल, 1978 की आधी रात से एक आंदोलन शुरू कर दिया था। वे या तो मालगाड़ियों को 'लाइन क्लीयर' देने से इन्कार कर देते थे या अपने स्टेशनों की तालाबन्दी कर देते थे। गाड़ी सेवाएं बनाये रखने के उद्देश्य से रेल प्रशासन को कुछ अनिच्छुक कर्मचारियों को निलम्बित करके उनको ड्यूटी से हटा देना पड़ा। इस तरह, 189 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया और प्रतिस्थापन कर्मचारी सेवाओं पर तैनात कर दिये गये। आगे चलकर, कुछ स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर अस्वस्थता रिपोर्ट देकर अनुपस्थित हो गये। विशिष्ट अपराधों के लिए कुछ कर्मचारियों को आरोप पत्र भी जारी किये गये थे। 3500 स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों में से लगभग 800 इस आंदोलन में शामिल हुए थे।

यह आंदोलन 27 अप्रैल, 1978 को 23-30 बजे वापस ले लिया गया और जिन कर्मचारियों ने आंदोलन में भाग लिया था, वे ड्यूटी पर लौट आये। इसके बाद, पहले जारी किये गये सभी निलम्बन आदेश वापस ले लिये गये।

रेल प्रशासन ने अनौपचारिक विचार विमर्श के लिए उपर्युक्त कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 19-3-1978 को बुलायी थी। परन्तु वे प्रतिनिधि आये नहीं। लेकिन, आगे चलकर, 29-3-1978 और 3-4-1978 को विचार विमर्श हुआ।

एक विवरण संलग्न है जिसमें कर्मचारियों की मांगें सूचित की गयी हैं। रेल प्रशासन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ और विचार-विमर्श करेगा।

इस आन्दोलन के कारण सवारी और एक्सप्रेस गाड़ियों के संचालन में मामूली सी अस्तव्यस्तता आयी। जहां तक माल यातायात का सम्बन्ध है, आम तौर पर ढोये जाने वाले माल यातायात का औसतन लगभग 70 से 80 प्रतिशत माल यातायात ढोया जाता रहा।

विवरण

मार्ग-पत्र

1. स्थानान्तरण की समरूप नीति।

2. बनी बनायी गलतमाप वर्दियों के बदले कपड़ा और सिलाई प्रभार।

3. अन्य रेलों की तरह दक्षिण रेलवे पर भी सहायक परिवहन निरीक्षकों के पदों की व्यवस्था।

4. 450-700 रुपये के उच्चतर ग्रेड तथा उससे ऊचे ग्रेडों के लिए कार्यभार मूल्यांकन के लिए नया कार्य विश्लेषण तथा आय का महत्व, यातायात की मात्रा, स्टेशनों का महत्व, पर्यवेक्षण के अधीन कर्मचारियों की संख्या, अन्य विभागीय गतिविधियों आदि के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत पदों का दर्जा बढ़ाना तथा उस स्थान पर तैनात राज्य और केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को सुलभ वेतनमानों से रेलवे के वेतनमानों की समरूपता।

5. रेलों पर तीसरी श्रेणी के अन्य कर्मचारियों के ग्रेडों के बराबर ग्रेड देने के लिए वर्तमान 700-900 रुपये के ग्रेड के बदले 840-1020 रुपये के ग्रेड लागू करना।

6. दक्षिण रेलवे पर स्टेशन अधीक्षकों के कम से कम छः पदों को राजपत्रित ओहदे में रखना।

7. अन्य अनुसूचित कोटियों की अपेक्षा स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर कोटि में भरे गये यातायात प्रशिक्षुओं का पुनर्वितरण।

8. आदान और प्रदान सम्बन्धी अतिरिक्त कार्य के लिए विशेष वेतन और रेलवे श्रम अधिकरण पंचाट का पूर्णतः कार्यान्वयन।

9. रेलवे बोर्ड के आदेश सं० पी० सी० III/पी० एस०/यू० पी० जी०/5/एन० एफ० दिनांक 14-5-1976 में उल्लिखित सिद्धान्त के अनुसार यातायात निरीक्षकों के सभी पदों का उनके क्षेत्राधिकार के उच्चतर ग्रेड के उच्चतर कोटि के स्टेशन मास्टरों के ग्रेड से एक चरण ऊपर निर्धारण।

10. सप्ताह में एक केलेंडर दिन का विश्राम।

11. गाड़ी अधीक्षकों के सभी पदों का स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए सर्वथा आरक्षण।

12. विश्रामदाताओं और छुट्टी एवजी कर्मचारियों के मुख्यालयों का डिपुओं और जंकशन स्टेशनों पर विश्राम कमरा सुविधाओं के साथ पुनर्नियतन।

13. सभी पदों का नया कार्य-विश्लेषण और कर्मचारियों का गहन या सतत वर्ग में यथोचित पुनर्वर्गीकरण।

14. पर्यवेक्षण कार्य, रोकड़ जोड़ने और पत्राचार आदि के काम देखने के लिए स्टेशन मास्टरों के ड्यूटी घंटों में अतिरिक्त एक घंटा अवधि की फिर से बहाली ।

15. वाणिज्यिक विवरणियों, टिकट गणन, आरक्षण संदेशों आदि के लिए समयोपरि भत्ते की अनुमति ।

16. $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के छुट्टी आरक्षी कर्मचारियों की व्यवस्था और रिक्तियों को भरना ।

17. क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षकों के पदों को संवर्ग-बाह्य घोषित करना तथा उन्हें सर्वथा इस कोटि के कर्मचारियों से भरना और उनके वेतनमानों को प्रिंसिपल के वेतन-मान से तुलनात्मक आधार पर रखना ।

18. चिकित्सकीय आधार पर विकोटीकृत कर्मचारियों को वर्तमान कोटि में उनके पद और ग्रेड का परिरक्षण करते हुए, उसी ग्रेड के संवर्ग बाह्य/टेनओर पदों पर उनकी नियुक्ति और चिकित्सकीय आधार पर विकोटीकृत स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को उनकी वरिष्ठता अथवा पदनाम में परिवर्तन किये बिना फलैग स्टेशनों पर उनकी तैनाती ।

19. गंभीर शिकायतों को देखते हुए, सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर देते हुए, सभी मंडलों की वरिष्ठता सूची का पुनरावलोकन ।

20. सभी अभ्यर्पित पद और ग्रेडों की फिर से बहाली और आगे अभ्यर्पण पर पूर्ण प्रतिबन्ध ।

21. दूसरे दर्जे के मुफ्त पास धारियों की वातानुकुल में निःशुल्क यात्रा सुविधा की बहाली ।

22. ड्यूटी रोस्टर कर्मचारियों की सुविधा के लिए हों प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं ।

23. दुर्घटना नियमों में प्रशासनिक अतिक्रम शीर्षक के अंतर्गत एक अलग वर्गीकरण और ऐसे सभी अनुचित दुर्घटनाओं की जांच जो अधिकारियों द्वारा की गयी भूल के कारण हुई ।

24. आदेशों और नियमों के अनुसार सभी वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन से ऊपर तुरन्त बढ़ोतरी ।

25. सभी वाणिज्यिक ड्यूटियों के लिए सी० एन० सी० कर्मचारियों के बराबर वाणिज्यिक भत्ता ।

26. सभी सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए सहायक यार्ड मास्टर सरणी के लिए अनुमति ।

27. स्टेशनों का अपग्रेडेशन केवल वाणिज्यिक महत्व के आधार पर ।

28. संरक्षा संगठन की सर्वथा समाप्ति और आर्थिक दबाव को देखते हुए मंडल संरक्षा अधिकारियों के पदों का अविलम्ब अभ्यर्पण ।

29. स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को रोकड़ कार्यालय कर्मचारियों के बराबर विशेष रोकड़ भत्ता।

30. क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों में आवास और सुविधाओं में सुधार तथा जैसा कि अन्य प्रशिक्षण स्कूलों में सुलभ है परिष्कृत यंत्रों और आधुनिक उपकरणों के साथ प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं।

31. भर्ती पर लम्बे अर्से से लगे प्रतिबन्ध को देखते हुए, रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए तीसरे और चौथे दर्जे की सभी नियुक्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट।

32. उच्चतर ग्रेड के पदों की फ्लोटिंग प्रणाली की समाप्ति और इन पदों का तुरन्त स्थान-नियतन।

33. 450-700 रुपये और उससे ऊपर वेतनमान के सभी स्टेशन मास्टरों को पर्यवेक्षण कर्मचारी घोषित करना।

34. स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए, एक दूसरे से संबद्ध किये बिना और पहले से संस्वीकृत परिचालित उच्चतर ग्रेडों के पदों को शामिल किये बिना छुट्टी प्रतिस्थानापन्नों और विश्राम-दाताओं की ग्रेड-वार व्यवस्था।

35. समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार उच्चतर ग्रेडों का पूर्णतया कार्यान्वयन।

36. माइक भत्ता, कार्य सम्पादन भत्ता, विश्राम भंग भत्ता, जल तंगी भत्ता, धुलाई भत्ता, अलग थलग क्षेत्र भत्ता आदि प्रदान करने में भेदभाव की समाप्ति।

37. निकट अतीत में आये तूफान/बाढ़ को देखते हुए, दक्षिण क्षेत्र के सभी रेल कर्मचारियों की अनिवार्य जमा रकम की पूरी वापसी।

38. स्टेशन मास्टरों की सी० टी० सी० आपरेटरों के पदों की बहाली और सी० टी० सी० केबिनों से कंट्रोलरों का हटाया जाना।

39. विगत आंदोलनों में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज और आरोपित दंड देने के सभी उपायों को जिनमें फौजदारी मामले शामिल हैं, वापस लेने की व्यवस्था।

इंस्पैक्टर आफ वर्क्स का चयन

9732. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयन परिणामों की घोषणा के बारे में कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 17 जून, 1975 को किये गये इंस्पेक्टर आफ वर्क्स ग्रेड-I (700-900 रुपये) के चयन में जिन व्यक्तियों का परिणाम घोषित किया गया था, उस रेलवे के महाप्रबन्धक ने 1 वर्ष 1 महीने के बाद उस सूची का विस्तार करके उसमें 14 व्यक्तियों के नाम शामिल क्यों कर दिये गये थे और दो वर्ष पूरे होने से कुछ ही दिन पहले उसमें एक और व्यक्ति का नाम क्यों जोड़ा गया था;

(घ) इससे प्रभावित हुए कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय को दूर करने और नया चयन कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस बारे में कठोर मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालम में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) अराजपत्रित कर्मचारि की पदोन्नति जिन नियमों से शासित होती हैं वे भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली में दिए गए हैं और पूर्वोत्तर रेलवे पर उनका अनुपालन किया जा रहा है। प्रवरणों को अन्तिम रुप से शीघ्र निपटाने के सदैव प्रयास किए जाते हैं किन्तु एक न एक कारण से कुछ मामलों में विलम्ब हो ही जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे पर निर्माण-कार्य निरीक्षक ग्रेड-I (700-900 रु०) के पद के इस विशिष्ट प्रवरण में उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार सतर्कता के एक मामले में अन्तर्ग्रस्त था। जब उसके विरुद्ध लगाये गए आरोपों से उसे दोषमुक्त किया गया तो उसका नाम अन्तिम पैनल में जिसमें 16 व्यक्तियों के नाम थे शामिल कर लिया गया था जबकि प्रारम्भ में ही 20 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। पहले छः नामों की जिस सूची की घोषणा की गयी थी वह अन्तिम थी और जब प्रवरण को अन्तिम रूप दिया गया तो 16 व्यक्तियों उपयुक्त पाया गया था। इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है।

फरूखाबाद स्टेशन

9733. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री इज्जतनगर डिवीजन में क्वार्टरों के आवंटन के बारे में 14 मार्च 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2858 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के फरुखाबाद स्टेशन पर जांच करके यह पता लगाया गया है कि वहां पर कितने क्वार्टर इस समय भरे हुए हैं; और

(ख) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) परीक्षण जांच के आधार पर अब तक फरुखाबाद में रेल कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत रूप से रेलवे क्वार्टरों के अधिग्रहण के तीन मामले नोटिस में आये हैं और नियमानुसार उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में और जांच पड़ताल की जा रही है।

औषध फर्मों को अनुमति पत्रों का जारी किया जाना

9734. **श्री डी० अमात** : क्या **पट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये एक विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित औषध फर्मों को दिये गये अनुमति पत्रों का ब्यौरा क्या है; (एक) पंजीकृत हुई फर्में (दो) ऐसी फर्में जिन्हें बाद में अनुमति पत्र जारी किए गए तथा वे फर्में जिनके अनुमति पत्र सी० ओ० बी० लायसेंसों में बदले गये; और

(ख) औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की किस अधिसूचना; यदि कोई हो तो, के अधीन अनुमति पत्र जारी किए गए।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अनुमति पत्रों के ब्यौरे औषध और भेषज पर (हाथी) समिति की रिपोर्ट कि अध्ययन V के परिशिष्ट-II में दिये गये हैं जिसकी एक प्रति 8-5-75 को सभा पटल पर रखी गई थी।

निम्नलिखित औषध फर्मों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अनुमति पत्र हैं :—

क्रम संख्या	फर्म का नाम
1.	मैसर्स ज्योफरी मनर्स
2.	मैसर्स बूटन कम्पनी (इं) लि०
3.	मैसर्स मे एंड बेकर लि०
4.	मैसर्स पार्के डिविज (इं०) लि०
5.	मैसर्स ग्लैक्सो लिब्स लि०
6.	मैसर्स सिनामिड (इं०) लि०
7.	मैसर्स रलेम्बिक कैम० लि०
8.	मैसर्स जर्मन रेमेडीज लि०
9.	मैसर्स सीबा गैगी
10.	मैसर्स एण्ड हैरिस लि०

अब तक केवल एक भारतीय कम्पनी अर्थात् मैसर्स जर्मन रेमेडीज ने अनुमति पत्र जो विविधीकरण के अन्तर्गत उनके द्वारा लिए गए कार्यकलापों के बारे में उनको दिए गए सी० ओ० बी० लाइसेंस में सम्मिलित किया गया है के अन्तर्गत निर्माण के लिये मदों को ले लिया है ।

(ख) अपेक्षित सूचना 25-4-78 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 8118 के उत्तर में पहले ही प्रस्तुत की गई है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के कर्मचारियों की शिकायतें

9735. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में कोई समझौता न होने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस बारे में समझौते के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जून, 1977 से 29 अप्रैल, 1978 तक कुल 913 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 656 अभ्यावेदनों का निपटारा इसी अवधि में कर दिया गया था शेष 257 की जांच की जा रही है।

इन अभ्यावेदनों का निपटारा तेजी से किया जा सके, इसे सुनिश्चित करने के लिये दक्षिण पूर्व रेलवे पर अलग से एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गयी है वरिष्ठ वेतनमान

के अधिकारी के सीधे नियन्त्रण में एक स्पेशल सेल की व्यवस्था की गयी है जिसमें कर्मचारी पर्याप्त संख्या में रखे गये हैं।

सी० एफ० पी० के साथ ठेका करार

9736. **श्री चित्त बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस की फर्म सी० एफ० पी० के साथ ठेका करार के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच इस समय किस चरण में है; और

(ख) यह संभवतः कब तक पूरी हो जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) इसके बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी पूरी नहीं हुई । निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि जांच कब तक पूरी होगी, किन्तु जांच को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

कोयले का लाया ले जाया जाना

9737. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोयले के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत अधिक गिरावट आई है जिससे उन उद्योगों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है जो कोयले का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। 1977-78 के दौरान लगभग 840 लाख मीटरिक टन कोयले की ढुलाई की गयी, जो 1976-77 में की गयी ढुलाई से लगभग 18 लाख मीटरिक टन अधिक है । कोयला खानों की मांगों को पूरा करते हुए, दिसम्बर, 77 तक औसतन 9616 मालडिब्बों में प्रति दिन कोयले का लदान किया गया जनवरी, 1978 से मार्च, 1978 तक की अवधि के दौरान प्रतिदिन औसतन लगभग 10,000 मालडिब्बों में कोयले का लदान किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ROOMS PROVIDED TO CONDUCTORS IN TRAINS

9739. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether conductors are provided room for sitting and sleeping purposes in all mail express trains; and

(b) if not, the reasons therefor and if Government have any scheme for providing them such space the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) No separate seats for conductors are provided as they are required to move about and look after the convenience of all classes of passengers.

काकी नाडा उर्वरक परियोजना

9740. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा उर्वरक परियोजना पर स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय होगा और वह कब तक पूरी हो जायेगी ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० द्वारा काकीनाडा आन्ध्र प्रदेश में प्रतिदिन 900 टन अमोनिया और 1500 टन यूरिया की क्षमता से स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र के लिये प्रस्थापित विदेशी सहयोग करार को मंजूरी दे दी गई है और इस समय पार्टी के पास जो आशय पत्र है उसे औद्योगिक लाइसेंस में बदलने के लिये कार्यवाही की जा रही है । प्रायोजना की अनुमानित लागत 252 करोड़ रुपये है और यह आशा है कि वाणिज्यिक उत्पादन 42 महीनों में आरम्भ हो जायेगा।

अनुमति पत्रों का जारी किया जाना

9741. **श्री गौरी शंकर राय :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये एक विवरेण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुमति पत्र केवल उन्हीं फर्मों को जारी किये गये थे जिनके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र थे; क्या अनुमति पत्र जारी करने सम्बन्धी प्रस्तावों को लाइसेंस समिति के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था ; और

(ख) क्या उक्त अनुमति पत्र, उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम, के अधीन एक अधिसूचना के अन्तर्गत जारी किये गये थे; क्या विदेशी कंपनियों को जारी किये गये सभी अनुमति पत्रों पर कोई अधिनियम सीमा लागू की गई थी; यदि नहीं तो सरकार सांविधिक अधिनियम के किस उपबन्ध के अधीन इन अनुमति पत्रों को नियमित करना चाहती है जिन्हें हाथी समिति ने अवैध घोषित किया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना पहले ही लोक सभा अता० प्रश्न संख्या 8118 दिनांक 25-4-78 के उत्तर में दी गई है ।

मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान और वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा फार्मूलेशनों का निर्माण

9741. **श्री गौरी शंकर राय :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रिचर्डसन हिन्दुस्तान और वार्नर हिंदुस्तान द्वारा कौन-कौन से फार्मूलेशन बनाये जाते हैं ;

(ख) उनके द्वारा कौन-सी बल्क औषध बनाई जाती है और क्या वह प्रौद्योगिकी की दृष्टि से घटिया किस्म की होती है ;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा कितने प्रकार के फार्मूलेशन बिना औद्योगिक लाइसेंस या सरकार की स्वीकृति से बनाये जा रहें हैं ;

(घ) सरकारी ऐजेन्सियों के माध्यम से मंगाये गये कच्चे माल की इन्हें सप्लाई बन्द क्यों नहीं की जाती है ; और

(ङ) संसद द्वारा पारित अधिनियमों का उल्लंघन करने के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान और वार्नर हिन्दुस्तान लि० बड़ी संख्या में फार्मूलेशन का निर्माण करती है । इन कम्पनियों द्वारा निर्मित कुछ फार्मूलेशनों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं ।

(ख) मैसर्स वार्नर लि० तथा मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि० द्वारा निर्मित बल्क औषधों/मध्यावर्तियों के विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्रमांक	कम्पनी का नाम	कम्पनी द्वारा निर्मित बल्क औषध/ मध्यवर्ती
1	2	3
1.	वार्नर हिन्दुस्तान	1. पिकोलाइन्स 2. हैवी बेसिज 3. पाइराडाईन
2.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान	1. डिमेनथोलाइजड पिपरमिंट आयल 2. मेनथोल 3. थाईनोल

14 अप्रैल, 1978 को विदेशी कम्पनियों जिसमें मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि० और वार्नर हिन्दुस्तान लि० शामिल है, द्वारा निर्मित बल्क औषधों में से किस में उच्च तकनीक (प्रौद्योगिकी) है को पहचानने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है ।

(ग) और (घ) मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि० द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मान्य स्वीकृति से बिना कई फार्मूलेशन्स का निर्माण करने तथा ऐसे फार्मूलेशन्स के लिये सरणीबद्ध कच्चे माल की रिलीज़ करने सम्बन्धी स्थिति 2 मई, 1978 के लोक सभा अता० प्रश्न सं० 8802 के उत्तर में स्पष्ट की गई थी ।

मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि० द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के बिना किसी फार्मूलेशन के निर्माण का मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है । इस कम्पनी को सरणीबद्ध कच्चे माल के रिलीज़ को बिना किसी मान्य कारण से रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ङ) सरकार ने निर्णय लिया है कि नगर किसी कम्पनी ने लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक विस्तार किया हो अथवा विशिष्ट औद्योगिक लाइसेंसों अथवा अन्य किसी प्राधिकरण अथवा

किसी अन्य कानून में दी गई शर्तों का चाहे 1973-77 अथवा उससे पहले की अवधि के दौरान उल्लंघन किया हो, तो उस कम्पनी के विरुद्ध वही कार्यवाही की जाये जैसे उद्योग के अन्य क्षेत्रों की कम्पनियों द्वारा कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की व्यवस्था है।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	कम्पनी द्वारा निर्मित कुछ फार्मूलेशन्स के नाम
I.	वार्नर हिन्दुस्तान लि०	1. अग्रोल
		2. अग्रोल एम
		3. अनसोल
		4. गोस्किन लिंकटस
		5. ग्यूसिल गोलियां
		6. ग्लूस्लि तरल
		7. इसोकिन गोलियां तथा तरल
		8. हालस मनथो लाइपटस
		9. लिस्टरिन एन्टिसेपटिक लिक्विड
		10. मेनलेमिन
		11. न्यूट्रिफिल
		12. आक्जीकर
		13. पेरिट्रस
		14. प्रोलसिड
		15. रेडीपलेर
		16. स्लोएन बांम
		17. टेड्रलगोलियां
		18. टेड्रल गोलियां
		19. वाटरबरी विटामिन टानिक
		20. वाटरवरी कम्पाउन्ड
II.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०	1. क्लेरमिल मरहम
		2. मिल्टन एन्टीबेकटिरियल सोलूशन
		3. विक्स फार्मूला 44 तथा अन्य
		4. टोनस 7

औषध तथा भेषजीय क्षेत्र में वितरक के रूप में नियुक्ति

9743. श्री आर० के० अमीन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि औषध तथा भेषजीय में निर्माता को वितरक नियुक्त न किया जाये।

(ख) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० को किस प्राधिकार से वितरक नियुक्त किया गया था और क्या सच है कि इस कम्पनी द्वारा औषध के वितरण में की गई अनेक अनियमितताओं के ध्यान में आने के बाद सरकार ने उनसे वितरण का कार्य ले लिया है; और

(ग) इस कम्पनी द्वारा की गई अनियमिताएं जैसे अधिक मूल्य लेना आदि, क्या हैं और सरणीबद्ध बल्क औषधियों के वितरण से कुल बिक्री आय कितनी-हुई, आयातित औषधियों का वास्तविक प्रयोक्ता कौन है और गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा वितरित प्रत्येक सरणीबद्ध बल्क औषध का देश उत्पादन का वास्तविक मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) प्रपुंज औषधों के आयात और वितरण के लिये कैनिलाईजेशन योजना को सरकार द्वारा अप्रैल, 1970 में मंजूरी दी गई थी । इस मंजूरी के एक भाग के रूप में यह शर्त लगाई गई थी कि आई० डी० पी० एल० जैसे सरकारी क्षेत्र के निर्माण एककों के मामले में जो कि देश में ऐसी मदों के प्रमुख निर्माता हैं वितरण उन्हीं के द्वारा किया जायेगा उक्त आधार पर आई० डी० पी० एल० के० माध्यम से कुछ कैनिलाइज बल्क ड्रग्स का वितरण अभी हो रहा है ।

(ग) आई० डी०पी० एल० द्वारा अधिक मूल्य लिये जाने के बारे में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में नहीं आई है। गत तीन वर्षों के दौरान कैनिलाइज्ड बल्क ड्रग्स के वितरण में आई० डी०पी० एल० द्वारा की गई कुल वसूली से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रुपये करोड़ों में
1975-76	24.13
1976-77	29.48
1977-78	31.83 (अस्थाई)

गत तीन वर्षों के दौरान आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित प्रत्येक केनेलाइज्ड बल्क ड्रग्स के स्वदेशी मूल्यों के आंकडे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

आयात लाइसेंसों के ब्यौरे अर्थात् आयात कर्ता के नाम और पता आयात लाइसेंसिंग मूल्य माल का विवरण आदि नियमित रूप से वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेन इक्सपोर्ट लाइसेंस क्षेत्र के प्रकाशित होते हैं जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को सप्लाई की जाती हैं ।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित प्रत्येक कैनलाइज्ड बल्स ड्रग्स के स्वदेशी मूल्य

क्रम सं०	कैनेलाइज्ड बल्क ड्रग्स का नाम		स्वदेशी मूल्य (रु०/प्रति कि०ग्रा०)	
1.	अनलजीन		178.09	
2.	अमिडोपाईरीन		160.98	
3.	फेनोबारविटोन		260.92	
4.	टेट्रासाइकलीन	1975-76	850.00	
		1977-78	650.00	
5.	स्ट्रैप्टोपाइसीन	1975-76	343.00	
		1977-78	498.00	
		और		
		1977-78	98.08	
		और	449.71	
6.	विटामिन बी-1	1975-76	666.31	
		1976-77	666.31	प्लस 48.00 एम्पल ग्रेड
		1977-78		वही
		और	666.31	प्लस 51.00 मोनोनिट्रेट
7.	विटामिन बी-2	1975-76	1045.99	
		1976-77	1300.00	
		1977-78	वही	
8.	ग्राइसोफुलविन (1977-78 में कैनेलाइज्ड)	1977-78	4925.00	

औषध और भेषज के मामले में वितरण नियंत्रण

9744. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० पी० एल० को ग्रिस आफलेविन, मेट्रोनीडेजोल, थेलिथीजेओल का वितरण नियंत्रण किस प्रकार किया गया था और नीति के किन प्रावधानों के अन्तर्गत:

(ख) सरकार द्वारा अन्य निर्याताओं को इसी प्रकार की सुविधायें किन प्रावधानों के अन्तर्गत नामंजूर की गई थीं और इसका विस्तृत औचित्य क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, आई० डी० पी० एल० द्वारा इन औषधियों का उत्पादन और आयात कितना था और वितरण नियन्त्रण के अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादन के लिये आई० डी० पी० एल० को कितने मूल्य की अनुमति दी गई है?

पिट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :(क) और (ख) बल्क और औषधों के आयात और वितरण की परियोजना का सरकार द्वारा अप्रैल, 1977 में अनुमोदन किया गया था इस अनुमोदन में यह व्यवस्था की गई थी कि आई० डी० पी० एल० जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण यूनिट जो इन औषधों को देश में प्रमुख उत्पादक हैं वह इनका विवरण करेगा। ग्रीसोफुलविन मेट्रोनिडाइलीन फिथायलल सल्फाथिया जोल का वितरण आई० डी० पी० एल० की उपरोक्त नीति की परिसीमाओं में सौंपा गया था (पहली दो औषधों का 1977-78 में और तीसरी औषध का 1976-77)।

(ग) उपरोक्त तीन बल्क औषधों का आई० डी० पी० एल० द्वारा आयात निम्नप्रकार हैं :—

	उत्पादन किलोग्राम			आयात मी० टन		
	1975-76	1976-77	1977-78	1975-76	1976-77	1977-78
ग्रिसोफुलविन	135.00	136.15	397.56	—	—	15
मेट्रोनिडाजोल	80.00	42.00	300.00	—	32	20
फिथासायल सल्फाथियाजोल	—	—	27140.00	—	10	30

इन औषधों के लिए आई० डी० पी० एल० को स्वदेशी उत्पादन के लिए निम्नलिखित मूल्यों की स्वीकृति दी गई थी :—

1. ग्रिसीफुलविन	रुपये 4925 प्रति किलोग्राम	
2. मेट्रोनिडा जोल	वही 460	वही
3. फिथालयल सल्फाथियाजोल	वही 173	वही

विविधीकरण के उपबन्धों के अन्तर्गत मैसर्स संडोज

9745 श्री आर० के० अमीन० : क्या **पिट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 में मैसर्स सेंडोज ने विविधीकरण के उपबन्धों के अन्तर्गत कैलशियम सेनोसाइजड जैसी कुछ मदों के उत्पादन के लिये आवेदन पत्र दिया था, और यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है जिसके लिये कम्पनी ने सरकार को आवेदन पत्र दिया था और उनके अनुरोध की संक्षिप्त बातें क्या हैं;

(ख) क्या मंत्रालय के अनुसार विविधीकरण में उत्पादन शुरू करने सम्बन्धी अनुरोध डी० जी० डी० को किया जाना था और यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा यह अनुरोध किस के प्राधिकार से स्वीकार किया गया था; और

(ग) सरकार को घोषित नीति का उल्लंघन करते हुए उनके मंत्रालय द्वारा कितने अन्य मामलों में इसी प्रकार के अनुरोध स्वीकार किये गये थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मैसर्स सेंडोज (इंडिया) लि० को देश में उपलब्ध एक जड़ी बूटी पोडोफिल्म के सक्रिय तत्व के निर्माण के लिये अगस्त, 1963 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था ।

1966 में कम्पनी ने सरकार को सूचित किया था कि इस जडी बूटी के विकास दर को विचार में रखते हुए शीघ्रतम यह 1969 में संभव होगा कि कम्पनी यह अपनी खेती से प्राप्त करेगी जिसके लिये कि उसने एक फार्म लगाया था कम्पनी ने यह भी कहा था. कि पैतृक कम्पनी से और अधिक अनुसंधान के परिणाम प्राप्त होने के कारण वह प्लांट के मूल डिजाईन में कुछ संशोधन कर रही है। इस बीच कम्पनी ने बहु उद्देश्यों मशीनरी का आयात कर लिया था जिसे कि अन्य जडी बूटियों के निकालने तथा उनके संशोधन करने के लिये उपयोग किया जा सकता है।

सरकार ने कम्पनी को सूचित किया था कि इस बीच वह जंगलों में से इकट्ठे किये गये पौधों में से प्रपुंज तत्व का उत्पादन या अन्य फिटों रसायनों जिनके लिये उन्होंने फार्म खोला है का उत्पादन करें ।

सरकार का सुझाव स्वीकार करते हुए मैसर्स सैन्डोज ने जनवरी, 1967 में बताया कि वे अपने बहु उद्देश्यों मशीनरी में बिना कोई विस्तार किये अपने फार्म की जड़ी बूटियों में से निम्न मदों का उत्पादन कर सकते हैं :—

1. सोना के सक्रिय तत्व का उत्पादन।
2. वेलाडोना के सक्रिय तत्वों का उत्पादन (एट्रोपीन तथा हाईसीमीन) ।
3. संशिलिष्ट ओनाईट्रोफेनाल तथा पी नाईट्रोफनाल।
4. संशिलिष्ट ओ—मीनोफनाल ।
5. 8-हाईड्रोआक्सी क्वानोलीन कासंशिलेषण ।
6. 8-हाई आक्सीक्वीनालडीन का संशिलेषण ।

उन्होंने अनुरोध किया था कि यद्यपि वे प्रस्तावित मदों का उत्पादन विमुक्त (विविधकरण) नीति के अन्तर्गत कर सकते हैं परन्तु चूंकि उनके पास पहले ही जड़ी बूटियों पर आधारित पदार्थों के उत्पादन के लिये लाइसेंस है इसलिये इन मदों को उपरोक्त लाइसेंस में सम्मिलित किया जाये।

(ख) और (ग) जो कम्पनी विविधकरण नीति के अन्तर्गत किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहती है तो उसे इसके लिये आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नहीं थी और उसे डी० जी० टी० डी० को अपने संशोधित कार्यक्रम उत्पादन के प्रस्तावित 'नयी मद' तथा आवश्यक संतुलन उपकरणों का विवरण और मूल्य सम्बन्धी जानकारी देनी होती है। चूंकि विविधीकरण नीति की परिसीमाओं में कम्पनी इन पदार्थों का उत्पादन बिना किसी औपचारिक अनुमोदन के आरम्भ कर सकती थी इसलिये इन मदों का विद्यमान लाइसेंस

में सम्मिलित किया जाना सरकार की किसी नीति का उल्लंघन नहीं था क्यों कि सरकार इस बात से संतुष्ट थी कि सभी शर्तों पुरी की गई हैं।

त्रिमेथोपरिम का मूल्य और मैसर्स बुरोज वेलूकम का उत्पादन

9746. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिमेथोपरिम का आयात मूल्य क्या है और मैसर्स बुरोज बेल्कम के उत्पादन में प्रति किलोग्राम आयात तत्व कितना है;

(ख) इस कम्पनी के मूल्य किस आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये थे और जब देश में इन औषध के उत्पादन पर विदेशी मुद्रा की हानि हो रही थी तो बुरोज वेल्कम को अधिक मूल्य देने और इन्टरमीडियेट औषधियों के आयात की भी अनुमति देने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है इस कम्पनी ने इस औषध के उत्पादन में अधिक राशि के बीजक बनाने, तस्करी और अनेक अन्य उल्लंघन तथा अनियमिततायें बरती हैं। और यदि हां; तो सरकार इस स्थिति से किस प्रकार निपटेगी ; और

(घ) क्या यह सच कि त्रिमेथोपरिम के संभावित उत्पादन के अधिक मूल्य को संरक्षण देने के लिये सी० पी० सी० मूल्य की भारी राशि को जोड़ कर इसके लिये लगभग निर्धारित किया गया, 2,000/- रुपये का अधिक मूल्य सी० पी० सी० आई० एण्ट० ई० के फार्मूले के अनुसार है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सी० पी० सी० ने 566.42 रुपये प्रति किलो के भाड़े सहित मूल्य पर फाइब मेथोप्रीन के एक मीटरी टन के लिये जुलाई, 1977 में और 547.37 प्रति किलो के मूल्य पर दो मीटरी टनों के लिये नवम्बर, 1977 में सौदा पक्का किया था।

(2) मैसर्स बरोज वैलकम द्वारा फाइमेथोप्रीन के स्वदेशी उत्पादन में अक्तूबर, 1977 में प्रति किलो आयात अंश भाड़े सहित लागत 1067 रुपये बताया गया था।

(ख) (1) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यौरों द्वारा लागत एवं तकनीकी जांच के आधार पर स्वदेश में उत्पादन होने वाली टाइमेथाप्रीन औषध का मूल्य 4 जनवरी, 1978 को 2587 रु० प्रति किलो निर्धारित किया गया था । इस जांच के समय पर कम्पनियां इस औषध को उत्पादन पिछले मध्यवर्ती स्तर से कर रही थीं। परन्तु फरवरी, 1978 में कम्पनी ने सरकार को यह सूचना दी कि जब वह इस औषध का उत्पादन पहले स्तर से करेंगे, जैसी कि उसकी योजना है, तो इस औषध के उत्पादन का आयात अंश कम होकर 512.30 रुपये भाड़े सहित लागत हो जायेगा।

(2) आयात एवं निर्यात के मुख्य नियन्त्रक तथा डी० जी० टी० डी० से अनुरोध किया गया है कि वे इस कम्पनी को पिछले मध्यवर्ती पदार्थों जिन के लिये पहले स्वीकृति दी जाती थी, का आयात करने की स्वीकृति न दें।

(ग) रिपोर्ट मिली है कि मैसर्स वरोज वैंबकम ने इस औषध पर आधारित सूत्रयोगों का उत्पादन करने के लिये ट्राइमेथीप्रीन की कुछ मात्रा स्थानीय स्रोतों से खरीदी थी।

परन्तु उनके औद्योगिक लाइसेंस में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि सूत्रयोग उनके ट्राइमेथोप्रीन के अपने उत्पादन पर आधारित होंगे। इस कम्पनी द्वारा औद्योगिक लाइसस की इस शर्त के उल्लघन के मामले की औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विधि मंत्रालय की परामर्श से विस्तृत जांच की गई है। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन बनाये गये नियमों में औद्योगिक लाइसेंस में किसी विशेष शर्त लगाये जाने का उल्लघन इस समय उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत दण्डनीय नहीं है। ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार के उल्लघनों से निपटने के लिये अधिकार की व्यवस्था करने के लिये उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम की धाराओं में उचित संशोधन पर औद्योगिक विकास विभाग विचार कर रहा है।

(घ) सी० पी० सी० द्वारा आयातित ट्राइमेथोप्रीन के लिये आयात एवं निर्यात के महा नियन्त्रक के फार्मूले के आधार पर 1075.75 रुपये प्रति किलो का मूल्य निर्धारित किया गया है। आयातित मात्रा के मूल्यों को स्वदेशी उत्पादन के साथ पूल नहीं किया गया था और आयातित उत्पादन के लिये 2000 रुपये प्रति किलो का मूल्य निर्धारित किया गया था ताकि मैसर्स वरोज वैलकम के अतिरिक्त जो अन्य यूनिट यह औषध सी० पी० सी० से प्राप्त करते है वे उस कम्पनी का प्रभावी रूप से मुकाबला कर सकें। ट्राइमेथोप्रीन के लिये निर्धारित अधिक मूल्य के कारण जो अतिरिक्त राशि सी० पी० सी० के प्राप्त होती है, वह औषधों के मूल्यों के समजन में विचार में रखी जायेगी।

औषध फर्मों को कैनेलाइज्ड कच्चे माल रिलीज किया जाना

9747. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तमिलनाडु-धाघा, एब्बट, इथानोर और कुछ अन्य कम्पनियों को कैनेलाइज्ड कच्चे माल की रिलीज बन्द करने के क्या कारण थे।

(ख) इन कम्पनियों को कच्चे माल किस आधार पर रिलीज किया गया था, और

(ग) क्या यह सच है कि प्रायोजित करने वाले/सिफारिश करने वाले प्राधिकारी द्वारा कच्चे माल रिलीज/बन्द करने की सिफारिश की जाती है, यदि हां, तो प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की बजाए उनके मन्त्रालय द्वारा जारी किए जाने के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुछ कम्पनियों को सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों की सप्लाई की नियमित करने के बारे में की गई कार्रवाई की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :—

(1) तमिलनाडू डाडा फार्मस्यूटीकल्स लि०

1977-78 में सी० पी० सी० ने इस पार्टी द्वारा प्राप्त विभिन्न औद्योगिक स्वीकृतियों के आधार पर सारणीबद्ध कच्चे माल के लिए इस पार्टी की हकदारी के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे जिसके बारे में इस पार्टी से अतिरिक्त सूचना मांगनी पड़ी थी। सूचना के प्राप्त न होने और सूचना की जांच को ध्यान में रख कर सी० पी० सी० को सलाह दी गई थी कि सप्लाई को लंबित रखा जाए।

(2) अबोट लेंबोरेटरीज

इस फार्म को 1971 में सी०ओ० बी० लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि अन्य बातों के साथ साथ वे देश में प्रपुंज औषधों का निर्माण स्थापित करेंगे। चूंकि उन्होंने इस शर्त को पूरा करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था और इसके बावजूद उन्हें उनकी सूत्रयोगों की लाइसेंसकृत क्षमताओं से अधिक उत्पादन करते हुए पाया गया था इसलिए उनकी लाइसेंसकृत क्षमताओं के अनुसार पृथक पृथक सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों के लिए उनकी हकदारी तक उनकी सप्लाई को सीमित करने के लिए कार्रवाई की गई थी।

(3) वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड

इस कम्पनी के बारे में स्थिति 2-5-78 को लोक सभा, अ० प्र० स० 8802 के उत्तर में दर्शाई गई थी।

(4) मैसर्स इथनोर लि०

उन्हें फरवरी, 1973 में सरकार द्वारा घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत सी० ओ० बी० लाइसेंस लेना था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया था। बिना औद्योगिक लाइसेंस से कार्य करते हुए जब उन्हें पाया गया था तो जब तक उन्होंने अपेक्षित सी० ओ० बी० लाइसेंस नहीं लिया था तब तक उनकी सारणीबद्ध कच्चे माल/गैर-सारणीबद्ध कच्चे माल के आयात की सप्लाई बन्द की गई थी।

(5) मैसर्स इंडियन शैरिंग लि०

इस कम्पनी के फेरा आवेदन पत्र की आंशिक जांच के अनुसार यह पता लगा था कि वे सन्देहपूर्ण वैधता औद्योगिक स्वीकृति के आधार पर अपने उत्पादन कर रहे थे। अतः यथा जांच आदि अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से सारणी बद्ध कच्चे माल तथा उनके द्वारा अन्य गैर-सारणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई बन्द करने की कार्रवाई की गई है।

(6) मैसर्स स्मिथ क्लाईन एण्ड फ्रेंच

पता लगा है कि वे इसके सीलिन कैप्सूल्स का विपणन और निर्माण बिना वैध औद्योगिक लाइसेंस कर रहे हैं। मामले की जांच करने के बाद पिछले उत्पादन का नियमन किया गया था और सारणीबद्ध एजेंसियों को आदेश दिए गए थे कि फर्म को एम्पीसीलिन की सप्लाई बन्द की जाए ताकि चल रहे इन कैपसूलों के उत्पादन को रोका जाए। कम्पनी ने अब इस मद का उत्पादन बन्द कर दिया है।

(7) मैसर्स हो चेस्ट फार्मस्यूटीकल्स लि०

(1) टेट्रासाइकलिन : मैसर्स होचेस्ट फार्मेस्यूटीकल्स लि० ने होस्टासाइक्लिन ड्राइ सिरप, जिसमें टेट्रासाइक्लिन एक मुख्य अंश है के उत्पादन के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया था। आरम्भ में उन्होंने विविधीकरण की योजना के अन्तर्गत इस सूत्रयोग का उत्पादन आरम्भ किया था। तथापि उनका सी० ओ० बी० आवेदन-पत्र इस आधार पर रद्द किया गया था कि देश में उसकी आवश्यकताएं आंशिक रूप से आयातों द्वारा अभी आंशिक रूप में देशी उत्पादन द्वारा पूरी की जाती हैं। इस निर्णय के कारण पार्टी से कहा

गया था कि इस मद के निर्माण को बन्द करे और उसके साथ साथ आई० डी० पी० एल० को आदेश दिए गए थे कि जहां तक इस विशेष मद के निर्माण की आवश्यकता का सम्बन्ध है टेट्रासाइक्लिन की सप्लाई बन्द कर दें।

2. **प्रेडनीसोलोन** 1977-78 के दौरान प्रेडनीसोलोन की सी० पी० सी० द्वारा सप्लाई न करने के बारे में इस कम्पनी द्वारा अभ्यावेदन पर सी० पी० सी० को आदेश दिए गए थे कि इस औषध पर आधार सूत्रयोगों के लिए उनकी लाइसेंसकृत क्षमताओं की हकदारी तक उनको इस औषध की सप्लाई की जाए। बाद में पता था कि इस कम्पनी ने **मैसर्स** वीथस लैबोरेटरीज से भी प्रेडनीसोलन की सीधी खरीद की थी। पूरी नीति के सन्दर्भ में कि डी० जी० टी० डी० एककों को वर्ष, 1976–77 में की गई सप्लाई तक 1977-78 में भी सारणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई की जाए, परन्तु पार्टी ने इस औषध के अधिक आवेदन के लिए अभ्यावेदन दिया था। अभ्यावेदन की जांच करने के बाद पार्टी को स्वीकृति दी गई थी।

(ग) मन्त्रालय ने ऐसे उल्लघनों पर कार्रवाई करने में अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे उचित और न्यायसंगत कदम उठाए थे।

वितरण नियंत्रण के अन्तर्गत वल्क औषधियाँ

9748. **श्री सुरेन्द्र चिक्रम:** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कैनेलाइज्ड बल्क औषधियों के नाम क्या हैं जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न निर्माताओं द्वारा उत्पादन किया गया था और उस उत्पादन का नाम क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितनी बल्क औषधि वितरण नियंत्रण के अन्तर्गत रखी गई थी और इनमें से कितनी इस नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं रखी गई थी;

(ग) इस औषधियों के कितने मामलों में पूल किया गया और पूल मूल्य निर्धारित किए गए थे ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें पूल मूल्य निर्धारित नहीं किए गए थे और ऐसी बल्क औषधियों का कितना आयात किया गया;

(घ) किसके प्राधिकार से कुछ मामलों ने पूल मूल्य निर्धारित नहीं किए गए थे और अन्य मामलों में ऐसा नहीं किया गया था, और

(ङ) कैनालाइज्ड वल्क औषधियों के स्वदेशी उत्पादन पर वितरण नियंत्रण के बारे में कानूनी स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आयात के लिए सारणीवद्ध की गई बल्क औषधों का 1975, 1976 और 1977 में स्वदेशी उत्पादन संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(ख) और (ग) : गत तीन वर्षों में सारणीबद्ध औषधों के स्वदेशी उत्पादन के वितरण पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति 2-5-1978 को लोक सभा में पूछे

गए अता० प्रश्न संख्या 8669 के उत्तर में दी गई है। जहां तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध है उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 की धारा 18 जी के अन्तर्गत सरकार किसी वस्तु या वस्तुओं के एक वर्ग जोकि किसी अनुसूचित उद्योग के सम्बन्ध रखते हैं कि विवरण सप्लाई व्यापार के लिए आदेश जारी कर सकती है यदि बराबर वितरण तथा इन वस्तुओं की उचित मूल्यों पर उपलब्धता के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा जाए।

(ग) निम्नलिखित सारणीबद्ध बल्क औषधों के लिए पूल्ड मूल्य निर्धारित किए गए हैं :—

1. उमीडोपिन
2. क्लोरोमफेनीकल
3. मेट्रोनीडाजोल
4. विटामिन बी 1
5. विटामिन बी 2
6. स्ट्रेपटोमाइलीन

जिन सारणीबद्ध बल्क औषधों के लिए पूल्ड मूल्य निर्धारित नहीं किए गए थे उनके नाम तथा 1975–76 और 1976–77 के दौरान उनका देश में कुल आयात नीचे दिया गया :–

		आंकड़े मी टनों में
1. एम्पीसीलिन . . .	16.6	37.5
2. इरीथ्रोमाइसीन	16.2	17.2
3. पिप्राजीन साल्टस	70.2	90.0
4. टेट्रासाइक्लीन	77.85	51.45
5. विटामिन डी 3 (डी)	1,15,400 एम० यू०	20,86,430 एम० यू०
6. ट्रिमैथोफिम	7	1.2
7. सेल्फेमेथोक्सीजोल	6.6	8.92
8. इण्डामीथेसिन	055	3.4

(घ) पूल्ड मूल्य औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 की धाराओं के अन्तर्गत निर्धारित किए जाने हैं। सामान्यता किसी सारणीबद्ध औषध के पूल्ड मूल्य उस औषध का देश में मूल्य स्तर से उत्पादन स्थिर होने के बाद ही किए जाते हैं।

विवरण

आंकड़े मी० टनों में

क्रमांक	मदों का नाम	निर्माताओं के नाम	1975	1976	1977
1	2	3	4	5	6
1.	पिप्राजीन	आई० डी० पी० एल०	89.5	117.6	13.8
2.	रेवाफ्लेविन (विटामिन बी-2)	वही	4.7	6.7	53.2
3.	स्ट्रेपटोमाइसिन सल्फेट	वही	45.5	54.3	53.2
		एच० ए० एल०	60.8	83.7	82.7
		सायनवायेटिक	78.2	82.4	72.9
		एलेम्बिक	6.6	3.3	शून्य
4.	सल्फामैथोक्साजोल	रोश	5.0	15.8	14.2
		आई० डी० पी० एल०	66.7	86.68	81.44
		फाइजर	2.1	3.9	1.8
		सीनामाइड	21.14	17.8	19.8
		सायनवायोटि कस	22.5	18.9	37.14
5.	टेट्रासाइक्लीन और उसके लवण	आई० डी० पी० एल०			
5.	थिओनेमोननीट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड	(विय-बी०- 1)	25.9	22.5	33.1
7.	ट्रीमेथोप्रीम	बरोज वेलकम	3.6	4.7	7.99
		जर्मन रेमिडीज	—	—	0.6
		सी०आई०पी०एल०ए०	—	—	8.02
8.	विटामिन डी-3	डफर इटरफेन	35.6	86.48	1.56
9.	मेट्रोनिडालूरेल	मे० एण्ड बेकर	1.2	3.1	7.2
		आई० डी० पी० एल०	—	0.3	शून्य
		सीपला	—	0.2	0.89
		यूनीकेम	—	—	0.7
		यूनीलायडस	—	—	1.8 अनुमानित
10.	अमिनोपाइरीन	आई० डी० पी० एल०	6.5	शून्य	7.3
11.	एम्पीसीलिन	एच० ए० एल०	—	0.5	0.47
		रेनवेक्सी	—	—	0.45

12. क्लोरेम्फेनीकाल	बोहरिगर नाल	30.4	34.7	41.46
	डे० से० केम	7.0	31.1	18.47
	पार्क डेविस	22.9	27.4	30.65
13. क्लोरोक्विन और इसके लवण	बेयर इंडिया	15.0	24.2	27.1
	सूनिता	3.2	12.2	6.3
	बंगाल इम्यूनिटी	1.4	0.2	—
14. इरीथोमाइसीन	अलेम्बिक	9.1	7.0	16.5
	थेमिस	—	—	14.8

एल० बेस का मूल्य

9749. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977–78 के दौरान सरकार द्वारा एल० बेस के लिए बढ़े हुए मूल्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) सी० पी० सी० के पास एल० बेस की स्टाक स्थिति क्या है और वे इसे किस मूल्य पर बेच रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान मूल्य की तुलना में सी० पी० सी० आयातित एल० बेस के मूल्य अधिक हैं, यदि हां, तो किए गए आयात, लागत बीमा भाड़ा मूल्य सी० पी० सी० के अन्य वास्तविक प्रयोक्ताओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में उद्धृत किए गए मूल्य क्या हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एल० बेस का मूल्य 650 रुपये प्रति कि० ग्रा० निर्धारित किया गया था जबकि 422 रुपये प्रति कि० ग्रा० 19 अगस्त 1977 को सी० पी० आई० एण्ड ई० फार्मूलों के अनुसार तैयार किया गया था ताकि एल० वेस को क्लोरमफेनीकोल में परिवर्तन करने में सम्बन्धित एककों के लिए लाभ केवल उचित मात्रा तक सुनिश्चित कराया जाए।

(ख) एल० बेस के 49.5 मी० टन का स्टाक सीपीसी के पास पड़ा है। 5 अप्रैल से रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा 650 रुपये प्रति कि० ग्राम का मूल्य वापस लेने के परिणामस्वरूप एल० वेस के मूल्य में उचित पुनः निर्धारण के लिए सी पी सी द्वारा प्रस्ताव सी पी आई एण्ड ई० के परामर्श से विचाराधीन बताया जाता है मूल्य के पुनः निर्धारण के बाद सी पी सी के पास उपलब्ध अपने स्टाक को बेच देगी।

(ग) 1. सी पी सी द्वारा आयातित एल० बेस की मात्रा के ब्यौरे और गत तीन वर्षों के लिए उनके मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

सप्लाई कर्ता	मात्रा एन०टी	सी० आई० एफ० मूल्य रुपये/ कि० ग्रा०
1975–76		
1. डेनमार्क	5.00	224.61
2. मंडी मपेक्स हंगरी	6.250	295.25
3. डेनमार्क	3.000	272.54
4. लेपरिट इटलल	12.500	257.79
1976-77		
1. मंडी मपेक्स हंगरी	10.000	234.00
2. –वही–	20.000	217.50
3. लेपेटिट इटली	15.000	212.95
4. कारलोइरबा	7.500	265.95
5. लेपेटिट इटली	7.500	266.19
1977-78		
1. मंडीम्पेक्स	10.000	348.00 (सी० एण्ड एफ०)
हंगरी	15.000	330.00 (सी० एण्ड एफ०)
2. लेपेटिट इटली	50.000	यू० एस० डालर 35.5 सी० आई० एफ०

2. मार्च 1978 के अन्त तक निजी पार्टियों ने जिस मूल्यों पर बेस का आयात किया है के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

3. यह बताया गया है कि किसी भी विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में नियमित आधार पर एल बेस के मूल्य कोट नहीं किए गए हैं।

COMPLAINTS AGAINST U.P. BREWERIES

950. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the reasons for not conducting an enquiry into the serious bungling in U.P. Breweries Private Limited, Kalkaji, New Delhi, so far in spite of many written complaints;

(b) whether Government have invested lakhs of rupees in the said Breweries and if so, the reasons for its not starting production so far; and

(c) whether Government will seal all the documents immediately and get a judicial enquiry conducted in the public interests and in the interest of justice ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) An inspection under section 209A of the Companies Act, 1956 of the books of account and other records of the company was ordered and conducted after receipt of the complaints. After reviewing the material brought out in the inspection report, a reference was made to CBI to cause an inquiry into the affairs of the company. After examining the matter, CBI has expressed the view that no probe is required by them.

(b) A Statement is attached.

(c) There is no such proposal under consideration now. However the Department of Company Affairs will examine whether any action can be taken under the Companies Act, 1956 on the basis of material brought out in the inspection report.

STATEMENT

The Government have not invested anything in the share capital of the company. As per Balance Sheet of the company for the year ended 31-3-1977 it is seen that the company has obtained the following secured loans from the financial institutions/nationalised banks etc.

(i) U. P. Financial Corporation	Rs. 14.76 lakhs
(ii) U. P. State Industrial Corporation	Rs. 2.02 lakhs
(iii) National Small Industrial Corporation	Rs. 2.75 lakhs
(iv) Punjab National Bank	Rs. 0.69 lakhs
Total	Rs. 20.22 lakhs

In the Directors Report dated 7th September 1977 on the company's accounts made upto 31-3-1977 following has been stated, which appears to be reasons for not starting production so far :

> "As you all know that due to change of Government in the Country prohibition policy is again under consideration and it is not very much clear what will be the future of Beer Industry in this Country. Considering the present situation it becomes very necessary to give a thought for second alternative also.
> Efforts are being made to persuade the authorities to give clearance at an early date. NSIC has also promised us to import the machinery in a very near future. It has therefore, been decided by the Board of Directors to start the production of some basic chemicals and also of petroleum products at the same premises as additional items. It is also decided to approach the UPFC for additional loan for this purpose".

INTRODUCTION OF MEWAR EXPRESS

†9751. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a new train 'Mewar Express' has been introduced from 1st April, 1978 between Udaipur and Ahmedabad;

(b) the time taken by the Mewar Express and Mewar Passenger in reaching Ahmedabad from Udaipur;

(c) whether the passengers travelling by this train are charged extra fare besides express train fare; and

(d) if so, whether Government propose to withdraw this additional charge ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) 43 Up/44 Dn Udaipur City-Ahmedabad Express covers the journey in 10 hours 25 minutes and 9 hours and 35 minutes respectively, whereas 85 Up/86 Dn Chittaurgarh-Ahmedabad Mewar Passenger covers the journey between Ahmedabad and Udaipur City in 11 hours 50 minutes and 10 hours 48 minutes respectively.

(c) Yes, because the fares on Udaipur-Himmat Nagar Section are realised after inflating the distance for charge.

(d) No.

बम्बई हाई के विकास के लिये पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों से ऋण

9752. **श्री भानु कुमार शास्त्री**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम निर्यातकर्त्ता देशों का संगठन बम्बई हाई विकास के लिये ऋण देने को सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं और कितनी राशि प्राप्त होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) ओ० पी० ई० सी० विशेष कोश ने न्हावा होते हुए गावहान से ट्राम्बे तक लगभग 10 कि० मी० की तीन समानान्तर पाइपलाइनों के सामान और सेवाओं में खर्च के लिए 140 लाख अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा का कर्ज देने का निश्चय किया है । 4 वर्ष के ऋण अस्थगन सहित कर्ज 20 वर्ष के लिए है जो ब्याजमुक्त है लेकिन लिए गए ऋण पर और बाकी पर .75 प्रतिशत प्रतिवर्ष सेवा प्रभार होंगे ।

राजस्थान में खोले जाने वाले सीमेंट कारखानों के लिये सीमेंट की ढुलाई

9753. **श्री भानु कुमार शास्त्री**: क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने राजस्थान में खोले जाने वाले सीमेन्ट कारखानों के लिये सीमेन्ट की ढुलाई करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ; और

(ख) इस असमर्थता के क्या मुख्य कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) राजस्थान के मीटर लाइन क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले नये सीमेन्ट कारखानों को कच्चा माल (कोयले सहित) पहुंचाने और कारखानों से सीमेंट का परिवहन संभालने के संबंध में रेलों ने प्रारम्भ में अपनी असमर्थता प्रकट की थी क्योंकि अहमदाबाद दिल्ली मीटर लाइन पर लाइन क्षमता संतृप्ति की स्थिति तक पहुंच चुकी है और यानान्तरण संबंधी कठिनाईयां भी है। लेकिन सीमेंट उत्पादन बढ़ाने की परमाश्यकता को देखते हुए हाल ही में हुई अन्तर्मंत्रालय बैठक में इस मामले पर फिर से विचार किया और रेलें अपेक्षित लाइन क्षमता और परिसम्पत्तियों का सृजन करने के लिए सहमत हो गयी हैं ताकि राजस्थान के चार नये कारखानों की आवश्यकताएं, संचलन की विशिष्ट प्रणाली के अन्तर्गत पूरी हो सकें ।

कोचिंग ट्रेनस की सुरक्षा की दृष्टि से जांच

9754. **श्री दिलीप चक्रवर्ती**; क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कैरिज स्टाफ द्वारा जिन कोचिंग रेलगाड़ियों की जांच की

जाती है गत 25 वर्षों में उनकी संख्या में 100 प्रतिशत वृद्धि हो गई है परन्तु कर्मचारियों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई ;

(ख) यदि हां, तो स्टाफ द्वारा सुरक्षा जांच सुनिश्चित कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ; और

(ग) क्या वाल्टेयर मार्शलिंग यार्ड में माल गाड़ियों की जांच के लिये कैरिज स्टाफ पूरी संख्या में उपलब्ध हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं । कर्मचारियों के लिए प्रत्येक रेलवे के अपने मानदण्ड होते हैं और अतिरिक्त कार्यभार के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारी लिये जाते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां। वाल्तेरु विन्यास यार्ड में माल गाड़ियों की जांच-पड़ताल के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में की गयी है ।

हावड़ा अमता रेलवे

9755. श्री दिलीप चक्रवर्ती
श्री रोबिन सेन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा—अमता रेल लाइन के निर्माण के लिये उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि परियोजना का 10 प्रतिशत कार्य पूरा करने के लिये भी अपर्याप्त है,

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ग) क्या उक्त निर्माण कार्य के लिये अतिरिक्त राशि नियत करने के लिये कोई प्रयास किये जा रहे हैं ताकि कार्य तीन वर्ष की रिकार्ड अवधि में पूरा हो सके, और

(घ) क्या संस्थापन व्यय बहुत अधिक है और परियोजना कार्य के अनुपात में नहीं है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में, इस परियोजना के लिए 40 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है । अनुमान है कि इस परियोजना पर 10.72 करोड़ रुपये की लागत आयेगी जिसमें से 90 लाख रुपये की राशि मार्च, 1978 के अन्त तक खर्च की जा चुकी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी इस लाइन के पहले 20 किलोमीटर अर्थात् बड़गाछिया तक निर्माण के काम को सीमित रखा जा रहा है ताकि लाइन के इस खंड पर जो बहुत ही धनी आबादी के क्षेत्र की सेवा करेगा, जल्दी ही खोल दिया जा सके । नयी रेल लाइनों के निर्माण के लिए, अधिक धनराशि के नियतन में यदि हम सफल हो गये तो बाकी के खंड पर भी काम शुरू कर दिया जायेगा ।

रेलगाड़ियों के लिए डीजल इंजन

9756. **श्री दिलीप चक्रवर्ती**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में वाल्टेयर तथा बोंडामुण्डा डीजल इंजन शैड में बहुत बड़ी संख्या में डीजल इंजन है जो माल तथा यात्री दोनों प्रकार की रेलगाड़ियों के लिये प्रयोग किये जाते हैं ;

(ख) क्या इन डीजल इंजनों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ।

(ग) क्या टाटा और भिलाई में बिजली चालित इंजनों के शैड में बिजली से चलने वाले इंजन बहुत बड़ी संख्या में है जो यात्री तथा वस्तुयें लाने में ले जाने की दोनों सेवाओं के लिये प्रयोग किये जाते हैं; और

(घ) क्या बिजली के इन इंजनों की मरम्मत और रखरखाव के लिये पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त किये जाते है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

अगले उच्च वेतनमान में स्वतः पदोन्नति

9757. श्री दिलीप चक्रवर्ती: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पदोन्नति के अवसर न होने के कारण भारी संख्या में कर्मचारी अपने वेतनमान के अधिकतम वेतन पर रुके हुये हैं ।

(ख) क्या सरकार किसी विशेष पद पर 10 वर्ष कार्य कर चुकने पर अगले उच्च वेतनमान में स्वतः पदोन्नति करने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या प्रश्न के भाग (ख) के विकल्प स्वरूप सरकार दो वेतनमानों का एक वेतनमान के रूप में विलय करने पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारी संयुक्त वेतनमान के ऊँचे चरण में वेतन ले सकें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हाँ, लेकिन यह संख्या अधिक नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए, इन कोटियों की बहुत बड़ी संख्या में दो वेतनमान पहले ही एक वेतनमान में मिला दिए गये हैं ताकि कर्मचारी उसी वेतनमान में ऊंची दर पर वेतन पा सकें ।

स्वास्थ्य संबंधी सावधानी

9758. श्री डी० डी० देसाई: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न स्टेशनों पर स्टालों से सप्लाई किये जाने वाले स्नैक्स तथा पेयों पर स्वास्थ्य संबंधी उचित सावधानी रखी जाती है ।

(ख) यदि हां, तो रेलवे में स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखने वाले कुल कितने कर्मचारी हैं तथा जलपान सप्लाई करने वालों के विरुद्ध उन्होंने कितने मुकदमें चलाये है ;

(ग) क्या खान-पान का सामान बेचने वालों द्वारा सप्लाई की जाने वाली चाय, काफी तथा फलों की किस्म के बारे में भी कोई निगरानी रखी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों में स्वास्थ्य की जांच करने वाले कर्मचारियों की संख्या 524 है और परीक्षण के लिए भेजे गये 3165 नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर जुलाई, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि में 58 पर मुकदमे चलाये गये ।

(ग) चाय और काफी की किस्म के संबंध में जांच पड़ताल की जाती है । सब्जियों, फलों आदि के संबंध में ताजगी और उसकी किस्म के बारे में जांच-पड़ताल की जाती है । लेकिन, सब्जियों आदि के संबंध में खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम के अन्तर्गत कोई मान-दंड निर्धारित नहीं किया गया है ।

विदेशों में भारतीय इंजीनियरों की सेवाएं

9759. श्री डी० वी० चन्द्रगौडा: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने अपने देशों में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के लिए भारत से भारतीय इंजीनियरों और तकनीशनों की सेवाएं मांगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी ?

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां पर इस समय भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) किसी भी देश ने अपने देश में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के लिए भारत से भारतीय इंजीनियरों और तकनीशनों की सेवाएं नहीं मांगी हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में रेलवे लाईन

9760. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में 15 अगस्त, 1947 से कितनी नई रेल लाइनें बिछाई गयीं ;

(ख) क्या लुधियाना और चंडीगढ़ के बीच नई रेल लाइन के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया था ;

(ग) क्या मोगा और भटिंडा के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पांच ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भटिंडा में जनता एक्सप्रैस के पहुंचने का समय

9761. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि फिरोजपुर-दिल्ली-बिम्बई के बीच चलने वाली जनता एक्स-प्रेस भटिंडा जंकशन पर प्रात: 8 बजकर 8 मिनट पर पहुंचा करती थी जबकि गंगा नगर-भटिंडा (377 डाऊन) रेलगाड़ी प्रात: 8 बजकर 10 मिनट पर पहुंचती थी और इस प्रकार दो मिनट का अन्तर जनता एक्सप्रेस पकड़ने वाले सैकड़ों याड़ियों को इससे वंचित रख देती है ;

(ख) क्या अभोर, मालोत गिद्दाबाहें के लोगों ने इस बारे में अभ्यावेदन दिये हैं और समय सारिणी अधिकारियों ने जनता एक्सप्रेस को 10 या 15 मिनट बाद के चलाने के स्थान पर इसके चलने का समय 16 मिनट और पहले कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1-4-1978 से पूर्व 24 डाउन फिरोजपुर बम्बई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस भटिंडा से 8.08 बजे छूटती थी और 344 डाउन (न कि 377 डाउन) श्री गंगानगर-दिल्ली सवारी भटिंडा 08.10 बजे पहुंचती थी।

(ख) और (ग) लगातार मांग को देखते हुए, 24 डाउन जनता एक्सप्रेस 1-4-1978 से अब और भी पहले 6.57 बजे भटिंडा से छूटती है जिससे यात्री दिल्ली पहले पहुंच जाएं जहां अब यह गाड़ी 11.55 बजे पहुंच जाती है जबकि 1-4-1978 से पहले 13.15 बजे पहुंचती थी ।

कुछ डीजल और कोयला रेल गाड़ी सेवा को दिल्ली से बदलने की योजना

9762. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय की कोई ऐसी योजना है कि दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से जम्मू और दिल्ली से लुधियाना और जालंधर लाइनों पर डीजल और कोयले से चलने वाले इंजनों के बजाय बिजली से चलने वाले इंजन लगाये जायें ;

(ख) यदि हां, तो बिजली के इंजन चलाये जाने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय इन खंडों पर यातायात का घनत्व अधिक नहीं है, और न ही निकट भविष्य में अधिक होगा, अतः अभी इन खंडों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बल्क औषधियों के मूल्य

9763. श्री चन्दन सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उवरक** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ चुनी हुई बल्क औषधियों का अध्ययन किया गया है जिनमें मूल्य आन्तरिक घोषित किये गये हैं और घोषित मूल्य लागत बीमा भाड़ा मूल्य विभिन्नता क्या है ;

(ख) ऐसे दस मामलों का ब्यौरा क्या है जहां बल्क औषधियों के घोषित मूल्यों उन घोषित मूल्यों के मामले में भी उस प्रकार का स्वीकार नहीं किया गया है ;

(ग) 240 बल्क कच्चे मालों के ओ० जी० एल० में होते हुए 19 बल्क औषधियों का सरकारी एजेन्सी के माध्यम से आयात करने के क्या औचित्य है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात के कारण बेचारों उपभोक्ताओं के लिये फार्म्युलेशनों का मूल्य 20 प्रतिशत से 98 प्रतिशत बढ़ गया है ; और

(ड) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या हैं आयात की गई बल्क औषधियां कौन-कौन सी है लागत बीमा-भाड़ा मूल्य लदान लागत फार्म्युलेशनों का विक्रय मूल्य यदि कुछ वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा उत्पादन किया गया हो बल्क औषधियों की लदाई के कारण आयात एवं उपभोक्ता मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां । कुछ चुनी हुई प्रपुंज औषधों के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया गया था जहां कम्पनियों ने स्वदेशी उत्पादन के लिये मूल्यों की घोषणा की थी जो अब औद्योगिक लागत एवं मूल ब्यौरों द्वारा आवश्यक लागत अध्ययन के बाद निर्धारित किये गये हैं । इन औषधों के घोषित मूल्य निर्धारित मूल्य सी० आई० एफ० मूल्य तथा मूल्य में अन्तर नीचे दिया गया है ;

कम्पनी का नाम	औषध का नाम	घोषित मूल्य	अनुमोदित मूल्य	सी० आई० एफ०	अन्तर
1	2	3	4	5	6
वूट्स	डाइलोसामाईड	666.67 (1975)	450.00	224.75	225.25
हेक्सट	फूराडीन	2913.00 (1976)	1703.00 (कैपटिव) 174100 (सेल)	642.41	1098.59
वंरोज वैल्कम	ट्राईमेथेप्रिन	5950.00 (1976)	2587.00	561.34	2025.66

(ख) जिन प्रपुंज औषधों के घोषित मूल्य स्वीकार नहीं किये गये थे उनके नाम संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं ।

(ग) चालू आयात व्यापार नीति में सरणीबद्ध औषधों की सूची के अतिरिक्त तीन अन्य सूचियां हैं यानी निर्बन्धित सूची पूर्णत: निर्बन्धित सूची तथा प्रतिबन्धित सूची । जो औषधों इन सूचियों में से किसी में भी नहीं दी गई हैं वे सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की जा सकती है । देश में एक प्रपुंज औषध के विकास के स्तर को भविष्य में विस्तार/ प्रपुंज औषध के उत्पादन आरम्भ होने को ध्यान में रखते हुए प्रपुंज औषधों को इन सूचियों में से एक में रखा गया है । चालू आयात नीति में 18 प्रपुंज औषधों को सरणीवद्ध सूची रखी गयी है क्योंकि इन औषधों में आत्म निर्भरता अभी प्राप्त की जानी है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, परन्तु यह संभव है कि किसी वास्तविक उपभोक्ता द्वारा कुछ सरणीवद्ध औषधों का सरणीवद्ध एजन्सीयों के मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर आयात किया गया है क्योंकि सितम्बर, 1977 से पहले वे आर० ई० पी० लाईसेंस के आधार पर इनका अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय आयात करने के अधिकारी थे परन्तु सरणीवद्ध एजन्सियां सदा ऐसा नहीं कर सकती है । ऐसे उदाहरण हैं जहां सरणीवद्ध के बाद प्रपुंज औषधों के मूल्य भूतपूर्व में वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा अपनी फार्मूलेशन के लिए बताये गये आयात मूल्यों के तुलना में कम हुए हैं ।

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये है :—

औषध का नाम	सरणीवद्ध होने से फार्मूलेशन के लिए पहले/बताया गया/दिया गया मूल्य	सरणीवद्ध मूल्य
जेन्आमाइसीन	83/ग्राम से 120/ग्राम	62.21/ ग्राम
ट्राइमेथेप्रिम	1051/ किलो से 3707/किलो	2000/किलो
सल्फामेथेक्सोल	480/किलो	400/किलो
फ्रीमाईड	2722.50/किलो	1741/टिलो (यूलड)
प्रेनीलामीन लेक्टैट	3434/किवो	955/किलो

सरणीबन्धन के पश्चात आयात मूल्य में कमी का लाभ फार्मूलेशन के मूल्यों कोई उचित रूप से कम कर उपभोक्ताओं को दिया जाता है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	औषध का नाम	इकाई	घोषित मूल्य रुपये	स्वीकृत /अनुमोदित मूल्य	अनुमोदन करने का आधार
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स बूट्स	आलोक्सा-माईड फूरोएट	के० जी०	666.67	450.00	लागत अध्ययन

1	2	3	4	5	6	7
2.	मैसर्स हैचर	फ्रूसेमाईड	वही	2913.00	1703.00 (सी०) 1741.00 (एस०)	लागत तथा तकनीकी अध्ययन।
3.	मैसर्स रोश	सल्फामैथोक्सा जोल	वही	1130.00	517.00	ड्राईमैथोप्रिम के मूल्य की दृष्टि में रखते हुए।
4.	मैसर्स वरो वैलकम	ट्राइमैथोप्रिम	वही	5950.00	2587.00	लागत एवं तकनीकी अध्ययन
5.	मैसर्स सर्ले (इंडिया) लिमिटेड	क्लोफैनिरे माईन मेलियेट	वही	1350.00	1133.00	मैसर्स जोफ़े मैनर्ज द्वारा फार्मुलेशन एप्लीकेशन के लिए लिया गया मूल्य।
6.	मैसर्स सर्ले (इंडिया) लिमिटेड	फैनिरेमाईन मेलियेट	वही	900.00	809.00	मैसर्स हैचर द्वारा 1970 में घोषित किए गए मूल्य।
7.	मैसर्स इं० मर्क	रुटिन (वाटर सोलूबल)	वही	2200.00	1935.00	लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के आधार पर।
8.	मैसर्स ग्लेक्सो	एबसार्बड डाफेरिया एण्ड टेटनस वैक्सीन	लिटर	700.00	400.00	चोगुले के लिए दो येक्साइड्स के लिए अलग-अलग अनुमोदित किए गए मूल्य को दृष्टि में रखते हुए।
9.	मैसर्स फ्रैंको इंडिया	ट्रोइकोलीन साइट्रेट	के० जी०	100.00	42.00	संक्षिप्त प्रश्नमाला में प्राप्त सूचना के आधार पर।
10.	मैसर्स एलबर्ट डेविड	आयोडोक्लो-रोहाईड्रोक्सि-क्विनोलिन	वही	171.93	134.00	वेतमान अधिसूचित मूल्य इस कम्पनी के लिए भी निर्धारित किए गए थे।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	औषध का नाम	इकाई	घोषित मूल्य रुपये	स्वीकृत/अनुमोदित मूल्य	अनुमोदन करने का आधार
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स बूटस .	अलोक्सामाइड फूरोएट	के० जी०	666.67	450.00	लागत का अध्ययन
2.	मैसर्स हैचर	फ्रूसेमाईड	वही	2913.00	1703.00 (सी०) 1741.00 (एस०)	लागत तथा तकनीकी अध्ययन।
3.	मैसर्स रोश .	सल्फामैथोक्साजोल	वही	1130.00	517.00	ट्राईमैथोप्रिम के मूल्य को दृष्टि में रखते हुए।
4.	मैसर्स बरोबैलकम	ट्राइमैथोप्रिम	वही	5950.00	2587.00	लागत एवं तकनीकी अध्ययन।
5.	मैसर्स सर्ले (इण्डिया) लिमिटेड	क्लोफैनिरेमाईन मेलियेट	वही	1350.00	1133.00	मैसर्स जौफ्रे मैनर्ज द्वारा फार्मूलेशन एपलीकेशन के लिये लिया गया मूल्य।
6.	मैसर्स सर्ले (इण्डिया) लिमिटेड	फैनिरेमाइन मैनियेट	वही	900.00	809.00	मैसर्स हैचर द्वारा 1970 में घोषित किये गये मूल्य।
7.	मैसर्स ई० मर्क	रुटिन (वाटरसौलूबल)	वही	2200.00	1935.00	लागत बीम भाड़ा मूल्य के आधार पर।

8	मैसर्स बलेक्सो	एबसॉर्बड ग्रफेरिया एंड टेटनस वैक्सीन	लिटर	700.00	400.00 चोगुले के लिये दो टोक्साइड्स के लिये ग्रलग ग्रलग ग्रनुमोदित किये गये मूल्य की दृष्टि में रखते हूए।
9.	मैसर्स फ्रैंको इण्डिया	ट्रोइकोलीन साइट्रेट	के० जी०	100.00	42.00 संक्षिप्त प्रश्नमाला में प्राप्त सूचना के ग्राधार पर।
10.	मैसर्स एलबर्ट डेविड	ग्रायोडोक्लोरोहाईड्रोक्सि क्विनोलिन	वही	171.93	134.00 वर्तमान ग्रधिसूचित मूल्य इस कम्पनी के लिये भी निर्धारित किये गये थे।

औषधियों को सरणीबद्ध करने की नीति

9764 **श्री चन्दन सिंह**: क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरणीबद्ध करने के कारण और नीति क्या है तथा पूरे औचित्य के साथ इसका क्षेत्र और आशाय क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार 1978-79 के लिये सरणीवद्ध किये गये सभी प्रकार के कच्चे माल की सरणीबद्धता समाप्त करने से सहमत होने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक बल्कऔषधि के मामले में सरणीबद्धता समाप्त न करने के क्या कारण हैं, गत तीन वर्षों में इन औषधियों का कितना उत्पादन हुआ तथा किन फर्मों ने उत्पदान किया ;

(घ) भारी मात्रा में लदान की जाने वाली अभी तक सरणीबद्ध तथा किसी भी क्षेत्र द्वारा न बनाई जाने वाली औषधियों के नाम क्या हैं ;

(ङ) क्या यह वर्ष 1970 से विदेशी फर्मों द्वारा घोषित ऊंचे मूल्यों को संरक्षण देने के लिये किया गया; और

(च) क्या यह सच है कि 850 बल्क औषधियों का आयात किया जाता है और उन्हें भारतीय फर्मों को नहीं दिया जाता है और इसका क्या ब्यौरा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधियों के आयात को सरणीबद्ध करने में सरकार के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :—

(1) सभी निमार्ता यूनिटों की आवश्यकता को सम्मेलित करके एक ऐसी मांग पर पहुंचता, जिसके आधार पर विश्व बाजार में सौदेबाजी करके लाभकारी मूल्य तथा सप्लाई के लिए रियायत शर्तें प्राप्त की जा सकें ।

(2) उच्चकोटि की न्यूनतर औषध का देश में आयात तथा लाये जाने का इस प्रकार से नियमन करना जिससे कि वैसे ही चिकित्सीय मूल्य की स्वेदेशी औपधियों के उत्पापन पर कोई रुकावट न पड़े ।

(3) औषधों के स्वदेशी उत्पादन को संरक्षण देना विशेषत: जब यह उत्पादन आन्तरिक मांग की पूर्ति के लिये अपर्याप्त है ।

(4) कच्चे माल की एक से मूल्यों पर सप्लाई को सुनिश्चित करना तथा विचोलियों के मुनाफे को हटाना ताकि ऐसे कच्चे माल पर आधारित संयोग एक विशेष और समान मूल्य पर रखे जाये ।

(5) उद्योग के छोटे पैमाने के क्षेत्र जिसकी आवश्यकता थोड़ी सी होती है को सहायता करना और ऐसे मामलों में पृथक कम्पनियों द्वारा आयात को अनार्थिक तथा अव्यवहार्य बना देना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 1978-79 को आयात नीति के परिशिष्ट 9 में दी गयी 18 औषधों का आयात भारत के राज्यकीय रसायन एवं भेषज नियम सी० पी० सी० द्वारा सरणीबद्ध किया गया है । अत: इन औषधों के आयात का असरणीबद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

1976 और 1977 में इन औषधों का कम्पनी वार वास्तविक उत्पादन का विवरण संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है ।

(घ) निम्न लिखित सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों का देश में किसी भी क्षेत्र द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता :--

(1) जन्टा माईसीन

(2) डाक्सी साईकिलीन

(3) मेथाईल डोफ ।

आयात एवं निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के फार्मूले अनुसार जेन्टा कमाईसीन का मूल्य 4000 रुपये पर निर्धारित किया गया था जब कि इसी फार्मूले के अनुसार डाक्सी साइकीलीन का मूल्य 3083 रुपये निर्धारित किया गया था । अयात एवं निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के आयात पर मेथाइल डोपा के लिये 1976-77 में 1099 रुपये निर्धारित किया गया मूल्य अब तक जारी है ।

(ङ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अन्दर माह स्थित कार्यालयों से प्राप्त सूचना से देखा गया है कि देश में 500 से अधिक औषधों का आयात किया जाता है । यह आयात सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयात नीति के अनुसार सभी क्षेत्रों की औषध कम्पनियों द्वारा किया जाता है ।

विवरण

मदों (औषधियों) तथा उनके निर्माताओं के नाम	1975 टनों में	1976 टनों में	1977 टनो में
(1)	(2)	(3)	(4)
1. **पिपराजाईन** आई० डी० पी० एल०	89.5	117.6	13.8
2. **रिबोफ्लेविन (विटामन बी-2)** आई० डी० पी० एल०	4.7	6.7	53.2
3. **स्ट्रेप्टोमाईसिन सलफेट**			
आई० डी० पी० एल०	60.8	83.7	82.7
एच० ए० एल०	78.2	82.4	72.9
सिनबायोटिक्स एलेम्बिक	6.6	3.3	शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)
4. सल्फमैथोक्साजोल			
रोश . . .	5.0	15.8	14.2
5. टैट्रासाईक्लाईन तथा इसके साल्टस			
आई० डी० पी० एल० . . .	66.7	86.68	81.44
फाईजर	2.1	3.9	1.8
साइनामिड	21.14	17.8	19.8
सिनाबायोटिक्स . . .	22.5	18.9	37.14
6. थियामाइनेमोनोनाइट्रेट एण्ड हाइड्रोक्लोराइड विटेमिन बी-1			
आई० डी० पी० एल० .	25.9	22.5	33.1
7. ट्राईमैथोप्रिम			
बरोबैलकम . .	3.6	4.7	7.99
जर्मन रैमडीज़ . .	—	—	—
सिपला . .	—	—	—
8. विटामिन डी-3			
डूफार इन्टरफ्रान	35.6 के० जी०	86.48 के० जी०	15.6 के० जी०
9. मैट्रोनाइडाजोल			
मे एण्ड बेकर	1.2	3.1	7.2
आई० डी० पी० एल० .	—	0.3	शून्य
सिपला .	—	—	0.89
यूनीकैम . . .	—	—	0.7
यूनीलायड्स . . .	—	—	1.8 (अनुमानित)
10. एमिडोपाईरिन			
आई० डी० पी० एल० .	6.5	शून्य	7.3
11. एम्पीसिलिन			
आई० डी० पी० एल० . .	—	0.5	0.47
रैनबक्सी . .	—	—	0.45
12. क्लोरैम्फैनीकोल			
बी० नौल .	30.4	34.7	41.46
डे० से० कैम .	7.0	31.1	18.47
पार्क डेविस	22.9	27.4	30.65

(1)	(2)	(3)	(4)
13. क्लोरोक्विन तथा उसके साल्टस			
बेयर इण्डिया	15.0	24.2	27.1
सुनीता .	3.2	12.2	6.3
बैंगाल इम्म्यूनिटी	1.4	0.2	—
14. एरिथ्रोमाईसिन			
एलोम्बिक	9.1	7.0	16.5
थोंमस	—	—	14.8

जापान द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई

6765. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान इस वर्ष 20 लाख टन अशोधित तेल की सप्लाई के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सप्लाई की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस वर्ष के दौरान ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में ठेके को अन्तिम रूप देने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन और नेशनल इरानियन तेल कम्पनी के बीज बातचीत चल रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों की परिलब्धियों में वृधि के लिए प्राप्त आवेदन

9766. **श्री वयालार रवि :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लिमिटेड कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों की परिलब्धियों में वृद्धि के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इनमें से कितने आवेदन 2000 रुपये और इस से अधिक के लिए थे और वे कुल कितने लाभ के लिए थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) 1975, 1976 तथा 1977 के तीन कलेन्डेर वर्षों के मध्य पब्लिक कम्पनियों तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध निदेशकों के पारिश्रमिक वृद्धि

के लिये कम्पनी अधिनयम, 1956 की धारा 310 के अन्तर्गत सब मिलाकर 427 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे। मैं आवेदन-पत्र, प्रबन्धकीय नियुक्तियों तथा पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिये विभाग द्वारा निर्मित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार निपटाये गये थे।

(ग) इन तीन वर्षों के मध्य प्राप्त आवेदन-पत्र में से 246 प्रबन्ध निदेशकों के 2000 रु० से अधिक के मासिक पारिश्रमिक की बावत थे।

यात्रियों के सामान की चोरी के बारे में शिकायतें

9767. **श्री वयालार रवि:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में यात्रियों के सामान और यात्री गाड़ियों की ब्रेक वैन से बुक किये हुए पार्सलों की चौरी के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया; और

(ग) मुआवजा देने पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

रेलमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

SHORTAGE OF JUDGES IN HIGH COURTS AND SUPREME COURT

†9768. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of judges in the various High Courts and the Supreme Court in the country;

(b) if so, whether Government have made appointment of some Judges in various Courts during the period from March, 1977 to March, 1978; and

(c) if so, the details thereof and whether there appointment has helped in the disposal of pending cases ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The number of appointments notified during the period 1-3-77 to 31-3-78 in the various High Courts is as given in the attached statement. The appointments made have helped in the disposal of pending cases.

Statement

Number of appointments notified during the period 1-3-77 to 31-3-1978 in the various High Courts.

Sr. No.	Name of the High Court	No. of appointments notified including appointments of Additional Judges as Permanent Judges and those of permanent Judges as Chief Justices.	No. of fresh appointments made.
1	2	3	4
1.	Alllahabad	19	15
2.	Andhra Pradesh	3	1
3.	Bombay	11	7
4.	Calcutta	20	11
5.	Delhi	4	1

1	2	3	4
6.	Gauhati	3	—
7.	Gujarat	3	2
8.	Jammu & Kashmir	1	—
9.	Karnataka	7	7
10.	Kerala	4	1
11.	Madhya Pradesh	5	4
12.	Madras	6	4
13.	Orissa	2	—
14.	Patna	5	2
15.	Punjab & Haryana	6	3
		99	58

SELF-SUFFICIENCY IN RAILWAY ENGINES

†9769. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the country has become self-sufficient in the matter of railway engines and coaches and whether these are exported abroad;

(b) if so, the names of the countries to which railway engines and coaches were exported in 1977-78 and the amount of foreign exchange earned thereby; and

(c) whether it is also a fact that some equipments used in railways are imported from foreign countries and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) Nine Diesel Electric Locomotives were exported to Tanzania and the foreign exchange of Rs. 4.86 crores was earned.

(c) Yes. A Statement giving the details is attached.

STATEMENT

Wheels, Tyres and Axles : About 36% of total requirement.

Diesel Electric Locomotives : Turbo changer—components like Turbine dises and buckets and nozzle rings, Crank shafts. Pistons and piston rings, Tri-metal bearings, Governors etc.

Electric Locomotives : Traction geava, Roller bearings for traction motors, Field weakening resistance. Traction motor components, Tap changer components, Relays, 'H' Class Insulation materials and Varnishes etc.

Diesel Shunters : Piston and Piston rings, Multimetal Bearings, Starter, Gears in cluding rim gear for starter, Vibration damper, Turbo charger VTR 250, Vulcan coupling, Cardan shafts etc.

Carriages/Electric Multiple units : Special types of alloy steel plates & sheets, motors for compressors of EMUs.

वसेन आफ शोर प्लेटफार्म

9770. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त लाखों डालर मूल्य के वसेन आफ शोर प्लेटफार्म के लिये ठेका दिये जाने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी, नहीं। बसीन पर प्लेटफार्म का निर्माण कार्य और ढांचा खड़ा करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने टैन्डर आमंत्रित किये थे। लेकिन टैण्डर देने वालों द्वारा जिनके मूल्य वैसे तो माने जाने लायक दायरे में थे किन्तु देने वालों की ओर से टेण्डर की शर्तों से कुछ महत्व पूर्ण भिन्नताओं को देखते हुए पुनः नये टेण्डर आमंत्रित करने का निश्चय किया गया।

PAYMENT OF DUES TO RETIRING EMPLOYEES

†9771. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister for RAILWAYS be pleased to state :

(a) the minimum period within which payment of Provident Fund, bonus, pension or other dues is to be made to the retired employees;

(b) the number of retired employees in North Eastern Railway who have not been paid Provident Fund, bonus, etc., even after the said period;

(c) action proposed to be taken in the matter; and

(d) if so, the details thereof and if not the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Under the existing instructions and Code provision, the payment of settlement dues of railway employees on their superannuation in normal cases is expected to be made very expeditiously; pensionable employees being paid on the first day of the month in which it is due, and Provident Fund optees being paid within two months from the day settlement dues become due for payment.

(b) On the N.E. Railway as on 1-5-78 37 cases are pending (26 pension and 1L P.F.) after arranging the settlements to 226 cases during the month of April '78.

Of the 37 cases, 27(18 pension and 9 P.F.) cases are of less than one month's duration from the date of retirement and the settlement papers in their cases are under Accounts Scrutiny and payment will be arranged shortly. The remaining 10 cases are within the range of one to three months' duration and the delay is mainly due to :—

	Pension	P.F.
(i) Failure on the part of party to sbbmit documents etc.	1	2
(ii) Pending on account of court cases	1	—
(iii) Peding for clearance of commercial debits and other reasons	6	—
	8	2

(c) and (d). Special steps are taken to ensure prompt settlement of the dues of the retiring employees keeping the target set in this regard. Outstanding cases are reviewed at the monthly meeting of the officials of the Divisions and the progress is also reviewed by the CPO/General Manager.

GRADUATE AND POST GRADUATE EMPLOYEES

†9772. SHRI NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the strength of graduate and post-graduate employees of various categories in the clerical grade with ten to fifteen years and above fifteen years service on the 31st March, 1977 together with their pay scales;

(b) their sanctioned strength permanent and temporary, in the pay scale of Rs. 80-220 revised to Rs. 330-560 on the decision of the Railway Board on the recommendations of the Joint Consultative Committee (Machinery) in accordance with the Central Pay Commission;

(c) whether Government will consider provision of certain percentage of posts in the pay scale of Rs. 330-560 and 425-600 for promotions of graduate and post-graduate employees respectively to increase efficiency in the railway work; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

FERTILIZER FACTORIES IN GORAKHPUR REGION

9773. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of PETOLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the names of fertilizer factories in the Gorakhpur region;

(b) the break up of local and outsiders staff strength in the fertilizer factories in Gorakhpur region; and

(c) whether it is proposed to transfer those local employees to this region who are at present working in other regions and the outsiders to the regions to which they belong and if not, the reasons therefor and if so, by what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) The Fertilizer Corporation of India, Gorakhpur Unit.

(b) The break-up of the local and outside staff in the fertilizer factory at Gorakhpur as on 31-12-1977 is given below :

Category of posts	No. of employees belonging to the State in which the Unit exists.	Others.
Class I	130	124
Class II	51	12
Class III	1410	292
Class IV	240	9
	1831	437

(c) No, Sir. However, consequent on the re-organisation of the FCI/NFL into five companies the FCI has asked its employees to give options for going over to another company/unit and these will be considered to the extent of available vacancies.

SALARIES PAID TO OFFICERS OF CERTAIN COMPANIES

9774. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the monthly salary paid to the financial Officers. Manager and Managing Director of Ferodo, Fire Stone and Indian Oxygen Ltd;

(b) whether it is a fact that under section 371 of Companies Act this information is required to be furnished to Government of India; and

(c) if so, the details of the information received for the year 1977-78 ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) It appears the company referred to is Hindustan Ferodo Limited. As the Statement under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 attached to the latest available Balance Sheet of Hindusan Ferodo Ltd. for the year ending 31st December, 1976 yearly remuneration, inclusive of perquisites, drawn by the Financial Officers, Managers and Managing Director is as under :

Financial Officers	(8)	Rs. 4,31,462
Managers	(26)	Rs. 15,95,739
Managing Director	(1)	Rs. 1,93,446

As per the statement under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 attached to the latest available Balance Sheet of M/s. Firestone Tyre and Rubber Co. of India Private

Limited for the year ending 31st October, 1976, the yearly remuneration, exclusive of perquisites, drawn by the Financial Officers, Managers and Managing Director is as under :

Financial Officers'	(9)	Rs. 4,07,764
Managers	(41)	Rs. 16,95,618
Managing Director	(1)	Rs. 1,47,000

Similar information in respect of Indian Oxygen Limited, inclusive of perquisites, as per the latest available Balance Sheet for the year ending 30th September, 1977 is as under :

Financial Officers	(22)	Rs. 10,62,533
Managers	(89)	Rs. 54,27,482
Managing Director	(1)	Rs. 2,15,365

(b) and (c) No such information is required to be furnished under Section 371 of the Companies Act, 1956. However, under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956, it is obligatory for the Board of Directors to include in a Statement attached to the Balance Sheet the names and other prescribed particulars of those employees (i) who are in receipt of remuneration of not less than Rs. 36,000, if imployed during a full financial year; (ii) who are in receipt of remuneration not less than Rs. 3,000 per month if employed during a part of a financial year. The Balance Sheets of the aforesaid Companies for the year 1977-78 are not yet due.

SALARIES DRAWN BY MANAGERS OF PRIVATE COMPANIES

9775. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that managers of many private companies are drawing a monthly salary of Rs. seven thousand or more;

(b) if so, whether it is also a fact that manager of Ashok Leyland is drawing a salary of Rs. 7,500 per month and Managing Director is drawing a salary of Rs. 1,91,585/- per annum;

(c) whether it is also a fact that General Manager of Gujarat Steel Tube Ltd. has been drawing a salary of Rs. 2 lakhs per annum; and

(d) whether information in this connection is furnished to Government of India and if so, whether similar information has been furnished for the year 1977-78 ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) Considering parts (b) and (c) of the question, it is presumed that the Honourable Member is referring to the salaries of Managing and Whole-time Director of Private Sector companies. It is a fact that managing directors and whole time directors of many private sector companies and drawing a salary of Rs. 7,000/- or more.

(b) Yes, Sir. The present managing director of Ashok Leyland was authorised to draw salary of Rs. 7,500/- per month plus perquisites. The details are given in Annexure 'A'.

(c) Gujarat Steel Tubes Limited has a Chairman and managing director and a Vice-Chairman and managing director. Each of them are drawing total remuneration of nearly Rs. 2 lacs per annum vide details in Annexure 'B'.

(d) The information regarding remuneration paid to managing directors and other executive drawing more than Rs. 36,000/- per annum is required to be furnished in the Annual Accounts of the company under section 217(2A) of the Companies Act, 1956. The Annual Accounts for the year 1977-78 is not yet due.

STATEMENTS *ANNEXURE 'A'*

Details of remuneration paid to the Managing Directors of M/S Ashok Leyland Ltd. as Accounts for the year ended on 30th Septeber, 1976.

	year ended on 30th September, 1976.	Year ended on 30th September, 1975.
Mr. R. J. Hacock (upto 31.3.76).		
Salary	45,808	94,350
Bonus for 1974&75)	18,870	25,060
Income-tax paid/payable on his behalf.	35,625	35,469
Perquisites	35,482	72,175
Mr. F. Holds-worth (from 1.4.76)		
Salary	67,500	—
Income tax paid/payable on his behalf.	7,780	—
Perquisites	51,114	

ANNEXURE 'B'

Details of remueration to the Managing Directors of Gujarat Steel Tubes Ltd. as disclosed in Accounts for the year ended on 31st March, 1977.

Name & Designation	Remuneration received during 1976-77
1. Shri Shantilal Mangal Das Chairman & Managing Director (Since deceasd on 21. 6. 77)	1,96,500
2. Shri A. S. Shah Vice Chairman & Managing Director.	1, 91, 046

गैर-संगठित क्षेत्र में औषध फर्में

9776. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978-79 के लिये नई आयात नीति के अनुसार उन फर्मों को जिनकी पूंजी 10 लाख रुपयों से अधिक है, चाहे उनमें कितने भी श्रमिक हों, डी० जी० टी० डी० एकक माना जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने 1960, 1962 और 1964 में अधिसूचनायें जारी की थी जिनके द्वारा जिन कम्पनियों की पूंजी 10 लाख रुपये थी उन पर श्रमिकों की नियुक्ति के बारे में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम लागू किया गया; और

(ग) यदि हां, तो जारी की गई अधिसूचनाओं का ब्यौरा क्या है, औषध उद्योग में कितनी फर्मों को गैर-संगठित क्षेत्र में माना जाता है तथा उन्हें किस अधिसूचना तथा अधिनियम के किन उपबन्धों के अन्तर्गत गैर-संगठित क्षेत्र की फर्में माना गया था और यदि ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है तो इन फर्मों द्वारा आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और अन्य अधिनियमों का उल्लंघन करने के लिये सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन फर्मों को बाहर धन राशि भेजने की अनुमति दी जाती है और यदि हां, तो अवैध कार्यों के लिये यह अनुमति कैसे दी जाती है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आयात नीति 1978-79 के अध्याय-2 में वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) वास्तविक उपभोक्ता (गैर-औद्योगिक) लघु क्षेत्र उद्योग पंजीकृत निर्यात को आदि जैसे कुछ मदों की परिभाषा दर्शाई गई है। डी० जी० टी० डी० एकक की परिभाषा उस में नहीं है।

(ख) जी, नहीं। ये अधिसूचनायें उन उपक्रमों को छूट देने के लिये भी जिनका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से निर्धारित परिसम्पत्तियों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

(ग) अपेक्षित सूचना पहले ही 2-5-1978 को लोक सभा अ०प्र०सं० 8731 के उत्तर में प्रस्तुत की गई है।

CONTRACT TO M/s. A. H. WHEELER COMPANY

9777. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that formerly A. H. Wheeler and Company was given five years' contract for sale of books but later on it was made for nine years;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the royalty paid to Government by this company has also been reduced from 2-3/8 per cent to 2 per cent; and

(d) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) Prior to 1967, the tenure for all bookstall contracts was uniformly 5 years. The three major bookstall contractors, M/s. A. H. Wheeler & Co., M/s. Higginbothams and M/s. Gulab Singh and Sons were having an "automatic renewal" clause in their agreements. Since the "automatic renewal" clause would have perpetuated these contractors on the Railways, it was decided to delete the clause from the subsequent agreements of these three major contractors with effect from 1-1-1967. Consequent upon the decision to eliminate the renewal clause, representations were received from these three contractors and as suggested by the Union Ministry of Law, the matter was negotiated with the contractors. These three contractors agreed to the deletion of the "automatic renewal" clause provided they were given a longer term of 9 years. Considering the unfavourable legal implications involved in the "automatic renewal" clause, it was decided to enhance the tenure of these 3 contractors from 5 years to 9 years with effect from 1-1-1967 and the automatic renewal clause was deleted.

(c) No.

(d) Does not arise.

मैसर्स एबट के विरुद्ध शिकायतें

9778. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एबट के बारे में यह शिकायत है कि उन्होंने 1975 में नाइजीरिया को 42 लाख रु० के मूल्य का सामान निर्यात किया परन्तु धनराशि खाते में अभी भी जमा नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या मैसर्स एबट द्वारा सेल्सम शैम्पू पर औषधि के रूप में उत्पादन शुल्क अदा किया जा रहा है;

(घ) क्या उनके बारे में उत्पादन शुल्क के अपवंचन के बारे में कोई शिकायत है और यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि सेल्सम शैम्पू में फंगस भी मिला रहता है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां, ये आरोप लगाए गए हैं कि मैसर्स अबोट लैबोरेटरीज ने नाइजेरिया को 45 लाख रूपये के औषध और भेषज निर्यात किये थे परन्तु इस सौदे से संबन्धित कोई इस बिक्री के धारण विदेशी मुद्रा में बाहर से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कम्पनी आर० बी० आई० वित्त मंत्रालय सी० सी० आई० एण्ड ई० और नायजेरिया में उच्चायोग के साथ मामला उठाया गया है।

(ग) मैसर्स अबोर लैबोरेटरीज की औषध मद के रूप में सेल मैन सस्पेंशन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने औषध तथा सौन्दर्य प्रसायन अधिनियम 1040 के अन्तर्गत औषध के रूप में उत्पादन के विपणन के लिए लाईसेंस भी प्राप्त किया है। अतः कम्पनी औषध मदों के लिए लागू दर पर सेलसन सस्पेंशन पर उत्पादन शुल्क भी दे रही है।

(घ) इस मंत्रालय में यह शिकायत प्राप्त हूई है कि मैसर्स अबाट लेबोरेटरीज औषध मद के रूप सेलसन बेच रहे हैं और सेलसन को सौन्दर्य प्रसादन (कास्मेटिक) मानने के स्थान पर औषधों पर लगाए गए शुल्क के अनुसार उत्पाद शुल्क दे रहे हैं। शिकायत की जांच की जा रही है।

(ङ) क्या सेलसन सस्पेशन में फफूद (फंगस) है अथवा नहीं को सुनिश्चित किया जा रहा है।

औषधिपों और उमके निर्माताओं क नाम और बल्क औषध निर्यातों के औषध मूल्य नियंत्र आनेश के अधीन घोषित मूल्य

9779. **श्री गोविन्द मुण्डा** : : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली फर्मों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बनाई गई बल्क औषधियों के निर्माताओं के नाम, औषधियों के नाम और औषध मूल्य नियंत्रन-आदेश 1970 के अधीन घोषित मूल्य क्या हैं; और

(ख) लागत बीमा भाड़ा मूल्य घोषित क्या है और किस आधार पर मूल्यों को स्वीकार किया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली फर्मों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	निर्माता का नाम	वल्क औषध का नाम	घोषित मूल्य रु०	क्या स्वीकृत है नहीं	सी० आई० एफ० मूल्य रुपए जहां उपलब्ध है ।	टिप्पणी
1.	मैसर्स बूटस	डिलोक्सनाइड	666.67/किलो	अस्वीकृत	224.75/किलो	450 प्रति किलो का मूल्य लागत अध्ययन के आधार पर निर्धारित किया गया था ।
2.	मैसर्स हैक्स	फरसीमाइड	2913.00/किलो	,,	642.41/किलो	लागत अध्ययन के आधार पर 6 अक्टूबर 1976 को अपने उपयोग के लिए 1703 रुपए अन्य लोगों को विक्रय के लिए 1741 रुपए प्रति-किलो के मूल्य का अनुमोदन किया गया था ।
3.	मैसर्स इथनौर	मेवे नडाजोल	8.88/ग्राम	अस्वीकृत	उपलब्ध नहीं	—
		मिकनाजोल नाईट्रेट	18.00/ग्राम	,,		
		लिडोफलाजाइन	7.00/ग्राम	,,		
4.	मैसर्स रोश	सल्फमिथेसाजोल	1130/किलो	अस्वीकृत	205.53/किलो	इस औषध के लिए 517 रुपए प्रति किलो का मूल्य जनवरी, 1978 में निर्धारित किया गया । इस मामले में सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है ।
		ट्रिटिनस-सल्फामिथेसाजोल	33.84	वही		

5. मैसर्स वरोज वेलकम	ट्रिमेथेपरिम	5950/किलो	अस्वीकृत	561.34/किलो	लागत अध्ययन के आधार पर 4 जनवरी 1970 को 2587 रुपए प्रति किलो का मूल्य निर्धारित किया गयाथा।
6. मैसर्स सरल (आई)	क्लोपरीमाइनमलऐट	1350/किलो	वही	उपलब्ध नहीं	मैसर्स जाफरी मैनर्सद्वारा अपने सूत्रयोगों में चालू किये जाने वाले मूल्य के बराबरी में 1133 रु० प्रति किलो का मूल्य निर्धारित किया गया है।
	फेनीरेमिन मलऐट	900.00/किलो			मैसर्स हैक्स फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर 14 जनवरी 1977 को 809 रुपए प्रति किलो का मूल्य निर्धारित किया गया था।
7. मैसर्स ई० मर्क	सटिन वाटर सोलूवल	2200/किलो	अस्वीकृत	1085.16	आयात के अवतरित मूल्य के आधार पर 1935 रुपए प्रति किलो का मूल्य निर्धारित किया गया था।
8. मैसर्स ग्लेक्सो	एडसार्वड डिपेथिरिया और टेटनेस	700/लिटर	अस्वीकृत	उपलब्ध नहीं	मैसर्स चोगले डिपथिरिया और टिटनस टाक्सिड के लिए अलग से निर्धारित मूल्य के आधार पर 400 रुपए प्रति लिटर का मूल्य निर्धारित किया गया है।

बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए लाइसेन्स जारी करना

7980. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक या अधिक (बल्क औषधियों के उत्पादन के लिये गत पांच वर्षों में (1973—78) एक या अधिक भारतीय औषध निर्माता फर्मों/कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां तो उन कम्पनियों के नामों सहित उन का पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा जिन औषधियों के उत्पादन की अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी क्षमता की स्वीकृति दी गई है तथा उक्त लाइसेंस किस किस तिथि को दिये गये;

(ग) क्या उन लाइसेंसों का पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से उपयोग किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो क्यों ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2292/78]

(ख) अपेक्षित विवरण देने वाला विवरण पत्र संलग्न है ।

(ग) और (घ) औद्योगिक लाइसेंस का कार्यान्वयन न होने/आंशिक रूप में कार्यान्वयन होने के यदि कोई कारण हो, नई औषध नीति के अनुसार औषध कंपनियों को सकेकित औद्योगिक लाइसेंस देने के समय सरकार ध्यान में आयेंगे ।

वटवा रेलवे स्टेशन

9781. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद-बम्बई मुख्य बड़ी लाइन पर अहमदाबाद के समीप वटवा रेलवे स्टेशन कई सुविधाओं की दृष्टि से अपर्याप्त से जिसमें सरलता है माल लाने ले जाने तथा माल डिब्बों में अधिक कुशलता से माल चढ़ाना-उतारना आदि भी शामिल है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिये ठोस कदम उठा रही है : और

(ग) यदि वटवा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म को बढ़ाने और अन्य सुविधाएं देने की कोई योजनायें हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं । उपलब्ध सुविधाएं इस स्टेशन के वर्तमान यातायात के लिए पर्याप्त है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

साबरमती रेल पुल

9782. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर अहमदाबाद के निकट साबरमती रेलवे पुल का निर्माण और विस्तार कार्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है :

(ख) यदि हां, तो जो कार्य पूरा हो चुका है तथा जिसके पूरे होने की संभावना है उसका ब्यौरा क्या है :

(ग) पूरा कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा उस पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) साबरमती रेलवे पुल को कुछ समय बंद किये जाने पर यात्रियों की सुविधा के लिये किये गये प्रबंधों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) निर्माण कार्य में एक अतिरिक्त बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के इलावा पुल के पायों एवं पील पाआ्रों को दोबारा बनाने का काम भी शामिल है । अब तक 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ।

(ग) आशा है यदि काम 1980 में पूरा हो जायेगा और इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है ।

(घ) इस कार्य को इस ढंग से किया जा रहा है कि जहां तक संभव हो गाड़ियों को रद्द करने/समय बदलने की आवश्यकता न पड़े ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । तथापि गार्डर बदलते समय पुल पर यातायात को कुछ समय के लए रोकना जरूरी हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप साबरमती स्टेशन (जो कि अहमदाबाद से अगला स्टेशन है) पर कुछ गाड़ियों का समय बदलना/रास्ता बदलना आवश्यक हो जाता है । रेलवे द्वारा हर कोशिश की जाती है कि साबरमती में लाइन को कम से कम समय के लिए रोका जाये ताकि यात्रियों/दैनिक यात्रियों को गाड़ियों के समय बदलने/रास्ता बदलने के कारण कम से कम असुविधा हो ।

INTRODUCTION OF AJANTA EXPRESS

†9783. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Ajanta Express has been introduced for the facility of the people of Marathawada region of Maharashtra;

(b) whether a connection of this train has been provided with Panchvati Express at Manmad;

(c) if so, whether the Panchvati Express leaves only after giving connection to the said train;

(d) whether the Panchvati train did not stop for giving connection on 13th March, 1978; and

(e) whether a complaint from the passengers has been received by the Manmad Station Master on 13th March, 1978 in this regard and if so, the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Presumably the reference is to 95 Nizambad-Manmad Ellora Express.

(b) Yes. 95/96 Ellora Express gives connection to 201/202 Panchvati Express at Manmad.

(c) Yes. However, in case of late running of 95 Ellora Express, 202 Panchavati Express is not detained due to path difficulties in Bombay area and the passengers can avail of other connected services like 6 Punjab Mail, 169/42 Janata Express, 40 Up Nagpur-Dadar Express and 116 Up Lucknow-Bombay Express.

(d) Yes.

(e) A complaint has been made to the Station Master on 14-3-1978 which has been replied to already.

नये स्थानों पर तेल के लिये ड्रिलिंग

9784. **श्री यशवन्त बोरोले:** क्या **पैट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच महीनों में नये स्थानों पर तेल के लिये ड्रिलिंग का काम आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) : गत पांच महीनों में (दिसम्बर, 1977 से 1978 तक) ओ० एन० जी० सी० ने कुछ पुरानी संरचनाओं पर ड्रिलिंग कार्य जारी रखने के अतिरिक्त 12 नई संरचनाओं छः भूमि पर यानि सिसोदरा-विराज-वासना, पिसवादा (गुजरात में) आंध्र प्रदेश में नरसापुर और उत्तर प्रदेश में पूरन पुर तथा छः समुद्री क्षेत्र यानि कैम्बे की खाड़ी में सी-1 और सी-2 संरचना रत्नागिरि तट के पास आर 6, आर-14 और आर-15 तथा केरल तट पर अरब सागर में एक संरचना पर खुदाई कार्य आरम्भ किया है ।

खुदाई/परीक्षण के फलस्वरूप सिसांदरा (गुजरात आर सी-IIसंरचना) (कैम्बे की खाड़ी में) गैस और विराज गुजरात) में तेल मिला है रत्नागिरि तट के पास आर 6, आर 14 और आर 15 संरचनाएं सूखी पाई गई हैं । अन्य संरचनाओं में अभी खुदाई चल रही है ।

गत पांच महीनों में आयल इंडिया लिमिटेड के ऊपरी असम में मूरान क्षेत्र में चार अन्वेषी/विस्तार कुएं खोदे हैं । इस क्षेत्र में एक छोटी सी संरचना में गैस रेत की एक पतली सहज मिली है ।

नई औषध नीति के कारण औषध फर्मों को लाभ/हानि

9785. **श्री यशवन्त बोरोले:** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित नई औषध नीति के कारण लघु मध्यम दर्जे की फर्मों और विदेशी फर्मों को क्या लाभ/हानि हैं;

(ख) हाथी समिति की सिफारशों, पांचवा अध्याय में कितना सुधार किया गया है हाथी समिति की सिफारिशों के पांचवें अध्याय में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं और

(ग) नई औषध नीति में क्या विषमताएं और त्रुटियां हैं, उन का ब्यौरा क्या है और सरकार उन को किस प्रकार ठीक करेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) नयी नीति के फलस्वरूप औषध उद्योग के सभी क्षेत्रों को होने वाला लाभ/अलाभ लोक सभा में 29 मार्च, 1978 को दिये गये वक्तव्य में बताये गये हैं (ख) नई औषध नीति में हाथी समिति के सिफारिशों पर जो प्रमुख सुधार किये गये है वे अनुवंध (**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 2293/78**) में दिये गए हैं ।

(ii) हाथी समिति की सिफारिशें स्वीकार न करने या संशोधन के साथ स्वीकार करने के क्या कारण 25-4-1978 को लोक सभा में पूछे गये अता० प्रश्न सं० 8063 के उत्तर में दिये गये थे ।

(ग) नई औषधि नीति में कोई असमनाता या त्रुटि सरकार के ध्यान में नहीं लायी गई है ।

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मंगाये गये और वितरित किये गये कच्चे माल का ब्यौरा

9786. **श्री यशवन्त बोरोतो**: क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न फर्मों को वितरित किये गये ऐसे कच्चे माल का ब्यौरा क्या है जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मंगाया गया और विभिन्न फर्मों को जिस आधार पर अर्थात लाइसेंस संख्या पर यह माल दिया गया वह क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक फर्मों को प्रत्येकवार दिये गये ऐसे माल का विनियम मूल्य आयात लाइसेंस में से नहीं घटाया और यदि हां तो लाइसेंस देने सम्बन्धी उपबंधों में से किस उपबन्ध के अधीन ऐसा किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि सभी उपबन्धों की अनिवार्यता को एक तरफ रखते हुए डी० टी० डी० ने 70 प्रतिशत से अधिक कच्चा माल ऐसी विदेशी फर्मों को दिया जिन के पास 26 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी थी इस बारे में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1975—76 1976—77 तथा 1977—78 के दौरान विभिन्न औषध निर्माण एककों को वितरित सरणीबद्ध-कच्चा माल/बल्क औषधों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिखाये गये हैं । ये रिलीजिज व्यक्तिगत यूनिटों के आयात लाइसेंसों के अधीन नहीं की गई थी क्योंकि सरणीबद्ध बल्क औषधी की सप्लाई के लिए इन एककों (यूनिटों) को आयात लाइसेंस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इन वर्षों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीतियों में ऐसी यूनिटों द्वारा अन्य मदों के लिए प्राप्त लाइसेंस के कुल मूल्य में सरणीबद्ध कच्चे माल की रिलीजिज के मूल्य डालने की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) दोनों लघु पैमाने तता संगठित क्षेत्र में काम कर रही दो वितरण एजेंसियां अर्थात सी० पी० सी० और आई० डी० पी० एल० की औषध निर्माण यूनिटों की संख्या 2500 से अधिक है जिसमें से 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्यपूंजी (इक्विटी) वाली

एककें केवल 53 हैं । गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कम्पनियों का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है । प्रत्येक यूनिट चाहे वह किसी भी श्रेणी की हो प्रचलित नीति के मुताबिक काम करती है ।

विवरण

आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित वल्क औषधें

I

1. एमीडो पाइरीना
2. एनिजजिल
3. मीट्रोनाईडाजोल
4. नाईट्रोफराटोईन
5. पापल सल्फाथायाजोल
6. पिप्राजीन तथा उसके लवण
7. फेनोवारवीटोन तथा उसके लवण
8. सल्फाडाईमाईडीन (सल्फामीयाजाईन) ।
9. सटैहोमाईलिन एल्फट
10. सल्फागोयनी डिन
11. टैट्रासाईल्कीन उसके लवण तथा डैरीवेटिवज
12. रिबोल्फाबिन (विटामिन तथा रिवोल्फटिवज) ।
13 थायामाईन मोनो नाईट्रेट तथा होईडोल्कोराइड
14. फोलिक एसिड
15. आक्सी टैट्रासाइल्कीन इसके लवण तथा डैरीवेटिवज
16. ग्रेसीफुलवीन
17. नाईट्राफुनजिन

II

1. एम्पीसीलीन ट्राइहाईड्रेट ऐनहाईड्रस/सोडियम
2. मल्कोर फेनीकोल पाउडोर ल्कोरफेनीकोल पामिट्रेट, ल्कोरमफेनीकोल स्टीयरेट तेया ल्कोर-फेनीकोल सोडियम सकसीनेट
3. काफीन तथा इसके लवण
4. ल्कोरोक्यून तथा लवण
5. ल्केशीयम सोडियम पैन्टोयीनेट
6. डोक्सीसाईल्कोन
7. इरिप्रोमाई (वेस) इरिथोमाईसीन इस्टोलेट इरिथ्रामाईसीव
8. फरूसीमाईड
9. फरुजोलीडाईन
10. जैन्टामईसिन
11. इन्डोमीथासिन
12. मीथाईल डोपा
13. आक्सी फानाईल बूटाजोन
14. प्रीडनाइसोलीन

15. पैन्थानोल
16. पाइरीडोकसाईन हाईडोल्कोराइड
17. प्रेन्हलामाईन लैकटेटस
18. सल्फायायाजोल
19. सल्फाडायाजीन
20. सल्फामीयोक्साजील
21. सल्फामीयोकसी पाईरीडाजीन
22. ट्राइमीयोप्रीन
23. विटामिन ऐ० तथा उसके इस्टरज
24. विटामिन सी०
25. सिटरिम ऐसिड
26. आयोडीन
27 ऐले-वेस
28. टर्टारिक एसिड आफ (दोनों मैडीकल तथा टेकनीकल ग्रेड)।
29. विटामिन डी० 3।

1978-79 के लिए सरणीबद्ध औषध

9787. श्री यशवन्त बोरोले : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के लिए सरणीबद्ध औषध मदों का ब्यौरा क्या है और उनको सरणीबद्ध करने के क्या कारण हैं;

(ख) विभिन्न फर्मों को रिलीज करने के लिये खोले गये एल० सी० का ब्यौरा क्या है और यह किस आधार पर तथा प्रबन्धकों के अन्तर्गत सप्लाई की जाती है;

(ग) विभिन्न फर्मों को जिन चिह्नों के लिए अनुमति दी गई है उन का ब्यौरा क्या है और विभिन्न फर्मों को एक ही प्रकार की बनाई गई औषधियों के लिए विभिन्न चिह्न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न फर्मों के साथ भेदभाव करते हुए चिह्न देने की अनुमति देने के संबंध में वी० आई० सी० पी० द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) निम्न लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 18 प्रमुख औषधों के आयात तथा वितरण के लिए 1978-79 की आयात नीति के परिशिष्ट 9 के अनुसार विशेष व्यवस्था की गई है :—

(i) सभी निर्माता यूनिटों की आवश्यकता को समेलित करके एक ऐसी मांग पर पहुंचना जिसके आधार पर विश्व बाजार में सौदे बाजी करे मांग लाभ मूल्य तथा सप्लाई के लिए रियायती शर्तें प्राप्त की जा सकें।

(ii) उच्च कोटि की न्यूनतम औषध का देश में आयात तथा लाये जाने का इस प्रकार से नियमन करना जिससे कि वैसे ही चिकित्सीय मूल्य का स्वदेशी औषधि के उत्पादन पर कोई रुकावट न पड़ें।

(iii) औषधों के स्वदेशी उत्पादन की संरक्षण देना विशेषत: जब यह उत्पादन आंतरिक मांग की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है ।

(4) कच्चे माल की एक से मूल्यों पर सप्लाई को सुनिश्चित करना तथा विचोलियों के मुनाफों को हटाना ताकि ऐसे कच्चे माल पर आधारित सहयोग एक विशेष और सामान मूल्य पर रखे जाये ।

(5) उद्योग के छोटे पैमाने के क्षेत्र जिसकी आवश्यकता थोड़ी सी होती है को सहायता करना और ऐसे मामलों में प्रत्येक कम्पनियों द्वारा आयात को अनार्थिक अव्यवस्था बना देना औषध निर्माता अभी तक आई० डी० पी० एल० एक तथा सी० पी० सी० जिन के द्वारा उपरोक्त औषधों का आयात/वितरण किया जायेगा के पास अपनी आवयकतानुसार पंजीकृत कर रहे हैं और को प्रत्येक फर्मों को दी जानी वाली रिलीज के सम्बन्ध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हैं ।

(ग)और (घ)सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

CONSUMPTION OF FERTILIZER AND INSTALLED CAPACITY OF FERTILIZERS FACTORIES

9788. SHRI ANANT RAM JAISWAL : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that per hectare consumption of fertilizers in India is less as compared to other major foodgrains producing countries and the fertilizers factories in the country are not working to the installed capacity;

(b) if so, the names of the fertilizer factories, which did not work to their installed capacity by 15th April, 1978 and the percentage by which the actual production of fertilizers fell short of the installed capacity in each factory; and

(c) the reasons for which the production fell short of the installed capacity in each factory and whether Government have taken any measures to remove them and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) to (c) The fertilizer consumption in India has risen from an average of 0.5 kilogram per hectare in 1950-51, to an average of 20 kilograms per hectare in the year 1976-77. This is lower than the consumption in some of the major food producing countries such as USA, Mexico, China, France, Federal Republic of Germany and U.K.

The overall capacity utilisation of the fertilizer industry in India has been 68.9 percent for nitrogen and 79.8 for P_2O_5 for 1977-78, which is considered reasonably good. However some of the units have not been able to achieve satisfactory capacity utilisation on account of a variety of reasons such as ageing of equipments, power shortage, design deficiencies and other technological constraints etc. A statement giving the unitwise capacity, production and capacity utilisation during 1977-78 is attached as Annexure I. [Placed in Library. *See* No. L.T.—2294/78]. Reasons for the shortfall in production in various units during 1977-78 are given in Annexure II. [Placed in Library. *See* No. L.T.—2294/78]. A detailed statement giving the schemes taken up for optimum utilisation of installed capacity in various units is attached as Annexure III. [Placed in Library. *See* No. L.T.—2294/78].

PER PASSENGER EXPENDITURE IN AIR-CONDITIONED AND FIRST CLASS BOGIES

†9789. SHRI ANANT RAM JAISWAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the per passenger expenditure in the airconditioned and first class bogies in the railway trains is more than in the scond class bogies;

(b) if so, the expenditure incurred on the air-conditioned and first class bogies and the second class bogies, separately;

(c) the seating capacity vis-a-vis the actual average capacity utilised in the air-conditioned first class and second class bogies during the financial year 1977-78 separately; and

(d) whether Government have any proposal for reducing the overcrowding in the second class bogies and for providing more facilities to the passengers during the financial year 1978-79 and if so, the details thereof and in which trains those facilities have been provided till the 10th April, 1978 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The figures of actual expendture on airconditioned, Ist class and IInd class bogies are not available as they are not booked in accounts for different classes of travel separately and hence a comparison is not possible.

(b) Does not arise.

(c) Class-wise occupation figures on all India basis are not maintained.

(d) Within the available resources, steps are taken to introduce additional trains, and extend the runs of existing trains. It has also been decided that all the new long distance trains will have only second class accommodation. In the April, 1978 time table, 26 trains were introduced and the runs of 19 trains were extended.

Besides it is also proposed to replace two ordinary first class coaches by one AC Second sleeper and one ordinary second sleeper on important trains in a phasd manner.

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती

9790. श्री सरत कार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975–76 और 1976–77 के दौरान पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे में अनेक तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे सेवा आयोग के माध्यम से भरती करने की सामान्य प्रक्रिया न अपनाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) नियुक्तियों के तदर्थ स्वरूप के कारण ऐसे सभी व्यक्तियों को रेल सेवा आयोगों को आवेदन करने को कहा गया है यदि वे सेवा में रहना चाहते हैं ।

विदेशी औषध फर्मों के औद्योगिक लाइसेंसों को नियमित करना

9791. श्री एस० एस० सोमानी: क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री औषधियों और फार्म्यूलेशनों पर (हाथी) समिति पर सरकार के निर्णयों के बारे में सभा पटल पर रखे गये एक विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार 26 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी की भागीदारी वाली स्वदेशी फर्मों द्वारा बिना कोई वैध लाइसेंस प्राप्त किये अन्तिम से पहले के चरण में, फार्मूलेशनों तथा औषधियों को तैयार करने की अनियमित गतिविधियों को किस प्रकार नियमित करने का है;

(ख) इस फर्मों के विरुद्ध फर्मवार, तथा मदवार, क्या शिकायतें मिली हैं तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) ये फर्में किसी वैध औद्योगिक लाइसेंस अथवा मूल्य को अनुमोदित कराये बिना कितनी मदों का विपणन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं यदि नहीं तो उनको नियमित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) किसी भी अप्राधिकृत उत्पादन का (अर्थात उत्पादन जो औद्योगिक लाइसेंस सी० ओ० वी० लाइसेंस, अनुमति पत्र अथवा डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकृत द्वारा प्राधिकृत नहीं है) नियमन नहीं किया जाएगा ।

(ख) अप्राधिकृत उत्पादन की भारी शिकायतों पर अप्राधिकृत उत्पादन पर सरकार के उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रख कर कार्रवाई की जाएगी ।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई अलग अध्ययन नहीं किया गया है । तथापि उस समय नई औषधि नीति के अन्तर्गत अथवा 29-3-78 को सभा पटल पर रखी गई हाथी समिति की सिफारिशों पर जिससे सरकार ऐसी फर्मों द्वारा आई० (डी० एण्ड आर०) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को पहचानने को समर्थ हो जाएगी सरकार के निर्णय के विवरण पत्र के पैरा 37 की शर्तों में प्रत्येक औषध फर्म को समेकित औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए अभ्यास किया जाएगा ।

इसी प्रकार नई नीति के अन्तर्गत मूल्यों की जांच से सरकार ऐसी फर्मों द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के प्रावधान के उल्लंघन का पता लगाने में समर्थ हो जाएगी ।

नई नीति में निहित निर्णयों के अनुसार ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की जायेगी ।

लाइसेंस के आधार पर काम कर रहे कुली

9792. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कितने कुली और विक्रेता ऐसे हैं जो सीधे रेलवे प्रशासन की सेवा में नहीं हैं, परन्तु लाइसेंस और कमीशन के आधार पर काम करते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इंजन कुलियों और विक्रेताओं की मांगों और कार्य की शर्तों पर विचार करने हेतु एक समति की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेलों पर 38,710 लाइसेंस धारी भारिक हैं । भारतीय रेलों पर विभागीय केटरिंग प्रतिष्ठानों में कमीशन के आधार पर कार्य करने वाले 4015 वेंडरों को नियुक्ति किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स वानर हिन्दुस्तान, एमर्क को जारी किये गये सरणवद्ध वल्क ड्रग्स ।

9793. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान एमर्क को प्रिडिनीसोलोन सहित कितने सारणीबद्ध बल्क ड्रग्स जारी किये गये हैं तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी फर्मों को, जिनकी 26 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी हुई है, सरणीबद्ध बल्क ड्रग्स के रिलीज करने संबंधी कितने मामलों में उपवाद किये गये हैं; और

(ग) ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं, जारी किये गये कच्चे माल का ब्यौरा क्या है, यह कितनी मात्रा में दिया गया है और इस पर आधारित फार्मूलेशनों का बिक्री मूल्य कितना है और उन्हें किन किन उपबन्धों के अन्तर्गत कच्चा माल जारी किया गया था?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मैसर्स वारनर हिंदुस्तान लि० को कैनेलाइजड बल्क औषधों की सप्लाई के बारे में कुछ ब्यौरा 2-5-1978 को लोक सभा में अत० प्रश्न संख्या 8802 के उत्तर में दिया जा चुकाने है । इस कम्पनी और मैसर्स ई० को० आई० डी० पी० एल०/सी० पी० सी० द्वारा कैनेलाईजड बल्क औषधों की पिछले तीन वर्षों में की गई सप्लाई के व्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं ।

(ख) आई० पी० सी० एल० और सी० पी० सी० कैनेलाइजड बल्क औषधों के वितरण की दोनों एजेंसियों को बताया है कि उन्हें वे विभिन्न कम्पनियों को वितरण संबंधी नीति में न तो भेद भाव का बर्ताव किया गया है और न नीति का उल्लंघन किया है ।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रमांक	औषध का नाम	(मात्रा कि० ग्राम में) के दौरान सप्लाई की गई मात्रा 1975—76	1976–77	1977–78
1	2	3	4	5
1.	वरनर हिंदुस्तान लिं०			
1.	पिप्राजीन हैक्साहाईडेट .	1200	2210	2120
2.	फैनोवारविटोन . . .	1512	1436	1401
3.	विटामिन वी० 1 एच० सी० एल०	—	37	—
4.	विटामिन बी० 1 मोनो	—	166	450
5.	विटामिन बी० 2	50	82	175
6.	फोलिक एसिड	42.9	12.1	24
	पी० पी० सी० मदें			
7.	कैलशियम पैन्टोथैनेट	—	—	27
8.	डी पेंथेनोल	—	78	63
9.	साईट्रिक एसिड	—	1850	2400
10.	विटामिन बी० 6	110	200	145
11.	कैफेन	—	—	400
12.	प्रेदनिसोलोन .	—	—	1.5
13.	विटामिन सी० सादे . . .	3105	4000	3375

1	2	3	4	5
	II. ई मर्क			
	आई० डी० पी० एल० मदें			
1.	अनलगिन . . .	4600	7725	7725
2.	विटामिन बी० 1 एम्प .	1000	1700	2400
3.	विटामिन बी० 1 मोनो .	3240	5240	8000
4.	फोलिथ एसिड . . .	3.3	9.6	12
5.	विटामिन बी० 2 . . .	—	105	140
6.	विटामिन बी-25 फास्फेट .	20	—	—
	सी० पी० सी० मदें			
7.	कैलशियम फेंटोथैनेट . .	—	160	155
8.	डी पेंथेनोल . . .	10	70	50
9.	विटामिन बी 6 . .	7300	12000	11725
10.	कैफेन	—	—	55
11.	विटामिन सी प्लेन .	130	100	325
12.	विटामिन सी कोटिड . .	1340	2275	2015

गैर संगठित क्षेत्र में विदेशी औषध कम्पनियों को नियमित किया जाना

9794. **श्री रतन सिंह राजदा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं संख्या एस० ओ० 312/आई० डी० आर० ए०/29 वी/261 दिनांक 30 जनवरी, 1962 और संख्या एस० ओ० 460/आई० डी० आर० ए०/29 पी/1/62 दिनांक 7 फरवरी, 1962 में उपक्रम पर, चाहे उसमें काम कर रहे श्रमिकों की संख्या कुछ भी हो, निर्धारित आस्तियों की शर्त लगाई जाती है ।

(ख) यदि हां, तो लोक सभा में 29 मार्च, 1978 के विवरण के किस उपबंध के अन्तर्गत विदेशी औषध कम्पनियों की गतिविधियों को गैर संगठित क्षेत्र में नियमित किया जायेगा और क्या उन्हें उनमें काम कर रहे श्रमिकों की संख्या का ध्यान न रखते हुए, सी० ओ० वी० लाइसेंस लेना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इन विदेशी औषध कम्पनियों की ये सभी गतिविधियां अवैध नहीं है ; और

(घ) यदि हां तो इन कम्पनियों द्वारा आई० डी० आर० अधिनियम, और आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किये जाने के लिए सरकार किस प्रकार कार्यवाही करना चाहेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) उद्योग विकास एवं विनियम अधिनियम, 1951 की धारा (ग) और (घ) के अनुसार इस अधिनियम की धारायें पूर्ण रूप से उप विदेशी कम्पनियों पर लागू नहीं हैं यदि औद्योगिक

उद्यमों में एक फैक्ट्री है जिस में बिजली की सहायता से 50 और बिजली की सहायता के बिना 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं । अतः जिस अधिसूचना का माननीय सदस्य हवाला दिया है वह उन फर्मों पर लागू नहीं होती जिसमें बिजली की सहायत से 50 और बिजली की सहायता के बिना 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं । ऐसी कम्पनियों को इसलिए उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सी० ओ० वी० लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु ऐसी विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपने विद्यमान धन्धे को जारी रखने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है ।

चूंकि ऐसी कम्पनियां उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के दायरे में नहीं आती है इस लिऐ इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्रवाई संभव नहीं है ।

आयात व्यापार नियंत्र अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम स्वतंत्र है और उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम से संबंधित नहीं हैं । इन अधिनियमों की धाराओं का यदि कोई उल्लंघन सरकार के नोटिस में आता है तो जैसा कि नई औषध नीति में कहा गया है उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के विरुद्ध जांच

9795. श्री दया राम शाक्य : क्या **रेल** मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के विरुद्ध जांच के बारे में दिनांक 11 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6463 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 32,500/— रु० की घाटे की राशि जनरल मैनेजर से क्यों नहीं वसूल की गई;

(ख) केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के तथ्य क्या हैं और 1969 के वित्तीय घाटे तथा प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनरल मैनेजर का स्थानांतरण सार्वजनिक हित में था और यदि हां, तो उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे में उच्च पद पर फिर से क्यों नियुक्त किया गया है :

(घ) क्या जनरल मैने के पद के लिये अन्य अधिकारियों के नामों पर विचार करने के नियमों में छूट दी गई थी और यदि हां, तो वरिष्ठ पात्र अधिकारियों की अवहेलना किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त महत्वपूर्ण पद के लिये इस पृष्ठ भूमि वाले अधिकारी के नाम पर विचार करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को मामला भेजा गया था जिसने सूचित किया कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध बेईमानी का कोई मामला सिद्ध नहीं हो सकता और यह परामर्श दिया कि अधिकारी को भविष्य में संविधान रहने की चेतावनी दे देना ही पर्याप्त होगा, इसलिये उन्हें चेतावनी दे दी गई । तदनुसार किसी प्रकार की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) इस मामले में प्रशासन को कोई हानि नहीं हुई और कोई बेईमानी सिद्ध नहीं हो सकी । केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श से प्रक्रिया संबंधी अनियतिमताओं की ओर अधिकारी का ध्यान दिलाया गया।

(ग) से (ङ) जैसा कि अतारांकित प्रश्न 6463 के उत्तर में बताया गय था, संबंधित अधिकारी को प्रशासन एवं अधिकारी के हित में पूर्वोत्तर रेलवे से स्थानांतरित कर दिया गया जब वह उप मुख्य इंजीनियर के रुप में कार्य कर रहे थे । उन्हें चयन के क्षेत्र में अधिकारियों, जिनमें उनसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है, के सापेक्षिक गुण दोष के आधार पर मंत्रिमण्डल की नियुक्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करके और सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रख कर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था।

ईंटों के भट्ठों के लिये कोयला

9796. श्री एस० आर० दामाणी
श्री के० मालन्ना
श्री रामानन्द तिवारी
श्री ज्योतिर्मय बसु : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ईंटों के भट्ठों के लिये कोयले की मांग को पूरा करने हेतु कोयला भेजने के लिये गत तीन महीनों में वैगनों की कमी थी ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरुप उत्तरी राज्यों में 75% प्रतिशत ईंटों के भट्ठे बंद होने की स्थिति में हैं; और

(ग) वैगन सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं और इस उद्योग की पूरी मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्तमान समय की चरम मांगों की तुलना में ईंट उद्योग के लिए कोयले की ढुलाई अपेक्षाकृत कुछ कम हुई है ।

(ख) रेलवे को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) ईंट पकाने के लिये कोयले की मांग मौसमी किस्म की हुआ करती है तथा यह प्रतिवर्ष नवम्बर से जून तक के महीनों के दौरान अत्यधिक बढ़ जाती है । चूंकि इन्हीं महीनों में रेल द्वारा अन्य वस्तुओं की भी ढुलाई की मांग चरम सीमा पर रहती है, अतः ईंट उद्योग से सभी संबंधित रेलें इस बात की आवश्यकता पर बल देती आ रही हैं कि ईंट पकाने के कोयले की पूरे वर्ष भर बराबर ढुलाई की जाती रहे ताकि व्यस्त मौसम में कोयले की कमी न होने पाये । दुर्भाग्यवश, ईंट भट्ठी वाले ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं । फिर भी, रेलों द्वारा ईंट उद्योग के लिए मालडिब्बों के लदान में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है ।

FOREIGN VISITS OF OWNERS OF M/S. A. H. WHEELER

9797 SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the justification for the London Office of M/s. A.H. Wheeler and the reasons why the owners of this company visit abroad often whereas all the books for their stalls are available in the country itself ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : The Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur, has reported that he has no information in the matter. He has called for relevant details from the company. On receipt of the Company's reply a statement will be laid on the Table of the House.

ट्रेक्शन डिस्ट्रिब्यूशन आर्गेनाजेशन के कर्मचारियों की विद्युतशक्ति से मृत्यु हो जाना

9798. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा कि :

(क) ट्रेक्शन डिस्ट्रिब्यूशन आर्गनाईजेशन (सी० एच० ई०) के कितने कर्मचारियों को अब तक बिजली लग चुकी है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों की मत्यु हुई है, कितने सदा के लिये विकलांग हो गये हैं और स्थाई रुप से असमर्थ हो गये हैं;

(ग) उनमें से कितने चौथी श्रेणी के खलासी हैं और क्या वह 25 किलोवाट तार ठीक करने के लिये अधिकृत व्यक्ति थे;

(घ) यदि हां, तो क्या जोखिम उठाने के लिये उनको कोई अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने इन अनधिकृत व्यक्तियों को 25 किलोवाट बिजली के तार ठीक करने के लिए भेजा था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : कर्षण वितरण संगठन के अभी तक 48 कर्मचारियों को बिजली का झटका लग चुका है ।

(ख) 48 कर्मचारियों को जिन्हें बिजली का झटका लगा था, 15 मर गये, विकलांग कोई नहीं हुआ न ही कोई स्थायी रूप से अपंग हुआ है ।

(ग) जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई, उनमें से 11 चौथे दर्जे के थे । चौथे दर्जे के कर्मचारियों को बिजली प्रवाही 25 किलोवाट वोल्ट प्रणाली पर काम करने का अधिकार नहीं है । लेकिन उन्हें कुशल और पर्यवेक्षण कर्मचारियों को सहायता देने का अधिकार है । वे बिजली-अप्रवाही 25 किलो बोल्ट उपस्करों पर कुशल कारीगरों या पर्यवेक्षण कर्मचारियों के निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए भी अधिकृत हैं ।

(घ) कर्मचारियों को जोखम तथा खतरे के लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता है । 25 कि० वा० उपस्कर पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा उच्च बोल्टेज भत्ते के लिए मांग की गयी थी । किंतु इसे तीसरे वेतन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ।

(ङ) बिजली का झटका लगने के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है । जिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है, उन्हें दंड दिया जाता है । बिजली का झटका लगने के उपर्युक्त सभी मामलों में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ।

रात में ब्लाक सेक्शनों के बीच चलने वाली मालगाड़ियां

9799. श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री रोबिन सेन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या रेल अधिकारी रात में मालगाड़ियां चलाते हैं तथा उन्हें ब्रेक वैन के बिना ब्लाक सैक्शनों के बीच चलाने की अनुमति देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करना सामान्य नियमों में निहित आदेशों के अनुकूल है;

(ग) 1974, 1975, 1976, 1977 और 1978 में जोन-वार ऐसी कितनी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई तथा इससे कितने व्यक्ति मरे; और

(घ) सरकार का (एक) ऐसी गाड़ियां चलाने के लिये उत्तरदायी असावधानी बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध और (दो) भविष्य में दुर्घटनायें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्तमान नियमों के अनुसार, सामग्री गाड़ियां, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर दिन के समय में ही चलायी जाती हैं । ये गाड़ियां ब्रेकयानों के बिना नहीं चलायी जातीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1974 से 1978 तक विभिन्न रेलों पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या जिनमें सामग्री गाड़ियों अन्तर्ग्रस्त हैं तथा इसके कारण मरने वालों की संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या	मरने वालों की संख्या
मध्य	1	—
पूर्व	3	1
उत्तर	—	—
पूर्वोत्तर	2	—
पूर्वोत्तर सीमा	1	—
दक्षिण	—	—
दक्षिण-मध्य	—	—
दक्षिण पूर्व	4	—
पश्चिम	—	—

(घ) चूंकि ये गाड़यां प्रवर्तमान नियमों के अनुसार चलायी जा रही हैं इसलिए, किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे में नई रेलगाड़ियों के लिये अतिरिक्त कर्मचारी

9800. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे के संतरागाची और हावड़ा में नई रेल सेवाएं आरम्भ किये जाने के बाबजूद अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वर्तमान कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ रहा है जिससे उनमें भारी नाराजगी पैदा हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नियम 377 के अधीन मामले

(MATTERS UNDER RULE 377)

(एक) लेखाओं के संकलन के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग किये जाने के बारे में महानियंत्रक का कथित निर्णय

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : लेखा महानियंत्रक ने अप्रैल, 1978 से मासिक लेखों का संकलन करने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है जो चिन्ता की बात है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में रोजगार के अवसरों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा । संगठन के कर्मचारियों को यह भय है कि इससे पदोन्नति के अवसर बिल्कुल बन्द हो जायेंगे । ज्ञात हुआ है कि कर्मचारियों ने प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को तार भेजे हैं और कम्प्यूटरों के प्रयोग को बन्द करने तथा आपात कालीन स्थिति के दौरान लेखों की संपरीक्षा से अलग करने सम्बन्धी योजना को समाप्त करने सम्बन्धी के निर्देश शीघ्र जारी करने चाहिए ।

(दो) किसानों को नियत मूल्य पर डायनामाइट उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

SHRI DHARAMASINHBHAI PATEL (Porbander) : Water in the wells of the farmers in the Saurashtra area of Gujarat is drying up. So there is great need for deepening the wells in that area. For these purposes dynamite shells is needed. Although the Government has fixed its price at Rs. 2, it is not available at the price and the black market price ranges from Rs. 9 to Rs. 11. Therefore, Government should see that this is made available to the farmers at the fixed rate in sufficient quantity.

(तीन) बड़े उद्योग घरानों का लाइसेंस जारी किये जाने के समाचार

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : Although the policy of the Janata Party is to put an end to the monopoly of the big industrial houses so that equality may brought about in the country, we find that from July, 1977 to December, 1977 licences worth Rs. 170.46 crores were granted to the MRTP Companies, Birla's share being the largest (Rs. 7.08 crores). According to a recent review of the Department of Company Affairs during July—December, 1977. Out of 28 applications from big houses any 5 have been rejected. For the remaining 23 companies most of the capital is to be provided by the public financial institutions and nationalised banks. Out of these 23 Companies 3 belong to the Birlas, 4 to J. K. Singhania, 2 to Tatas and 2 to Shriram. The issue of above licences by the Government is against public interest and the declared policies of the Government. Let them count with a clarification in this respect.

(चार) मनमाद पूर्णा और आदिलाबाद पूर्णा मार्गों पर यात्री गाड़ियों के रद्द किये जाने के समाचार

SHRI KESHAVRAO DHANKGE (Naidad) : Recently the Railways have cancelled the passenger trains between Manmad Poona, Aadilabad—Poona and Poona—Worli on the plea of coal shortage in Maharashtra. This has caused great hardship to the people of Marathawada region and there is widespread discontentment among them. It is very necessary to restore these train services. Let the hon. Minister of Railways pay attention ot it

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) :

Orders have already been issued to restore these train Services.

(पांच) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स, हैदराबाद में श्रमिकों के आन्दोलन के समाचार

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : हिन्दुस्तान एरनाटिक्स, हैदरदराबाद के एरियोनिक डिजाइन ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष को बहुत घमंडी बताया जा रहा है । उसका कर्मचारियों के प्रति व्यवहार बहुत तंग करने वाला है । कुछ समय पूर्व कर्मचारियों ने विरोध प्रकट करने के लिए आन्दोलन चलाया था । इस पर 100 के लगभग व्यक्तियों क चेतावनी

नोटिस दिया गया। बाद में वे पत्र वापस ले लिये गये और तीन महीने के बाद स्थिति की समीक्षा करने पर सहमति हुई।

इसके कुछ ही दिनों बाद एक कर्मचारी को अकस्मात् मुअत्तिल कर दिया गया क्योंकि उसने एक अधिकारी द्वारा कथित दुर्व्यवहार के विरुद्ध विरोध व्यक्त किया था। 11 अप्रैल को जब यूनियन की कार्यकारिणी के एक सदस्य संगठन मंत्री से बात कर रहे थे तो वायु सेना के एक अधिकारी ने वहां आकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तत्पश्चात् यूनियन के प्रेजीडेंट ने अधिकारी से मुलाकात की ताकि समस्या का समाधान हो सके। परन्तु उन्हें आरोपपत्र दिया गया और प्रबन्धकों ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने अधिकारी से क्यों बात की है। इससे कर्मचारियों में असन्तोष फैल गया। माननीय रक्षा मंत्री इस मामले पर ध्यान दें और स्थिति सामान्य करायें और मुअत्तली के आदेश वापस करायें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(PAPERS LAID ON THE TABLE)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पैट्रोलियम और रसायन तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जरनेश्वर मिश्र) : मैं निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1978 को दिनांक 1 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 156(5) में प्रकाशित हुआ था ;

(दो) हल्का डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1978 जो दिनांक 1 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 157(ड) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) संशोधन आदेश, 1978 जो दिनांक 1 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 158 (ड) में प्रकाशित हुआ था।

ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल०टी० 2266/78] पट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई और वितरण पर परामर्श समिति के गठन के बारे में संकल्प।

(2) "पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई और वितरण" पर परामर्श देने के लिये समिति के गठन के बारे में दिनांक 28 अप्रैल, 1978 के संकल्प संख्या क्यू-30021/8/78-डिस्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :

ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2267/78]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : मैं संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष

1975-76 और 1976-77 के प्रतिवेदन—भाग 1 और 2 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2268/78]

श्री ज्योतिर्मय बसु: आपात स्थिति के अंधकारपूर्ण वर्ष का एक प्रतिवेदन आज सभापटल पर रखा गया। यह इतने विलम्ब से क्यों रखा गया? क्या आप माननीय मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देने का निदेश देंगे?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : We had to get it translated into Hindi.

प्रो० पी० जी० मावलंकर: आपकी विनम्रता को गम्भीर चेतावनी के रूप में नहीं समझा जा रहा है। आप कृपया दृढ़ता के साथ उन्हें देरी का लिखित स्पष्टीकरण देने को कहें।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या इसका स्पष्टीकरण लें (अन्तर्बाधाएं)।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 8 मई, 1978 को अपनी बैठक में लोकपाल विधेयक, 1977 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री के० ए० कृष्णास्वामी और श्री वी० पी० सिंह की राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थानों पर दो सदस्यों को नियुक्त करने सम्बन्धी लोकसभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थानों को भरने के लिए नियुक्त किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी:—

(1) श्री एन० के० पी० साल्वे

(2) श्री वी० वी० स्वामीनाथन

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण
(CALLING ATTETION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE)

भारतीय मीन उद्योग निगम के बन्द किये जाने का प्रस्ताव

श्री समर गुह (कन्टाई): मैं भारतीय मीन उद्योग निगम को जो सरकारी उपक्रम हैं, बन्द करने के प्रस्ताव के समाचार की ओर जिसके कारण कर्मचारियों में और पश्चिम बंगाल के मीन भक्षी लोगों में चिन्ता व्याप्त है, कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

सिंचाई और कृषि मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): 1. मुख्य रूप से कलकत्ता के उपभोक्ताओं को उचित दर पर मछली उपलब्ध कराने और देश के भीतर उत्पादकों को उचित मूल्य देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1965 में केन्द्रीय मात्स्यकी निगम लिमिटेड, हावड़ा की स्थापना की थी।

2 निगम प्रारम्भ से ही लगभग हर वर्ष घाटे में चल रहा था। निगम के कार्य-पद्धति की व्यापक रूप से समीक्षा करने के लिए नवम्बर, 1976 में एक समीक्षा समिति गठित की गई थी। इस समिति ने सिफारिश की कि केन्द्रीय सरकार की पूरी वित्तीय सहायता तथा नैतिक समर्थन के बावजूद निगम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई थी और कलकत्ता की मण्डी में मछली की सप्लाई को नियंत्रित करने व उचित मूल्य बनाए रखने का मूल उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। अत: राज्य मात्स्यकी विकास निगम में विलय करने लिए निगम राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए।

3. समिति का विश्वास था कि वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत निगम सक्षम सिद्ध नहीं होगा। इस लिए, उसने यह भी सिफारिश की कि जब तक निगम के भविष्य के बारे में निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक न्यनतम कर्मचारियों को भूगतान के सिवाए निगम को कोई भी अतिरिक्त वित्तीय समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए।

4. तदनुसार पश्चिम बंगाल सरकार से निगम को अपने राज्य मात्स्यकी विकास निगम में विलय करने व इस की गतिविधियों को संभालने का अनुरोध किया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने इस विषय में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

5. निगम की स्थिति में कोई भी सुधार होने की सम्भावना नहीं है और निगम को आगे जारी रखना राज्य कोष पर व्यर्थ का अतिरिक्त भार होगा। अत: निगम को समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री समर गुहा: केन्द्रीय मात्स्यकी निगम लिमिटेड की स्थापना के पीछे चौबीस उद्देश्य हैं जबकि मंत्री महोदय ने केवल दो उद्देश्य बताये हैं: क्या इन उद्देश्यों का अध्ययन करने की कोशिश की गई है। 1973-74 और 1974-75 में इस निगम को 21 लाख रुपये का लाभ हुआ था लेकिन 1976 से वह क्यों घाटे में जाने लगा? यह शायद कुप्रबन्ध के कारण है। इस निगम की तरह सरकारी क्षेत्र के अन्य निगम भी तो घाटे में चल रहे हैं? क्या आप उन्हें भी बन्द करेंगे? कुछ निजी व्यापारी इस निगम के विरुद्ध काम कर रहे हैं और उसके बन्द होने का फायदा उठा रहे हैं। इसका 500 अधिकारियों और कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि समीक्षा समिति में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, क्या उसने यह भी जांच की कि निगम ने चौबीस उद्देश्यों को क्रियान्वित क्यों नहीं किया, क्या उसने निगम में होने वाली फिजूलखर्ची, कर्मचारियों का भरती के बारे में दोषपूर्ण नीति की जांच की और भ्रष्टाचार आदि की भी छानबीन की। क्या सरकार नये सिरे से जांच करके इस निगम का पुनर्गठन करेगी? पश्चिम बंगाल के लोगों का मछली एक मुख्य भोजन है अत: इसके बन्द करने से उनके लिए समस्या पैदा हो जायेगी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: यह कहना ठीक नहीं है कि 1973-74 और 1974-75 में लगभग 21 लाख रुपये का लाभ हुआ। केवल वर्ष 1973-74 में ही 2.54 लाख रुपये का लाभ हुआ था और और यह भी इसलिए कि बंगला देश के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो गया था और वहां से 4,412 टन मछली बिक्री के लिए आ गई थी, परन्तु वर्ष 1974-75 में 25.15 लाख रुपये की हानि हुई।

गत वर्ष के अक्तूबर महीने में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था। समिति ने एक बहुत ही विस्तृत प्रतिवेदन दिया। हमने इसका अध्ययन कर लिया है तथा हम इससे सहमत हैं। अतः इसके लिए नई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

18वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से, जो 8 मई, 1978 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : मुझे दुख है कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार को हुई यद्यपि हम पहले सहमत हुए थे कि बैठक केवल बुधवार को होगी।

अध्यक्ष महोदय : सभा में यह बता दिया गया था कि बैठक सोमवार को होगी।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिली सदर) : मंत्री जी ने कल दूध की कीमतों में 40 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी। इससे दिल्ली के लोगों में काफी रोष है। इसका प्रभाव बच्चों बुढ़ों, सभी पर पड़ा है अब गरीब लोग दूध नहीं खरीद सकेंगे। मैंने इस बारे में आपको एक पत्र भी लिखा था। इस विषय पर एक घण्टे की अत्यावश्यक चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

आयकर के बारे में चौकसी समिति की रिपोर्ट सरकार को दो मास पहले पेश की गई थी पर उसे अभी तक सभा में पेश नहीं किया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है इस पर शीघ्र चर्चा होनी चहिए।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक इस सभा में पेश किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण मसला है। मंत्री जी ने कहा था कि इस सभा के अन्त तक ऐसा एक विधेयक पेश किया जाएगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : कार्य मंत्रणा समिति की जो अगली बैठक होगी उसमें इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। जहां तक आयकर सम्बन्धी प्रतिवेदन का सम्बन्ध है मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसे सभापटल पर रखा जाए। औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को शीघ्र पेश किये जाने की उतनी ही चिन्ता मुझे भी है जितनी की श्री राय को। मैं भी चाहता हूं कि यह व्यापक विधेयक शीघ्र पेश किया जाय। पर इसे तैयार को करने में कुछ समय लगेगा। हम यथाशक्य कोशिश करेंगे कि विधेयक इसी सत्र में पेश हो।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से, जो 8 मई, 1978 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मो० शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह रिपोर्ट में नहीं दें।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

छठा प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन में श्री अण्णासाहिब और श्री पी० के० शेजवालकर को प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिए सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति देने की सिफारिश की है।

क्या सभा की इच्छा है कि सिफारिश के अनुसार अनुमति दी जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) विधेयक—जारी

CUSTOMS, CENTRAL EXCISE AND SALT AND CENTRAL BOARD OF REVENUE (AMENDMENT) BILL *Contd.*

विचार करने का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सतीश अग्रवाल द्वारा 8 मई 1978 को पेश किए गए निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे।

> "कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 में कतिपय संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : हमें आशा थी कि मंत्री जी अपने दिमाग का कार्यकरण ठीक करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे क्योंकि उनका विभाग गलत कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने संकेत दिया था कि वह किसी अन्य अवसर पर कुछ और परिवर्तन भी लाएंगे। हमें उन पर बड़ी आशा थी। आशा है कि आप इस सदन में अभिव्यक्त भावनाओं पर विचार करेंगे और उन पर उचित कार्यवाही करेंगे।

विदेशी मुद्रा की स्थिति संतोषजनक होने का कारण यह है कि विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीय अपनी खून-पसीने की कमाई भारत भेजते हैं। परन्तु आप जानते हैं उनके साथ वहां कैसा व्यवहार किया जाता है। उनके साथ अपराधियों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। बम्बई में सीमाशुल्क अधिकारी इन्हें विशेष रूप से परेशान करते हैं। उनकी बेइज्जती की जाती है। औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सामान लाने सम्बन्धी

जो कानून हैं उनमें संशोधन किया जाना चाहिए : इन लोगों द्वारा हमारे दूतावासों या बैंकों आदि के माध्यम से कानूनी तौर पर जो विदेशी मुद्रा भेजी जाती है उनके कम से कम 25 प्रतिशत भाग के मूल्य का सामान उन लोगों को लाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सदस्यों ने विधेयक का आम तौर पर जो स्वागत किया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। चर्चा के दौरान यह प्रश्न भी उठाया गया कि अधिनियम में "नमक" शब्द क्यों जोड़ा गया है जबकि "नमक" पर किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क नहीं है और जब कि सरकार हर वर्ष वित्त विधेयक में यह उपबन्ध करती है कि नमक पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जब बाद में मैं उत्पादन शुल्क के बारे में सदन के समक्ष व्यापक विधेयक प्रस्तुत करूंगा तो उस समय "नमक" शब्द ही उस में नहीं होगा ताकि इसके बाद कभी नमक पर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न न हो।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि छोटे स्तर के एककों को 5 लाख तक के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क की छूट दी गई है और फिर जब किसी एकक को 5 लाख तक की छूट दी ही है, तो निरीक्षक के बार-बार दौरे करने की क्या आवश्यकता है। सरकार ने इसके बारे में निर्णय कर लिया है और आज इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जा रही है कि ऐसे लघु स्तर के एककों, जिनका उत्पादन 5 लाख का 80 प्रतिशत हो अर्थात् 4 लाख के करीब हो, उन्हें सभी प्रकार के उत्पादन नियंत्रणों से मुक्त रखा जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि मूल्य सूची, वर्गीकरण सूची तथा अन्य इसी प्रकार की सूचियों के अनुमोदन की क्या आवश्यकता है क्योंकि जब कभी भी निर्धारितियों द्वारा ऐसी सूचियां सहायक कलक्टर को दी जाती हैं तो उन्हें मंजूरी देने तथा अन्तिम रूप देने में काफी समय लग जाता है। इसके बारे में भी आज एक अधिसूचना जारी की जा रही है तथा नियम 1973(ग) का संशोधन किया जा रहा है कि निर्धारितियों को उनकी सूचियों की मंजूरी से पहले ही अपना माल भेजने की अनुमति दी जाए तथा सूचियों का अध्ययन तथा जांच बाद में किया जाए।

कुछ सदस्यों ने खण्ड 19, 21 तथा 22 का कड़ा विरोध किया है। सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब सरकार ने इन खण्डों को समाप्त करने का निर्णय किया है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned or lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर नौ मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled, after lunch at nine minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*].

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय सदस्यों द्वारा जो विभिन्न सुझाव दिये गये हैं उन्हें नये उत्पादन शुल्क विधेयक में शामिल किया जायेगा। प्राक्कलन समिति के सुझावों को भी

उत्पाद शुल्क विधेयक में शामिल करने पर विचार किया जायेगा ताकि विवाद की गुंजाइश बहुत कम रह जाये तथा विशेष रूप से निर्माताओं, "मूल्य', "सम्बद्ध व्यक्ति" "वितरक" आदि शब्दों की व्याख्या से सम्बद्ध उनके सुझावों पर तो अच्छी तरह विचार किया जाएगा।

यह पूछा गया है कि कम लेवी के बारे में समय सीमा को 6 मास से बढ़कर 5 वर्ष क्यों किया गया है। पहले तो कोई समय सीमा नहीं थी। अगस्त, 1977 में जब नियमों में संशोधन किया गया तो लगी के मामले में 5 वर्ष की समय सीमा रखने का नियम बनाया गया। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि इतने महत्वपूर्ण उपबन्ध को नियमों में रखने के स्थान पर अधिनियम में ही शामिल कर लिया जाए। इसीलिए अधिनियम में यह संशोधन लाया गया है।

जहां तक दुरुपयोग का सम्बन्ध है, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दोनों की वापसी के लिए या कम लेवी के लिए हमने 6 मास का समय रखा है।

हमने हाल ही में ये अनुदेश जारी किये हैं कि वापसी के सभी मामलों पर 3 मास के भीतर निर्णय ले लिया जाये।

सामान ले जाने सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन के बारे में कहा गया है। नये नियम एक सप्ताह के भीतर घोषित किये जायेंगे और उनका खब प्रचार किया जायेगा और सदस्यों को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।

सीमा शुल्क देने के समय दिक्कत करने के लिए हम उपाय कर रहे है ताकि बम्बई, कोचीन या त्रिवेन्द्रम में या किसी अन्य स्थान पर दिक्कत न हो।

विदेशों से आने वाले भारतीय अपनी कुल मुद्रा के 25% मूल्य के बराबर का सामान ला सकें, इस बारे में सुझाव तो अच्छा है लेकिन गैर-व्यापारिक माल लाने की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ रही है। फिर भी मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

जब भी सरकार के ध्यान में अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे कहा जाता है तो उस पर तत्काल कार्यवाह की जाती है।

जहां तक पुनर्गठन का प्रश्न है तदर्थ आधार पर बहुत कुछ ढांचा बना हुआ है। भर्ती नियम नहीं है। कई वर्षों से कर्मचारी स्थायी नहीं किये गये हैं। कलेक्टरेट के बारे में राज्यों वार संवर्ग हैं, किसी राज्य में दो संवर्ग हैं तो किसी में तीन। यह अब यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यवार कलेक्टरेट हों। जहां भी असंगति होगी हम उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

प्राक्कलन समिति एवं अन्य विशेषज्ञ समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर तथा कई माननीय सदस्यों के सहयोग से जो इसमें रुचि रखते हे, हमें आशा है कि हम इस दिशा में सुधार करेंगे और भविष्य में इस बारे में शिकायत नहीं होने देंगे

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 में कतिपय संशोधनों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम खण्ड वार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 4 में संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है: "कि खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खण्ड 5

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर): मैं अपना संशोधन संख्या (1) प्रस्तुत करता हूं। वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी अस्पतालों की तरह से माना जाना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर): यह लाभ केवल अस्पतालों को ही मिलेगा।

संशोधन संख्या (1) सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill

खण्ड 7 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 7 to 13 were added to the Bill.

खण्ड 14

उपाध्यक्ष महोदय: एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 11,—

"1977" **के स्थान पर** "1978" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(श्री सतीश अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 14 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14, *as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 15 और 16 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 15 *and* 16 *were added to the Bill.*

खण्ड 17

उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन हैं ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 26,—

"किये गये किसी आदेश के अधीन" (Under any order made) का लोप किया जाये ।

पृष्ठ 6, पंक्ति 29,—

"उक्त अनुज्ञप्ति" (said licence) **के स्थान पर**

"उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निर्यात किया जायेगा जो उक्त अनुज्ञप्ति में" (Said licence within the period specified therein) **प्रतिस्थापित किया जाये**

पृष्ठ 6, पंक्ति, 40—

"उक्त अग्रिम अनुज्ञप्ति द्वारा अपेक्षित रूप में" (as required by the said Advance licence)

के स्थान पर

"उक्त अग्रिम अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर, जो छह मास से अधिक न हो, जिसे सीमाशुल्क सहायक कलक्टर, पर्याप्त कारण प्रदर्शित किये जाने पर, मंजूर करे"

("within the period specified in the said Advance Licence, or within such extended period not exceeding six months as the Assistant Collector of Customs may, on sufficient cause being shown, allow).

प्रतिस्थापित किया जाये ।

पृष्ठ 7, पंक्ति 2 और 3,—

"साधारण ब्याज" (simple interest thereon) **के स्थान पर**

(SIMPLE INTEREST THEREON)

"उस पर साधारण ब्याज" (simple interest thereon) **प्रतिस्थापित किया जाय**

(श्री सतीश अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 17 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17, *as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18 *was added to the Bill.*

खंड 19

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

खण्ड 20

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 13,—

"अधिनियम, Act के पश्चात्

"1944 (एतद् पश्चात् इस अध्याय में उल्लिखित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के रूप में)"

[1944 (hereafter in this Chapter required to as the Central Excises and Salt Act)]

अन्तःस्थापित किया जाये

(श्री सतीश अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 20 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 20, *as amended was added to the Bill.*

खण्ड 21 और 22

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 और 22 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

खण्ड 23

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 23 was added to the Bill

खण्ड 24

संशोधन किया गया

पृष्ठ 12, पंक्ति 9 से 14,—

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(क) ऐसे उत्पाद-शुल्क माल की दशा में, जिस पर उत्पाद शुल्क उद्गहीन नहीं किया गया या संदत्त नहीं किया गया है या जिस पर उत्पाद शुल्क कम उद्गृहीत किया गया या कम संदत्त किया गया है:

(क) जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन कोई मासिक विवरणी जिसमें उस महीने के दौरान जिससे उक्त विवरणी सम्बन्धित है, उठाये गये ऐसे माल, जिस पर उत्पाद शुल्क लगता है, संदत्त शुल्क दिखाया गया है, किसी निर्माता अथवा उत्पादनकर्त्ता अथवा किसी भाण्डागार के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की जाती है, यथास्थिति, वह तारीख जब ऐसी विवरणी दायर की जाती है,

(ख) जहां कोई मासिक विवरणी, उपर्युक्त रूप में, दायर की जाती है, अन्तिम तारीख जब उक्त नियमों के अधीन ऐसी विवरणी दायर की जाती है;

(ग) किसी अन्य मामले में, वह तारीख जब इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन शुल्क संदत्त किया जाता है,"

"(A) in the case of excisable goods on which duty of excise has not been levied or paid or has been short-levied or short-paid—

(A) where under the rules made under this Act a monthly return, showing particulars of the duty paid on the excisable goods removed during the month to which the said return relates, is to be filed by a manufacturer or producer or a licensee of a warehouse, as the case may be, the date on which such return is so filed;

(B) where no monthly return as aforesaid is filed, the last date on which such return is to be filed under the said rules;

(C) in any other case, the date on which the duty is to be paid under this Act or the rules made thereunder,"

(श्री सतीश अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 24 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25 was added to the Bill.

खण्ड 26

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 25,—

"1977" **के स्थान पर** "1978" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

(श्री सतीश अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 26, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 27 से 29 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 27 to 29 were added to the Bill.

खण्ड 30

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं । सरकार 7 सदस्यों के लिए कह रही है और मैं 9 सदस्यों के लिए कह रहा हूं । अप्रत्यक्ष कर विभाग में हजारों अपीलें लम्बित पड़ी हुई हैं । अधिकारी हमेशा पीड़ित व्यक्ति का ही रोष निकालते हैं और जो नीचे के अधिकारियों ने कहा उसी का समर्थन करते ह । उसी दिन निर्णय नहीं दिया जाता है । आयकर न्यायाधिकरण में उसी दिन निर्णय दिया जाता है । अधिकारियों को निडर होना चाहिए । अब आपातकालीन स्थिति नहीं है । न्याय शीघ्र दिया जाना चाहिए । इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्री विनोद भाई शेठ ने जो संशोधन पेश किया हैं उससे वह चाहते हैं कि सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 9 की जाये । किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड को कोई न्यायिक कार्य नहीं करना है । यहां भी अपीलीय न्यायाधिकरण हैं । अतः सदस्यों की संख्या बढ़ाने से केवल व्यय में ही वृद्धि होगी अतः सदस्य बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है । अतः वह अपना संशोधन वापस लें ।

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment No. 3 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 30 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 30 was added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किया गया :

"1977" **के स्थान पर** "1978" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(श्री सतीश अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 को, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"अट्ठाइसवें" (Twenty-eight) **के स्थान पर** "उन्तीसवें" (Twenty-ninth)

प्रतिस्थापित किया जाये ।

(श्री सतीश अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधन रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The enacting formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill.

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इससे पहले कि मैं विधेयक को संशोधन रूप में पास किये जाने का प्रस्ताव करूं मेरा निवेदन है कि विधेयक के खंडों की संख्या में अनुवर्ती संशोधन किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभा इससे सहमत है ।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधन रूप में, पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन विधेयक)

Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill.

THE MINISTER OF INDUSTRIES (SHRI GEORGE FERNANDES) : Sir, I beg to move :

"that Bill further to amend Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill be taken into consideration."

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कीनम) : मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे अंग्रेजी में बोलें ।

SHRI GEORGE FERNANDES : I think at least you will allow me to speak in Hindi Khadi and Village Industries.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अंग्रेजी में साथ-साथ हो रहे अनुवाद को सुन सकते हैं ।

SHRI GEORGE FERNANDES : This Bill has been brought forward to amend the definition of khadi so as to include man-made fibres besides the natural fibres, as recommended by the Khadi and Village Industries Commission.

It is also proposed through this Bill that the existing maximum limit of members of commission is raised from five to seven in pursuance of the recommendations of the Public Accounts Committee. It is also proposed to provide for the appointment of the Financial Adviser and the Chief Executive officer as a Member and Member-Secretary of the commission respectively.

We are also removing through this Bill the restrictions imposed by the Khadi and Village Industries Commission Act of 1956 on the appointments carrying a salary of more than Rs. 500 so that commission may function properly.

Through this legislation we are conferring the rights to the Khadi and Village Industries Commission to make appointments that carry a salary exceeding Rs. 500.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री हुकमदेवनारायण यादव (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 12 जुलाई, 1978 तक राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाये ।"

श्री बी० पी० मण्डल (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 जुलाई, 1978 तक राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाये ।"

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 9 अगस्त, 1978 तक राय जानने के लिये विधेयक को परिचालित किया जाये ।"

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : इस विधेयक में सबसे अवांछनीय बात तो 'खादी'

शब्द को पुनः परिभाषित करने के बारे में है। दूसरी बातें तो प्रशासन सम्बन्धी मामलों के बारे में हैं। इस नई परिभाषा से तो खादी को समाप्त किया जा रहा है।——(व्यवधान)

गांधी जी ने 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम बनाया था जिसमें खादी को प्राथमिकता दी गयी थी। इसका सम्बन्ध हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन से है। यह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने खादी का आन्दोलन देश के उत्थान के लिए आरम्भ किया था। इससे यह जान पड़ता है कि इसका कितना महत्व है।

खादी को पुर्नपरिभाषित करने की क्या आवश्यकता है। इसको पुर्नकिसित करना उचित नहीं है। इसका सम्बन्ध राष्ट्र की भावना से जुड़ा है।

कहा गया है कि आज की आवश्यकता और लोगों की रुचि और फैशन में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खादी में मानवनिर्मित रेशे को शामिल करने हेतु खादी की परिभाषा को बदला जा रहा है खादी गांधी जी के कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग था। जवाहर लाल नेहरू ने इसे स्वतंत्रता की पोषाक की संज्ञा दी। इनके लिए यह एक राष्ट्रीय अस्त्र था और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक साधन था। खादी उत्पादन से गरीब लोगों को रोजगार मिलता है।

मैं इस संश्लिष्ट खादी के उत्पादन के विरुद्ध नहीं हुं। हथकरघा कपड़ों में संश्लिष्ट रेशे मिलाने का न्यायोचित कारण हो सकता है पर इसे खादी नहीं कहा जा सकता है। खादी महात्मा गांधी का दिया हुआ एक पवित्र नाम है। इसे बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए। इसे मिलावट करके बेचने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

SHRI RAMMURTI (Bareilly) : The Father of the Nation had attached great significance to khadi and had evolved a process of production of Khadi with a view to provide the poor villagers with a means of livelihood. But later on it was felt that Khadi was not quite strong and durable keeping in view its prices. It was, therefore, thought proper that it should be made more durable by mixing with it man-made fibre and polyester. It is, perhaps with this idea a new definition of Khadi' is being made.

There should not be any exploitation of Khadi weavers. Times have been changing and the people like machine-made clothes because these are fency and beautiful. So if we want that Khadi becomes more popular and capture the fency of the people, we should introduce new designs in khadi and good designers should be deployed on the job. If we can give attractiveness and durability to khadi, it will be liked by the people.

I want to request that only those persons should be engaged on the work of khadi, who actually love khadi and believe in its philosophy. The policy of Janata Government has been to encourage and expand rural industries and therefore, it is suggested that all Government agencies, which purchase cloth for uniforms, must necessarily purchase khadi for the purpose.

SHRI SANGAT ROY (Berkpore) : Mr. Deputy Speaker Sir, I oppose this Bill. I do not say that this has been brought mischievously but I would like to say that it has injured the feelings of those people who have complete faith in Gandhian concepts. I want to say that Shri George Fernandes has worked against Gandhiji and has failed to comprehend his khadi concept.

During our freedom struggle, Gandhiji laid stress on the use and propagation of khadi with a view to give impetus to Swadeshi movement and to provide full and partial employment to the rural people. The concept of khadi has not changed even now because most of the khadi users wear it for sentimental reasons. By including polyester fibre in the definition of khadi, the minister want to play with the sentiments of khadi lovers.

The economy of khadi is essentially labour-intensive and the economy of mill-made cloth is capital intensive and therefore, khadi cannot stand in competition with mill cloth. We should, therefore, continue to give protection to khadi and should retain our old concept.

Steps should be taken to reduce the cost of khadi by supplying cotton at cheap rates and by giving subsides.

There is large scale corruption rampant in the khadi commission. Certain persons have taken money from khadi commission and have utilised it for fency purpose. They have not repaid it so far. Steps should be taken to recover such money and to check the exploitation of poor khadi workers. A commission should be set up to look into. The real benefit of introducing polyester in khadi industry will go to the multinationals only. Action should be taken to improve the marketing system of khadi goods.

The recommendations made by the Administrative staff college of Hyderabad in regard to khadi and Villge Industries Commission should be implemented.

Multinationals should not be allowed to produce these goods which are being produced and sold by khadi industry.

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : I agree with the feelings expressed by Shri Sangata Roy when Khadi and Village Industries Commission Bill was brought in 1956, great stress was laid on ensuring genuineness of khadi. This genuineness should not be spoiled now.

He is not in agreement with the view of the Prime Minister, expressed in a seminar recently that polyester was also a sort of khadi. Sanctity attached with khadi should not be destroyed by bringing polyester under khadi. Other alternate ways may be adopted to provide employment through polyester. Government should take this as a matter of prestige and should abandon this effort which is likely to hurt the feelings of khadi users.

The undelying idea of self-reliance behind the concept of khadi cannot be retained by bringing polyester under khadi.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

Acharya Kripalani has also warned in 1956 that Government should not bring khadi institutions under them. He is still against it.

The definition of khadi given by Gandhiji, it was hand-woven khadi free from exploitation. Gandhiji said that mixed khadi was like fake currency. The economy and philosophy of khadi is in simplicity. If we bring polyester under khadi, the spirit of khadi will be injured. Therefore, the Minister should reconsider over this Bill.

*श्री के० ए० राजू (पोल्लची) : सभापति महोदया, माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर दिया गया है इसके लिए मैं आपका आभारी हुं।

मैं यह कहना चाहता हुं कि मन्त्री महोदय, अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों जैसे कोका कोला, आई० बी० एम० आदि को समाप्त करके अपने साहस का परिचय दिया है अत: मैं उनसे इस प्रकार के विधेयक की आशा नहीं कर रहा था। मैं यह कहना चाहता हुं कि खादी तो अमीर और राजनैतिकों का पहनावा हो गया है। यह इतनी महंगी है कि जनसाधारण का पहनावा तो यह हो ही नहीं सकता। अब यह मात्र बड़े लोगों की ही आवश्यकता बन कर रह जायेगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसकी जम्मेदारी मन्त्री महोदय पर होगी।

महात्मा गांधी ने खादी को मात्र कपड़े की सत्ता नहीं दी बल्कि इसे राष्ट्र में सम्मान का प्रतीक समझा। उनका यह एक आर्थिक उपकरण था। वह यह चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में एक चर्खा होगा क्योंकि इससे आंशिक बेरोजगारी पूर होगी। उन्होंने खादी के आधार पर स्वदेशी आंदोलन चलाया था।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

हम यह जानना चाहते हैं कि क्या देश में खादी उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समुचित मानव निर्मित रेशे उपलब्ध हैं। क्या खादी में मानव निर्मित रेशे मिलाने से वह खराब नहीं हो जाएगी। यदि इन रेशों का उत्पादन समुचित मात्रा में नहीं होता तो क्या मन्त्री महोदय बाहर से ऐसे धागे का आयात करेंगे क्या ऐसा कर के हम खादी के सम्मान को बढ़ा रहे हैं अथवा इसे अन्य मिलों में बनने वाले कपड़े की कोटि में ला रहे हैं। मन्त्री महोदय हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दें।

जहां तक खादी और ग्राम उद्योगों के आयोग सदस्यों की संख्या बढ़ाने का सम्बन्ध है इस आयोग में उन सभी असन्तुष्ट अधिकारियों अथवा उन अधिकारियों को जो कि अपनी दिलेरी कहीं और नहीं दिखा पाए हैं आश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। नौकरशाह अपने दम्भ के लिए प्रसद्धि हैं वह निर्धन लोगों की समस्याओं से स्वयं को परिचित नहीं कर सकते।

खादी आयोग के अध्यक्ष ने अभी हाल में कहा है कि अगर उन्हें 75 करोड़ रुपया सरकार दे दे तो वह 1 लाख नौकरियों की व्यवस्था कर सकता है। सरकार को यह धन-राशि उन्हें दे देनी चाहिए ताकि वह इन नौकरियों की व्यवस्था यथाशीघ्र कर सकें।

उद्योग मन्त्री महोदय देश के ग्रामीण क्षेत्रों का उद्योगीकरण करने के उद्देश्य से जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कार्यकुशलता के कारण हीं इन केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता आ पड़ी है। मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि देश के ग्रामीण ग्रामोद्योग को उद्देश्यी और अर्थ-पूर्ण बनाने के लिए जिला केन्द्रों और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बीच सहयोग होना चाहिए।

DR. LAXMI NARAYAN NAYAK (Khajuraho) : Sir, the basic concept behind khadi is that it should be produced with the raw material available in the villages itself and it should not be dependent on others for raw material. It is on this basis that mill-made products were opposed during the freedom struggle. It will be wrong to include polyester yarn under khadi because the khadi industry will have to depend on mills.

Nothing artificial should be brought under khadi industry. People pay more price for genuineness only. This genuineness should not be spoiled.

If at all polyester is to be introduced in the business being done by the khadi Commission, separate shops should be opened for it. Efforts should also be made to reduce the cost of khadi products.

Action should also be taken against those who have taken money from the commission and have invested it for other purposes. The village weavers should be provided uncoloured yarn. I support the Bill but want that the sanctity of khadi should not be spoiled.

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि चार या पांच वर्षों के पश्चात् सरकार लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन कर रही है। यदि खादी में मानव निर्मित रेशे मिला दिए जाएं तो वह खादी कैसे रह पाएगी। खादी तो कपास, सिल्क अथवा ऊन पर आधारित होती है। मेरे विचार से खादी के नाम पर उद्योगपति और व्यापारी सरकार से सहायता प्राप्त कर लेंगे अतः मानव-निर्मित रेशे क्या हैं इनकी स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए।

आयोग को ऊंचे वेतन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया जा रहा है किन्तु इस वेतन की उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है अतः यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस वेतन की उच्चतम सीमा क्या है?

इस संगठन में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस सभा में इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है कि खादी उद्योग के लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शायद इस संगठन में भ्रष्टाचार का कारण यह है कि यहां के कर्मचारियों की सेवा शर्तें उचित नहीं हैं अतः सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए।

विभिन्न स्थानों पर खादी के मूल्य भी भिन्न-भिन्न हैं। इस सम्बन्ध में एकरूपता होनी चाहिए क्योंकि खादी का प्रबन्ध एक ही प्रशासन के अन्तर्गत है।

SHRI D. N. TIWARI (Gopalganj) : During the earlier period of British regime, our khadi industry was so much developed that U.K. could not stand in competition with the cloth produced by it and therefore they banned the import of cloth into their country and punished our weavers there. During the freedom struggle, Khadi became the dress of freedom fighters and it also helped in removing partial unemployment.

I do not think that there is any necessity of making khadi from man-made fibre. Even super fine cloth can be made from khadi. I therefore, appeal to you that that section should be deleted in which it has been mentioned that man-made fibre is used otherwise the feeling of a very large number of persons will be hurt.

श्री टी० ए० पई (उदीपी) : सभापति महोदय, यदि खादी से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो खादी का विस्तार करना होगा। जब तक खादी की बिक्री बड़े पैमाने पर नहीं की जाएगी तब तक रोजगार के अवसर नहीं बढ़ सकेंगे।

इन वर्षों के दौरान खादी आयोग का कार्यकरण बहुत असन्तोषजनक रहा है। लगभग सभी सदस्य राजनीतिक व्यक्ति हैं जो वहां काम पर लग गए हैं। खादी आयोग के ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिए। वहां ऐसे लोगों को लगाया जाए जाना चाहिए जो खादी का काम जानते हों और जो वहां भली प्रकार काम कर सकें।

आज ग्रामीण उद्योगों पर अधिक बल दिया जा रहा है। खादी भी एक महत्वपूर्ण ग्रामीण उद्योग है। खादी आयोग को 22 उद्योगों का काम सौंपा गया था। सभी ग्रामीण उद्योगों को खादी उद्योग के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। खादी आयोग का मुख्य काम यह होना चाहिए कि वह ग्रामीण उद्योगों के लिए कुशल विपणन संगठन की व्यवस्था करे। यदि एक ही नाम के अन्तर्गत सभी उत्पादों का विपणन करने के लिए कोई अन्य संगठन तैयार करना है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि खादी आयोग को ही अत्यन्त महत्वपूर्ण विपणन संगठन बनाया जाए।

यदि आप चाहते हैं कि पोलिएस्टर भी कुटीर उद्योगों नें बनाया जाए तो इस उद्योग को भी खादी आयोग के सुपुर्द किया जाए। परन्तु इसके लिए खादी की परिभाषा नहीं बदलनी होगी।

KM. MANIBEN VALLABHBHAI PATEL (Mehsana) : I oppose this Bill. When Gandhiji launched khadi movement, the idea behind it was that the villagers can prepare khadi with the raw material available in the villages. The man-made fibre has, therefore, no place as far as khadi is concerned.

The introduction of Ambar Charkha has given a go-by to the Yarvada Charkha which was used by Primary school children for spinning yarn. Today a large number of old Ambar Charkhas are lying idle for want of the facilities of technicians for their repairs. But now an improved version of Ambar Charkha has been brought.

It appears that by bringing man-made fibre under khadi, Government are going to finish khadi. Whatever name may be given to it, but products made of man-made fibre should not be sold in khadi bhandars.

It should not be complained that khadi goods are costly. After all, we have to keep in mind the interest of poor weavers also. If one wants cheaper khadi, he should prepare it himself.

The provision regarding the mill-made fibre should be deleted from the Bill. If necessary, the Bill may be referred to a Select Committee or may be circulated to elicit public opinion thereon.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) खादी हमारे उन मूल्यों का प्रतीक है जिसके लिए हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले संघर्ष किया और जिसके लिए हम आज भी एक स्वतन्त्र लोकतंत्रीय गणराज्य के नागरिक के रूप में संघर्ष कर रहे हैं।

खादी और फैशन साथ-साथ नहीं चल सकते। खादी और चरित्र साथ-साथ चल सकते हैं। खादी और कुर्बानी साथ-साथ चल सकते हैं। खादी और गरीबी साथ-साथ चल सकते हैं। लेकिन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खादी और फैशन साथ-साथ चल सकते हैं, चलने चाहिए। खादी अनेक लोगों को फैशन के रुप में स्वीकार नहीं है। अतः इसे किसी ऐसे रूप में बनाया जाए कि यह लोगों को स्वीकार हो।

खादी हमारे यहां की जमीन, लोकतांत्रिक ढांचे और हमारी मातृभूमि के आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप है। फिर इसमें विदेशी तत्व को शामिल करके इसे अपवित्र क्यों किया जाए। यदि वे हाथ से बना धागा चाहते हैं तो वे इसे बनाएं लेकिन इसे खादी में न मिलाया जाए। इसे खादी के साथ मिलाना उचित नहीं है।

इसमें संशोधन लाने का अर्थ है अपनी तथा महात्मा गांधी की भावना को धोखा देना है। यदि लोग खादी नहीं चाहते तो हमें ईमानदारी से यह कहना चाहिए कि हम इसे छोड़ देंगे लेकिन इस प्रकार का मिश्रण नहीं चाहते। लोग भी हमारी तरह कुछ मूल्यों और कुछ संस्थाओं का आदर करते हैं। इस प्रकार का कानून लाने से इन सब मूल्यों का उल्लंघन होगा।

हम मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री और सरकार से इस विधेयक को वापस लेने के लिए अनुरोध करते हैं। यदि सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो वह इतना तो कह ही सकती है कि इस पर विचार करके एक संशोधित विधेयक लाया जाएगा। यदि नहीं लाया जाएगा तो स्वतंत्र मतदान किया जाए। मुझे विश्वास है कि अधिकांश जनता पार्टी के सदस्य इसके विरुद्ध मतदान देंगे, क्योंकि इसी तरीके से हम महात्मागांधी का आदर कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए जो समय निर्धारित किया गया था उसमें केवल 20-25 मिनट शेष रहते हैं और अभी 14 सदस्यों को बोलना है।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी: इसके लिए 1 1/2 घंटे का समय और बढ़ाया जाए।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) दो घंटे।

सभापति महोदय : सभी की राय है कि इस विधेयक के लिए समय दो घंटे और बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI (Khalilabad) : The basic concept behind the khadi movement was that its production involved the labour of the consumer himself and the encouragement was given to the cottage industry. It was essential to save our economy in this manner from the industrial imperialism being spread in our country during those days. With this objective the Swadeshi movement was launched. After independence khadi industry was nationalised and the result was that it became dependent on Government subsidy. It also led to mal-administration and many corrupt practices.

On the basis of subsidy we cannot run khadi industry for long under the prevailing circumstances. This Bill is welcome but its administration also requires radical changes and improvements.

Today khadi products have become articles of use by politicians and fashionable persons as their prices are high. Attempts should be made to make it cheaper so that it may become popular among all. Small machines can also be utilised with this end in view.

Government should also reserve areas of production to keep the interest of khadi industry. Mills should be allowed to manufacture only that cloth which is meant for export and production of cloth for internal consumption should be reserved for khadi industry.

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : यह विधेयक जिस ढंग से सभा में लाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मेरे विचार में यह विधेयक जल्दी में तैयार किया गया है। इस पर मंत्रिमंडल की राय नहीं जानी गई है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : यह सही नहीं है। विधेयक पर मंत्रीमंडल ने विचार किया था। मंत्रिमंडल की पूर्ण सहमति से यह विधेयक लाया गया है।

श्री ए० सी० जार्ज : बुनकर सेवा केन्द्र और अनुसंधान केन्द्र हथकरघा और उसकी बिक्री के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुसंधान और सुधार कर रहे हैं। मानव निर्मित रेशे को इसमें शामिल कर खादी को अशुद्ध क्यों किया जाए?

मानव निर्मित रेशे से अर्थ है रेयन, नाइलान और पालिएस्टर रेशे। मानव निर्मित रेशे को खादी में शामिल करने से मिलवालों को भी खादी की बिक्री पर मिलनेवाली छूट पाने का अवसर मिल जाएगा। इसका भी मिलमालिक लाभ उठाएंगे।

अत: मेरा निवेदन है कि खादी की परिभाषा में मानव निर्मित रेशे को शामिल करने का उपबन्ध वापस लिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं।

SHRI B. P. MANDAL (Madhopura) : Almost all the members have opposed this Bill. The Minister should take note of this fact and try to rectify the mistake.

The Bill sought to amend the definition of 'khadi' so as to include man-made fibre. The Minister has not made the meaning of man-made fibre clear. Perhaps it is synthetic fibre which the Minister want to introduce. It is directly, against what Gandhiji preached and what Gandhism stood for.

Mahatma Gandhi had first boycotted foreign clothes and later on opposed giving encouragement to mill-made cloth, because he said that way capitalists are benefited and poor weavers do not get any advantage. This is why he laid stress on cloth woven on handloom by using hand-spun yarn.

After the new definition of 'khadi', synthetic fibre which will be prepared by big machines, will be used. Capitalists will be benefited and khadi will be adulterated. If the Minister does not want to withdraw the Bill, he should accept the amendment to circulate it for eliciting public opinion thereon.

SHRI B. P. MANDAL: Because of your attempt to adulterate khadi I feel that it would be better for you to renounce Mahatma Gandhi. You have not defined as to what do you mean by 'man made'. It creates suspicions in our mind. I therefore hope that the hon. Minister would accept our suggestion, for circulation of the Bill to elicit public opinion thereon.

श्री पी० वैंकटसुब्बैया (नंडयाल) : मानव निर्मित रेशे के बारे में यह सभा एक तरह से एकमत है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इस पवित्र सम्बन्ध को समाप्त करने के पहले भी ऐसे कई प्रयत्न किए गए हैं। इसका राजनैतिक पहलू ही नहीं है बल्कि आर्थिक पहलू भी हैं।

कृषि के बाद खादी और हथकरघा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। देश के करोड़ों लोग इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं। गांधीजी इसके आर्थिक पहलू से परिचित थे। इसलिए उन्होंने कहा था "चर्खे से हम पूर्ण स्वराज्य लाएंगे"। मेरे क्षेत्र में खादी बुनकर हरिजन हैं और वे पूर्णतः इस पर ही निर्भर हैं।

महात्मागांधी ने कहा था कि मैं यह सहन नहीं कर सकता कि जो कपड़ा खादी नहीं है या हाथ से बनाया या बुना हुआ नहीं है उसे पास किया जाए। जब से जनता सरकार सत्ता में आई है तब से यही दावा करती आ रही है कि वह गांधी जी के आदर्शों व आर्थिक सिद्धांतों का सम्मान करती हैं। परन्तु प्रस्तुत विधेयक उनके इस वादे के विपरीत है।

चर्चा के दौरान किसी सदस्य ने यह भी कहा था कि जो खादी कपड़ा आजकल बेचा जा रहा है वह फैशन-ग्रस्त लोगों की पसन्द के अनुरूप नहीं है। परन्तु यदि आप कभी दिल्ली के खादी भण्डार जाएं तो देखेंगे कि वहां से सामान खरीदने वाले विदेशियों की लाइन लगी है। केवल यह कहना ही काफी नहीं है कि खादी लोगों की बदलती हुई पसन्द के अनुरूप नहीं है, बल्कि इसके विकास तथा अनुसंधान के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। खादी तथा ग्राम उद्योग द्वारा इसके विकास तथा अनुसंधान के लिए विभाग खोला जाना चाहिए। इस विभाग को ऐसे रंगों तथा डिजायनों की खोज करनी चाहिए जो अधिकांश लोगों को आकृष्ट कर सकें। लोक लेखा समिति द्वारा तीसरी लोक सभा को दिए गए प्रतिवेदन में खादी आयोग के कार्यकरण पूर्णतः स्पष्ट किया गया था। मंत्री महोदय को चाहिए कि वह इसे अधिक कुशल तथा वाणिज्यिक दृष्टि से सफल बनाने के लिए इसके सारे ढांचे में अपेक्षित परिवर्तन करें। विपणन विभाग को और अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही अनुसंधान तथा विकास विभाग को भी सक्षम बनाया जाना चाहिए। खादी की खरीद को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

जहां तक खादी उद्योग के वित्तीय नियंत्रण का सम्बन्ध है उसका विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग को अपने वित्तीय प्रबन्ध का कार्यभारी बनाया जाना चाहिए ताकि उसके लिए उसका दायित्व निर्धारित किया जा सकें। खादी आयोग को भी अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह केवल खादी के कार्यकरण की देखभाल ही

नहीं करता बल्कि उसके द्वारा कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग की अन्य अनेक वस्तुओं का उत्पादन भी किया जाता है, और उससे लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है।

मंत्री महोदय को चाहिए कि वह इस सभा की एकमत राय को मानते हुए प्रस्तावित विधेयक वापस ले लें।

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV (Madhubani) : I am totally opposed to the Bill. Madhubani area is known for khadi products. In this area khadi is the only source of livelihood of one lakh families. Because of the wrong policies of khadi commission, khadi Board and Government about 80 thousand families who are dependent on khadi are now starving. Also quite a large number of widows belonging to orthodox Brahmin families, who are dependent on khadi for their libelihood are starving.

According to Mahatama Gandhi 'the central fact of khadder is to make very village self-supporting for its food and clothing.' How can be fit in man-made fibre in this definition ?

Gandhi also said that self-sufficient khadi would never succeed without cotton being grown by spinnners themselves or practically in every village. How would a villager produce man-made fibre out of this field ?

The Bill attacks the very basis of Gandhiji's philosophy. The whole matter needs to be studied in depth. The Bill should be referred to elicit public opinion thereon.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : It is really distressing that the Government headed by a Gandhian like Morarji Desai has brought forward this Bill. They have forgotten the circumstances in which khadi came into being and the context in which Nehru called khadi as 'the livery of freedom'.

We have to realise the spirit behind the words 'hand-woven' and 'hand-spun'. The spirit is that of self-reliance and gram Swarajya. Mahatama Gandhi laid stress on khadi so that a villager who produced foodgrains for himself could become self-reliant in the matter of cloth also. Thus he wanted villagers to become self-reliant in regard to two basic necessities of life.

We should be deceiving ourselves by allowing man-made fibre to be mixed with khadi. Big mills will come into the picture. There will be highly paid people in those mills and there will be a wide gap between the salary of these people and wages of poor weavers. This will be against Gandhiji's concept of society free from exploitation.

By allowing the use of polyester fibre we will be destroying khadi. We should not allow the philosophy represented by khadi to be demolished.

श्री ओ० वी० अलगेशन (अरकोनम) : यह अत्यन्त घृणास्पद और आपत्तिजनक विधेयक है। सभा में सभी ने इसका विरोध किया है चाहे वह किसी भी दल के क्यों न हो।

इस विधेयक द्वारा खादी शब्द को तोड़ा मरोड़ा गया है। यह बहुत ही निन्दनीय काम है। खादी की परिभाषा में ही परिवर्तन किया जा रहा है।

गांधी जी का चर्खा न केवल स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है बल्कि वह बड़ी मशीनों का विकल्प भी है। गांधी जी के अनुसार मशीनें हिंसा और शोषण का प्रतीक हैं। हो सकता है कुछ लोग इस चर्खे को महत्वहीन समझें जिसने महान ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला किया और अन्त में उसे यहां से भगा कर छोड़ा।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो तर्क दिए गए हैं वह सारहीन और झूठें हैं। इस बात के अन्य ठीक कारण हो सकते हैं। इस कथन में बताया गया है कि उपभोक्ता मंडी के बदलते रूझानों को दूर करने के संदर्भ में अब समय आ गया है जब मनुष्य

द्वारा प्राकृतिक धागे के साथ मनुष्य द्वारा निर्मित धागे का इस्तेमाल किया जाए। उपभोक्ता मंडी में एक दम से यह क्या रुझान पैदा हो गए हैं जिन्हें कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पाया है।

जनता पार्टी की घोषित नीति अधिक लोगों को रोजगार दिलाने की है परन्तु अब वह ऐसी कार्यवाही कर रही है जो कि उसकी घोषित नीति के विरुद्ध है। खादी उत्पादन में मनुष्य द्वारा बनाए गए धागे के इस्तेमाल को आरम्भ करके साधारण ग्रामीणों के रोजगार अवसर कम किए जा रहे हैं।

इस विधेयक के प्रस्ताव को सभा की भावनाओं को समझना चाहिए था। गांधी जी द्वारा इस देश में किए गए काम उन्हें समाप्त नहीं करना चाहिए। उनके लिए यह बुद्धिमता की बात होगी कि वह विचार करें और दूसरों की बात सुनें और विधेयक वापस लेने का निर्णय करें।

SHRI R. L. P. VERMA (Koderma) : Khadi has built up a tradition during the last 60 years and that tradition is now being destroyed. So far khadi cloth is made by hand but now it is going to be mechanised. By bringing in the polyester fibre and by changing the definition of khadi, the Minister seems to be moving towards ultra-modernisation this adulterated cloth will not remain khadi and prove to be harmful like other things.

The khadi lovers will be greatly hurt by this Bill, which seems to have been brought. It should be referred to a Select Committee where it may be discussed properly.

SHRI YUVRAJ (Katihar) : Through this Bill it is proposed to appoint the Finance Minister as well as a Member incharge of Administration on the Commission and thus raising the existing maximum limit of members of the Commission from five to seven. Accordingly the Financial Adviser and the Chief Executive Officer of the Commission will be appointed as a member and member incharge of the Commission respectively. The introduction of this official element will vitiate the character of the Commission which has so far been functioning as a non-official body.

Secondly, the induction of polyester fibre in khadi is not proper as it will kill the very spirit with which khadi was introduced by Mahatama Gandhi. The Minister has said that the use of this fibre in Tamil Nadu has been very encouraging. But this statement is not borne out by facts because most of the Members of the South who have spoken on this Bill have expressed themselves against it. This fibre is a petro-chemical product and is not as strong as cotton is. So there is no need to mix that fibre in khadi.

श्री बी० पी० कदम (कनारा) : इस विधेयक द्वारा खादी की परिभाषा बदली जा रही है। इस पर गम्भीर प्रतिक्रिया और विरोध हुआ है।

आजादी के बाद, शरीफ दीखने वाले और खामोश मालूम होने वाले भेड़िये खादी और ग्रामोद्योग में घुस आये हैं। और बेचारे छोटे व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं। 'हिंदु' के अनुसार आयोग का उपरि-व्यय और प्रशासन खर्च इसके विकास के लिए संसाधनों को समाप्त कर देते हैं और निर्धन ग्रामीण कारीगर का, जो 8-10 घंटे तक परिश्रम करने के बाद भी बहुत कम धन कमा पाता है, मजाक उड़ाया जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण कल जारी रखें। यह सभा कल फिर यह चर्चा करेगी।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 10 मई, 1978/20 वैशाख, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[*The Lok Sabha, then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 10th May, 1978/Vaisakha 20, 1900 (Saka).*]

227LSS/78—GIPF.